जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, गोरखपुर

सम्पर्क सूत्र
जिला आपदा प्रबन्ध केन्द्र
जिलाधिकारी कार्यालय
कलेक्ट्रेट, गोरखपुर

जनपद- गोरखपुर

जिला आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण योजना

(2013-14)

जिला आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण योजना

2013-14

जनपद- गोरखपुर

(देव कृष्ण तिवारी)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
गोरखपुर

(रवि कुमार एन०जी०)
जिलाधिकारी
गोरखपुर

विषय सूची

आमुख	I
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गोरखपुर	1
परियोजनाओं का संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण (सी.सी.डी.आर.आर. एवं क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम)	3
गोरखपुर जनपद : परिचय	5
गोरखपुर जनपद : सामान्य विवरण	6
इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन (इ0एस0ए0) दल ''संचार तंत्र''	8
मानचित्र गोरखपुर : (भौगोलिक एवं बाढ प्रभावित क्षेत्र)	9
जोखिम एवं नाजुकता विश्लेषण	11
जनपद की नदियाँ	13
आवश्यक संरचनाओं का जोखिम विश्लेषण	16
1. बाढ़ प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण योजना	
जनपद में बाढ : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	17
1998–शताब्दी की भीषणतम बाढ़	18
वर्ष 2013–14 जिला आपदा न्यूनीकरण योजना निर्माण की प्रक्रिया	24
बाढ़ चौकियों, राहत केन्द्र व राहत शिविर की स्थापना	26
सेक्टरों की स्थापना	32
जोन	33
बाढ़ सेल	34
बाढ़ नियंत्रण कक्ष	35
संचार व्यवस्था	37
बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान एवं बाढ़ सम्बन्धी पूर्व चेतावनी	38
बांध मरम्मत, रखरखाव एवं सुरक्षा	39
बांध सुरक्षा एवं रख–रखाव हेतु आवश्यक निर्देश	44
आदेश	48
प्रतिदिन बांध के बारे में राष्ट्र की सूचना प्राप्त करने हेतु निम्न प्रपत्र में सूचना मांगी जानी चाहिए	51
नावों एवं मोटर बोट की व्यवस्था	52
खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था	54
स्वास्थ्य विभाग : जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, रैपिड रिस्पांस टीम	58
पशु चिकित्सा	63
पुलिस विभाग एवं पी0ए0सी0	67
सेना	70
वायु सेना	71
कृषि	74
कृषि रक्षा	76
नदियों से प्रभावित तहसीलवार ग्रामों की सूची	77

2. शहरी प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण योजना

नगर निगम, गोरखपुर	87
नगर निगम गोरखपुर, पम्पों का विवरण	95
उक्त सफाई के फलस्वरूप जल निस्तारण का आश्वासन	96
विभिन्न विभागों के कार्य (लो.नि.वि., विद्युत, वन, परिवहन, रेलवे, मौसम, केन्द्रीय जल आयोग, जल निगम, दूरसंचार, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, बेसिक शिक्षा विभाग)	99
बाढ़ राहत स्वयंसेवी संस्थान/संगठन	106
फण्ड एवं जिला आपदा राहत कोष	108
बाढ़, अग्निकाण्ड एवं भूकम्प से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने हेतु कार्य योजना की तैयारी एवं समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति	110
स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक की कार्यवृत्ति	120
मॉक ड्रिल योजना	124
भवन, वाहन अधीग्रहण आदेश	125
FORM FOR REQUISITIONING ARMY/AIR FORCE HELP FOR FLOOD RELIEF	126

3. सूखा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण योजना

विस्तृत कार्य योजना	127
सूखा समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति	136

4. आगजनी एवं भूकम्प प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण योजना

महानगर में उपलब्ध संसाधन	141
अग्निशमन व्यवस्था जनपद, गोरखपुर	142
Industrial Disaster Communication Channel District Crisis Group	145
प्रशासनिक अधिकारियों के टेलीफोन नं0 एवं मोबाइल नं0	146
मीडिया टेलीफोन नं0 एवं मोबाइल नं0	158
स्वयंसेवी संगठन टेलीफोन नं0 एवं मोबाइल नं0	159

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN : 2013-14

आमुख

जनपद गोरखपुर में 36,01,905 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 8,34,370 जनसंख्या नगर क्षेत्र में निवास करती है। जनपद के लोगो की मुख्य आजीविक साधन कृषि अथवा कृषि आधारित छोटे –बडें उद्योग व उपक्रम है। जनपद की कुल कृषि जोत 264828 हे0 का शुद्ध बोया क्षेत्रफल 202592 हे0 हैं। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल 152655 हे0 है। मुख्यतया जनपद की कृषि उपज वर्षा के जल पर आधारित हैं।

जनपद की प्रमुख दैवीय आपदा बाढ़ है। जिसके कारण विगत वर्षो में काफी जन –धन की हानि हुई है। तथा यहाँ की कृषि उपज के साथ –साथ, उद्योग–धंधो, मूलभूत संरचनाओं एवं विकास कार्यक्रमो पर काफी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा हैं। वर्ष 1998 में जनपद के शताब्दी की भीषणतम बाढ़ त्रासदी का अहसास किया गया। जनपद में स्थित समस्त नदियां – राप्ती, घाघरा, कुआनों, रोहिन, आमी तथा गोर्रा अपने–अपने उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर गयी थी। नदियों के बांधों के टूटने के कारण जनपद मुख्यालय का तहसीलों तथा प्रदेश के अन्य जनपद का बहुत बड़ा भू–भाग प्रभावित हुआ था। कृषि व जन–धन की काफी क्षति हुई, बचाव एवं राहत कार्य हेतु सेना, वायुसेना, पी.ए.सी की सहायता लेनी पड़ी वर्ष 2000 में राप्ती का जल स्तर रिगौली (कैम्पियरगंज) मे उच्चतम जल स्तर को पार कर गया था। राप्ती नदी का तटबंध 6 स्थानों पर कट गया 7 स्थानों पर गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। वर्ष 2001 में नदी के पानी के दबाव के कारण तहसील कैम्पियरगंज में 5 बंधे, चौरी चौरा में 01 बंधा, सदर में 01 बंधा तथा बांसगाँव में 02 बंधे कुल 9 बंधे क्षतिग्रस्त हुए। वर्ष 2007 की बाढ़ विभिषिका ने बाढ़ के एक नए रूप को दृष्टिगोचर किया । इस वर्ष यद्यपि बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण कोई बड़ी जनहानि नही हुई किन्तु बाढ़ की चार बार पुनरावृत्ति ने जनपद की बाढ़ तैयारियों की बार–बार परीक्षा ली एवं कृषि, भवन एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति पहुँचायी। वर्ष 2002 और वर्ष 2004 में जनपद में भीषण सूखे की स्थिति रही, शासन द्वारा जनपद को सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया गया । वर्ष 2009–2010 में जनपद में दो चरणों में बाढ़ आयी।

जनपद ने वर्ष 1998, 2001 एवं 2007 के अनुभवों के आधार पर बाढ़ प्रबंध योजना तथा वर्ष 2002 एवं 2004 के अनुभवों के आधार पर सूखा प्रबंध योजना तैयार की थी जो कि काफी लाभप्रद रही। बाढ़ चौकियों, राहत केन्द्रो, राहत शिविरों की स्थापना, बचाव एवं राहत कार्य विभिन्न विभागों का समन्वय, नावों की समय से आपूर्ति , सेना की समय से उपलब्धता आदि में यह निश्चित रूप से उपयोगी रही ।

पूर्व के अनुभवों के आधार पर यह देखा गया है कि जलवायु में हो रहे परिवर्तनों के कारण आपदाओं का स्वरूप, समय तथा व्यापकता में परिवर्तन आ रहा है। इसके दृष्टिगत जिला आपदा प्रबध प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान, भारत सरकार, स्थानीय संस्था गोरखपुर एन्वायरमेन्टल एक्शन ग्रुप, गोरखपुर एवं आई0एस0ई0टी0, अमेरिका के सहयोग से वर्ष 2012–13 के दौरान जिला आपदा प्रबंध एवं न्यूनीकरण योजना तैयार किये जाने हेतु एक अध्ययन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के साथ आयोजित की गयी कार्यशालाओं एवं समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वर्ष 2013–14 की जिला आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण योजना तैयार करने का प्रयास किया गया है।

यह योजना विभिन्न सरकारी विभागो जनप्रतिनिधियों व गैर सरकारी संगठनो की सहभागिता तथा आपदा होने की स्थिति में उसके कारण होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के दृष्टिगत परिष्कृति कर तैयार की गयी है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों, आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के निर्देशों जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संगठनों के विचारों का सम्यक समावेश आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण योजना में किया गया है आपदा न्यूनीकरण हेतु संबधित विभागों यथा सिंचाई, चिकित्सा, पशुचिकित्सा, खाद एवं रसद, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, विद्युत, जल निगम, नगर–निगम, रेलवे, दूरसंचार, सेना तथा वायु सेना की कार्य योजनाओं को जनपद की इस योजना में शामिल किया गया है।

आशा है कि यह योजना जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत आपदाओं से निपटने तथा उससे होने वाली क्षति को कम करने एवं विभिन्न विभागों के कार्यों तथा गतिविधियों में आपदा न्यूनीकरण के तत्वों के समावेशन में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। न्यूनीकरण योजना के संबंध में उसके बेहतर प्रभाव व उपयोग के दृष्टिगत दिये जाने वाले सुझावों का स्वागत किया जायेगा तथा योजना में समाविष्ट किया जायेगा।

रवि कुमार एन0जी0
जिलाधिकारी,
गोरखपुर

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गोरखपुर

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गोरखपुर का गठन शासनादेश सं0 248 / 01.11.2012,राजस्व अनुभाग –11 दिनांक 11.04.11 के अनुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के दृष्टिगत् सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत दिनांक 28.07.11को गठित कर लिया गया है। प्राधिकरण में निम्न सदस्य नामित है :

1. जिलाधिकारी, अध्यक्ष
2. जिला पंचायत अध्यक्ष, सह–अध्यक्ष
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सदस्य
4. जिला चिकित्साधिकारी, सदस्य
5. अपर जिलाधिकारी (वि / रा), सदस्य
6. अधिशासी अभियन्ता बाढ़खण्ड, सदस्य
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सदस्य

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की प्रथम बैठक दिनांक 26.07.11 को जिला पंचायत अध्यक्ष / सह–अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, गोरखपुर श्रीमती साधना सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमे आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित कार्य सर्वसम्मति से किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम और डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस योजना तैयार करना
2. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं में समन्वय करना
3. आपदा की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में आपदा न्यूनीकरण हेतु के कदम उठाना
4. आपदा प्रबन्धन की योजनाओं को लागू कराना और नजर रखना
5. जिलें में विभागों, एन0जी0ओ0 और अन्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना
6. जिले में निर्माण कार्य और अन्य परियोजनाओं पर इस प्रकार नजर रखना जिससे कि वे आपदा का कारण न बनने पाए
7. जर्जर और खतरनाक इमारतों और जगहों को चिन्हित कराना

आवश्यक कार्यों के लिए बजट उपलब्ध कराना

वित्तीय कोष का गठन

प्राधिकरण के संचालन हेतु स्थानीय बैंक में खाता संचालित है जिसमें विभिन्न माध्यमों से चंदे के रूप में कोष एकत्रित किया जा रहा है।

प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्य

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सहायतित *Pilot Project of Training of Civil Defence Volunteers for Flood & Earthquake Preparedness* परियोजना जिसमें जनपद के 250 स्वयंसेविकों को एन0डी0आर0एफ0 के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है, जो कि जनपद के विभिन्न तहसीलों में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे तथा आपदा के दौरान राहत कार्य मे अपना सहयोग प्रदान करेगें।

2. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित *"Capacity Building Programme"*, जिसके अन्तर्गत जनपद में चिन्हित 120 अतिसंवेदनशील ग्राम पंचायतों की आपदा प्रबंधन योजना निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान, भारत सरकार, आई0ई0एस0टी0, अमेरिका एवं गोरखपुर एन्वायरमेन्टल एक्शन ग्रुप, गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत जिला आपदा न्यूनीकरण योजना निर्माण सम्बन्धित अध्ययन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

4. वित्तीय वर्ष 2013–2014 में किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य।

परियोजनाओं का संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण
(सी.सी.डी.आर.आर एवं क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम)

जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत जिला आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन योजना निर्माण

योजना की आवश्यकता

विगत् कुछ वर्षों में यह अनुभव किया गया है कि आपदाओं का स्वरूप एवं समय बदलता जा रहा है, जिसके कारण व्यापक रूप में जन–धन एवं पर्यावरण को भारी क्षति हुयी है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक जनपद की उसकी भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर जिला आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन योजना निर्माण समस्त हितभागियों (विभिन्न सरकारी विभागो जनप्रतिनिधियों व गैर सरकारी संगठनो) के सहयोग से किया जाये, जिससे की आपदाओं से होने वाले जन–धन एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005

राष्ट्रीय स्तर पर "आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005" बनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय/प्रदेश/जिले स्तर पर प्राधिकरण गठित किये जाने साथ ही प्राधिकरण की आपदाओं के प्रतिउत्तर हेतु योजना निर्माण बनाये जाने का निर्देश है।

जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत योजना निर्माण की आवश्यकता

राष्ट्रीय/प्रदेश/जिले स्तर पर आपदा न्यूनीकरण हेतु कारगर एवं प्रभावी कदम उठाये गये हैं। किन्तु आपदा प्रबन्धन के प्रयास जलवायु की बदलती परिस्थितियों के कारण अधिक प्रभावी नहीं हो पा रहें। आपदा से निपटने के दीर्घकालिक उपायों में जलवायु परिवर्तन की स्थितियों को समाहित किया जाना अपरिहार्य है।

जलवायु परिवर्तन : आपदा प्रबन्धन को विकास योजनाओं के निर्माण में समाहित किये जाने के लिए एवं पूर्वी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति के विश्लेषण हेतु जनपद गोरखपुर पर अध्ययन एक प्रतीक के रूप में प्रस्तावित है।

सहयोग संस्थाएं

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, इन्स्टीचयूट ऑफ सोशल एण्ड एनवायरन्मेन्टल ट्रान्जिशन, अमेरिका, गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप, गोरखपुर एवं जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, गोरखपुर।

अध्ययन में मुख्यतः निम्न विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है-

- ऐसे कौन–कौन से तंत्रात्मक कारक है जो स्थानीय नाजुकता को बढ़ाते है और पूर्व चेतावनी के आधार पर ससमय निर्णय लेने में सहायक होते है।
- ऐसे कौन से नीतिगत पक्ष है जो राष्ट्रीय नीतियों व स्थानीय परिस्थितियों तथा विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुये सामंजस्य हेतु लाभकर हो सकते है।

13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत एवं वित्तपोषित ‘‘’कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम)’

राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जनपद गोरखपुर में 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत और वित्तपोषित ‘‘कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम’’ (क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम) जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु जनपद में क्षमता संवर्द्धन सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

जनपद में कुल 120 अतिसंवेदनशील आपदा प्रभावित ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है, जिसमें ग्राम स्तर के 50 व्यक्तियों (पंचायत, सरकारी, गैरसरकारी, मीडिया, स्थानीय नागरिक एवं अन्य संगठन के लोग) को 03 दिवसीय ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु जनपद स्तर पर 15 मास्टर प्रशिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है, जो राज्य स्तर पर 05 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किये जायेंगे। प्रशिक्षित 15 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा जनपद में 90 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिनके सहयोग से ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

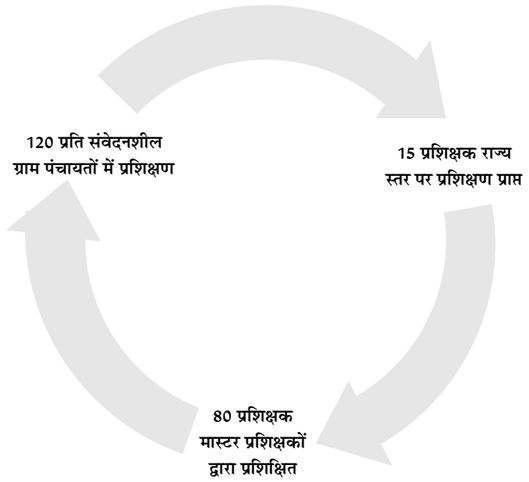

गोरखपुर जनपद

परिचय

गोरखपुर जनपद 25 डिग्री 51′ उत्तर व 26 डिग्री 30′ उत्तर अक्षांस तथा 83 डिग्री 25′ पूर्व व 84 डिग्री 20′ पूर्व देशान्तर के मध्य उत्तर प्रदेश की उत्तरी पूर्वी सीमा के सन्निकट स्थित है। नाथ परम्परा के अलौकिक संत साधक गोरखनाथ की साधना स्थली के कारण ही इसका नाम गोरखपुर पड़ा एवं इस कारण से ही यह देश देशान्तर में सुविख्यात है। किसी समय इसमें काफी लंबा चौड़ा भू–भाग समाहित था, परन्तु कालान्तर में यह महाजनपद अनेकों जनपदों में विभाजित हो गया।

सन् 1801 में इस परिक्षेत्र के अवध के नवाब से ईस्ट इंडिया कम्पनी को स्थान्तरित होने के समय इसकी उत्तरी सीमा नेपाल में बुटवल तक पूर्वी सीमा बिहार राज्य की सीमा से दक्षिण में जौनपुर, गाजीपुर व फैजाबाद तथा पश्चिमी सीमा गोण्डा व बहराइच से मिलती थी। उस समय इस जनपद में गोरखपुर व बस्ती के साथ–साथ आजमगढ़ व माहूल के 17 परगने, नवाबगंज गोण्डा के 7 परगने व नेपाल की तराई में स्थित बिनायकपुर व तिलपुर परगने इसमें शामिल थे। सन् 1802 में खैरीगढ़ के 7 परगने इससे अलग हुए, सन् 1816 में युद्ध के उपरान्त एक समझौते के अन्तर्गत बिनायकपुर व तिलपुर परगनों को नेपाल को सौंपा गया, इसी समय नवाबगंज के परगनों को पुनः अवध में शामिल किया गया, सन् 1865 में मगहर परगने के अधिकांश भाग व परगना विनायकपुर के कुछ भाग से मिलकर जनपद बस्ती का सृजन हुआ, सन् 1904 में धुरियापार परगना के 122 ग्राम घाघरा नदी की धारा में परिर्वतन के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से आजमगढ़ को स्थानान्तरित किये गये, सन् 1946 में इसका विभाजन जनपद गोरखपुर व जनपद देवरिया के रूप में तथा सन् 1989 में जनपद गोरखपुर से ही जनपद महराजगंज, पूर्वी सीमा पर जनपद देवरिया व कुशीनगर, दक्षिण में घाघरा नदी सीमा का निर्धारण करती है जिसके उस पार जनपद मऊ, आजमगढ़ व अम्बेडकरनगर स्थित है तथा पश्चिमी सीमा पर संत कबीर नगर व जनपद सिद्धार्थनगर स्थित है।

जनपद में वर्तमान समय में 7 तहसीलें– सदर, कैम्पियरगंज, चौरीचौरा, सहजनवां, खजनी, बाँसगाँव व गोला है। राप्ती, घाघरा, रोहिन, आमी, कुआना, तथा गोर्रा जनपद में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां है।

गोरखपुर जनपद- सामान्य विवरण

1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	3483.8 वर्ग किमी0
2.	जनसंख्या (जनगणना 2011)	4436275
	ग्रामीण जनसंख्या	3601905
	नगरीय जनसंख्या	834370
	पुरुष जनसंख्या	2281783
	महिला जनसंख्या	2154512
3.	तहसीलें	7 (सदर, चौरीचौरा, सहजनवा, खजनी, कैम्पियरगंज, बाँसगाँव, गोला)
4.	विकास खण्ड	19 (जं. कौडिया, कैम्पियरगंज, खोराबार, चरगांवा, भटहट, पिपराइच, पाली, सहजनवा, सरदारनगर, ब्रम्हपुर, पिपरौली, खजनी, बेलघाट, उरूवा, बड़हलगंज, गोला, बाँसगाँव, कौड़ीराम, गगहा व धानी विकास खंण्ड की 5 न्याय पंचायत)
5.	थाना	25 (कोतवाली, राजघाट, तिवारीपुर, गोरखनाथ, कैण्ट शाहपुर, गुलरिहा, चिलुआताल, खोराबार, बाँसगाँव, उरूवा बाजार, गोला, बेलघाट, पिपराइच, चौरीचौरा, झंगहा, खजनी, सिकरीगंज, सहजनवा, हरपुर बुदहट, बड़हलगंज, गगहा, बेलीपार, कैम्पियरगंज, पीपीगंज)
6.	नगर निगम	1 गोरखपुर
7.	नगर पंचायत	7 (बड़हलगंज, गोलाबाजार, बाँसगाँव, पीपीगंज, पिपराइच, मुण्डेरा बाजार व सहजनवाँ)
8.	न्याय पंचायत	191
9.	ग्राम पंचायत	1233
10.	ग्राम	3319 (आबाद ग्राम 2876, गैर आबाद ग्राम 439 वन ग्राम 04)
11.	कृषि मंडी समितियां	3 (गोरखपुर, सहजनवाँ, चौरीचौरा)
12.	विश्वविद्यालय	1 (दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर वि.वि.)
13.	इंजीनियरिंग कालेज	1 (मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज)

14.	अस्पताल	क. मेडिकल कालेज – 01 ख. जिला चिकित्सालय – 01 ग. जिला महिला चिकित्सालय – 01 घ. टी0बी0 चिकित्सालय – 01 ड़. कैंसर चिकित्सालय – 01 च. पुलिस चिकित्सालय – 01 छ. रेलवे चिकित्सालय – 01 ज. पी0ए0सी0 चिकित्सालय – 01 झ. जी0आर0डी0 चिकित्सालय – 01 ञ. एयरफोर्स चिकित्सालय – 01 ट. फर्टिलाइजर चिकित्सालय – 01
15.	डिग्री कालेज	15
16.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	135
17.	सीनियर बेसिक स्कूल	363
18.	जूनियर बेसिक स्कूल	1413
19.	बालवाड़ी / आंगनवाड़ी केन्द्र	510
20.	न्यू पी0एच0सी0	60
21.	आयुवेर्दिक चिकित्सालय	39
22.	होम्योपैथिक चिकित्सालय	28
23.	यूनानी चिकित्सालय	02
24.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	22
25.	पशु चिकित्सालय	45
26.	रेलवे स्टेशन हाल्ट सहित	22
27.	बस स्टेशन / बस स्टाप	106
28.	सस्ते गल्ले की दुकान	ग्रामीण 1797, नगरीय 307
29.	राष्ट्रीयकृत बैंक	113
30.	ग्रामीण बैंक	60
31.	सहकारी बैंक	32
32.	सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक	4
33.	कृषि योग्य भूमि (हे0 में)	2,64,828 (जिसका 76.5 प्रतिशत भाग सिंचित क्षेत्रफल)
34.	खरीफ में मुख्य फसल धान	1,52,655 हे0
35.	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	19,075 हे0
36.	ऊसर भूमि	2,580 हे0
37.	चिकित्सीय राहत दल	36

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोद , गोरखपुर की अध्यक्षता में इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन (इ0एस0एफ0) दल

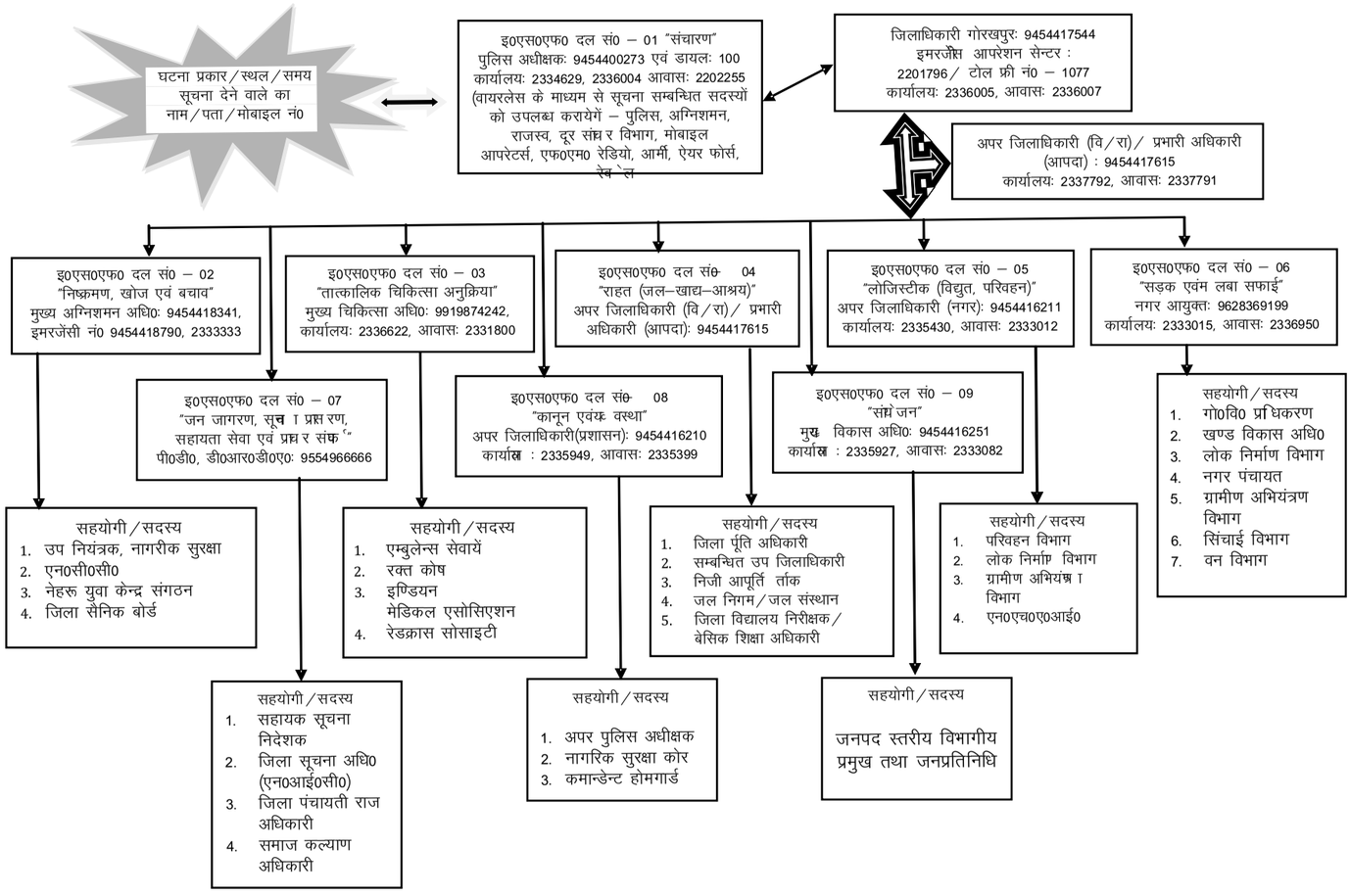

मानचित्र गोरखपुर- भौगोलिक

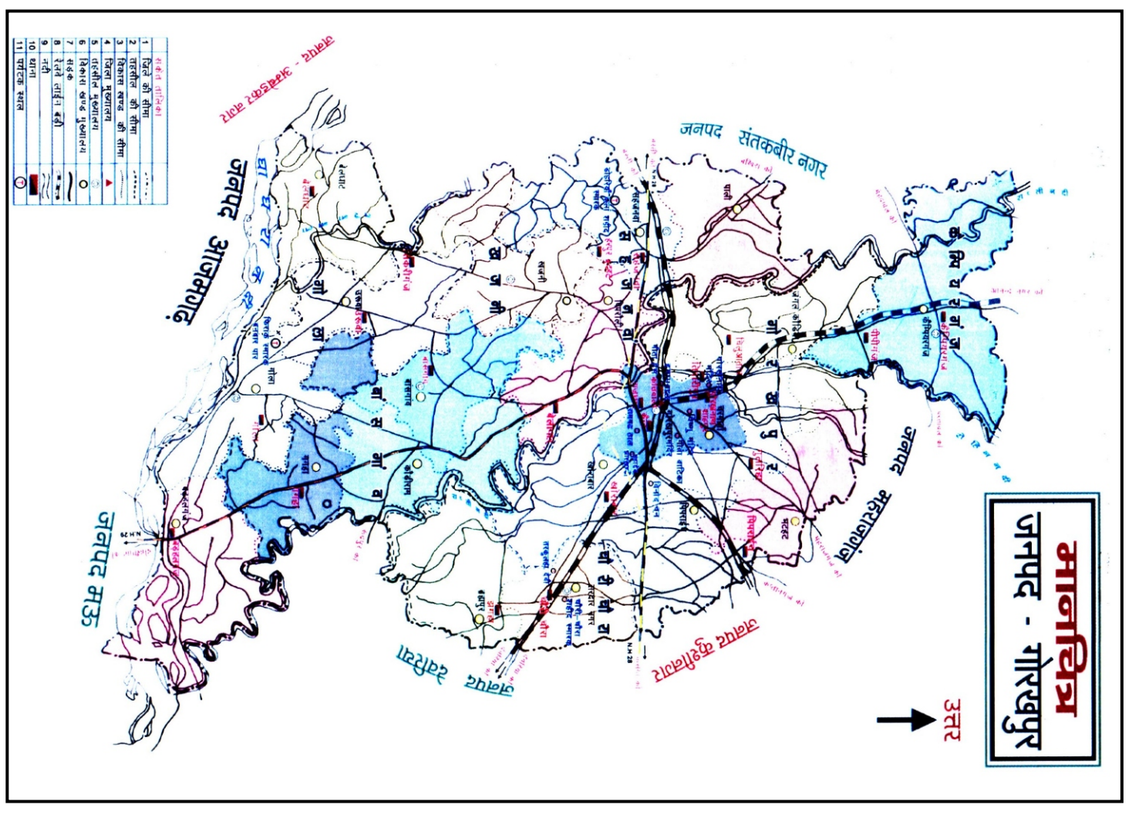

मानचित्र गोरखपुर-बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

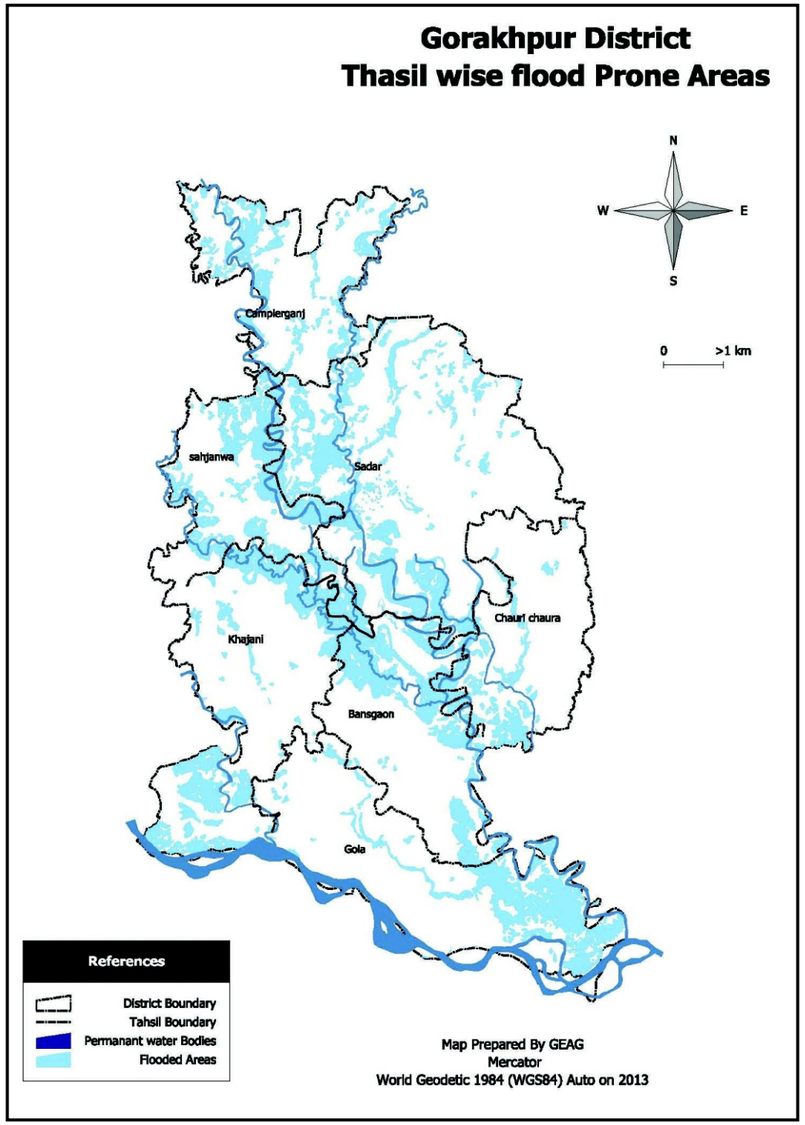

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN : 2013-14

जोखिम एवं नाजुकता विश्लेषण

जनपद के उत्तरांचल की तहसीलें – सदर, कैम्पियरगंज, चौरीचौरा, सहजनवां, आमी, रोहिन नदियों से तथा दक्षिणांचल की तहसीलें खजनी, बाँसगाँव व गोला राप्ती, आमी, कुआनों व घाघरा नदियों से प्रभावित होती है। इन नदियों की बाढ़ एंव उफान के कारण जनपद का अधिकांश भाग जल प्लावित हो जाता है जिसके फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में धन व जन की क्षति होती है। इसके अतिरिक्त तहसील सहजनवां के काफी गांव बखिरा झील से, जो की जनपद/तहसील सीमा पर जनपद संतकबीर नगर में स्थित है, तहसील चौरीचौरा विकास खण्ड ब्रम्हपुर तथा सदर स्थित विकास खण्ड खोराबार का अधिकांश भाग गोर्रा व राप्ती की सम्मिलित बाढ़ से भयंकर रूप से जलप्लावित व जलजमाव की स्थित से ग्रसित होता है। तहसील सदर के विकास खण्ड खोराबार के काफी ग्राम रामगढ़ताल व जहदा नाला के उफान के कारण, तहसील कैम्पियरगंज के काफी गांव कलान नाला, गोबरहिया नाला व सरूया ताल के उफान के कारण, तहसील चौरीचौरा स्थित फरेन नाला, तहसील बाँसगांव स्थित गनगरी नाला तथा तहसील गोला स्थित तरैना नाला से वर्षा ऋतु में उफान के कारण काफी क्षेत्रफल जलप्लावित हो जाता है।

जनपद के उत्तरी सीमा पर करमैनी, तहसील कैम्पियरगंज से कुछ पहले घोघी नदी राप्ती से, डोमिनगढ़ व महानगर के पश्चिम भाग में राप्ती से रोहिन, ग्राम सोहगौरा के निकट राप्ती से आमी नदी तथा जनपद की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर बरहज (देवरिया) के निकट राप्ती घाघरा नदी से समागम (संगम) तथा कुआनों नदी ग्राम शाहपुर तहसील खजनी के निकट घाघरा नदी से मिलती है। तरकुलानी के निकट राप्ती से (पूर्व में रामगढ़ताल व नरही ताल से) गोर्रा नदी की उत्पत्ति होती है जो कि 17 कि0 मी0 चलकर 104 गांव का दोआबा बनाते हुए बोहावार के निकट पुनः राप्ती में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त मुख्य नदियों व सहायक नदियों से कई नाले भी मिलतें है। अतीत में पाया गया है संगम स्थल से पूर्व का क्षेत्र बाढ़ व जलप्लावन की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील रहे है। सामान्यतः इन स्थलों पर बाँध नही है। कहीं कहीं पर बनाये भी गये हैं तो कुछ दूरी तक ही केवल नदी को दिशा देने के लिये और यदि कहीं है भी तो वह समागम स्थल से काफी पूर्व ही समाप्त हो जाते है। यह भी अनुभव किया गया है कि बाढ़ के समय जब कुछ नदियां अपने चरमोत्कर्ष पर बह रही होती है, सहायक नदियां और नालों का जल ग्रहण नही करती हैं जिसके फलस्वरूप सहायक नदियों/नालों का जल संगम स्थल से पूर्व काफी दूर तक फैल जाता है। मुख्य नदी का जल स्तर ऊँचा होने की दशा में 'बैक फलो' की भी प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है अर्थात मुख्य नदी से सहायक नदी में जल जाने लगता है। कभी–कभी तो यह स्थित 10–15 दिन तक बनी रहती है। इसके कारण ही बाढ़ के समय रोहिन नदी पर स्थित माधोपुर बाँध, आमी नदी पर स्थित कौड़ीराम सोहगौरा बाँध, कनइल मझगांवा व कनइल मलांव रिंग बाँध तथा कुआनों पर स्थित बिस्तुई व सोपाई घाट बाँध अत्यधिक संवेदनशील हो जाते है। गत 1998 की बाढ़ के समय माधोपुर बाँध में जगह–जगह सीपेज हो गया था, आमी नदी के जल का राप्ती में समागम न होने के कारण ही आमी का जल बाँधो को तोंड़ते हुये कनइल व मलांव ग्राम में घुस गया था, कुआनों पर स्थित बिस्तुई बाँध पानी के अत्यधिक दबाव के कारण टूट गया था।

जनपद में भूमि का ढलान प्रायः उत्तर से दक्षिण की ओर है। वर्षा ऋतु में नदी नाले विकराल रूप धारण कर लेते है जिससे पर्याप्त कृषि सम्पदा और जन धन की हानि होती है। नदियों में बाढ़ आते रहने के कारण इस क्षेत्र में मिट्टी की गुणवत्ता में भी परिवर्तन होते रहता है। जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन प्रभावित होता है।

गोरखपुर महानगर पूर्वांचल का महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं व्यापारिक केन्द्र है। यह 26 डिग्री 15′ उत्तर अक्षांश व 83 डिग्री 22′ पूर्व देशान्तर के मध्य राप्ती व रोहिन नदी के संगम पर स्थित है। महानगर की समुद्रतल से औसत ऊंचाई 185 मी0 है। इसकी आन्तरिक संरचना को राप्ती नदी के मार्ग परिवर्तन नें विभिन्न समयान्तरालों में प्रभावित किया है। इस नगर के आकार को स्वरूप प्रदान करने में अतीत में आई बाढ़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नगर कटोरेनुमा आकार का होने के कारण कोई प्राकृतिक जल बहाव नहीं है। महानगर की बाढ़ से सुरक्षा हेतु दक्षिण व पश्चिम में राप्ती पर हर्बट व मलौनी बाँध तथा रोहिन नदी पर माधोपुर बाँध निर्मित है। महानगर के उत्तरी क्षेत्र का पानी दो नालों से होकर जल निगम द्वारा स्थापित 3 पम्पिंग स्टेशनों के द्वारा राप्ती नदी में तथा उत्तरी क्षेत्र का पानी नालों के मदद से रामगढ़ताल में जाता है। जिससे जल जमाव की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

जनपद की नदियाँ

जनपद में प्रवाहित होने वाली नदियों राप्ती, घाघरा, कुआनों, रोहिन, आमी एवं गुर्रा की जनपद में लम्बाई निम्नानुसार है–

1	राप्ती	134 कि.मी.
2.	घाघरा	77 कि.मी.
3.	कुआनों	23 कि.मी.
4.	रोहिन	30 कि.मी.
5.	आमी	77 कि.मी.
6.	गोर्रा	17 कि.मी.

घाघरा

घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली व भारत में सरयू के नाम से जानते है। इस नदी का मुख्य उद्गम स्थल मानसर की हिमालय की पहाड़ियों को माना गया है। मूलतः 'छिबरा छू व गुरूला छ' नामक दो सरिताये उद्गम स्थल से निकलती है जो आगे मिल कर कर्णाली नामक नदी को जन्म देती है। कर्णाली से मार्ग में रोमा नदी गोम्पा (तिब्बत) नामक स्थान पर, वसिष्ठ नदी सोनीकोट (नेपाल) में हुम्ला कर्णाली नदी गलवा (नेपाल) स्थान से पूर्व मुगु कर्णाली गलवा (नेपाल) स्थान से आगे, ठुली भरी नदी नेतकोट नामक स्थान पर, सेती नदी धुन्ड्रास नामक स्थान पर तथा भरी नदी धुन्ड्रा नगर से 25 मील आगे मिलती है।

पूर्व में धौलागिरी क्षेत्र से पश्चिम में व्यास हिमालय व उत्तर में मानस खण्ड तक के अपार जल स्रोतों को लेकर जब यह चूरे पहाड़ी से शीशा पानी नामक स्थान पर नीचे लुढ़कती है तब इसकी जल धारा घोर गर्जन करती हुई बहती है जिसके कारण ही आगे इसको 'घर्घरा' (घाघरा) के नाम से जाना जाता है। चूरे पहाड़ से आगे चलने पर कर्णाली दो शाखाओं– पश्चिमी शाखा गिरवा व पूर्वी शाखा कर्णाली में विभक्त हो जाती है। दोनों ही भारत में बहराइच जनपद में प्रवेश कर भरतपुर नामक स्थान पर मिलती है जहां से यह घाघरा के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है।

उत्तर प्रदेश के कई जनपद की प्राकृतिक सीमा– खीरी–बहराइच, सीतापुर–बहराइच, बाराबंकी–बहराइच, बाराबंकी–गोण्डा, फैजाबाद–गोण्डा, फैजाबाद–बस्ती, फैजाबाद–आजमगढ़, अम्बेडकरनगर–बस्ती, संतकबीर नगर– अम्बेडकर नगर, गोरखपुर–आजमगढ़, गोरखपुर–मऊ, देवरिया–मऊ का निर्धारण करते हुये बिहार सीमा पर गंगा में मिलती है। प्रदेश में प्रवेश करने से गंगा नदी में मिलने तक खीरी जनपद से निकलने वाली सुहली नदी कटाई घाट के पास बबई नदी, गिरी नदी, बहरामघाट के निकट इसके दाहिने भाग में शारदा (चौका) नदी, अयोध्या से 9 कि.मी. पूर्व मखौड़ा नामक स्थान पर मनोरमा नदी (गोण्डा से आकर), टेढ़ी (कुटिला) नदी केराघट के निकट, कुआनों नदी शाहपुर ग्राम (गोरखपुर) के

निकट, राप्ती नदी बरहज (देवरिया) में छोटी गण्डक बिहार की सीमा पर तथा झरही नदियां गंगा के समागम से पूर्व इसमें मिलती है। घाघरा नदी गर्मी के मौसम में औसतन 18,000 क्यूसेक तथा वर्षा ऋतु में औसतन 2,20,000 क्यूसेक डिस्चार्ज के साथ बहती है। भयंकर बाढ़ के समय इसका अधिकतम डिस्चार्ज 3,25,000 क्यूसेक तक रिकार्ड किया गया है।

आमी

राप्ती की सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल जनपद बस्ती के रसूलपुर परगने से होता है। संतकबीर नगर से होकर गोरखपुर जनपद में ग्राम रामपुर (परगना हसनपुर मगहर) से प्रवेश करती है। जनपद में दक्षिण पूर्व बहते हुये तहसील सहजनवां, खजनी, बाँसगाँव क्षेत्रों से गुजरकर परगना भौवापार तहसील बाँसगाँव में ग्राम सोहगौरा के निकट राप्ती के दाहिने तट पर मिलती है। सामान्यतः यह साधारण नाले के रूप में नजर आती है परन्तु बाढ़ के समय बड़ा ही विकराल रूप धारण कर लेती है। इसके किनारे पर बाँध न होने के कारण इसका पानी दूर तक फैलता है तथा तहसील सहजनवाँ, खजनी, बाँसगाँव एव सदर तहसील के बहुत बड़े भू–भाग को जल प्लावित करता है। जिससे भारी नुकसान होता है। जनपद में इसकी लं. 77 कि.मी. है।

कुआनों

यह घाघरा की सहायक नदी है। जिसकी उत्पत्ति जनपद बहराइच के पूर्वी भाग से होती है। जनपद गोण्डा, बस्ती व संतकबीर नगर से होकर जनपद गोरखपुर में विकास खण्ड बेलघाट (तहसील खजनी) में प्रवेश करती है। जनपद में धुरियपार परगने में पश्चिम से होती हुई ग्राम शाहपुर के निकट घाघरा नदी से मिलती है। नदी की तलहटी बलुई होने के साथ साथ इसके दोनों ओर के तट काफी ऊचें है। वर्षा व बाढ़ के समय इसका पानी दूर–दूर तक फैलता है जिसकी वजह से खेती काफी प्रभावित होती है। जनपद में इसकी लम्बाई 23 कि.मी. है तथा इस पर 21.30 कि.मी. बाँध निर्मित है।

राप्ती

मूलतः इरावती/अचिरावती के नाम से जाना जाता था। कालान्तर में रावती जैसे कई अपभ्रंश नामों से होकर आज इसे राप्ती के नाम से जाना जाता है। राप्ती का उद्गम नेपाल में स्थित धौलगिरी पहाड़ीयों के निचले हिस्से से होता है। पहाड़ी क्षेत्र से तराई क्षेत्र में आने तक लगभग 250 कि.मी. की दूरी तय करते समय इसकी गति तीव्र होती है। पहाड़ी क्षेत्र के अन्य छोटे–छोटे जल स्रोतों का विलय इसमें होने से इसकी तीव्रता बढ़ती है। पहाड़ी भू–भाग से नेपाल की तराई में जब पहुँचती है तो इसका मार्ग परिवर्तित होता रहता है। मार्ग में परिवर्तन होते रहने से जल के साथ मिट्टी, कंकड़, बालू आदि तराई क्षेत्रों में अपने मार्ग में डालते रहने से जल ग्रहण क्षमता का ह्रास होता जा रहा है तथा इसी के कारण आगे के मार्ग में स्थान बदलने की परम्परा कायम रहती है। राप्ती नदी नेपालगंज से गुजरते हुये भारत में बहराइच जनपद के बाबागंज, जमुनहा व हरिपुर रानी विकास खण्डों से होते हुये बलरामपुर, डुमारियागंज, बांसी, (सिद्धार्थनगर), महराजगंज, गोरखपुर व आगे गोरखपुर देवरिया सीमा पर घाघरा नदी में मिल जाती है। मार्ग में करमैनी से पूर्व घोघी नदी, गोरखपुर के निकट रोहिन नदी तथा सहगौरा के निकट आमी नदी इसमें मिलती है जिससे इसका स्वरूप बदल जाता है। राप्ती नदी की कटान

नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में कड़ी मिट्टी व कंकड–पत्थर मिला होने के कारण कम सम्भव हो पाती है परन्तु तराई क्षेत्र में पहुँचते ही इसमें कटान की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो जाती है।

राप्ती नदी ग्राम बेलसार तहसील कैम्पियरगंज से इस जनपद में प्रवेश करती है। जनपद के उत्तर से कैम्पियरगंज, सहजनवाँ, सदर दक्षिण में बाँसगाँव, गोला तहसीलों से होते घाघरा नदी में मिलती है। जनपद में प्रवेश से अन्त तक इसकी लम्बाई 134 कि.मी. है। राप्ती नदी की अपनी मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण प्रायः इसके मार्ग में परिवर्तन होता रहता है। यह भी पाया गया है कि इसी प्रवृत्ति के कारण कभी कभी एक गाँव एक तट से दुसरे तट पर पहुँच शिफ्ट् हो गये है। जनपद की पूरी लम्बाई में प्रभावित होने के कारण बाढ़ के प्रकोप की दृष्टिकोण से इसको घाघरा की अपेक्षा अधिक महत्तवपूर्ण माना गया है। जनपद में तहसील गोला स्थित ग्राम ददरी के आगे सेमरा नवलपुर बाँध से आगे कपरवारघाट तक को छोड़ कर जनपद में प्रवेश करने से अन्त तक दोनों ओर तटबंध स्थित है।

रोहिन

रोहिन नदी जनपद में तहसील कैम्पियरंज से प्रवेश करती है जो कि डोमिनगढ़ व महानगर की पश्चिमी सीमा के मध्य राप्ती नदी से मिलती है। इसका उद्गम स्थल नेपाल के चौरंगी खोला में है। उद्गम स्थल से लगभग 140 कि.मी. की यात्रा तय कर राप्ती नदी में मिलती है। मार्ग में इससे लगभग 16 छोटी बड़ी नदियां व नाले मिलते है। प्रारम्भ में यह एक पहाड़ी नदी की भांती बहती है परन्तु मैदान में प्रवेश करते ही एक साधारण नदी का रूप ले लेती है। इसके मैदानी भाग में कटान की प्रवृत्ति है। समागम स्थल से पूर्व 6 कि.मी.तक बाँध न होने के कारण बाढ़ के समय बैक–फ्लों की वजह से विकास खण्ड जंगल कौड़िया के काफी ग्रामों को प्रभावित करती है।

आवश्यक संरचनाओं का जोखिम विश्लेषण

विद्युत सब स्टेशन

जनपद में 15 विद्युत सब स्टेशन है। कैम्पियरगंज स्थित सबस्टेशन को छोड़कर बाढ़ के समय अन्य किसी सबस्टेशन को क्षति नहीं पहुंचती है क्योंकि ये बाढ़ के क्षेत्र से दूरी पर हैं।

क्र0सं0	शिक्षण संस्थाएं	संख्या
1	घरेलू	97205
2	व्यवसायिक	22132
3	लघु एवं मध्यम उद्योग	1109
4	भारी उद्योग	46
5	सरकारी	402
6	विभिन्न प्रतिष्ठान	160
	कुल योग	121054

परिवहन

सड़कों की लम्बाई पूरे जनपद में 3029 कि0मी0 है। जनपद राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से जुड़ा हुआ है। बाढ़ से क्षति होने वाली सम्भावित सड़कें ब्रहृमपुर, खोराबार, जंगल कौड़िया, कम्पियरगंज, पाली, पिपरौली, सहजनवा, खजनी, बांसगांव, कौड़ीराम, गगहा, बड़हलगंज, गोला, बेलघाट एवं उरूवा विकास खण्डों की है।

जल आपूर्ति

शहर को जल आपूर्ति नगर निगम द्वारा की जाती है। नगर निगम द्वारा जलापूर्ति हेतु ग्यारह वाटर टैंक स्थापित है। नगर निगम गोरखपुर द्वारा शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता के लिए 628 नलकूप तथा नगरीय इण्डिया मार्क 4217 हैण्ड पम्प स्थापित किए गए हैं इसके अतिरिक्त जनपद की लगभग सम्पूर्ण आबादी हैण्ड पम्प का प्रयोग करती है। जनपद में कुल 47528 इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प स्थापित हैं। बाढ़ के दौरान जल संचयन के कारण शुद्ध व स्वच्छ पेय जल मिलना लोगों के लिए मुश्किल होता है।

कृषि कार्यों के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था नहरों के अतिरिक्त सिचाई विभाग एवं लघु सिचाई विभाग के ट्यूबवेल के जरिए होती है।

बाढ़ प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण योजना

जनपद में बाढ़ : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उपलब्ध अभिलेखों एवं विवरण के अनुसार जनपद गोरखपुर के बाढ़ों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निम्नानुसार है– सन् 1823 में घाघरा/सरयू का पानी एकाएक बढ़ने से धुरियापार व चिल्लूपार परगने बुरी तरह से जलप्लावित हो गये थे। घाघरा, राप्ती व आमी के पानी नें बड़ा ही विकराल रूप धारण कर लिया था और बहुत बडे भू–भाग में फैल गया था जिसके फलस्वरूप गोरखपुर नगर एक टापू बन गया था तथा गोरखपुर आजमगढ़ का सम्पर्क कई दिनों के लिए टूट गया था। इस बाढ़ से काफी मात्रा में नुकसान हुआ था। सन् 1839 में राप्ती घाटी में भयंकर बाढ़ का एहसास किया गया। राप्ती में अगले वर्ष में भी बाढ़ आयी, परन्तु वे 1839 की भांति नुकसानदेह नहीं रही। सन् 1871 में पुनः 1839 जैसी बाढ़ का सामना करना पड़ा। सन् 1873 में आयी बाढ़ से भूमि व भवनों को अत्यधिक क्षति हुई। सन् 1889 में जनपद बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। 4 अगस्त को राप्ती का जलस्तर सहजनवाँ के निकट 77 मीटर (समुद्र तल) व रोहिन का जल स्तर चिलुआताल ब्रिज के निकट 84 मीटर (समुद्र तल) तक पहुँच गया था। 1892 की बाढ़ से नगरीय क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। भौवापार स्थित पैन्टून ब्रिज को खतरा उत्पन्न हो गया था।

सन् 1903 में अचानक बाढ़ (सडेन फ्लड) की तीव्रता व भयानकता का लोगों को काफी समय तक एहसास रहा। राप्ती व रोहिन दोनों नदियों के जलस्तर 83 मीटर (समुद्र तल) तक पहुँच गये थे। सन् 1906 में पूर्ववर्ती वर्षों से भयंकर बाढ़ आयी जिसमें 1889 के उच्चतम जल स्तर से भी 3 इंच अधिक रीडिंग रिकार्ड की गयी। सन् 1910 में जनपद के उत्तरी भाग में अत्यधिक वर्षा के कारण भयंकर बाढ़ आयी। पेपी स्टेट, बस्ती में सिंचाई विभाग के दो बाधों के टूटने के कारण राप्ती के जल स्तर में एकाएक वृद्धि हुई तथा यह 31 जुलाई को उच्चतम जल स्तर तक पहुँच गया। बाढ़ का पानी नगर में प्रवेश करने लगा, आजमगढ़ से सम्पर्क टुट गया तथा अत्यधिक भू–भाग काफी समय तक जलप्लावित रहा। पशुओं को चराने के लिए रिर्जव फारेस्ट खोले गये तथा कैटेल ग्रेजिंग के लिए 13200 पासेज जारी हुए। जन सहयोग से थोड़ी बहुत राहत मोटे अनाज के रूप में लोगो को उपलब्ध कराई गई। सन 1922 में आई बाढ़ से कछार क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। सन 1924 में जुलाई व अगस्त की अनवरत वर्षा के कारण राप्ती व अन्य नदियों में भयंकर बाढ़ आयी जिससे सदर तहसील के 405 ग्राम, तहसील महराजगंज के 71 ग्राम तथा बाँसगाँव व हाटा तहसीलों के कुछ गाँव प्रभावित हुए। सन् 1925 में अगस्त की अतिवृष्टि के कारण भयंकर बाढ़ आयी जिससे नदियों के किनारे बसे कुछ गाँव बह गये तथा तहसील सदर व महराजगंज के कछार क्षेत्रों में फसलों को काफी क्षती पहुँची। सन 1927, 1928, 1929, 1930 व 1932 में राप्ती व आमी नदियों में आयी बाढ़ से सदर व बाँसगाँव तहसीलों के कछार क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। सन् 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 व 1961 में राप्ती नदी में बाढ़ आने का उल्लेख मिलता है। सन् 1967, 1968, 1970, 1971, 1973 व सन् 1974 में भी जनपद में बाढ़ आयी परन्तु सन् 1974 में राप्ती में आयी बाढ़ पूर्व के उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर गई।

1998 : शताब्दी की भीषणतम बाढ़

शताब्दी की भीषणतम बाढ़ जिसमें पूर्व के सभी मानक ध्वस्त हो गये। जनपद में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियाँ राप्ती, घाघरा, एवं उनकी सहायक नदियाँ रोहिन, आमी, गोर्रा, एवं कुआनों अपने–अपने उच्चतम बाढ़ के स्तरों को एक ही समय में एक साथ पार कर गई। राप्ती नदी, घाघरा नदी एवं कुआनों नदी के खतरे के बिन्दु क्रमशः 74.98 मी. (गोरखपुर में), 92.73 मी. अयोध्या तथा 64.01 मी. तुर्तीपार व 78.65 मी. मुखलिसपुर में तथा इनके उच्चतम बाढ़ स्तर क्रमशः 76.84 मी. सन् 1974 गोरखपुर में, 93.64 मी. 1988 अयोध्या में व 65.10 मी. तुर्तीपार सन् 1983 में व 79.25 मी. 1982 में मुखलिसपुर में रहा है। राप्ती नदी जुलाई 1998 से 10 सितम्बर 98 तक निरन्तर खतरे के बिन्दु से ऊपर तथा 13 जुलाई से 8 अगस्त 98 तक निरन्तर यह 76.00 मी. से ऊपर रही। 22 जुलाई से 27/28 जुलाई तक पहले दौर में इसका जल स्तर 76.76 मी. अर्थात खतरे के बिन्दु से 1.78 मी. ऊपर रहा। दूसरे दौर में 20 अगस्त 98 से जल स्तर में तेजी से वृद्धि प्रारम्भ हुई तथा 23 अगस्त 98 रात्रि 11.00 बजे 77.54 मी. तक इसका जलस्तर पहुँच गया जो कि खतरे के बिन्दु के सापेक्ष 2.50 मी. तथा उच्चतम बाढ़ स्तर के सापेक्ष 0.70 अधिक रहा। 23 अगस्त 98 को अपरान्ह में इसमें 4 से.मी. प्रति घंटे की दर से वृद्धि रिकार्ड की गई। राप्ती नदी 23 अगस्त से 26 अगस्त तक उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर रही। घाघरा नदी 10 जुलाई से 8 सितम्बर तक खतरे के बिन्दु से ऊपर रही। 18 अगस्त 98 को इसका पानी बढ़ते बढ़ते उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर गया तथा 18 अगस्त से 8 सितम्बर तक उच्चतम बाढ़ स्तर के ऊपर रही। कुआनों नदी के जल स्तर में एका एक तेजी से वृद्धि हुई जिसके कारण 20 अगस्त 98 को यह अपने उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर गई तथा 27 अगस्त 98 को यह अपने उच्चतम बिन्दु पर रही। यह नदी 20 अगस्त से 5 सितम्बर तक उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर प्रवाहित होती रही। रोहिन, आमी, गुर्रा नदियाँ भी अपने पूर्व के उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर रही। इसके साथ–2 फरेन नाला, कलान नाला, पोह, गोबरहिया नाला, रामगढ़ताल, बरनाला,

नुकसान व राहत विवरण- एक नजर में

तहसील	कुल प्रभावित			मैरूण्ड		लगाई गई नावें	मानव/पशु हानि	
	ग्राम	जनसंख्या	क्षेत्रफल(हे)	ग्रामों की सं.	जंसख्या	की सं.	मनुष्य	पशु
सदर	330	312430	151110	224	300000	448	36	12
बॉसगॉव	275	207415	14901	168	142118	212	14	19
गोला	185	87582	23786	158	62684	318	9	3
खजनी	297	190000	18376	229	17800	207	19	11
सहजनवां	317	225220	32330	208	270700	143	22	45
चौरी–चौरा	87	70433	8870	70	67148	137	10	6
कैम्पियरगंज	130	321710	18092	96	67554	257	17	6
कुल	1594	1414790	267416	1145	1088204	1756	127	102

जहदा नाला, बखिरा झील, गनगरी नाला, तरैना नाला आदि की उफान के कारण भी काफी गाँव प्रभावित हुये।

वर्ष 1998 में माह जुलाई में 910.045 मि.मी. तथा अगस्त माह में 949.100 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गयी जबकि जुलाई व अगस्त की औसत वर्षा क्रमशः 298.600 मि.मी. व 364.700 मि.मी. है। जनपद में तथा जनपद में प्रवाहित होने वाली नदियों का जलग्रहण क्षेत्र में जुलाई व अगस्त माह में अत्यधिक वर्षा का कारण रहा।

प्रथम चरण

जनपद व निकटवर्ती क्षेत्रों में जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही अच्छी वर्षा प्रारम्भ हो गई थी। अत्यधिक वर्षा के कारण तहसील सदर स्थित तुर्रा नालाव, फरेन नालों में उफान की स्थित उत्पन्न हो गई थी जिसके फलस्वरूप पिपराइच रोड पर लगभग 2 कि.मी. क्षेत्र जल प्लावित हो गया था 24 घंटे तक गोरखपुर–पिपराइच रोड पर यातायात बाधित रहा। तहसील कैम्पियरगंज स्थित दुबाइन ताल का जल स्तर दिनांक 09.07.98 को जनपद महराजगंज के निचले क्षेत्रो में पानी एकाएक आ जाने के कारण अचानक बढ़ गया जिससे दुबाइन ताल का बाँध लगभग 30 मी. कट गया। जिसका पानी पीपीगंज के निकट गोरखपुर–सोनौली राजमार्ग पर आ गया। 150 मी. लम्बाई में लगभग ढाई तीन फीट पानी होने के कारण राजमार्ग का यातायात 48 घण्टे तक प्रभावित रहा। दुबाइन ताल का बाँध टूटने से 9 ग्राम प्रभावित हुये थे। तहसील बाँसगाँव में आमी नदी पर स्थित कौड़ीराम–सोहगौरा बाँध दिनांक 15.07.98 को गुर्रा नदी पर स्थित बिशुनपुर मटियारा बाँध के टूटने से राप्ती–गुर्रा दोआबा में स्थित 45 ग्राम प्रभावित हुये। जुलाई माह की अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों का जल स्तर एकाएक तीव्रता के साथ बढ़ने लगा। राप्ती नदी का जल स्तर बढ़ते हुये 76.76 मी. दिनांक 22.07.98 को पहुँच गया था जो कि थोड़ी कमी होने के बाद पुनः 27/28.07.98 को 76.76 मी. हो गया। बाँधों में रैट होल, रैबिट होल आदि होने के कारण कही कही पर पानी का रिसाव प्रारम्भ होगया। इस दौरान तेज हवाओं के कारण पानी की तेज ऊँची लहरों (भेड़िया–आम बोल चाल की भाषा में) के कारण बाँधो को काफी खतरा उत्पन्न हो गया और नदियों के बाँधो के किनारे स्थित गाँवो की स्थित अत्यन्त भयावह हो गई। ग्राम वासियों द्वारा अथक परिश्रम करके बाँधों की सुरक्षा की गई। पानी के अत्यधिक दबाव के कारण दिनांक 16.07.98 को बिनहा रिंग बाँध दिनांक 26.07.98 को बसवानपुर–भरवलिया रिंग बाँध तथा दिनांक 27.07.98 को कंसासुर–खुटभार बाँध टूट गये जिससे क्रमशः एक, दो व दो ग्राम प्रभावित हुए।

राप्ती नदी दिनांक 22 जुलाई से 28 जुलाई के मध्य अपने 1974 के उच्चतम जल स्तर के आस पास रही। राप्ती की सहायक नदियाँ रोहिन व आमी भी इसी स्तर के आस पास रहीं जिसके फलस्वरूप जनपद के 852 ग्राम प्रभावित हुये जिसमें 412 ग्राम चारों ओर से घिर(मैरूण्ड) गये और 99,345.461 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा 53,0288 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में राहत सामग्री के रूप में चावल, केरोसिन आयल, नमक, माचिस, आदि का प्रथम व द्वितीय चक्रों का वितरण पूर्ण करके तृतीय चक्र का वितरण किया जा रहा था कि माह अगस्त में अत्यधिक वर्षा के कारण तीसरे सप्ताह में राप्ती, घाघरा, कुआनों, रोहिन, आमी व गुर्रा नदियाँ एकाएक बढ़ते–बढ़ते अपने–अपने उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर गई।

द्वितीय चरण

राप्ती नदी जो कि जनपद के एक छोर कैम्पियरगंज से होकर दूसरे छोर बड़हलगंज को जाती है, का जल स्तर एकाएक बढ़ते हुऐ दिनांक 23.08.98 को 77.54 मी. रात्रि 11.00 बजे पहुँच गया था। पानी के अत्यधिक दबाव के कारण राप्ती नदी का पानी कई स्थानों पर पानी बाँध के ऊपर आ गया तथा कई स्थानों पर पानी के दबाव के कारण बाँध टूट गया।

पनघटिया–बांसी (जनपद सिद्धार्थनगर) बांध जो कि राप्ती नदी पर स्थित है दिनांक 22.08.98 को टूट गया। यह बांध जनपद की पश्चिमोत्तर सीमा तहसील कैम्पियरगंज के बलुआ क्षेत्र के निकट स्थित है। बांध के टूटने से पानी बलुआ क्षेत्र तहसील कैम्पियरगंज के लगभग 25 ग्रामों में प्रवेश कर गया। लोगों ने राप्ती के बंधे अथवा गांव में ही भवनों की छतों पर शरण ली। यह पानी तीव्रता के साथ संतकबीर नगर के मेहदावल तहसील के उत्तर पूरब बहते हुए बखिरा झील पहुँचा। बखिरा झील जो की जनपद की तहसील सहजनवाँ की उत्तरी सीमा के पास स्थित है पहले से ही उफनाई हुई थी, के पानी को ठेलता हुआ पानी पाली विकास खण्ड के 121 गाँवो तथा सहजनवाँ विकास खण्ड के 22 गाँवो में प्रवेश कर गया। 23 अगस्त को प्रातः इसी पानी के दबाव के कारण डुमरियाबाबू बाँध टूट गया और पानी पुनः राप्ती में प्रवेश कर गया। बखिरा झील के बढ़ते हुए दबाव व आमी नदी के विकराल रूप धारण करने के कारण जगतबेला से मगहर के मध्य रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी तथा एक सप्ताह तक यातायात बाधित रहा। यही पानी 23 अगस्त की रात में सहजनवाँ कस्बे में प्रवेश कर गया जिसके कारण तहसील, थाना, अस्पताल जलमग्न हो गया। तहसील भवन में लगभग ढाई फीट पानी आ गया था। तहसील से मुख्य सड़क को जोड़ने वाला तथा थाने से आगे के राजमार्ग कट गया था। तहसील सहजनवाँ के इतने बडे भू–भाग के मैरूण्ड हो जाने के कारण बचाव राहत हेतु दो कालम सेना को गीडा में निर्मित हेलीपैड पर हेलीकाप्टर के माध्यम से पहुँचाया गया था।

23 अगस्त को राप्ती नदी का पानी अत्यन्त तेजी से बढ़ रहा था। अपरान्ह में जलस्तर बढ़ने की रफतार 4 सेमी. प्रतिघंटा नोट की गयी। सायंकाल लगभग चार बजे नौसड़ चौराहे पर राप्ती का पानी दाहिनी ओर से गोरखपुर–लखनऊ मार्ग पर तथा बर्डघाट बस स्टेशन व उससे 200 मीटर आगे तक गोरखपुर–वाराणसी रोड पर ओवरफ्लो करने लगा। बालू, मिट्टी की बोरिया डालकर रोकने के अथक प्रयास विफल रहे। 5/6 घण्टे में ही राप्ती के ओवरफ्लो करते ही पानी ने नौसढ़ चौराहे का रूप बदल दिया। पानी नाले के रूप में पुलिस चौकी की ओर बहता रहा तथा पानी के वेग से नौसड़ पुलिस चौकी व आसपास के मकान क्षतिग्रस्त हो गये। 23 अगस्त को सायंकाल वायरलेस पर सूचना मिली की बढ़या–कोठ बाँध मार्ग मीरपुर के निकट टूट गया है। 23 अगस्त की रात लगभग 11 बजे मलौनी बाँध जो की दक्षिण भाग की रक्षा करता है, में तेजी से सीपेज शुरू हो गया है। रात लगभग 12.30 बजे बाँध झरवा स्थान के पास कट गया और नदी का पानी तेजी से महानगर के दक्षिणी भाग में प्रवेश करने लगा। बांध कटने के 2 घंटे के भीतर ही पानी मण्डी, आजाद चौक व राष्ट्रीय राजमार्ग से लग गया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि राजमार्ग पर स्थित 3 पुलियों से बाढ़ का यह पानी महानगर में प्रवेश कर सकता है। इसके कारण उनको बन्द किये जाने के प्रयास प्रारम्भ ही किये गये थे कि बाढ़ का पानी पुलियों से धीरे–धीरे निचले इलाके में फैलने लगा था। काफी प्रयास के बावजूद इनको बन्द किया जा सका। प्रातः तक पानी पूरे रामगढ़ताल क्षेत्र में फैल गया। रामगढ़ताल में मिलने से

उसका भी जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। राष्ट्रीय राजमार्ग व रामगढ़ताल के बिच बने मकानों में 2–3 फीट तक पानी भर गया। कूड़ाघाट के निकट राजमार्ग पर स्थित पुलिया के ऊपर से पानी भरने लगा। दोपहर तक पुलिया के ऊपर लगभग 3 फीट पानी हो गया। सड़क पर 200 मीटर में पानी फैल जाने के कारण महानगर का सीधा सड़क सम्पर्क जी.आर.डी., एअरफोर्स, इन्जीनियरिंग कालेज के साथ–साथ तहसील चौरीचौरा, जनपद देवरिया व जनपद कुशीनगर से तीन दिन तक सम्पर्क टूटा रहा। यह पानी सड़क पुलिया के सामने रेलवे पुलिया से होते हुए आर.पी.एफ. कैम्प, बिछिया रेलवे कालोनी व बिछिया कालोनी के निचले हिस्से में भरने लगा। पैड़लेगंज चौराहे के पास ओवरफ्लो करने के कारण गोल्फ ग्राउण्ड में भी पानी भर गया था।

23 अगस्त की रात में ही नौसड़ कलानी बंधा एकला के निकट कट गया। गोरखपुर–वाराणसी राजमार्ग लगभग 700 मीटर कट गया, रात में ही बोकटा बरवार बांध बरवार के निकट कट जाने से 22 के.वी.ए. पावर स्टेशन में 5–6 फीट पानी भर गया जिससे गोरखपुर मण्डल की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गयी जिसे विद्युत विभाग ने अथक प्रयास कर 48 घंटों के अंदर रिस्टोर किया। गोरखपुर से खजनी जलमार्ग जलप्लावित हो गया तथा कई जगहों पर पुलिया व सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी।

नौसड़ एकला व बरवार के कटान का पानी काफी दूर तक फैल गया। इसके आमी नदी से मिलते ही नदी ने अति विकराल रूप धारण कर लिया। नदी पर बांध न होने के कारण नदी के दोनो ओर कई किलोमीटर तक इसका पानी फैल गया। आमी नदी मलाव के पास सड़क को काटकर तथा कनइल के पास रिंग बांध को तोड़कर सीधे गाँव में प्रवेश कर गई। नौसड़ से कौड़ीराम तक का पूर्ण क्षेत्र जलप्लावित हो गया। मलाव व कौड़ीराम के बीच राजमार्ग पर लगभग 4–5 फीट पानी भर गया था। बेलीपार थाने से आगे भी राजमार्ग पानी के दबाव के कारण कट गया था।

राप्ती नदी के तहसील गोला में ददरी से आगे दायें तट पर बांध नही है। राप्ती नदी के स्तर में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण पानी बड़हलगंज मार्ग पर आ गया था। लगभग 14 किलोमीटर मार्ग जलप्लावित हो जाने के साथ तेज धारा के कारण कई स्थानों पर कट गया। इसी समय घाघरा नदी का जल स्तर भी पूर्व के उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर गया था। पानी फैलता हुआ बड़हलगंज–बरहज मार्ग तक आ गया था। राप्ती और घाघरा का पानी बरहज से पहले ही आपस में मिल गया। रोहिन मार्ग एक ओर रोहिन तथा दूसरी ओर घाघरा के दबाव के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। रोहिन नदी चिउटहा पुल से पहले चिउटहा गाँव के पास ओवरफ्लो कर गयी थी। लगभग 1 किलोमीटर सड़क पर तीन फीट पानी आ गया था। जिससे 48 घंटे यातायात बाधित रहा।

भीषण बाढ़ के समय 1,07,921 मनुष्यों तथा 28,190 पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया। बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ राहत शिवीरों की स्थापना की गयी। तहसील सदर के 22 राहत शिविरों में 18,689 व्यक्तियों, तहसील कैम्पियगंज के एक राहत शिविर में 1700 व्यक्तियों, तहसील चौरीचौरा के दो राहत शिविरों में 4627 व्यक्तियों, तहसील सहजनवाँ के तीन राहत शिविरों में 4,400 व्यक्तियों, तहसील खजनी के 36 राहत शिविरों में 3,09,050 व्यक्तियों, तहसील बाँसगाँव के 13 राहत शिविरों में 17,050 व्यक्तियों, तहसील गोला के 17 राहत शिविरों में 8482 व्यक्तियों ने शरण ली जहाँ पर उन्हे भोजन, पेयजल, चिकित्सा एवं

उनके पशुओं के लिए चिकित्सा सुबिधा उपलब्ध करायी गयी। स्वयसेवी संस्थाओ/संगठनों द्वारा भी राहत शिविरों में रूके हुए बाढ़ शरणार्थियों की भरपूर सहायता की गई। चिकित्सा विभाग द्वारा मैरूण्ड ग्रामों के लोगों के स्वास्थ परीक्षण व चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 47 मोबाइल टीमों का गठन किया गया। मैरूण्ड ग्रामों में दवाओं के आपूर्ति हेतु मेडिकल किट बनवाकर सी.एच.जी.के माध्यम से वितरण करवाया गया। सी.एच.सी. व पी.एच.सी. के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जल विसंक्रमण हेतु क्लोरिन टेबलेट व ब्लीचिंग पाउण्डर का पर्याप्त मात्रा में वितरण किया गया तथा बाढ़ के उपरान्त संक्रामक रोग न फैले इसके लिए मैलाथियान डस्ट व चूने का छिड़काव कराया गया। पशुचिकित्सा के लिए भी डाक्टरों की मोबाइल टीमों का गठन किया गया। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण हेतु समुचित प्रबन्ध किये गये।

बचाव व राहत कार्यों हेतु सेना के पाँच कालम अधिग्रहीत किये गये थे जिसमें से दो कालम तहसील सहजनवाँ में एक कालम नौसड़ में एक कालम रूस्तमपुर में तथा एक कालम बेलघाट में लगाया गया था। फ्लड पी.एस.सी. की एक कम्पनी दो प्लाटून बचाव कार्य में लगी थी। सेना, पी.एस.सी. व राजस्व विभाग की कुल 47 मोटर बोट का प्रयोग बचाव व राहत कार्य में किया गया था। बाढ़ की विभीषिका के दृष्टिगत इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद (हिंडन) से वायुसेना के आई एल गजराज–76 की 10 फ्लाइट्स द्वारा 162 नावें मगायी गयी। वायुसेना के हेलीकाप्टर्स द्वारा पानी से घिरे व मुख्यालय से सम्पर्क टूटे हुए क्षेत्रों में सेना के कालम व पी.एस. सी. के फ्लड प्लाटून को पहुँचाया गया। बाढ़ प्रभावित तथा मैरूण्ड क्षेत्रों में 24 अगस्त 1999 से 11 सितम्बर 1999 तक 346.665 टन खाद्यान/भोजन पैकेट तथा पानी के पैकेट की एयर ड्रापिंग हेलीकाप्टर्स द्वारा करायी गयी। तहसील सहजनवाँ, खजनी, बांसगांव व गोला में बैंकों से राहत वितरण हेतु नकद धनराशि न उपलब्ध हो पाने के कारण दिनांक 05.09.98 को श्री पी. के. श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी, (वि./रा.) द्वारा 1–1 करोड़ रूपये की नगद धनराशि राहत कार्य हेतु हेलीकाप्टर से जाकर तहसीलों को उपलब्ध कराई गयी।

बाढ़ के कारण लोक निर्माण विभाग की 14.78 करोड़ रूपये की परिसम्पतियों के क्षतिग्रस्त होने के अनुमान है जिसमें 3 पुलों का 1.51 करोड़ 15 पुलियों का 0.45 करोड़ तथा 233 सड़कों का 12.82 करोड़ रूपये शामिल है। विद्युत विभाग की विद्युत यंत्रो व लाइनों में कुल 12.79 करोड़ रूपये की क्षति का अनुमान लगाया गया। लघु सिंचाई विभाग में रखें बोंरिंग टूल्स एण्ड प्लान्ट तथा व्यक्तिगत ट्यूबेल व पम्पसेटो के लिए 5.77 करोड़ रूपये के क्षति का अनुमान लगाया गया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सड़कों, सम्पर्क मार्गों, पुलियों आदि के लिए 1.13 करोड़ रूपये क्षति अनुमानित है। सहकारिता विभाग की 191 में 102 समिति भवनों एवं परिसम्पतियों के बाढ़ से प्रभावित होने के कारण 0.75 करोड़ की क्षति, पशुपालन विभाग के भवनों व परिसम्पत्तियों के लिए 0.2 करोड़, चिकित्सा विभाग द्वारा भवनों के लिए रूपया 0.03 करोड़, सिंचाई विभाग द्वारा बंधों के कटने व क्षतिग्रस्त होने के कारण 11.83 करोड़, जल निगम द्वारा इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प व पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम के क्षतिग्रस्त होने से 3.70 करोड़, पुलिस विभाग के भवनों के लिए 0.03 करोड़, नगर निगम द्वारा क्षतिग्रस्त सड़को नालों के लिए 2.40 करोड़, रेलवे विभाग द्वारा जगतबेला और मगहर के बीच हुयी कटान तथा रेलवे लाइनों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण 0.45 करोड़ तथा दूरसंचार विभाग द्वारा 1.42 करोड़ की अनुमानित क्षति का आकलन किया गया है। जनपद में बाढ़ के कारण 335.20 करोड़ रूपये के क्षति का अनुमान लगाया गया है। जनपद में नदियों के बंधे टूटने के कारण उसके आसपास के गांवों में खेती योग्य भूमि की टाप स्वायल बह गयी है। बाढ़ के कारण दूकानें व व्यापारिक

प्रतिष्ठान बह गये, क्षतिग्रस्त हो गये तथा बाढ़ के कारण काफी मात्रा में कास्तकारों के पेड़/सार्वजनिक पेड़/बागे भी क्षतिग्रस्त हुई है जिसके दूरगामी नुकसान का आकलन संभव नही है।

वर्ष 1998 की प्रलयंकारी बाढ़ से जनपद में स्थित बांधो में सें 20 बांध टूटे जिसमें 17 बांध राप्ती, 1 आमी, 1 गुर्रा, व 1 कुआनों का 23 अगस्त को ही 13 बांध टूटे। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 गोरखपुर–लखनऊ नौसड़ नर लगभग 60 मीटर, बरवार के पास लगभग 700 मीटर व सहजनवां में 15 मीटर, राजमार्ग सं. 29 गोरखपुर वाराणसी एकला के पास 150 मीटर का कटान तथा मलाव कौड़ीराम के बीच 4–5 फीट पानी, बर्डघाट डिपों से आधा किलोमीटर तक सड़क पर, कूडाघाट के निकट देवरिया कुशीनगर जानें वाले राजमार्ग पर 200 मीटर में 3 से 4 फीट तक पानी, गोरखपुर–सुनौली मार्ग पर चिउटहा के पास 1 किमी. लम्बाई में 3 फीट पानी, बड़हलगंज–बरहज मार्ग पर 14 कि.मी. लम्बाई कई जगह कट गया और लगभग 4 फीट पानी, सिकरीगंज–खजनी मार्ग, गोरखपुर–खजनी मार्ग के साथ साथ सैकडो सम्पर्क मार्ग पूर्णतः जल प्लावित हो गये थे। जगतबेला से मगहर के बीच रेल लाइन कई जगह कट गयी व क्षतिग्रस्त हुई। 220 के.वी. बरहुआ विद्युत केन्द्र 5–6 फीट पानी में डूब गया। जनपद मुख्यालय का प्रदेश के अन्य जनपदों से तथा मुख्यालय का तहसीलों से सम्पर्क टूट गया। 733 गांव 22 अगस्त से 24 अगस्त के मध्य मैरूण्ड हो गऐ ऐसे समय में सेना, वायुसेना, पी.एस.सी.; (फ्लड), पुलिस व राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों नें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा राहत उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया। स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों, स्कूल के बच्चों व आमजन ने बाढ़ पीड़ितों को भोजन, चिकित्सा, पेयजल तथा पशुओं के लिए भूसा की व्यवस्था कर भरपूर योगदान दिया। वर्ष 1998 की प्रलयंकारी बाढ़ से जनपद में स्थित बांधो में से 20 बांध टूटे जिसमें 17 बांध राप्ती, 1 आमी, 1 गुर्रा, व 1 कुआनों का 23 अगस्त को ही 13 बांध टूटे। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 गोरखपुर–लखनऊ नौसड़ नर लगभग 60 मीटर, बरवार के पास लगभग 700 मीटर व सहजनवां में 15 मीटर, राजमार्ग सं. 29 गोरखपुर वाराणसी एकला के पास 150 मीटर का कटान तथा मलाव कौड़ीराम के बीच 4–5 फीट पानी, बर्डघाट डिपों से आधा किलोमीटर तक सड़क पर, कूडाघाट के निकट देवरिया कुशीनगर जानें वाले राजमार्ग पर 200 मीटर में 3 से 4 फीट तक पानी, गोरखपुर–सुनौली मार्ग पर चिउटहा के पास 1 किमी. लम्बाई में 3 फीट पानी, बड़हलगंज–बरहज मार्ग पर 14 कि.मी. लम्बाई कई जगह कट गया और लगभग 4 फीट पानी, सिकरीगंज–खजनी मार्ग, गोरखपुर–खजनी मार्ग के साथ साथ सैकडो सम्पर्क मार्ग पूर्णतः जल प्लावित हो गये थे। जगतबेला से मगहर के बीच रेल लाइन कई जगह कट गयी व क्षतिग्रस्त हुई। 220 के.वी. बरहुआ विद्युत केन्द्र 5–6 फीट पानी में डूब गया। जनपद मुख्यालय का प्रदेश के अन्य जनपदों से तथा मुख्यालय का तहसीलों से सम्पर्क टूट गया। 733 गांव 22 अगस्त से 24 अगस्त के मध्य मैरूण्ड हो गऐ ऐसे समय में सेना, वायुसेना, पी.एस.सी.; (फ्लड), पुलिस व राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों नें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा राहत उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया। स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों, स्कूल के बच्चों व आमजन ने बाढ़ पीड़ितों को भोजन, चिकित्सा, पेयजल तथा पशुओं के लिए भूसा की व्यवस्था कर भरपूर योगदान दिया। जनपद में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र तालिका–1, राप्ती, घाघरा व कुआनों के जल स्तर व एक साथ उच्चतम बाढ़ स्तर तक पहुचने की स्थिति तालिका 2.1 से 2.4 पर तथा नदियों व विभिन्न स्रोतों से प्रभावित होने वाले गांवों का विवरण तालिका 3 पर तथा टूटे हुये बांधों का विवरण तालिका 4 पर दिया गया है।

वर्ष 2013-14 जिला आपदा न्यूनीकरण योजना निर्माण की प्रक्रिया

राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान, भारत सरकार के सहयोग से जनपद–गोरखपुर में आई0एस0ई0टी0, अमेरिका एवं गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप तथा जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जनपद की आपदा न्यूनीकरण योजना निर्माण में जलवायु परिर्वतन को दृष्टिगत रखते हुए मॉडल के रूप में विकसित किये जाने हेतु अध्ययन कार्य पूर्ण किया जा रहा है।

योजना की आवश्यकता

विगत् कुछ वर्षों में यह अनुभव किया गया है कि आपदाओं का स्वरूप एवं समय बदलता जा रहा है। जिसके कारण व्यापक रूप में जन–धन एवं पर्यावरण को भारी क्षति हुयी है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक जनपद की उसकी भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर जिला आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन योजना निर्माण समस्त हितभागियों (विभिन्न सरकारी विभागो जनप्रतिनिधियों व गैर सरकारी संगठनो) के सहयोग से किया जाये, जिससे की आपदाओं से होने वाले जन–धन एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत योजना निर्माण की आवश्यकता

राष्ट्रीय/प्रदेश/जिलें स्तर पर आपदा न्यूनीकरण हेतु कारगर एवं प्रभावी कदम उठाये गये है। किन्तु आपदा प्रबन्धन के प्रयास जलवायु की बदलती परिस्थितियों के कारण अधिक प्रभावी नहीं हो पा रहें। आपदा से निपटने के दीर्घकालिक उपायों में जलवायु परिवर्तन की स्थितियों को समाहित किया जाना अपरिहार्य है।

योजना निर्माण की प्रक्रिया

योजना निर्माण प्रारम्भ करने के लिए दिनांक 25 जुलाई, 2012 को अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/प्रभारी अधिकारी (आपदा), गोरखपुर की अध्यक्षता में समस्त विभागों की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भारत सरकार, आई0एस0ई0टी0 अमेरिका तथा जी0ई0ए0जी0 के प्रतिनिधियों द्वारा अध्ययन कार्य सम्बन्धित कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। योजना निर्माण के लिए विगत कुछ महत्पूर्ण वर्ष 1998, 2001, 2007, 2010 आदि में हुए नुकसान सम्बन्धित आंकड़ों तथा नक्शों को एकत्रित कर आगामी योजना निर्माण की रणनीति तैयार की गयी।

दिनांक 19.09.2012 से 10.10.2012 के मध्य विभिन्न विभागों (स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, बाढ़ खण्ड, नलकूप, जल निगम, पंचायती राज, विकास विभाग, लघु सिंचाई आदि) के जिला/तहसील/ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ कुल 08 एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों मुख्यतः आपदा न्यूनीकरण सम्बन्धित पर चर्चा कर कार्यों में सम्भावित कठिनाईयां एवं अवरोध को सूचीबद्ध कर इनके निस्तारण हेतु सुझाव एकत्रित किये गये।

तत्पश्चात दिनांक 05.12.2012 को प्रभारी अधिकारी (आपदा), गोरखपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गयी, जिसमें समस्त विभागाध्यक्षों के समक्ष कार्यशाला के मुख्य बिन्दुओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रभारी अधिकारी (आपदा), गोरखपुर द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि अपने विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों में आपदा न्यूनीकरण के दृष्टिगत सुझाये गये बिन्दुओं को समाहित कर कार्ययोजना का निर्माण करें।

दिनांक 07.12.2012 को राज्य स्तर पर राहत आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम की बैठक के दौरान जनपद–गोरखपुर में किये गये अध्ययन कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिस पर राहत आयुक्त महोदय द्वारा अन्य जनपदों से आये मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वि/रा) को निर्देशित किया गया कि इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन वे अपने जनपद में पूर्ण कर विभागीय योजनाओं में समाहित करें। दिनांक 22.04.2013 जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन व न्यूनीकरण योजना निर्माण सम्बन्धित तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी। बैठक के दौरान राहत आयुक्त कार्यालय से प्राप्त दिशा–निर्देश तथा अध्ययन कार्यक्रम दौरान विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर समस्त विभागों को एक मार्गदर्शिका उपलब्ध करायी गयी, जिसमें समस्त विभागों के आपदा न्यूनीकरण में भूमिका एवं कार्य वर्णित है। साथ ही मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के शासनादेश सं0 199/1–11–2013–रा0–11 राजस्व अनुभाग–11 दिनांक 13 मार्च, 2013, जिसमें आपदा प्रबंध व जोखिम न्यूनीकरण तत्वों को समस्त विभागों के योजनाओं/कार्यों में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धित निर्देश प्राप्त है, की प्रति चर्चा कर उपलब्ध करायी गयी। दिनांक 03.05.2013 से 11.05.2013 के मध्य विभिन्न विभागों (स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्ति, विद्युत, बाढ़ खण्ड, लघु सिंचाई, नलकूप, नहर खण्ड, परिवहन, पशु, जल निगम, पंचायती राज, वन, लो.नि.वि. आदि) के साथ योजना निर्माण हेतु क्षमता वृद्धि कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आई0एस0ई0टी0, अमेरिका द्वारा विश्व स्तरीय Climate Resilience Frame Work के अनुसार विभाग की जिम्मेदारी, अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्व एवं क्षमता, विभिन्न शासनादेश तथा भौतिक सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय योजना निर्माण विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार योजना प्रस्तुत की गयी।

दिनांक 31.05.2013 को जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये विभागीय योजनाओं के आधार पर जिला आपदा न्यूनीकरण योजना को जलवायु परिवर्तन के बिन्दुओं को समाहित करते हुए मूर्त रूप प्रदान किया गया।

बाढ़ चौकियों, राहत केन्द्र व राहत शिविर की स्थापना

बाढ़ चौकी

बाढ़ राहत एवं बचाव में बाढ़ चौकी एक महत्वपूर्ण इकाई के रुप में कार्य करती है। बाढ़ सम्बंधी पूर्व सूचना जनता को देने व बाढ़ चौकी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति सम्बंधी सूचना नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बाढ़ चौकी में सामान्यतः बाढ़ क्षेत्र के 6–7 गाँव रखे जाते हैं। इन ग्रामों के केन्द्र बिन्दु के रुप में यह चौकियां बाढ़ राहत, बचाव व सूचनाओं के सम्प्रेषण का कार्य करती है। स्थानीय नावें इन्हीं चौकियों से सम्बद्ध रखी जाती हैं जहां से आवश्यकतानुसार प्रभावित क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रत्येक बाढ़ चौकी का प्रभारी सहायक विकास स्तर के अधिकारी को बनाया जा रहा है। उसके सहयोग के लिये क्षेत्रीय लेखपाल बहुउद्देशीय कर्मी, पशु पालन विभाग के एक–2 क्षेत्रीय कर्मचारी सम्बद्ध रहेंगे। बाढ़ चौकियां नदी के खतरे के बिन्दु पर पहुंचते ही कार्यरत एवं सक्रिय हो जायेंगी। प्रत्येक बाढ़ चौकी बाढ़ सुरक्षा समितियों से भी बचाव एवं राहत कार्य में परामर्श लेंगी तथा बांधों के सुरक्षा के लिये उनको समुचित सहयोग भी देगी।

बाढ़ चौकियां उप जिलाधिकारी के निर्देशन में क्षेत्रीय बाढ़ अधिकारी (सेक्टर आफीसर) के नियन्त्रण में कार्य करेंगी। इनके प्रमुख कार्य निम्नानुसार होंगे –

1. नदी के खतरे के बिन्दु पर पहुंचने की सूचना के साथ ही सम्बंधित बाढ़ चौकियां कार्यरत व सक्रिय हो जायेंगी तथा अग्रिम आदेशों तक निरन्तर कार्य करेंगी।
. बाढ़ चौकी क्षेत्र में बाढ़ सम्बंधी दैनिक सूचना का तहसील नियन्त्रण कक्ष को प्रेषण।
3. बाढ़ चौकी क्षेत्र में स्थित बांधों के सम्बंध में दैनिक जानकारी रखना तथा विशेष सूचना होने पर नियन्त्रण कक्ष को अवगत कराना।
4. बाढ़ चौकी क्षेत्र से संबंधित बाढ़/ड्रेनेज खण्ड के अवर अभियन्ता जोकि उक्त क्षेत्र के बांधों की देख–रेख करते हों, से समन्वय रखना जिससे बांध में कटान, सीपेज आदि होने की दशा में तत्काल उनके माध्यम से व्यवस्था करा सकें।
5. बाढ़ चौकी सुरक्षा समितियों के साथ विचार विमर्श कर बाढ़ क्षेत्र की समस्याओं से भिज्ञ होकर उनका यथा समय निराकरण करना।
6. बाढ़ चौकी क्षेत्र से सम्बद्ध नावों का नियमित पर्यवेक्षण, उनको आवश्यकतानुसार बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में लगाना तथा नावों की लाग बुक अद्यावधिक रखना।
7. बाढ़ आने की दशा में प्रभावित क्षेत्रफल, जन व पशुहानि व क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तैयार करना।
8. बाढ़ चौकी पर तैनात स्वास्थ्य व पशुचिकित्सा कर्मी बाढ़ चौकी क्षेत्र में नियमित भ्रमण एवं सम्पर्क करके आवश्यक उपचार, चिकित्सा एवं टीकाकरण करेंगे तथा उसका विवरण निर्धारित रजिस्टर रखेंगे। मनुष्यों व पशुओं में संक्रामक रोग फैलने अथवा विशेष परिस्थितियों में तत्काल नियन्त्रण कक्ष को सूचित करेंगे।

9. प्रत्येक बाढ़ चौकी पर चौकी से सम्बद्ध नावों की सूची, नाव अध्याप्ति फार्म, नावों की लाग बुक, अहेतुक सहायता के पात्र व्यक्तियों की सूची, ध्वस्त/क्षतिग्रस्त मकानों का रजिस्टर, स्वास्थ्य चिकित्सा रजिस्टर, पशु चिकित्सा रजिस्टर, दैनिक बाढ़ रिपोर्ट रजिस्टर, सूचना प्रेषण से सम्बंधित प्रारूप, भ्रमण रजिस्टर, सुझाव पुस्तिका एवं निर्देश पुस्तिका रखी जायेंगी जिनको अद्यावधिक रखने का दायित्व बाढ़ चौकी प्रभारी का होगा।

उप जिलाधिकारी गण अपने–2 क्षेत्रों में बाढ़ चौकियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नाम से 15 जून तक तैनाती कर दें, बाढ़ चौकियों पर तैनात किये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराने हेतु 20 जून से पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करायें। वर्ष 1998 की बाढ़ के अनुभवों के आधार पर बाढ़ चौकियों का पुननिर्धारण कराया गया तथा यथासंभव प्रयास किया गया है कि बाढ़ चौकियां जलप्लावित न होने पायें तथा बाढ़ के दौरान भी कार्यरत रहें।

राहत केन्द्र

बाढ़ के समय राहत सहायता के रूप में खाद्यान्न, अन्य आवश्यक वस्तुओं तथा राहत धनराशि वितरण की व्यवस्था राहत केन्द्रों से कराई जाती है। सामान्यतः राहत केन्द्र व बाढ़ चौकियां एक ही स्थल पर स्थापित किये जाते रहे हैं परन्तु विगत 1998 की बाढ़ में कई बाढ़ चौकियों को जल प्लावित होने तथा बाढ़ चौकियों तक पहुंचने के सड़क/मार्ग बन्द हो गये थे तब राहत सामग्री के वितरण हेतु अलग से राहत केन्द्रों की स्थापना करनी पड़ी थी।जन सुविधा एवं पहुंच मार्गों को ध्यान में रखते हुए कुछ स्थानों पर केवल राहत केन्द्रों की स्थापना भी की जा रही है। एक राहत केन्द्र से सामान्यतः 10 से 15 गांवों को सम्बद्ध किया गया है। समस्त उप जिलाधिकारी राहत केन्द्रों से सम्बद्ध होने वाले ग्रामों का निर्धारण 20 जून तक करेंगे तथा जहां पर राहत केन्द्र बाढ़ चौकियों से इतर है वहां पर स्टाफ की तैनाती भी 20 जून तक सुनिश्चित की जायेगी। राहत केन्द्र का प्रभारी भी सहायक विकास अधिकारी अथवा नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी को बनाया जायेगा। सामान्यतः राहत सामग्री का वितरण नाव अथवा मोटर बोट के माध्यम से गांव में ही किया जायेगा।

प्रत्येक राहत केन्द्र पर अहेतुक सहायता हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची ग्राम–वार ध्वस्त/क्षतिग्रस्त मकानों की सूची, स्टाक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, भ्रमण रजिस्टर, सुझाव पुस्तिका एवं निर्देश रजिस्टर रखे जायेंगे। प्रत्येक राहत केन्द्र पर एक पेट्रोमैक्स, एक छाता, एक टार्च, 10 ली. के. आयल, माप के लिए कांटा बांट तथा के. आयल नापने हेतु ली. व वितरण सामग्री की सुरक्षा हेतु एक तिरपाल (20 x 30 फीट) की व्यवस्था उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा सुनिश्चित कराई जायेगी।

राहत शिविर

वर्ष 1998 की विकराल एवं भयंकर बाढ़ के समय लगभग एक लाख बाढ़ पीड़ितों ने राहत शिविरों में शरण ली थी। 23 अगस्त को अचानक बन्धों के टूटने से आई बाढ़ के कारण काफी संख्या में मनुष्यों व पशुओं को घर–बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। विद्यालयों, सार्वजनिक भवनों, ऊंचाई पर स्थित बागों, सड़कों, बांधों आदि पर राहत शिविर स्थापित किये गये। वर्ष 2012 के लिए अभी से विद्यालयों, सार्वजनिक व उपयुक्त स्थलों का चयन कर लिया

गया है जहां पर आकस्मिकता पड़ने पर राहत शिविर स्थापित किये जायेंगे। वर्ष 2012 में राहत शिविर स्थापित करने हेतु 116 उपयुक्त स्थलों का चयन किया गया है।

उप जिलाधिकारीगण 20 जून तक सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, सम्बन्धित अधिकारियों तथा भवन स्वामियों को सूचित करेंगे कि उनके भवन बाढ़ की आकस्मिकता उत्पन्न होने पर राहत शिविरों के रूप में अधिग्रहीत किये जायेंगे। राहत शिविरों के लिए प्रभारी व स्टाफ की व्यवस्था 20 जून तक अवश्य सुनिश्चित कर ली जाय। राहत शिविरों में शुद्ध पेय जल, सफाई, शौचालय, भोजन, प्रकाश, पशुओं के लिए चारा तथा मनुष्यों व पशुओं के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्थाएं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदारों द्वारा की जायेगी। राहत शिविरों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हैण्डपम्पों के द्वारा की जायेगी। हैण्ड पम्प लगाने का कार्य जल निगम द्वारा किया जायेगा। स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों का निरीक्षण करके अभी से यह देख लिया जाय कि कहां पर कितनी संख्या में हैण्डपम्प लगाने व अस्थाई शौचालय स्थापित कराने की आवश्यकता पड़ेगी। भोजन अथवा खाद्यान्न, प्रकाश हेतु पेट्रोमैक्स अथवा जेनरेटर, पशुओं के लिए चारा तथा राहत शिविरों में सफाई कर्मियों की व्यवस्था राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी। राहत शिविरों पर मनुष्यों व पशुओं के उपचार एवं चिकित्सा की व्यवस्था सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की जायेगी। उप जिलाधिकारी गण राहत शिविरों के लिए आवश्यकता का आंकलन, प्रभारी की नियुक्तिव स्टाफ की तैनाती जिसमें स्वास्थ्य विभाग व पशु चिकित्सा विभाग भी शामिल है, 20 जून तक अवश्य कर लें।

राहत शिविरों पर विस्थापितों के पूर्ण विवरण, वितरण रजिस्टर जिसमें उपलब्ध कराई गई राहत, स्टाक रजिस्टर, स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा सम्बन्धी रजिस्टर, सुझाव एवं निर्देश पंजिका रखी जायेगी। जनपद में वर्ष 2012 की सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत तहसीलवार स्थापित किये जाने वाली बाढ़ चौकियों, राहत केन्द्रों व राहत शिविरों का विवरण निम्नवत है :–

क्र.सं.	नाम तहसील	बाढ़ चौकियो की संख्या	राहत केन्द्रों की संख्या	राहत शिविरों की सं.
1.	सदर	14	15	15
2.	कैम्पियरगंज	15	14	5
3.	चौरीचौरा	7	4	8
4.	सहजनवां	10	10	6
5.	बंसगांव	19	18	12
6.	खजनी	11	14	14
7.	गोला	13	14	56
	योग	89	89	116

तहसीलवार बाढ़ चौकी, राहत केन्द्र एवं राहत शिविरों की स्थिति

क्र. तहसील	बाढ़ चौकी	राहत केन्द्र	राहत शिविर
	1.प्रा0 पा0 मोहरीपुर	1. प्रा पा0बड़गो	1.दीक्षा विद्यालय, नार्मल स्कूल
	2. प्रा.पा. सिक्टौर, मानीराम	2. इलाहीबाग चौराहा	2. रावत पाठशाला, तुर्कमानपुर
	3. प्रा. पाठशाला सिंहोरवा	3. बाढ़ राहत केन्द्र, महेवा	3. दी.द.उपाध्याय गो.वि.,गो.
	4. प्रा. पाठशाला, इलाहीबाग	4. प्रधान के दरवाजे पर, कुई	4. महाराणाप्रताप इंटर कालेज
	5. प्रा0पा0 जं. सिकरी उर्फ खोराबार	5. प्रा.पा. जंगल अयोध्या प्रसाद	5. डी.ए.बी. इंटर कालेज
	6. प्रा. पाठशाला. मझगांवां	6. देवरिया बाई पास	6. जगतबेला रेलवे स्टेशन
	7 प्रा. पाठशाला डोहरिया	7. प्रा.पा. जंगल तुलसीराम	7. बाढ़ शरणालय, तहसील सदर
	8. जं. कौड़िया ब्लाक भवन	8. म.मो.मालवीय इंजी.कालेज	8. सेंट जोसफ स्कूल
	9. प्रा. पाठशाला, कुई	9.प्रा0 पा, नौसढ़	9. जू0हा0स्कूल, खोराबार
	10. प्रा0 पा0बड़गो	10. कृषि बीज भण्डार, भौव्वापार	10. नीना थापा इं.कालेज
	11. खिरवनीया बन्धे पर मन्दिर के पास	11. जं. कौड़िया ब्लाक भवन	11. प्रा.पा. मोहरीपुर
	12. डुमरी शिव मन्दिर	12. बाढ़ राहत केन्द्र, मानीराम	12. सेण्ट एण्ड्रूज डिग्री कालेज
	13. पंचायत भवन, नौसढ़	13. प्रा 0पा0 महाराजगंज	13. राजकीय जुबली इंटर का.
	14.. साधन सहकारी भवन, भौवापार	14. किसान सेवा केन्द्र, बेला	14. तुलसीदास महाविद्यालय
	15. ————————	15. मजनू चौराहा, सिंहोरवा	15. गंगोत्रीदेवी डिग्री कालेज
2.कैम्पियरगंज	1. बाढ़ शरणालय भवन कहरौली	1. बाढ़ शरणालय, कहरौली	1. जू.हाई स्कूल, बलुआ
	2.साधन सहकारी समिति, खड़खडिया	2.साधन सह. समिति, खड़खडिया	2. बापू इंटर कालेज, पीपीगंज
	3. बाढ़ शरणालय भवन, बलुआ	3.प्रा.पा. रिंगौली (करमैनी)	3. जे.पी. इं. कालेज कैम्पियरगंज
	4. जू.हा. स्कूल, सोनौरा बुजुर्ग	4. प्रा.पा. शिवपुर करमहवा	4. हाई स्कूल चौक माफी
	5. प्रा.पा. रिंगौली	5. साधन सह. समिति, पचगांवां	5. लालबहादुर डिग्री का. फरेन्दा
	6. प्रा.पा. शिवपुर करमहवा	6. प्रा. पाठशाला, टेढ़ाबीर	
	7. साधन सहकारी समिति, पचगांवा	7. प्रा. स्कूल, लक्ष्मीपुर (मराछीचन्दौर)	
	8. प्रा. पाठशाला, टेढ़ाबीर	8.पंचायत भवन राजाबारी	
	9. पंचायत भवन, राजाबारी	9. जू0हा0स्कूल महावनखोर	
	10. प्रा. स्कूल, लक्ष्मीपुर	10. प्रा0पा0भौराबारी	
	11. पंचायत भवन, अकटहवा	11. प्रा0 पा0 कहरौली	
	12. पंचायत भवन, रावतगंज कुई	12.प्रा0पा0 शिवपुर करमहवा	
	13. प्रा.पा., भौराबारी	13. जू0हा0 स्कूल नवापार	
	14. जू0हा0 स्कूल नवापार	14. प्रा0पा0साहबगंज	
	15. प्रा पा0 साहबगंज		
3. चौरीचौरा	2. सरार मझगांवां	2. पी.डब्लू.डी. भवन, झंगहा	2. पंचायत भवन डीहघाट
	3. राजधानी	3. बरही इण्टर कालेज	3.भीमराव अ.जू.हा.जं.रसूलपुरनं.2
	4. डीहघाट	4. दुबौलीी प्रा.पा.	4.जू.हा. स्कूल जंगल गौरी नं02 उर्फ अमहिया
	5. विशुनपुर मटियरा		5.पंचायत भवन राजधानी
	6. अमहिया जू.हा. स्कूल, झंगहा		6. झंगहा पी.डब्लू.डी. स्टोर
	7. बोहाबार प्रा. पाठशाला		7. इंटर कालेज, बरही
			8. दुबौली प्रा0पा0

क्र. तहसील	बाढ़ चौकी	राहत केन्द्र	राहत शिविर
4. सहजनवां	1. तिलौरा बीज गोदाम	1. तिलौरा बीज गोदाम	1. भोलाराम मस्करा इं.कालेज सहजनवां
	2. प्रा0पा0 बेलौरा	2. प्रा0पा0 डोहरिया कला	2. मण्डी स्थल सहजनवां
	3. प्रा0पा0 डोहरिया कला	3. वि.ख.पाली	3.रेशमा रावत मा.वि. भीटी रावत
	4. वि.ख. मुख्यालय, पाली	4. प्रा.पा. भरपही	4. मुरारी इं0का0, सहजनवां
	5. प्रा.पा. भरपही	5. मण्डी स्थल, सहजनवां	5..पं.जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज जैतपुर
	6. मण्डी स्थल, सहजनवां	6. प्रा0पा0 जोगियाकोल	6.पं.जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज तिलौरा
	7. वि.ख. मुख्यालय भीटी रावत	7. पंचायत भवन, कालेसर	
	8. वि.ख. कार्यालय, पिपरौली	8. प्रा.पा., महुआ डाड	
	9. प्रा.पा., जैतपुर	9.विकास खण्ड सहजनवॉ	
	10. प्रा.पा., महुआ डाड़	10.विकास खण्ड पिपरौली	
5. बांसगांव	1. प्रा0पा0 बेला	1. प्रा0पा0 बेला	1. प्रा0पा0 बेला
	2. प्रा0पा0 डॅवरपार	2. प्रा0पा0 डवरपार	2. प्रा0पा0 डॅवरपार
	3. सांकृत्यायन मलॉव इण्टर कालेज	3. सांकृत्यायन मलॉव इण्टर कालेज	3. सांकृत्यायन मलॉव इण्टर कालेज
	4. कौड़ीराम डाक बंगला	4. कौड़ीराम डाक बंगला	4. सर्वो0 कि0इ0का0 कौड़ीराम
	5. प्रा0पा0 सोहगौरा	5. प्रा0पा0 सोहगौरा	5. जवाहर लाल नेहरू ई0का0 बाँसगॉव
	6. प्रा0पा0 हरैया	6. प्रा0पा0 हरैया	6. प्रा0पा0 बैदौली बाबू
	7. प्रा0पा0 गेरूआ बाबू	7. प्रा0पा0 गेरूआ बाबू	7. आदर्श इ0का0 हाटा बाजार
	8. प्रा0पा0 (कुचैटा) हटवार	8. प्रा0पा0 (कुचैटा) हटवार	8. जू0हा0 गगहा (टेकुआ दर्जी)
	9. प्रा0पा0 बैदौली बाबू महसीनखास	9. प्रा0पा0 बैदौली बाबू महसीनखास	9. प्रा0पा0 पकड़पुरा
	10. प्रा0पा0 असवनपार	10. प्रा0पा0 असवनपार	10.कछार इ0का0 गजपुर
	11. आदर्श इ0का0 हाटा बुजुर्ग	11. आदर्श इ0का0 हाटा बुजुर्ग	11. प्रा0पा0 गगहा
	12. प्रा0पा0 गगहा	12. जू0हा0 गगहा(टेकुआदर्जी)	12. जू0हा0 मसान पाकड़ (गम्भीरपुर)
	13. प्रा0पा0 बेलकुर	13. प्रा0पा0 बेलकूर	
	14. प्रा0पा0 भैंसहा बुजुर्ग	14. प्रा0पा0 भैंसहा बजुर्ग	
	15. सा0स0स0 रकहट	15. सा0स0स0 रकहट	
	16. प्रा0पा0 कोठा	16. सा0स0स0 रकहट	
	17. सा0स0स0 गजपुर	17. सा0स0स0 गजपुर	
	18. प्रा0पा0 उचेर	18. प्रा0पा0 उचेर	
	19. सियारी गहना मंदिर		
6. खजनी	1. जू0हा0स्कूल टेकवार	1. जू0हा0टेकवार	1. जू0हा0स्कूल टेकवार
	2. प्रा0पा0भिउरी	2. प्रा0पा0भिउरी	2. प्रा0पा0भिउरी
	3. वि0ख0का0खजनी	3. प्रा0पा0कोटवा	3. इ0का0भटौली
	4. प्रा0पा0पिपरी	4. प्रा0पा0पिपरी	4. कार्यालय उ0स0कृ0प्रसार खजनी
	5. जू0हा0स्कूल सिकरीगंज	5. प्रा0पा0ढेबरा	5. गणेश इण्टर का0कटघर
	6. बाढ शणालय बेलघाट	6. जू0हा0स्कूल सिकरीगंज	6. ज0हा0स्कूल सिकरीगंज
	7. प्रा0पा0कटया	7. भू0ई0का0सिकरीगंज	7. भू0इ0कालेज सिकरीगंज
	8. प्रा0पा0रापतपुर	8. प्रा0पा0डोडो	8. प्रा0पा0शाहपुर
	9. प्रा0पा0लखुआपाकड	9. प्रा0पा0बेलॉव उर्फ शाहपुर	9. प्रा0पा0बघाड
	10. प्रा0पा0मनिकापार	10. प्रा0पा0बघाड	10. बाढ शणालय बेलघाट
	11. प्रा0पा0भरसी	11. बाढ शणालय बेलघाट	11. प्रा0पा0लखुआपाकड
		12. प्रा0पा0लखुआपाकड	12. इ0का0पिपरसण्डी
		13. इ0का0पिपरसण्डी	13. प्रा0पा0भरसी
		14. ब्लाक मुख्यालय खजनी	14. प्रा0पा0डोडो
7. गोला	1. सा.सहकारी समिति, पटना	1. सा.सहकारी समिति, पटना	1 प्रा पा0 कौडिया
	2. सा.स. समिति, सीधेगौर	2. प्रा.पा. पटना	2. प्रा0 पा0 रहदेल
	3. एस.पी.सिंह का मकान, डेरवा	3. सा.स. समिति, सीधेगौर	3. बारात घर बेडसड़
	4. प्रा.पा.मैभरा	4. एस.पी.सिंह का मकान, डेरवा	4. प्रा0 स्वा0 केन्द्र दुघरा
	5. प्रा0 पा पिड़हनी	5. प्रा.पा.मैभरा	5. प्रा0 पा0 दुघरा
	6. प्रा0पा0 खड़ेसरी	6. जू0हा0स्कूल, पिड़हनी	6. बारातघर धुरियापार
	7. प्र0पा0 भटपार	7. प्रा0पा0 खड़ेसरी	7. रतनसेन सिंह
	8. प्रा0पा. मझवलिया	8. प्र0पा0 भटपार	8. जू0 हा0 स्कूल धुरियापार
	9. शिवा एकेडमी, मधुपुर	9. प्रा0पा. मझवलिया	9. प्रा0 पा0 हदीचक
	10. प्रा0पा0 ददरी	10. शिवा एकेडमी, मधुपुर	10.सामुदायिक भवन
	11. अनिवार्य प्रा0पा0 गोपालपुर	11. प्रा0पा0 ददरी	11.सा0 भवन कस्बाहसन
	12. प्रा0पा0 कुरावल बुजुर्ग	12. अनिवार्य प्रा0पा0 गोपालपुर	12. प्रा0 वि0 कुरावल बु0
	13. प्रा0पा0 धुरियापार	13. प्रा0पा0 कुरावल बुजुर्ग	13. प्रा0 वि0 बौराडीह
		14. प्रा0पा0 धुरियापार	14. प्रा0 पा0 अहिरौली
			15. प्रा0 पा0 रूकुनपुर
			16. पंचायत भवन
			17. प्रा0 वि0 डिघवा खुर्द
			18. प्रा0 पा0लखनौरा
			19. प्रा0 पा0 सुबेदारनगर
			20. पिडहनी चौराहा
			21. सा0स0स0 सीधेगोर
			22. प्रा0 वि0डेवरा
			23. प्रा0वि0 मैभरा
			24. प्रा0 वि0 गोनघट
			25. पंचायत भवन
			26. प्रा0 पा0 मोह नपौहरिया
			27. जू0हा0 पिड़हनी
			28. ला0ब0 शा0उ0मा0वि0 बेलवा दाखिला
			29. प्रा0 वि0 बेसहनी
			30. मझवलिया
			31. जू0हा0 स्कूल मधुपुर
			32. प्रा0 प्रा0 अजयपुरा
			33. ने0इ0का0 बडहलगंज
			34. शि0ए0 मधुपुर
			35. प्रा0पा0 ददरी
			36. प्रा0 पा0 मझवलिया
			37. सा0वि0 भ0सिधेगौरा
			38. पं0भ0 प्रा0प0 रामनगर डुमरी
			39. जू0हा0 सेमरा बु0
			40. प0भ0 पटना
			41. प्रा0पा0 पौहरिया
			42. ने0इ0का0बडहलगंज
			43. प्रा0पा0 छपिया उमराव
			44. प्रा0 वि0 वगहा
			45. प्रा0 पा0 नेतवारपटटी
			46. प्रा0पा0 वरडीहा
			47. प्रा0 पा0 नेवादा
			48. प्रा0 पा0 बढयाटिकर
			49. पू0मा0 वि0 बिसरा
			50. पू0 मा0 वि0 गोला
			51. प्रा0 वि0 ब्योरी
			52. पू0 मा0 वि0 मन्नीपुर
			53. प्रा0 वि0 शिवपुर
			54. प्रा0वि0 बरहज
			55. प्रा0वि0 गोपालपुर
			56. प्रा0 वि0 रानीपुर

सेक्टरों की स्थापना

बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जनपद को सेक्टरों में विभाजित किया जा रहा है। सेक्टर का गठन खण्ड वार किया गया है तथा संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को सेक्टर अधिकारी बनाया गया है। जनपद के 19 विकास खण्डों में से तीन–पिपराइच, भटहट व सरदार नगर को छोड़कर शेष 16 विकास खण्ड बाढ़ से प्रभावित होते है अतएव 16 सेक्टरों का गठन किया जा रहा है। वह अपने–अपने सेक्टर के अन्तर्गत स्थापित बाढ़ चौकियों, राहत केन्द्रों तथा राहत शिविरों के कुशल संचालन के लिये उत्तरदायी होंगे तथा संबंधित उप जिलाधिकारी के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेंगे। जनपद में स्थापित किये गये सेक्टरों का विवरण निम्नानुसार है–

सेक्टर का नाम व मुख्यालय	सेक्टर आफीसर	तहसील
पाली	खण्ड विकास अधिकारी पाली	सहजनवां
सहजनवां	खण्ड विकास अधिकारी सहजनवां	सहजनवां
पिपरौली	खण्ड विकास अधिकारी पिपरौली	सहजनवां
जंगल कौड़िया	खण्ड विकास अधिकारी जंगल कौड़िया	सहजनवां+सदर
चरगांवा	खण्ड विकास अधिकारी चरगांवा	सदर
खोराबार	खण्ड विकास अधिकारी खोराबार	सदर
ब्रम्हपुर	खण्ड विकास अधिकारी ब्रम्हपुर	चौरीचौरा
कौड़ीराम	खण्ड विकास अधिकारी कौड़ीराम	बांसगांव
बांसगांव	खण्ड विकास अधिकारी बांसगांव	बांसगांव
उरुवा	खण्ड विकास अधिकारी उरुवा	खजनी+गोला
गगहा	खण्ड विकास अधिकारी गगहा	बांसगांव+गोला
खजनी	खण्ड विकास अधिकारी खजनी	खजनी
बेलघाट	खण्ड विकास अधिकारी खजनी	खजनी
गोला	खण्ड विकास अधिकारी गोला	गोला
बड़हलगंज	खण्ड विकास अधिकारी बड़हलगंज	गोला
कैम्पियरगंज	खण्ड विकास अधिकारी कैम्पियरगंज	कैम्पियरगंज

जोन

तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत आपदा राहत एवं बचाव कार्यों के कुशल संचालन का मुख्य दायित्व सम्बंधित उपजिलाधिकारी का है परन्तु उनको समय–समय पर कुशल निर्देशन, पर्यवेक्षण व सुझाव प्राप्त होते रहें इस दृष्टिकोण से जनपद को 7 जोन में बांटा गया है। एक तहसील एक जोन का क्षेत्र होगा। प्रत्येक जोन के लिये अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को जोनल आफीसर बनाया गया है। स्थापित किये गये जोन तथा जोनल आफीसर का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं	जोन/तहसील का नाम	मुख्यालय	जोनल आफीसर
1	चौरीचौरा	थाना झंगहा	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
2	सदर	तहसीलदार सदर	अपर जिलाधिकारी (नगर)
3	खजनी	तहसील खजनी	परियोजना निदेशक (डी.आर.डी.ए.)
4	बांसगांव	निरीक्षण भवन कौड़ीराम	जिला विकास अधिकारी
5	सहजनवां	तहसील सहजनवां	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा
6	गोला	थाना बड़हलगंज	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
7	कैम्पियरगंज	तहसील कैम्पियरगंज	मुख्य राजस्व अधिकारी

उप मुख्यालय की स्थापना

वर्ष 1998 में नौसढ़, बरवार, एकला, मलांव के पास सड़कों के कट जाने व गोरखपुर–खजनी वाया छपिया मार्ग जल प्लावित हो जाने के कारण तहसील सहजनवां, खजनी, बांसगांव व गोला का सम्पर्क जनपद मुख्यालय से टूट गया था। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए थाना बड़हलगंज पर एक उप मुख्यालय की स्थापना की जा रही है। जिसके प्रभारी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बनाये गये हैं जो कि अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के साथ विषम परिस्थितियों में चारों उप जिलाधिकारियों के आपदा राहत कार्यों का पर्यवेक्षण कर उन्हें दिशा निर्देश देंगे।

जिला आपदा राहत अधिकारी

जनपद में बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन के लिये अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को पूर्ण कालिक जिला आपदा राहत अधिकारी के रूप में नामित कर दिया गया है। जोकि विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर यथा समय बचाव एवं राहत सामग्री तहसीलों को, शासन से धन आवंटन कराकर समय से तहसीलों को तथा बाढ़ संबंधी सूचनाओं के संकलन व प्रेषण के उत्तरदायी होंगे।

बाढ़ सेल

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता एवं संयोजन में बाढ़ सेल 01.06.2009 से स्थापित किया गया है। पुलिस विभाग, सिंचाई (बाढ़ ड्रेनज खण्ड) विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, जल निगम, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन विभाग व नगर निगम के श्रेणी 2 के अधिकारियों को सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया गया है। इस सेल के द्वारा बाढ़ नियंत्रण/राहत हेतु सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लानिंग) की जायेगी। इसका यह भी दायित्व होगा कि जनता, स्वैच्छिक संगठनों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा गैर सरकारी व सरकारी संसाधनों से समन्वय करके यह सुनिश्चित करेगा कि बाढ़ के समय किस स्वैच्छिक संस्था द्वारा किस क्षेत्र में किस विभाग के साथ किस कार्य में योगदान दिया जायेगा। इसके द्वारा समय–समय पर सेना, वायु सेना, दूर संचार विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, मौसम विभाग, रेलवे आदि से भी सम्पर्क कर उनसे संबंधित बिन्दुओं पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करायेगा। रक्षा विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उनके साथ तथा अलग से भी क्षेत्रीय भ्रमण करके सूक्ष्म नियोजन करेंगे। बाढ़ नियंत्रण कक्ष इसी सेल के निर्देशन व पर्यवेक्षण में कार्य करेगा। बाढ़ सेल का निम्नानुसार गठन किया गया है –

1. अपर जिलाधिकारी (वि.रा.)–अध्यक्ष/संयोजक
2. प्रभारी अधिकारी बाढ़ सेल
3. सिंचाई विभाग (क) बाढ़ खण्ड (ख) ड्रेनेज खण्ड
4. चिकित्सा
5. पशु चिकित्सा
6. खाद्य एवं रसद
7. जल निगम
8. पुलिस
9. नगर निगम
10. लोक निर्माण खण्ड प्रान्तीय खण्ड
11. विद्युत

बाढ़ नियंत्रण कक्ष

सूचनाओं के संकलन एवं सम्प्रेषण में नियंत्रण कक्ष का महत्वपूर्ण योगदान होता है, विशेषकर बाढ़ के समय सही सूचना, सही समय से प्रेषित हो जाने से बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की बाढ़ सेल के अधीन 15.06.2013 से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता एवं संयोजन में स्थापना की गई है। 15.06.2013 अथवा उसके पूर्व बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर यह राउण्ड–दी–क्लाक (24 घण्टे) कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष की स्थापना कलेक्ट्रेट में आपदा प्रबंधन केन्द्र में की गई है। जिसमें एक अस्थाई टेलीफोन व आर.टी. सेट की व्यवस्था करायी जा रही है।

बाढ़ से पूर्व आने वाली शिकायतों तथा बाढ़ के दौरान आने वाली गम्भीर समस्याओं को नियंत्रण कक्ष द्वारा बाढ़ सेल को संदर्भित किया जायेगा। बाढ़ सेल संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय व परामर्श कर यथोचित समाधान करेंगे। नियंत्रण कक्ष के लिये 8–8 घण्टे की तीन पारियों में ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक पाली के लिये श्रेणी 2 स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाया जायेगा जो कि अपर जिलाअधिकारी (वित्त एवं राजस्व) व प्रभारी बाढ़ सेल के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। प्रभारी अधिकारी का दायित्व होगा कि वे नियंत्रण में प्राप्त होने व प्रेषित होने वाली सूचनाओं को रजिस्टर में अंकित कराये, प्राप्त सूचनाओं का समय से प्रेषण सुनिश्चित करें। महत्वपूर्ण सूचनाओं से वरिष्ठ अधिकारियों को समय से अवगत करायें तथा तहसीलों से प्राप्त होने वाली दैनिक बाढ़ रिपोर्ट को अपरान्ह 3.00 बजे तक संकलित करायें। बाढ़ के दौरान सहायक सूचना अधिकारी अपरान्ह 2.00 बजे से 5.00 बजे तक नियंत्रण में उपस्थित रह कर संकलित सूचनाओं के आधार पर प्रभारी नियंत्रण कक्ष के सहयोग से प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे तथा बाढ़ की अद्यतन स्थिति से पत्रकारों, समाचार एजेन्सियों, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन को अवगत करायेंगे जिससे समाचार पत्रों, आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से आम जनता को वस्तु स्थिति की सही जानकारी मिल सके और अनावश्यक अफवाहें व भ्रम की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। नियंत्रण कक्ष द्वारा दैनिक बाढ़ रिपोर्ट नियमित रूप से राहत आयुक्त एवं मंडलायुक्त को अवश्यमेव प्रेषित की जायेगी।

24 अगस्त 1998 को लगभग 11.00 बजे एक अफवाह फैली की माधोपुर बांध टूट गया। कलेक्ट्रेट, कचहरी अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों से खाली हो गया, बाजार बंद होने लगे, एक अजीब सी दहशत व अफरा तफरी का माहौल बन गया। इससे निजात पाने व सही सूचना देने के उद्देश्य से बाढ़ की गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने पर कलेक्ट्रेट स्थित नियंत्रण कक्ष से साउण्ड रिले सिस्टम की व्यवस्था कलेक्ट्रेट के चारो ओर स्थित चौराहों से की जायेगी। सूचना का साउण्ड रिले सिस्टम द्वारा प्रसारण जिलाधिकारी, ए.एस.पी., किसी भी ए.डी.एम., एस.पी. (नगर) एवं देहात, किसी भी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा। प्रभारी नियंत्रण कक्ष सूचना की पुष्टि व वरिष्ठ अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रसारण कर सकेंगे।

जनपद की 7 तहसीलों पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी जो कि बाढ़ की स्थिति में

राउण्ड दि क्लाक कार्य करेगा। तहसीलों में स्थित टेलीफोन तहसील नियंत्रण कक्ष में शिफ्ट किये जायेंगे अथवा उन्हीं कक्षों में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी जहां पर टेलीफोन स्थित है। तहसील नियंत्रण कक्ष का प्रभारी नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी को बनाया जायेगा। इनका कार्य होगा कि बाढ़ चौकियों, थानों, विकास खण्डों, राहत केन्द्रों व राहत शिविरों से सूचनायें प्राप्त कर उन्हें संकलित करा कर दैनिक बाढ़ रिपोर्ट जनपदीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को प्रत्येक दशा में अपरान्ह 2.00 बजे तक उपलब्ध कराना, महत्वपूर्ण अथवा विशेष सूचनाओं से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराना तथा मुख्यालय से बाढ़ पूर्वानुमान एवं बाढ़ संबंधी पूर्व चेतावनी को बाढ़ चौकियों को प्रेषित करना।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष

आपदा प्रबन्धन केन्द्र, कलेक्ट्रेट, गोरखपुर

दूरभाष : 0551–2201796/1077 (टोल फ्री)

संचार व्यवस्था

जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के थाने, जिला नियंत्रण कक्ष तथा महानगर के थाने व नगर नियंत्रण कक्ष, रेडियों ट्रांसमिशन सेट (आर.टी. सेट) द्वारा जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी कैम्प, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कैम्प, एस.पी. (आर.ए.), एस.पी. (सिटी) व पुलिस कार्यालय से जरिये वायरलेस सेट जनपद के थानों से सम्पर्क किया जा सकता है। जिलाधिकारी, एस.एस.पी., एस.पी. (आर.ए.), एस.पी. (सिटी), मु.वि.अधि., ए.डी.एम. (सिटी), ए. डी.एम. (प्रशासन), एस.पी. (आर.ए.), एस.पी. (सिटी), नगर मजिस्ट्रेट, एस.डी.एम. सदर, समस्त क्षेत्राधिकारियों व थानाध्यक्षों के वाहन में मोबाइल वायरलेस सेट लगे हुए हैं। गत बाढ़ के समय सूचनाओं के त्वरित सम्प्रेषण में वायरलेस सेट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उपर्युक्त आर.टी. सेट के अतिरिक्त बाढ़ के दौरान (15 जून से 30 सितम्बर) तक के लिये निम्न सेट लगवाने की व्यवस्था कराई जा रही है।

1	बाढ़ नियंत्रण कक्ष	– 1	(स्टेटिक)
2	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	– 1	वाहन में (मोबाइल)
3	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)	– 1	वाहन में (मोबाइल)
4	क. जोनल आफीसर	– 3	वाहन में (मोबाइल)
4	ख. एस.डी.एम. कैम्पियरगंज, चौरीचौरा, सहजनवां, खजनी, बांसगांव, गोला	– 6	वाहन में (मोबाइल)
5	अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड एवं अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड	– 2	वाहन में (मोबाइल)
6	नगर निगम	– 1	स्टेटिक सेट
7	मीरपुर बॉध थाना चिल्हुआताल	– 1	स्टेटिक सेट
8	आयुक्त शिविर कार्यालय	– 1	स्टेटिक सेट
9	बरहुआ विद्युत केन्द्र	– 1	स्टेटिक सेट
10	बरवार बॉध	– 1	स्टेटिक सेट
11	जी0आर0डी0, गोरखपुर	– 1	स्टेटिक सेट
12	बढ़या कोठा बॉध	– 1	स्टेटिक सेट
13	बेलसर रिगौली बॉध	– 1	स्टेटिक सेट

जनपद के बाढ़ कार्य से संबंधित समस्त अधिकारियों के पास टेलीफोन, बाढ़ नियंत्रण कक्ष, अन्य विभागों द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष, तहसीलों के नियंत्रण कक्ष टेलीफोन के द्वारा जुड़े हुए हैं। इनका यथोचित प्रयोग बाढ़ के समय सूचनाओं के आदान–प्रदान में किया जायेगा। महाप्रबंधक दूर संचार से बाढ़ से संबंधित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर उपलब्ध कराते हुए अनुरोध किया जा रहा है कि इनकी रेगुलर मानीटरिंग करा कर इनको ठीक हालत में रखा जाय।

बाढ़ सम्बन्धी पूर्वानुमान एवं बाढ़ सम्बन्धी पूर्व चेतावनी

केन्द्रीय जल आयोग से राप्ती, घाघरा व कुआनों नदियों के जलस्तर की सूचना 15 जून से प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे तथा अपरान्ह 3.00 बजे प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी। नदी के खतरे का बिन्दुपार करने व बढ़ने की प्रवृति होने पर थानों के वायरलेस सेट के माध्यम से तहसील नियंत्रण कक्ष तथा तहसील नियंत्रण कक्ष द्वारा थानों व विकास खण्डों व विशेष वाहकों के माध्यम से बाढ़ चौकियों को पहुंचाई जायेगी जहां से उसका प्रसारण बाढ़ चौकी से संबंधित ग्रामों में किया जायेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग, वायु सेना के मौसम विभाग तथा केन्द्रीय जल आयोग से बाढ़ नियंत्रण कक्ष दिन प्रतिदिन सम्पर्क में रहेगा तथा मौसम अथवा बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान होने की दशा में उपरोक्तानुसार सूचना प्रेषित करेगा जिससे त्वरित गति से सूचनायें बाढ़ चौकियों तक पहुंच सके और मौसम एवं बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान तथा बाढ़ संबंधी पूर्व चेतावनी आम जनता को समय से मिल सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया जा रहा है कि थानों पर उपलब्ध वायरलेस सेट व जिला नियंत्रण कक्ष तथा नगर नियंत्रण कक्ष के माध्यम से भी उक्त सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है। मौसम अथवा बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी महत्वपूर्ण एवं विशेष सूचना होने की दशा में प्रभारी नियंत्रण कक्ष दूरभाष के माध्यम से जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) व अन्य संबंधित अधिकारियों को तत्काल अवगत करायेंगे।

सिंचाई विभाग के नियंत्रण कक्ष से प्राप्त नदियों के गेज एवं डिस्चार्ज की सूचना के आधार पर सम्भावित बाढ़ का पूर्वानुमान कर समस्त तहसीलों एवं नियंत्रण कक्ष को प्रेषित की जाएगी।

नदियों के अपस्ट्रीम पर पड़ने वाले जनपदों के बाढ़ नियंत्रण कक्ष से लगातार सम्पर्क स्थापित कर वहॉ की वर्षा एवं नदियों के जलस्तर व जलप्रवाह की सूचना के आधार पर सम्भावित बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जाएगा एवं तद्नुसार विभिन्न स्तर पर सूचना प्रेषित की जाएगी।

बाँध मरम्मत, रख-रखाव एवं सुरक्षा

जनपद में प्रवाहित होने वाली नदियों राप्ती, घाघरा, कुआनों, रोहिन, आमी एवं गुर्रा की जनपद में लग्बाई निम्नानुसार है–

1	राप्ती	134 कि.मी.
2.	घाघरा	77 कि.मी.
3.	कुआनों	23 कि.मी.
4.	रोहिन	30 कि.मी.
5.	आमी	77 कि.मी.
6.	गुर्रा	17 कि.मी.

जनपद में इन नदियों पर निर्मित 64 बांधो की कुल लम्बाई 445.990 कि.मी. है जिसमें 19 रिंग बांध, एक रिटायर्ड बांध है। इन तटबंधों द्वारा 113270 हे0 भूमि को सरक्षा प्रदान की गई है। जनपद में स्थित बांधों के अनुरक्षण मरम्मत एवं रखरखाव का बाढ़ खण्ड – प्रथम व द्वितीय तथा ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर द्वारा किया जाता है। जनपद में स्थित बांधों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है–

जनपद- गोरखपुर की तटबन्धों की सूची

क्र. सं. 1	बांध का नाम 2	नदी का नाम व तट 3	लम्बाई कि.मी. 4	लाभान्वित क्षे. हे. में 5
ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर				
1.	पनघटिया करमैनी बॉध	राप्ती/दायां	15.700	9820
2.	खड़खड़िया रिंग बॉध	राप्ती/दायां	5.200	200
3.	गुड़ियाना रिंग बॉध	राप्ती/दायां	1.225	75
4.	सहजनवा डुमरिया बाबू बॉध	राप्ती/दायां	19.400	3500
5.	चोरमा रिटायर बॉध	राप्ती/दायां	3.750	3150
6.	माड़र बॉध	राप्ती/दायां	1.415	200
7.	बेलसर रिगौली बांध 10.600 से 26.850	राप्ती/बायां	16.250	2120
8.	रिगौली बढ़या बांध	राप्ती/बायां	10.600	1240
9.	बढ़या कोठा बांध	राप्ती/बायां	21.800	7200
10.	हाबर्ट बांध	राप्ती/बायां	3.900	शहर सुरक्षा
11.	मछलीगांव अलगटपुर बांध	रोहिन/दायां	19.500	1210
12.	मखनहा बांध	रोहिन/दायां	11.150	1212
13.	चिउटहा बांध	रोहिन/दायां	0.500	54
14.	मानीराम डोमिनगढ़ बांध	रोहिन/दायां	12.230	5060
15.	बनरहा विस्तार बांध	रोहिन/बायां	3.00	424
16.	बनरहा बांध	रोहिन/बाया	6.225	1003
17.	कुदरिया मानीराम बांध	रोहिन/बाया	6.050	1003
18.	मानीराम माधोपुर बांध	रोहिन/बाया	9.500	1252
19.	माधोपुर बांध	रोहिन/बाया	3.600	शहर सुरक्षा

बाढ़ खण्ड–2, गोरखपुर				
1.	बोक्टावर बरवार बांध	राप्ती/दांया	11.250	1210
2.	कोठा रहकट एवं बढ़ोत्तरी बांध	राप्ती/दांया	8.118	1600
3.	गगहा रहकट असवनपार बांध	राप्ती/दांया	5.65	2915
4.	असवनपार गहिराघाट बांध	राप्ती/दांया	4.160	1730
5.	मछझवलिया बांध	राप्ती/दांया	3.200	400
6.	बैरिया ददरी सेमरा बांध	राप्ती/दांया	6.500	1975
7.	गहिरयाकोल रिंग बांध	राप्ती/दांया	2.040	36
8.	सेमरा नवलपुर बांध	राप्ती/दांया	4.80	2720
9.	कंसासुर खुटभार रिंग बांध	राप्ती/दांया	8.74	425
10.	छितौना भिसिया सोपाई बांध	कुआनो/दांया	10.300	2856
11.	मुखलिसपुर बेलहरा बांध	कुआनो/बांया	3.80	585
12.	ढेबरा बनकटा बांध	कुआनो/दांया	7.200	1200
13.	बिस्तुई बांध	कुआनो/दांया	0.800	500
14.	खड़गपुर शाहपुर सोपाई बांध कुआनो 10.50 किमी 4153 हे0 घाघरा 15.50 किमी 6132 हे0	कुआनो/दांया घाघरा/बांया	26.00	10285
15.	भभया रिंग बांध	घाघरा/बांया	1.00	40
16.	मदरिया बांध	घाघरा/बांया	0.235	130
17.	टेढ़िया स्पर	घाघरा/बांया	1.00	288
18.	शाहपुर रिंग बांध	घाघरा/बांया	0.500	16
बाढ़ खण्ड–3 गोरखपुर				
1.	मलौनी बांध	राप्ती/बांया	30.400	12950
2.	अजवनियां रिंग बांध	राप्ती/बांया	1.400	235
3.	लहसड़ी रिंग बांध	राप्ती/बांया	1.050	7
4.	नदुआ रिंग बांध	राप्ती/बांया	0.450	3
5.	चाफा रिंग बांध	राप्ती/बांया	0.450	9
6.	बखरिया रिंग बांध	राप्ती/बांया	1.450	30
7.	नौवा डुमरी रिंग बांध	राप्ती/बांया	1.200	16
8.	नौवा डुमरी एडवांस रिंग बांध	राप्ती/बांया	1.200	24
9.	बिनहा रिंग बांध	राप्ती/बांया	4.050	172
10.	छपरा रिंग बांध	राप्ती/बांया	2.300	106
11.	मुगलहा एडवांस बांध	राप्ती/बांया	1.550	30
12.	सेमरा मानिक चक बांध	राप्ती/बांया	1.400	32
13.	रामगढ़ताल बांध	राप्ती/बांया	7.200	1200
14.	बरहीपाथ बांध	राप्ती/बांया	18.600	2300
15.	छितहरी थुन्ही बांध	राप्ती/बांया	12.000	2000
16.	इटौवा बांध	गोर्रा/बांया	10.100	1600
17.	राजधानी सिलहटा बांध	गुर्रा/बांया	10.600	6167
18.	नेकवार बोहावार बांध	गोर्रा/बांया	7.445	1000
19.	नौसढ़ कलानी बांध	राप्ती/दांया	5.10	4312
20.	नौसढ़ कलानी रिंग बांध	राप्ती/दांया	3.780	4312
21.	भौवापार बेला बांध	राप्ती/दांया	15.250	1500
22.	कनइल मझगांवा बांध	राप्ती/दांया	6.850	1600
23.	मलांव बांध	राप्ती/दांया	6.985	1218
24.	कौड़ीराम मलौली बांध	राप्ती/दांया	5.80	2000
25.	मलौली गजपुर बांध	राप्ती/दांया	5.10	1433
26.	बसावनपुर रिंग बांध	राप्ती/दांया	2.100	200
27.	फरेन नाला तटबंध	फरेन नाला/ बायां/दांया	7.000	1000
	योग (जनपद)	–	445.990	106270

संवेदनशील/अतिसंवेदनशील कटान स्थल- जनपद गोरखपुर

क्र.सं.	संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्थल का नाम	विवरण
	ड्रेनेज खण्ड, अतिसंवेदनशील स्थल	
1.	गायघाट कटान स्थल	पनघटिया करमैनी बांध के किमी 3.500
2.	कोनी कटान स्थल	पनघटिया करमैनी बांध के किमी 1.200
3.	सिसई कटान स्थल	सहजनवा डुमरिया बाबू बांध के किमी 16.560
4.	चोरमा कटान स्थल	चोरमा रिटायर बांध के किमी 3.200
5.	ताल बंजरहा कटान स्थल	बेलसर करगौली बांध के किमी 13.500
6.	तुर्कवलिया कटान स्थल	बढ़या कोठा बांध के किमी 8.600
7.	मीरपुर कटान स्थल	बढ़या कोठा बांध के किमी 13.500
8.	मैनाभागल कटान स्थल	बढ़या कोठा बांध के किमी 15.100
9.	उत्तरासोत कटान स्थल	गाहांसाड़ कोलिया बांध के किमी. 6.700 से 7.100
	संवेदनशील स्थल	
1.	कहिरौली कटान स्थल	बेलसर रिगौली बांध के किमी 16.400
2.	ताल महुलानी कटान स्थल	बेलसर रिगौली बांध के किमी 17.800
3.	खड़खड़िया कटान स्थल	खड़खड़िया बांध के किमी 1.200
4.	बनरहा बांध पर कटान स्थल	किमी 0.450 से 0.720 किमी 1.960 से 2.220 किमी 2.900 से 3.080 किमी 5.400 से 5.625 किमी 3.800 से 4.100 किमी 4.660 से 4.700
5.	मखनहां बांध पर कटान स्थल	राप्ती नदी की दाहिनी तरफ
6.	बेलसर रिगौली बांध पर कटान स्थल	किमी 24.000 पर बहबोलिया कटान स्थल
	बाढ़ खण्ड, अतिसंवेदनशील स्थल	
1	लहसड़ी	मलौनी बांध के किमी 7.500
2	डुहिया	मलौनी बांध के किमी 8.500
3	बखरिया	मलौली बांध के किमी 16.500
4	मिर्जापुर	मलौनी बांध के किमी 14.000
5	सिहोरवा	छितहरी थुन्नी बांध के किमी 4.000
6	सरार	छितहरी थुन्नी बांध के किमी 8.700
7	भग्ने	बरहीपांथ बांध के किमी 14.950
8	जोगिया	राजधानी सिलहटा बांध के किमी 6.100
9	सोहगौरा	कौड़ीराम मलौली बांध के किमी 3.700
10	कनईल	कनईल मझगांवां बांध के किमी 5.450
	संवेदनशील स्थल	
1	जरायमकोल	राजधानी सिलहटा बांध के किमी 7.700
2	बेला	मलाव बांध के किमी 1.600
3	नदुआ	मलौनी बांध के किमी 10.500
4	बरसाइत	मलौनी बांध के किमी 23.000
5	नौवा अव्वल	मलौनी बांध के किमी 18.500
6	लकड़ीयहवा	बरहीपांथ बांध के किमी 15.500
7	बरही	बरहीपांथ बांध के किमी 4.900
8	मझगांवां	कनइल मझगांवां बांध के किमी 1.200
9	अजवनिया रिंग बांध	मलौनी बांध के किमी 3.400
10	नौवा डुमरी रिंग बांध	मलौनी बांध के किमी 18.000
11	बिनहा रिंग बांध	मलौनी बांध के किमी 20.000
12	गजपुर	टाउन

	बाढ़ खण्ड–2, संवेदनशील स्थल	
1.	बड़गहन / बरवार / कोलिया	बोक्टा बरवार बांध
2.	गोला / कस्बा	गोला कटान स्थल
3	राईपुर / शाहपुर / बनकटी / हरिहरपुर / मलौली	खड़गपुर शाहपुर सोपाई बांध
4	बनकटी कटान स्थल नेवादा कटान स्थल भेड़ी कटान स्थल	कोठा रहकट बांध
5	गरयाकोल कटान स्थल	गरयाकोल रिंग बांध
6	कोल केशव कटान स्थल	गगहा रकहट असवनपार बांध
7	सहुआकोल कटान स्थल असवनपार कटान स्थल पूरे कटान स्थल एवं गहिराघाट कटान स्थल	असवनपार गहिराघाट बांध
8	मझवलिया कटान स्थल	मझवलिया बांध
9	ददरी कटान स्थल सेमरा कटान स्थल	बैरिया ददरी सेमरा बांध
10	कंसासुर कटान स्थल खुटभार कटान स्थल	कंसासुर खुटभार रिंग बांध
11	टेढ़िया स्पर	टेढ़िया स्पर
12	अच्छेडीह कटान स्थल	सेमरा नवलपुर बांध

जनपद के विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर रिजर्व स्टाक का विवरण

क्र. सं.	तटबंध का नाम	संवेदनशील स्थल	रिजर्व स्टाक का विवरण				
			बोल्डर (घन मी.)	खाली बोरी (सं0)	झांवां (घन मी.)	क्रेट (सं0)	बजरी/बालू (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8
बाढ़ खण्ड, गोरखपुर							
1	मलौली गजपुर बांध	किमी 0.500 पर	–	–	–	–	–
2	नेकावार बोहावार बांध	किमी 0.00 एवं किमी 4.00 पर	–	–	–	–	–
3	तरकुलानी स्टोर		–	–	–	–	–
4	बरहीपांथ बांध	किमी5.00, 5.500 व 18.300 पर	–	–	–	–	–
5	इटौवा बांध	किमी 0.00 से 7.00 तक	–	–	–	–	–
6	मलौनी बांध	किमी 18.00 व 23.300 पर	–	–	–	–	–
7	राजधानी सिलहटा बांध	किमी 5.00 एवं 6.100 पर	–	–	–	–	–
8	छितहरी थुन्नी बांध	किमी 4.100 व 8.700 पर	–	–	–	–	–
9	नौसड़ कलानी व नौसड़ कलानी रिंग बांध	–	–	–	–	–	–
10	कनइल मझगांवां बांध	किमी 5.450 पर	–	897	31.05	–	–
11	भौवापर बेला बांध, मलांव बांध, कौड़ीराम मलौली बांध	–	–	4594	–	–	–
12	मलौनी बांध	किमी 0.00 से 4.00 व अजवनिया रिंग बांध	–	–	20	–	20
13	मलौनी बांध	किमी 4.600 से 7.600 व लहसड़ी रिंग बांध	–	–	–	–	–
14	मलौनी बांध	किमी 12.00 से 18.00 व बखरिया रिंग बांध	–	–	–	1000	–
15	मलौनी बांध	किमी 7.600 से 12.00 व नदुआ कटान	–	–	–	326	–

	ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर					
बढ़या कोठा बांध	तुर्कवलिया कटान स्थल	–	10000	–	–	–
	मीरपुर कटान स्थल	–	300	–	–	–
	मैनाभागल कटान स्थल	800	2000	–	–	–
रिगौली बढ़या बांध	नेतवर स्टोर	10	3767	–	–	–
मखनहा बांध	किमी 4.100	–	5000	–	–	–
मखनहा बांध	झगरहवा	–	6644	–	–	–
बेलसर रिगौली बांध		–	7145	53	21 बम्बू	–
खड़खड़िया रिंग बांध	–	–	–	–	–	–
पनघटिया करमैनी बांध	–	–	–	–	–	–
माधोपुर बांध	–	–	–	–	–	–
मछलीगांव अलगटपुर बांध	–	–	10000	–	–	–
बनरहा विस्तार बांध	–	–	–	–	–	–
मानीराम डोमिनगढ़ बांध	–	–	–	–	–	–
हाबर्ट बॉध	–	–	–	–	–	–
चोरमा रिटायर बांध	–	–	–	–	–	–

क्र. सं.	तटबंध का नाम	संवेदनशील स्थल	रिजर्व स्टाक का विवरण				
			बोल्डर (घन मी.)	खाली बोरी (सं0)	झांवां (घन मी.)	क्रेट (सं0)	बजरी/बालू (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8
बाढ़ खण्ड–2, गोरखपुर							
1	बोक्टा बरवार बांध	गड़गमन / बरवार / कालेश्वार	468.12	5833	35.42	–	5.65
2	गोला कटान स्थल	गोला कस्बा / रतनपुर	–	–	–	–	–
3	खड़गपुर शाहपुर सोपाई बांध	राईपुर / शाहपुर	–	–	–	–	–
4	ढेबरा बनकटा बांध		–	4110	–	–	–
5	कोठा रकहट बांध	बनकटी कटान स्थल	–	–	30.00	–	–
		नेवादा कटान स्थल	–	–	40.00	–	–
		भेड़ी कटान स्थल	–	–	–	–	–
6	गरयाकोल रिंग बांध	गरयाकोल कटान स्थल	–	–	–	–	–
7	गगहा रकहट असवनपार बांध	कोल केशव कटान स्थल	–	–	–	–	–
8	असवनपार गहिराघाट बांध	सहुआकोल कटान स्थल	–	–	–	–	–
		पूरे कटान स्थल	–	–	–	–	–
		गहिराघाट कटान स्थल	–	–	–	–	–
9	मझवलिया बांध	मझवलिया कटान स्थल	–	–	–	–	–
10	बैरिया ददरी सेमरा बांध	ददरी कटान स्थल	–	–	–	–	–
		सेमरा कटान स्थल	–	–	–	–	–
11	कंसासुर खुटभार रिंग बांध	कंसासुर कटान स्थल / सेमरा	–	900	–	–	–
12	टेढ़िया स्पर	टेढ़िया स्पर	–	–	–	–	–
13	सेमरा नवलपुर बांध	अच्छेडीह कटान स्थल	–	5000	–	–	–

बाँध सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु आवश्यक निर्देश

मुख्य अभियन्ता गंडक द्वारा अधिशासी अभियन्ताओं को बाँधो के रख रखाव व सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी किये गये है। जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत हैं–

1. समस्त अवर अभियन्ता तथा उनसे संबंधित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यप्रभावित कर्मचारियों तथा 240 दिन से अधिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीयों की वीट्स निर्धारित कर दी जाय, और इनकी डयूटी चार्ट निर्गत कर दिये जाये। उपलब्ध कर्मचारियों को इस प्रकार से नियोजित किया जाय कि संवेदनशील स्थानों पर निरन्तर किसी न किसी वाच एण्ड वार्ड स्टाफ की उपलब्धता रहे। इस प्रकार नामित किये गये व्यक्तियों की सूची प्रभावित ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायतों समीपस्थ पुलिस चौकियों, तहसीलदार उप जिलाधिकारियों एवं जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायें और क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों को भी इनकी प्रतियाँ भेज दी जाय और व्यापक प्रचार करा दिया जाय।

2. बन्धों की सुरक्षा हेतु उपरोक्तानुसार लगाये गये अवर अभियन्ताओं एवं उनसे संबंधित समस्त स्टाफ के अस्थाई मुख्यालय जून 2013 से अक्टूबर 2013 तक सेक्शन/बीट्स में निर्धारित कर दिये जाये और उसकी सूचियां भी उपरोक्त पैरा–2 में उल्लिखित समस्त संबंधित जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दे दी जाये और व्यापक रुप से प्रचारित करा दी जाये।

3. बन्धों के निरीक्षणोपरान्त चेक लिस्ट के आधार पर जो जो सवेदनशील स्थल चिन्हित होने है, उनकी सूचना भी जिलाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक उपलब्ध करा दी जाय और यथा सम्भव सक्षम अधिकारियों से विचार विर्मश के उपरान्त उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मरम्मत के कार्य 31 मई से पूर्व ही पूर्ण करा ली जाये।

4. वर्ष 2010 की बाढ़ के पश्चात जिन–जिन स्थानों पर बन्धे कटे है और पूर्नस्थापित किये गये है, उन स्थलों पर विशेष निगरानी सुनिश्चित की जाय क्योकि बाढ़ आने पर नदी का सर्वप्रथम दबाव इन्ही बन्धों/स्थलों पर आयेगा।

5. वर्ष 2010 की बाढ़ में जिन–2 स्थलों पर सीपेज, पाइपिंग, रैट होल्स, दीमक आदि तथा ओवर टापिंग से बन्धें सवेदनशील हुए थे, उन स्थानों को चिहिन्त करके सुरक्षा प्रदान कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही माह मई में ही पूर्ण करा दी जाये और इस प्रकार के स्थलों की सूची तथा कराये गये कार्यो का विवरण समस्त उच्चधिकारियों को तथा इस कार्यालय को एवं संबंधित जिलाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को भी प्रेषित कर दिया जाय।

6. समस्त संवेदनशील स्थलों पर गेज स्थापित कर दी जाये और 15 जून से उनका रजिस्टरों में अंकन प्रारम्भ कर दिया जायें जिसकी सूचना अवर अभियन्ता द्वारा प्रतिदिन अपने सहायक अभियन्ता को, सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता को और अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधीक्षण एव मुख्य अभियन्ता को प्रेषित की जाये और उनके क्षेत्र में यदि कहीं कोई संवेदनशीलता महसूस की जाय तो उससे तुरन्त अवगत कराया जाय, और मा. मंत्री जी द्वारा निर्धारित निरीक्षण रजिस्टरों में तथा रिपोर्ट में भी लिखा जाय।

7. विभिन्न स्थलों पर आदेशित बाढ़ समितियों की बैठक भी यथाशीघ्र आहूत करके पूर्ण करा ली जाय और उसकी कार्यवाही समस्त संबंधित कार्यालयों एवं इस कार्यालय को भी प्रेषित कर दी जाय। बाढ़ तैयारियों, धन की उपलब्धता, कार्य योजनाओं से सबको अवगत करा दिया जाय।

8. बर्ष 2010 की बाढ़ के पश्चात क्षतिग्रस्त एवं कटे बन्धों की पुर्नस्थापना का कार्य धन की उपलब्धता के सापेक्ष प्रत्येक दशा में मई के अन्दर ही पूर्ण करके समाप्त कर दिया जाय और कम्पलीशन रिपोर्ट संबंधित अधीक्षण अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ताओं के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाये तथा जिलाधिकारीयों, आयुक्त महोदय को भी सूचना भेज दी जाय।

9. सीमेंट की खाली बोरियॉ एकत्रित कर ली जाये।

10. बाधों का निरीक्षण करते समय यह ध्यान रखा जाये कि यदि बांध के समीपवर्ती गांव के निवासी यदि बांध पर बसे है, तो उनकी झोपड़ियों इस प्रकार रहे कि बांध पर यातायात चालू रहे।

11. जब बाढ़ का पानी टो के ऊपर आ जाये तो बांध पर कार्यरत बेलदार प्रतिदिन सुबह 8.00 बजे से पूर्व अपने निर्धारित कार्य के साथ बांध की प्रोटैक्टेड साइड कीटो का निरीक्षण करेंगे और यदि किसी स्थल पर सीपेज आदि की समस्या हो तो इसकी सूचना अवर अभियन्ता को तुरन्त उपलब्ध करायेगें।

12. नदी का जल स्तर जब डैन्जर लेविल पर आ जाये तो अवर अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह दिन में कम से कम एक बार अवश्य अपने चार्ज के बांधों का स्वंय निरीक्षण करें और बांध की स्थिति में विषय में सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा बाढ़ नियंत्रण कक्ष को दैनिक सूचना उपलब्ध करायें।

13. नदी का जल स्तर जब खतरे के बिन्दु से ऊपर आ जाये तो सहायक अभियन्ता का दायित्व होगा कि वह प्रतिदिन कम से कम एक बार बांधो का निरीक्षण करें।

14. नदी का जल स्तर उच्चत्म बाढ़ स्तर के आस पास होने पर प्रत्येक बांध का निरीक्षण आवश्यकतानुसार न्यूनतम दो बार आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त रात्रि में भी गश्त की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए अधिशासी अभियन्ता द्वारा समय समय पर आदेश दिये

जायेंगे। गश्ती बेलदारों के पास टोकरी, फावड़ा एवं रोशनी का प्रबंध होना चाहिए जिसके लिए अवर अभ्यिन्ता एवं सहायक अभियन्ता उचित प्रबंन्ध रखेंगे। यदि किसी स्थान पर अधिक बेलदार की अवश्यकता पड़ती है तो अवर अभियन्ता इन बेलदार एवं सामग्री निर्गत करने के लिए वायरलेस/विशेष व्यक्ति को भेजकर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करेंगे एवं मजदूरो को रखने तथा निर्माण सामग्री निर्गत करने संबंध में मुख्य अभियन्ता (गण्डक) के पत्रांक 371 दिनांक 17.6.85 द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेगें और यदि आवश्यकता हो तो वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–6 के पैरा–432 का भी उपयोग कर सकते है। परन्तु किसी भी दशा में कार्य स्थल से नहीं हटगें।

15. नदी का जल स्तर उच्चतम् बाढ़ स्तर से एक मीटर नीचे होने पर प्रत्येक सहायक अभियन्ता का कर्तव्य होगा एंव बांधो पर छोलदारी अथवा टेन्टस की व्यवस्था करके वहां पर रहे जिससे प्रत्येक समय उन्हें बांध की स्थिति की सूचना मिलती रहे और सुरक्षात्मक कार्य किये जा सके। यदि यह स्थिति एक उप खण्ड के एक से अधिक बंधों पर एक साथ आती है तो अतिरिक्त सहायक अभियन्ताओं हेतु अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता से प्रबंध कराया जाय।

16. बाढ के समय कटाव निरोधक कार्यो की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि यदि किसी कटाव निरोधक कार्य पर दबाव एवं खतरा उत्पन्न हो तो उसकी सूचना तत्काल अवर अभियन्ता द्वारा सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता को भेजा जायेगा। सूचना प्राप्ता होते ही सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता कार्य स्थल का निरीक्षण करें और अधीक्षण अभियन्ता से प्रस्तावित कार्यवाही का अनुमोदन प्राप्त करें क्योकि प्रमुख अभियन्ता के आदेशानुसार बाढ़ के समय यदि कटाव निरोधक कार्यो पर कार्य किया जाता है तो उसकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता से आवश्यक है। बाढ़ के समय आपातकालीन स्थिति में पत्थर/झांवा/बॉस कंकड़ अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रयोग कराया जा सकता है, परन्तु उसकी दैनिक सूचना अधीक्षण अभियन्ता को भेजकर उनसे औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति में अवर अभियन्ता बचाव की आवश्यकता कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर सकते है, परन्तु पत्थर/झावां/बॉस कंकड़ का प्रयोग करने के उपरान्त ही किया जा सकता है। प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही की दैनिक रिपोर्ट उन्हे सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता को निर्धारित प्रपत्र पर उसी दिन उपलब्ध करानी होगी।

17. ऐसे स्थल जहां बाढ़ के समय बांध के किसी अंश के ग्रामवासियों द्वारा क्षति पहुचाने की आंशका हो पूर्व में ही चिन्हित कर लिये जाये और उनकी सूची से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, समीपस्थ पुलिस चौकी/थाना, ग्राम पंचायतों आदि को अवगत करा दिया जाय और इस प्रकार के स्थालों पर पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाय। अचिन्हित स्थानों पर यदि ऐसी आशंका पैदा हो तो होमगार्ड तथा पुलिस की व्यवस्था हेतु सूचना अवर अभियन्ता सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, वायरलेस अथवा विशेष व्यक्ति के माध्यम से पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी/पुलिस इंसपेक्टर को उपलब्ध कराये ताकि उनके द्वारा पुलिस फोर्स का तत्काल प्रबन्ध किया जा सके।

18. प्रत्येक रेगुलेटर की वर्षा से पहले अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा जांच करा की ली जायें तथा जब बाढ़ का पानी रेगुलेटर की ओपनिंग तक आ जाय, तो अवर अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि रेगुलेटर का ठीक प्रकार से रेगुलेशन हो। यदि सुरक्षित क्षेत्र में कोई समस्या होती है, तो उसका विवरण तुरन्त सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता को भेज दें जिससे अधिकारियों द्वारा रेगुलेटर का निरीक्षण किया जाय और सुरक्षा उपाय कराया जा सके।

19. बांध पर तैनात बेलदार के कमीज पर 6 से.मी. व्यास का एक कपड़े का बिल्ला लगा होगा जिस पर बेलदार के रीच का उल्लेख रहेगा। अवर अभियन्ता इस बिल्ले का प्रबन्ध करेंगे।

वर्ष 2013 के लिये जनपद में स्थित बांधों के संवेदनशील स्थलों पर बाढ़ से पूर्व रिजर्व स्टाक पूर्व से ही संचित कराये जाने की योजना है।

बाढ़ व ड्रेनेज खंड द्वारा संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर वहाँ पर खाली सीमेन्ट की बोरियाँ, नारियल रोप, बाँस, झाँवा, बोल्डर, बालू आदि रिजर्व स्टाक में रखा जायेगा। चिन्हित स्थलों की एक प्रति जिलाधिकारी, एक प्रति बाढ़ नियंत्रण कक्ष, एक–एक प्रति उपजिलाधिकारियों एवं संबंधित थानाध्यक्षों को उपलब्ध कराई जायेगी जिससे कि आकस्मिकता पड़ने पर उसका तत्काल प्रयोग किया जायेगा।

नदियों के किनारे बांधों के निकट स्थित ग्रामों के लियें बाढ़ सुरक्षा समितियों का गठन कराया जा रहा है जिसमें निम्न सदस्य होंगें–

1.	बाढ़/ड्रेनेज खण्ड के अवर अभियन्ता	अध्यक्ष
2.	प्रधान	उपाध्यक्ष
3.	बहुउद्देशीय कर्मी (एम.पी.डब्लू)	सचिव
4.	लेखपाल	सदस्य
5.	अध्यक्ष युवक मंगल दल	सदस्य
6.	चौकीदार/थाने के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिध यदि कोई हो	सदस्य

अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड व अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड–2 द्वारा इन समितियों का गठन किया गया है। यह समितियां बाढ़ से पूर्व ग्रामवासियों को बाढ़ के समय बांधों की सुरक्षा–कटान, रैट, होल, शोरीसीपेज, तेज हवा चलने से कटान आदि के संबंध में प्रशिक्षित करेगी तथा बाढ़ के दौरान जनसहयोग से बांधों की सुरक्षा में सहयोग देगी।

सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता गण्डक के कार्यालय नियंत्रण कक्ष की स्थापना 1 जून 2013 से की गई है। इसका दूरभाष संख्या 0551–2204002 है।

आदेश

वर्ष 2013 की बाढ़काल में बाद बचाव कार्य हेतु निम्न कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

1. कम ऊँचाई वाले बांधो पर ओवर टापिंग से क्षति।
2. बांध के सेक्शन कम होने की दशा में सीपेज, लॉकिंग, पाइपिंग से बांध की क्षति।
3. नदी द्वारा बांध के समीप बहने पर कटान से क्षति।

उपरोक्त तीनों प्रकार के सम्भावित क्षति से निम्न प्रकार से निपटा जा सकता है–

1. ओवर टापिंग

नदी का गेज प्रतिदिन जिस स्थान पर समस्या होने की सम्भावना हो उस स्थान से 10–20 कि.मी. ऊपर के नदी के गेज की जानकारी संबंधित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को प्रतिदिन करनी चाहिये। यह भी हिसाब लगाना चाहिए कि नदी में बढ़ाव की गति क्या है। कार्यस्थल पर किस दिनांक को और किस समय बांध के ओवर टाप की स्थिति आ जायेगी, उस स्थिति से 24 या 48 घण्टा पूर्व डोला बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिए और इसकी सूचना वायरलेस द्वारा जिला प्रशासन/मा. जनप्रतिनिधियों एवं उच्चाधिकारियों को दे दि जाये कि अगले 24 या 48 घण्टे बाद अमुक बाँध के पास ओवर टाप की स्थिति हो जायेगा और इसकी सुरक्षा हेतु ग्राम समितियों का सहयोग भी प्राप्त किया जाये।

2. सीपेज तथा लॉकिंग से क्षति

नदी काफी दिनों तक बाढ़ स्तर पर रुके रहने के कारण बांधों पर सीपेज प्रारम्भ हो जाता है और बांध क्षति होने की सम्भावना हो जाती है। प्रारंभिक अवस्था में बाँध के डाउनस्ट्रीम के ''टो'' पर स्वेटिंग होती है। इसमें पानी का बहाव लगभग नगण्य होता है लेकिन ''टो'' पर देखने से यह लगता है कि पानी बन्धे के ''टो'' पर निकल रहा है। यह प्रारम्भिक अवस्था हो, उसको चेक कराने हेतु लोकल बालू की पतली परत बिछा देने पर यह रुक जाता है।

स्वेटिंग के उपरान्त दूसरी–अवस्था–सीपेज की होती है। इसमें पानी का बहाव ''टो'' के पास होने लगता है जिसे देखा जा सकता है। इससे बचने हेतु बहते हुए पानी को हथेली में लेकर देखा जाये कि मिट्टी के कण आ रहें या नहीं।

यदि मिट्टी के कण आ रहें हों तो गम्भीर समझा जाये। यदि साफ पानी निकल रहा हो तो इसमें कोई हानि नहीं है। इसके बचाव हेतु छोटे–छोटे रिंग बनाकर उसमें लोकल सैन्ड डाल दिया जायें। यदि लोकल सैन्ड पानी के बहाव के साथ–साथ बह जा रहा हो तो उसमें पी–ग्रैवेल डाला जाया और यह देखा जाये कि उसमे निकलने वाला पानी साफ होना चाहिये। इसी समय यह आवश्यक है कि इस सीपेज के रीच को 24 घण्टे निगरानी हेतु कर्मचारी नियुक्त कर दिये जायें तथा इसकी सूचना भी उच्चाधिकारियों/जिला प्रशासन को वे दिया जाये कि बाँध के अमुक स्थान में क्षति होने की सम्भावना है।

अगली स्थिति लॉककिंग की है। इसमें बाँध के ''टो'' के पास अथवा कुछ दूर हटकर एक इंच या 1.5 इंच डायमीटर में तेजी से पानी निकलता है तो यह स्थिति गंभीर है। इसको चेक करने हेतु तुरन्त तारकोल के दोनो तरफ से कटे हुए ड्रम का प्रयोग करके पानी निकालने के स्थान से ऊपर रख दिया जाय। पानी कुछ ऊँचाई तक बढ़ेगा और उसके बाद बन्द हो जायेगा। इसके बाद रिंग बनाकर उतनी ही ऊँचाई तक पानी को रोकने का प्रबन्ध कर दिया जाय और इस गड्ढे में लोकल सेन्ड द्वारा उसके ऊपर पी–ग्रोवेल रख दिया जाये जिससे कि पानी छनकर निकले। यदि फिर भी पानी के साथ मिट्टी बहने की सम्भावना हो तो उसके ऊपर बोल्डर ''3'' से ''4'' व्यास के टुकड़े रख दिया जाय जिससे पानी निकालने पर मिट्टी का बहना रुक जायेगा।

इसके बाद पाइपिंग की अवस्था है जो बन्धे की सुरक्षा के लिए अत्यन्त गंभीर है और पाइपिंग से बन्धे को बचाना अत्यन्त दुरुह कार्य है। इसलिए इस अवस्था में आने से पूर्व बांध की सूचना जिला प्रशासन एवं मा. जनप्रतिनिधियों तथा उच्चाधिकारियों को दे देना सबंधित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता का दायित्व है। जो सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता इस दायित्व का निर्वहन नहीं करेगें उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इस अवस्था में दुरुह कार्य को निम्न रुप से बचाव कार्य करने पर बाँध बचने की कुछ सम्भावना हो सकती है।

जिस स्थान पर पाइपिंग हो रहा है उसी स्थान पर नदी की तरफ स्लोप पर एक तिरपाल बिछा कर आदमी खड़े किये जायें और तिरपाल को हटने न दिया जाये जिससे पाइपिंग के होल द्वारा पानी के बहाव का रोक हो सके। ईटे के टुकड़े अपस्ट्रीम स्लोप पर डम्पिंग की जाये जिससे कि होल को बन्द करने में मदद मिले।

यह अन्तिम अवस्था है और इसके बाद कुछ मिनटों में बांध टूटने की सम्भावना हो जाती है और इस पर बहुत ही तीव्र गति से कार्य कराये जायें तथा यह भी देख लिया जाये कि बांध की इस रीच से कुछ ही दूर पीछे हटकर कोई रिंग बाध बनाने अथवा किसी ऊँचे स्थल पर बांध जोड़ने की सम्भावना हो तो उसे पूर्व में कार्य प्रारम्भ कर दियें जायें जिससे कि बांध से निकला हुआ पानी सुरक्षित क्षेत्र में न फैल सके।

3. कटाव

कटाव निरोधक कार्यो में 90 प्रतिशत नदी में पानी का कटान तब होती है जब जल स्तर जमीन से 1 फीट से 2 फीट तक नीचे रहता है। सबंधित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को इस बात की जानकारी प्रतिदिन रखनी चाहिये कि कार्यस्थल पर नदी का गेज किस दिन कटाव की स्थिति में होगा तथा आगे पानी का गेज बढ़ने की स्थिति कब होगी। यदि किसी स्थान पर नदी में कटान की प्रवृत्ति देखी जाये तो इसको दूर करने का उपाय सोच लिए जायें और इसे उच्चधिकारियों को सूचित किया जाये और उनसे निवेदन किया जाय कि कार्यस्थल का निरीक्षण कर लें ताकि बचाव कार्य काफी पूर्व प्रारम्भ किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि सम्बन्धित कार्य स्थल पर एक कटान रजिस्टर बनाये जाये जिस पर प्रति दिन की कटान की माप अंकित की जाये और इसकी सूचना उच्चाधिकारियों एवं जिला प्रशासन को दी जायें। यदि कटान की गति तीव्र पाई जाये तो

उसके बचाव हेतु उपाय शीघ्र कर लिये जाये। कटाव निरोधक कार्य कई बातों पर निर्भर करते है। उदाहरण के तौर पर नदी का स्लोप नदी में बह रहे पानी का वेग तथा बहाव सीधा है या मोड़ पर है नदी बढ़ाव पर है या उतार पर है आधारित होता है। गण्डक एवं घाघरा दो नदियों में कटाव निरोधक कार्य को पत्थर से कराये जाने पर सफलता होती है। अन्य गुर्रा, राप्ती, रोहिन में पत्थर डालने की आवश्यकता नहीं है। इन नदियों में कटान को रोकने हेतु झांवा, बल्ली, क्रेट, बांस आदि प्रयोग में लाया जा सकता है।

बाढ़काल में यदि नदी बांध की ओर बढ़ रही हो तो छोटे–छोटे बल्ली के स्टैंड बनाकर उसमें झाखड़ आदि भरकर नदी के बांध के ''टी'' से 5–10 मीटर दूर रोकना श्रेयस्कर है क्योकि बांध के स्लोप कटने की दशा में कटान निरोधक कार्य कारगर नहीं होगें। 3 मीटर से कम गहराई होने पर बल्ली एवं बांस द्वारा बनाये गये क्रेट से छोटी–छोटी लम्बाई (लगभग 5 से 10 मीटर) में शार्ट क्रेट स्टैंड बना दिया जाय तथा इनको लम्बाई के तीन गुनी पर इन्हें बनाया जाय। इनके लांच होने पर रिकूपमेन्ट का कार्य वर्षाकाल में लगातार किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि ये आउट–फ्लैंक न हो। तीन मीटर से ज्यादा गहराई होने से ज्यादा गहराई होने की दशा में बांध को पीछे हटाते रहना ज्यादा कारगर होता है। ''टो'' के पास एक मीटर गहराई रहने पर ट्रो स्पर एवं बाम्बू क्रेट से भी कटान रोकी जा सकी है। इन सभी कार्यों को करने हेतु इमरजेन्सी माप पुस्तिका का प्रयोग तथा इस कार्यालय के पत्रांक 4067/दिनांक 17.5.2000 द्वारा जारी बाढ़ आदेश संख्या–1 द्वारा जारी किये गये निर्देशों की पूर्ण रुप से पालन करते हुए करायें जायें।

4. प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता अपने खण्ड में यह प्रबन्ध करेंगे कि उन्हें प्रत्येक बांध पर बाढ़ की स्थिति प्रतिदिन सायंकाल तक प्राप्त हो जाये। अधिशासी अभियन्ता यह प्रबन्ध करेगें कि संलग्न प्रपत्र में सूचना उन्हें प्रत्येक बांध की प्रतिदिन मिलती रहें।

5. अधिशासी अभियन्ता द्वारा पाक्षिक बाढ़ रिपोर्ट जो कि उच्चाधिकारियों को भेजी जायेगी उसमें निम्न बातों का समावेश किया जायेगा–
   (अ) अधिशासी अभियन्ता के कार्यक्षेत्र में चल रहे समस्त इमरजेन्सी कार्य के समस्त विवरण तथा बांध सुरक्षित रहने अथवा न रहने की सूचना।
   (ब) नदी के उतार चढ़ाव व गेज डिस्चार्ज तथा रेनफाल का समस्त विवरण।
   (स) अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा पक्ष में खर्च किये गये इमरजेन्सी कार्यो की लागत।
   (द) माह के अन्त में किन–किन अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं ने मासिक लेखा खण्डीय कार्यालय में जमा नहीं किया, उनके नाम तथा उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव।
   (य) कार्य दिशा/अनुबन्ध एवं माप पुस्तिका को बन्द करने का प्रमाण पत्र।

6. प्रत्येक माह में अधिशासी अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका कार्य दिशा एवं अनुबंध रजिस्टर बन्द करके सूचना मासिक रिपोर्ट के साथ अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता (गंण्डक) को भेजी जाये।

<u>संलग्नक</u> : उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता (गण्डक)
से.वि.उ.प्र., गोरखपुर।

प्रतिदिन बाँध के बारे में राष्ट्र की सूचना प्राप्त करने हेतु निम्न प्रपत्र में सूचना मांगी जानी चाहिए

1. बाँध का नाम/लम्बाई/नदी का नाम/तट।
2. बाँध पर पानी की बर्षा हुई या नहीं।
3. बाँध पर जीप जा सकती है या नहीं।
4. रेगुलेटर के गेट बन्द है या खुले है।
5. रेगुलेटर के गेट पर पानी का स्तर नदी की तरफ तथा जल स्तर नाले की तरफ का क्या है।
6. नदी का जल स्तर अधिक होने पर पानी बाँध के टो को छू रहा है, या बांध के टो के पास पानी की गहराई क्या है।
7. क्या बांध पर किसी स्थन पर सीपेज/रिसाव हो रहा है, यदि रिसाव हो रहा है तो पानी की मात्रा कम है या ज्यादा।
8. रिसाव की स्थिति में पानी में मिट्टी कण है या साफ पानी है।
9. समय के साथ रिसाव में पानी की मात्रा बढ़ रही है या घट रही है।
10. बांध के पास नदी की धारा के बहाव होने की दशा में क्या किनारा कट रहा है। बांध का टो कट रहा है, अथवा बांध का सेक्शन कट रहा है।

नावों एवं मोटर बोट की व्यवस्था

वर्ष 1998 में बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य हेतु 1756 नावों को लगाया गया था। जिसमें 1191 नाव स्थानीय व्यवस्था करके लगाई गयी थी तथा 565 नावें प्रदेश के विभिन्न जनपदों–कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कुशीनगर, बांदा, गाजियाबाद, कौशाम्बी, मथुरा, भदोही, गाजीपुर, मऊ, मिर्जापुर तथा हरिद्वार से मंगाई गई थी। वर्ष 2007 में 598 स्थानीय नावों की मदद से बचाव कार्य कराया गया था एवं आवश्यकता पड़ने पर 25 नावें वाराणसी से मंगानी पड़ी थी जबकि वर्ष 2008 में 686 स्थानीय नावें लगाई गई थीं। वर्ष 2007 एवं 2008 के अनुभवों के आधार पर नावों का सत्यापन कराया गया जिससे जनपद में तहसीलवार नावों की वास्तविक उपलब्धता ज्ञात रहे। जनपद में वर्ष 2012 के लिये कुल 611 नावें उपलब्ध है जिसमें 203 नावें छोटी, 305 नावें मझोली तथा 103 नावें बड़ी है। तहसीलवार उपलब्ध नावों की उपलब्धता की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	तहसील का नाम	छोटी	मझोली	बड़ी	योग
1	सदर	04	127	13	144
2	कैम्पियरगंज	158	31	21	210
3	चौरीचौरा	4	6	24	34
4	गोला	28	51	13	92
5	सहजनवां	05	32	05	42
6	बांसगांव	01	09	25	35
7	खजनी	03	49	02	54
	योग	**203**	**305**	**103**	**611**

वर्ष 2008 में बाढ़ के समय स्थानीय विभिन्न प्रकार की नावों का किराया तथा नाविकों की मजदूरी का भुगतान निम्न दरों से किया गया था।

नाव का प्रकार	किराया प्रतिदिन	नाविकों की संख्या	देय मजदूरी	योग
छोटी नाव	रू. 69.00	2	100.00	269.00
मझोली नाव	रू. 92.00	3	100.00	392.00
बड़ी नाव	रू. 115.00	4	100.00	515.00

वर्ष 2007 में विभिन्न जनपदों के नाव किराए एवं नाविकों की मजदूरी एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को ध्यान में रखकर जनपद स्तर पर कमेटी गठित कर नाव किराए एवं मजदूरी में वृद्वि की गई थी।

वर्ष 2013 के लिए भी वर्ष 2008 की दरें ही प्रभावी रहेंगीं। वर्ष 2013 की दरें निम्नवत रहेंगी–

नाव का प्रकार	किराया प्रतिदिन	नाविकों की संख्या	देयमजदूरी	योग
छोटी नाव	रू. 69.00	2	100.00	269.00
मझोली नाव	रू. 92.00	3	100.00	392.00
बड़ी नाव	रू. 115.00	4	100.00	515.00

समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार नावों के अधिग्रहण के समय सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार नावों की किस्म एवं संख्या को राहत एवं बचाव कार्य में लगाया जाए एवं आवश्यकतानुसार एक क्षेत्र की नावें दूसरे क्षेत्र/तहसील में लगाई जा सकती हैं। नावों पर यात्रा करने वाले यात्रियों/सामान को नाव की क्षमता के अनुसार ही रखा जाना सम्बंधित नाविक के साथ–साथ उक्त क्षेत्र के लेखपाल की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु समस्त नाविकों को पूर्व में लिखित रूप में निर्देशित कर दिया जाए।

खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था

जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत जिला आपदा न्यूनीकरण योजना निर्माण, गोरखपुर
आपदा के पूर्व/आपदा के दौरान/आपदा के पश्चात् की कार्ययोजना
(जिला पूर्ति विभाग)

आपदा के पूर्व की तैयारियाँ

1. जिला आपूर्ति अधिकारी जिला स्तर पर खाद्य आपूर्ति के प्रभारी होंगे और उनकी अनुपस्थिति में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

2. विभाग के समस्त गोदाम अतिवृष्टि/बाढ़ आदि आपदाओं से सुरक्षित हैं। विभाग द्वारा मानसून से पूर्व 31 मई, 2013 तक गोदामों की वर्तमान स्थिति की जाँच सम्बन्धित कार्यक्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक द्वारा पूर्ण करा लिया जायेगा।

3. विभाग के प्रत्येक विकास खण्ड में स्थापित गोदामों में पर्याप्त (10,000 से 25,000 कुन्तल तक) खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध है। आपातकाल की स्थिति में इन्हीं गोदामों से निकटवर्ती आपदा प्रभावित ग्रामों में खाद्यान्न आपूर्ति की जायेगी।

4. विभाग स्तर पर आपदा के दौरान एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना, जिसका मो0नं0–9415379220 है, की जायेगी। कन्ट्रोल रूम में 24 घण्टे अनवरत् कर्मचारियों की ड्यूटी सिफ्टवार लगायी जायेगी।

5. जिला, तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर 30 जून 2013 तक पालीथीन, माचिस, मोमबत्ती, गुड़, लाई, चना आदि जन उपयोगी वस्तुएं थोक व्यापारियों को चिन्हित कर, उनसे वार्ता कर एवं उन्हें प्रेरित कर पर्याप्त मात्रा में आरक्षित कर लिया जायेगा।

6. जनपद में स्थित सभी गैस एजेन्सियों को निर्देशित किया गया है कि वे कुकिंग गैस की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनाये रखें। यदि कुकिंग गैस की उपलब्धता में कोई कठिनाई आती है तो तत्काल उसकी जानकारी जिला प्रशासन को दें।

7. जनपद के 19 विकास खण्डों में से विकास खण्ड–जंगल कौड़िया को छोड़कर शेष सभी 18 विकास खण्डों में हाट शाखा केन्द्र का गोदाम स्थापित है, जहां पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान की उपलब्धता है एवं आपदा के समय बाढ़ पीड़ितों में वितरण हेतु उपजिलाधिकारी/तहसीलदार की माँग के अनुसार आवश्यकतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8. जनपद में 13 थोक मिट्टी तेल विक्रेता कार्यरत हैं, जिनके यहां प्रचुर मात्रा में मिट्टी तेल की उपलब्धता बनायी रखी जाती है एवं सम्भावित बाढ़ के समय बाढ़ पीड़ितों में वितरण हेतु उपजिलाधिकारी/तहसीलदार की मांग के अनुसार आवश्यकतानुसार मिट्टी तेल उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9. सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत आरक्षित वस्तुएँ :–

चावल	–	15000 कुन्तल
मिट्टी तेल	–	300 के0एल0
डीजल	–	प्रत्येक पेट्रोल/डीजल पम्प पर 1000 लीटर
पेट्रोल	–	प्रत्येक पेट्रोल/डीजल पम्प पर 500 लीटर
		(कुल पम्प–107)

आपदा के दौरान

10. आपदा के दौरान यदि जनपद के प्रमुख मार्गों से सम्पर्क टूट जाता है, ऐसी दशा में अन्य जनपदों से सम्पर्क स्थापित कर खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।

11. आपदा के दौरान मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में खाद्यान्न आपूर्ति करने में समस्या उत्पन्न होती है। इस हेतु वैकल्पिक यातायात संसाधन जैसे–नाव, मोटरबोट आदि जिला/तहसील स्तर पर राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर उपलब्ध कराये गये संसाधनों से खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।

12. विभाग स्तर पर आर0टी0ओ0 एवं राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर वैकल्पिक मार्गों का चिन्हिकरण कर 30 जून, 2013 तक योजना पूर्ण कर ली जायेगी।

आपदा के पश्चात्

13. विभाग द्वारा बाढ़ आदि आपदाओं के दौरान किये गये राहत कार्यों का पूर्ण विवरण जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. विभाग स्तर पर आपदा के पश्चात् एक बैठक आयोजित कर आपदा के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा तथा कार्यों में आयी कठिनाईयों का दस्तावेजीकरण कर आगामी वर्ष की योजनाओं में समाहित किया जायेगा।

हाट शाखा गोदामों की तहसीलवार सूची

क्र.सं.	तहसील का नाम	हाट भाखा केन्द्र का नाम			
1.	बांसगांव	गगहा	कौड़ीराम	बांसगांव	
2.	गोला	बड़हलगंज			
3.	सहजनवां	सहजनवां	पाली	पिपरौली	
4.	सदर	चरगांवां	खोराबार	पिपराईच	भटहट
5.	कैम्पियरगंज	कैम्पियरगंज			
6.	सरदारनगर	सरदारनगर	ब्रह्मपुर		
7.	खजनी	खजनी	बेलघाट	उरूवा	

जिला पूर्ति अधिकारी,
गोरखपुर

जनपद गोरखपुर में कार्यरत थोक मिट्टी तेल विक्रेताओं की सूची

क्र.सं.	नाम थोक विक्रेता एवं पता	टेलीफोन नम्बर
1	मेसर्स दीवानचन्द एण्ड सन्स, जंगल सिकरी	2270592
2	मेसर्स तुलस्यान आटो, जंगल सिकरी	2270418
3	मेसर्स हीरा लाल कृषण प्रसाद, जंगल सिकरी	2270566
4	मेसर्स पूरी प्रदर्श, कुसुम्ही	2482269
5	मेसर्स ईस्टर्न यू.पी. ट्रेडर्स, कुसम्ही	2486947
6	मेसर्स अग्रवाल आयल कं., शाहपुर	—
7	मेसर्स यदुनाथ दास एण्ड ब्रदर्स, नकहा	—
8	मेसर्स सिंघल ट्रेडर्स, कम्पियरगंज	—
9	मेसर्स जालान इण्टरप्राइजेज, कोलिया	2322405
10	मेसर्स आर.के.बी.के. लि., बरहुआ	—
11	मेसर्स तीरथराम गुप्ता, गीडा	2580018
12	मेसर्स वैष्णव आयल एजेन्सी, खजनी	251025
13	मेसर्स हरेन्द्र प्रसाद दुबे, उरूवा	233537
14	मेसर्स रामनाथ आयल कम्पनी, बांसगांव	—
15	मेसर्स दीवानचन्द्र एण्ड सन्स, कसिहार	244040
16	मेसर्स राज ट्रेडर्स, गोला	231238
17	मेसर्स रमेश प्रसाद, बड़हलगंज	280055
18	मेसर्स अभय आयल कम्पनी, चौरीचौरा	2526316

हाट शाखा के गोदामों की तहसीलवार सूची

क्र.सं.	तहसील का नाम	हाटशाखा केन्द्र का नाम
1	बाँसगाँव	1. गगहा 2. कौड़ीराम 3. बांसगांव
2.	गोला	1. गोला 2. बड़हलगंज
3.	सहजनवां	1. सहजनवां 2. पिपरौली 3. पाली
4.	सदर	1. चरगावां 2. खोराबार 3. पिपराईच 4. जंगल कौड़िया 5. भटहट
5.	कैम्पियरगंज	1. कैम्पियरगंज
6.	चौरीचौरा	1. सरदारनगर 2. ब्रहमपुर
7.	खजनी	1. खजनी 2. बेलघाट 3. उरुवां

गैस एजेन्सियों का नाम/सूची

क्र.सं.	नाम गैस एजेन्सी	मालिक का नाम	टेलीफोन नम्बर
1	मे. गोरखपुर ट्रेडिंग कम्पनी	श्री डी.के. माटा	2333739
2	मे. गोल्डेन गैस सर्विस, टाऊनहाल	श्री विशाल तुली	2315138
3	मे. तरंग गैस सर्विस, तरंग सिनेमा	श्री अष्टभुजी दास	2338500
4	मे. सूरजकुण्ड गैस सर्विस	श्री हरिहर प्रसाद सिंह	2256232
5	मे. महिन्द्रा गैस सर्विस, मोहद्दीपुर	श्री महेन्द्र सिंह	2200823
6	मे. अशोक गैस सर्विस, मोहद्दीपुर	श्री अशोक सिंह	2200005
7	मे. हिमांशु गैस सर्विस, राप्तीनगर	श्रीमती निर्मला देवी	2311391
8	मे. गंगा गैस सर्विस, टाउनहाल	श्री प्रहलाद	2332611
9	मे. देवकी गैस सर्विस, भालोटिया मार्केट	श्री विष्णु शरण पाण्डेय	2336127
10	मे. शुक्ला गैस एजेन्सी, बेतियाहाता	श्री मनीष शुक्ला	2202723
11	मे. प्रज्ञा गैस सर्विस, सहजनवां	श्री रामजियावन मौर्य	—
12	मे. कालिन्दी गैस सर्विस	श्री राकेश पहलवान	2339826
	जनपद में उचित मूल्य विक्रेताओं की संख्या ग्रामीण क्षेत्र — 1627 शहरी क्षेत्र — 338 योग — 1965		

डीजल/पेट्रोल पम्पों की सचूी

क्र.सं.	नाम डीजल/पेट्रोल पम्प	पम्पमालिक का नाम	टेलीफोन नम्बर
1	मे. इण्डिया ट्रेडिंग कं., गोलघर	श्री महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	2335209
2	मे. गनेशदास रामगोपाल, काली मंदिर	श्री विष्णुशंकर शोरेवाल	2335468
3	मे. प्रिमियम पेट्रोलियम, गोलघर	श्री सिद्धनाथ पूरी व अन्य	2333164
4	मे. खेतान आटोमोबाइल्स, मोहद्दीपुर	श्री उमाशंकर खेतान	2200442
5	मे. गोरखपुर आटो सर्विस	श्री विजय कुमार अग्रवाल व अन्य	2201557
6	मे. सर्वीसेल, धर्मशाला बाजार	श्री ओम प्रकाश जालान	2334422
7	मे. तीरथराम गुप्ता, धर्मशाला बाजार	श्रीमती सोना देवी व अन्य	2333536
8	मे. मिराण्डा आटो सर्विस, रीड्स धर्म.	श्री अमर सिंह व सुरेश सिंह	2333744
9	मे. गोविन्द राम एण्ड सन्स, बशारतपुर	श्री देवदास व अन्य	2310437
10	मे. चन्द्रा आटो सर्विस, लच्छीपुर	श्री चन्द्रकिशोर	2256635
11	मे. माडर्न फिलिंग स्टेशन, नौसढ़	श्री परमात्मा पाण्डेय	2320628
12	मे. कृष्णा फिलिंग स्टेशन, नौसढ़	श्री ईश्वरचन्द्र गुप्ता	2320121
13	मे. अग्रवाल आटोमोबाइल्स, नौसढ़	श्री ओम प्रकाश रूंगटा	2320569
14	मे. जगदम्बा आटो, नौसढ़	श्री चन्द्र प्रकाश खेतान	—
15	मे. कमला मोटर्स, नौसढ़	श्री कमला प्रसाद	2321415
16	मे. जे.के. आटो, मोगलहा	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	2316597
17	मे. गौरव आटो, नौसढ़	श्री युधिष्ठिर दुबे	2321359
18	मे. ओम आटो मोबाइल्स, कोलिया	श्री जालान	2334546 2333545
19	मे. प्रेम आटो सर्विस, बरगदवां	श्री प्रेमनारायन सिंह	2269024
20	मे. शक्ति आयल ट्रेडर्स, महेवा	श्री कृष्णकुमार तुलस्यान	2336769
21	मे. केसरवानी ट्रेडर्स, जं. सिकरी	श्री सुनील कुमार केसरवानी व अन्य	—
22	मे. गंगा आटो, ट्रान्सपोर्टनगर	श्रीमती उर्मिला राय	—
23	मे. श्रीराम फिलिंग स्टेशन, परसिया	श्रीमती अनिता मेढ़तिया	—
24	मे. बी.के. फिलिंग स्टेशन, चरगांवा	श्रीमती माला श्रीवास्तव	—
25	मे. शान्ति फिलिंग स्टेशन, जं. रामगढ़	श्री संजय कुमार सिंह	—
26	मे. अवध आटोमोबाइल, बांसगांव	श्री इन्द्र पाल सिंह	230023

स्वास्थ्य विभाग : जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा,रैपिड रिस्पॉन्स टीम

जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत जिला आपदा न्यूनीकरण योजना निर्माण, गोरखपुर आपदा के पूर्व/आपदा के दौरान/आपदा के पश्चात् की कार्ययोजना (स्वास्थ्य विभाग)

आपदा के पूर्व

1. प्रशासन द्वारा चिन्हित समस्त बाढ़ चौकियों/राहत शिविरों/राहत केन्द्रों पर कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है।
2. 15 जून, 2013 तक समस्त पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 पर जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की आपदा सम्बन्धित तैयारियों हेतु बैठक पूर्ण कर ली गयी है। मानसून प्रारम्भ होते ही पुनः एक बैठक का आयोजन कर सभी सम्बन्धित के उत्तरदायित्व के निर्धारण एवं निवर्हन पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
3. 15 जून, 2013 तक बाढ़ की अवधि में वितरित किये जाने वाले ओ0आर0एस0 पैकेट, क्लोरीन गोली, ब्लीचिंग पावडर की उपलब्धता बाढ़ चौकियों पर सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
4. जनसमुदाय में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के माध्यम से विभिन्न आपदाओं के दौरान बिमारियों से बचाव हेतु क्या करें? क्या न करें? विषय पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही क्लोरीन गोलियों के इस्तेमाल एवं हैण्ड पम्पों को ब्लीचिंग पाउडर द्वारा विसंक्रमण किये जाने हेतु कार्य कराया जा रहा है।
5. बाढ़ के दौरान गम्भीर रोगियों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराने हेतु वैकल्पिक संसाधन नाव आदि के चिन्हिकरण के लिए सम्बन्धित पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 को निर्देशित कर दिया गया है।
6. राहत शिविरों पर तैनात किये जाने वाले चिकित्सीय दलों के सदस्यों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गयी है।
7. आपदा के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता मुहैया कराये जाने हेतु प्रशिक्षित कर्मियों, प्रशिक्षण सुविधाओं एवं संचार प्रणालियों से युक्त सचल चिकित्सा दल का गठन कर लिया गया है।
8. सम्भावित क्षेत्रों में फैलने वाले संक्रामक रोगों के रोकथाम हेतु समस्त चिकित्सीय केन्द्रों को निर्देशित कर दिया गया है।
9. आपातकाल के दौरान चिकित्सीय केन्द्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय जनरेटर के सुदृढ़ीकरण तथा स्थानीय स्तर पर जनरेटर सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को चिन्हित कर लिया गया है।

10. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निजी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों से आपातकाल के दौरान सहयोग प्राप्त करने हेतु चिन्हित एवं सूचीबद्ध कर लिया गया है।
11. समस्त चिकित्सीय केन्द्रों पर दवाओं के भण्डारण को उचित एवं सुरक्षित स्थानों पर किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
12. पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 के सम्पर्क मार्गों को मानसून से पूर्व ठीक कराने हेतु सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
13. राज्य सरकार द्वारा संचालित कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु समस्त जिला/तहसील/ब्लाक/ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
14. सब सेन्टर, न्यू पी0एच0सी0, पी0एच0सी0/सी0एच0सी0, जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज, टी0बी0 क्लीनिक, मेडिकल केयर यूनिट, स्कूल डिस्पेन्सरी, महिला अस्पताल, संक्रामक रोग चिकित्सालय, ड्रग वेयर हाऊस, रीजनल डायग्नोस्टिक सेन्टर (उ0प्र0 में आर0डी0सी0 केवल लखनऊ और गोरखपुर में स्थापित है)। प्रत्येक पी0एच0सी0 में कोल्ड चेन मेन्टेन किया जाता है, साथ ही जनरेटर इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है।
15. एन0आर0एच0एम0 के तहत तैयार की जाने वाली पी0आई0पी0 के अन्तर्गत स्थानीय आपदाओं (बाढ़, भूकम्प एवं भौगोलिक स्थिति) को दृष्टिगत रखते हुए कार्यदायी संस्था के माध्यम से शासनादेश सं0–199/1–11–2013–रा0–11 दिनांक 13 मार्च, 2013 के अनुसार (बेहतर पुर्ननिर्माण के सिद्धान्त पर) योजना तैयार कर शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
16. ग्राम स्तर पर तैनात ''आशा'' के पास ''आपदा राहत किट'' माह जून तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।
17. समस्त चिकित्सकीय केन्द्रों के पास वर्षाकाल में जल–जमाव की स्थिति को न्यून करने के लिए नालियों के साफ–सफाई कार्य हेतु ग्राम पंचायत/नगर निकाय के साथ समन्वय स्थापित किये जाने के लिए सम्बन्धित चिकित्सकीय केन्द्र प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है।

आपदा के दौरान

1. सामान्य उपचार (साधारण बुखार, उल्टी व दस्त) की दवाओं का वितरण बाढ़ चौकियों के माध्यम से किया जायेगा।
2. बाढ़ राहत शिविरों पर चिकित्सीय दलों की सहायता से परीक्षण कराते हुए स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जायेगी।
3. गम्भीर रोगियों को राजस्व विभाग के सहयोग से नाव आदि उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से चिकित्सालय पहुंचाने का कार्य किया जायेगा।
4. शुद्ध पेयजल की उपलब्धता बनाये रखने हेतु क्लोरीन गोली एवं ब्लीचिंग पावडर का वितरण मांग के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा।
5. उल्टी व दस्त होने पर शरीर में पानी की कमी (पुनर्जलीयकरण) के रोकथाम हेतु जीवन रक्षक घोल (ओ0आर0एस0 पैकेट) का वितरण का कार्य कराया जायेगा।
6. बाढ़ की अवधि में मार्ग अवरूद्ध हो जाने पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राजस्व विभाग का सहयोग लिया जायेगा।

7. आपातकाल के दौरान जनपद स्तर पर गठित ''रैपिड रिस्पॉन्स टीम'' को संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

आपदा के पश्चात्

1. आपदा के पश्चात् विभागीय तकनिकी कर्मचारियों/कार्यदायी संस्था के माध्यम से क्षतिग्रस्त हुए विभागीय परिसम्पत्तियों का आंकलन कर पुर्नस्थापन हेतु शासनादेश सं0–199/1–11–2013–रा0–11 दिनांक 13 मार्च, 2013 के अनुसार (बेहतर पुर्ननिर्माण के सिद्धान्त पर) जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण कार्यालय को 15, अक्टूबर 2013 तक प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जायेगा।
2. जनसमुदाय को बाढ़ के पश्चात् होने वाली बिमारियों से बचाव हेतु क्या करें, क्या न करें की स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हुए जागरूक करना तथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में क्लोरीन गोली का घर–घर जाकर वितरण कराना तथा कूपों व हैण्डपम्पों का ब्लीचिंग पावडर द्वारा प्रतिदिन विसंक्रमण कार्य कराया जायेगा।
3. उल्टी व दस्त होने पर शरीर में पानी की कमी (पुनर्जलीकरण) को रोकने हेतु जीवन रक्षक घोल (ओ0आर0एस0 पैकेट) का वितरण किया जायेगा।
4. ग्रामों में साफ–सफाई व्यवस्था की कार्यवाही ग्राम पंचायत के सहयोग से कराया जायेगा।
5. महामारी को रोकने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही किया जायेगा।
6. मैलाथियान डस्ट व चूने का भुरकाव तथा फॉगिंग ग्राम पंचायत के सहयोग से कराया जायेगा।
7. बीमा व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराते हुए उपचार उपलब्ध कराया जायेगा।
8. सड़े–गले, कटे व खुले तथा दूषित खाद्य पदार्थों का विनिष्टिकरण सम्बन्धित विभाग के द्वारा कराया जायेगा।
9. बाढ़ प्रभावित ग्रामों में ग्रामवार कार्ययोजना बनाकर चिकित्सकीय दलों को भेजकर बिमारी का सर्वे कराते हुए आवश्यक निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही कराया जायेगा।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

1. सभावित बाढ के दृष्टिगत जनपद में स्थापित समस्त बाढ चौकियों पर कर्मचारियों की तैनाती कर दी गयी है एवं बाढ चौकियों पर प्रचुर मात्रा में दवायें रखने के निर्देश दिये गये है।
2. बाढ राहत शिविर/बाढ राहत केन्द्रों पर चिकित्साधिकारी/पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी गयी है, जो बाढ आने पर तुरन्त क्रियाशील हो जायेगी।
3. बाढ के दौरान चिकित्सा राहत पहुॅचाने के उद्देश्य से चिकित्सकीय दलो का गठन किया गया है, जो बाढ पीडित ग्रामों में जाकर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायेगें।
4. औषधियों को बाढ प्रभावित क्षेत्रों में वितरण कराने हेतु पैकेट तैयार करने के निर्देश दिये गये है।
5. जनपद के समस्त सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर उससे

सम्बद्ध एक सचल/उडन दस्ता का गठन कर लिया गया है, जो बाढ/संक्रामक रोगों की दशा में 24 घण्टे कार्यशील रहते हुए बिमारियों के प्रसार पर नियंत्रण करेगा।

6. जनपद के समस्त सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में सामान्य उपचार से सम्बन्धित दवायें, जीवन रक्षक दवायें, क्लोरीन गोली व ओ0आर0एस0 पैकेट प्राप्त करा दिया गया है एवं ब्लीचिंग पाउडर मण्डल मुख्यालय से प्राप्त होते ही प्राप्त कराया जायेगा।
7. जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों को ओ0आर0एस0 पाउडर व क्लोरीन गोली प्राप्त कराया जा रहा है तथा ब्लीचिंग पाउडर उपलब्धता के आधार पर प्राप्त कराने के निर्देश दिये गये है।
8. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टीम गठित कर पेयजल स्त्रोतों का नियमित ओ0टी0 जांच कराया जा रहा है ।
9. नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग, जलकल विभाग व नगर निगम विभाग का एक संयुक्त टीम गठित कर नगरीय क्षेत्र में आपूर्ति किये जा रहे पेयजल का ओ0टी0 जांच कराया जा रहा है एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है। ऋणात्मक ओ0टी0 जांच परिणाम वाले स्थान से पेयजल नमूना एकत्रित कर उसका जीवाणु परीक्षण कराया जा रहा है एवं प्राप्त परिणामों से समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जा रहा है।
10. जनपद के समस्त ओ0आर0एस0 वाले चिन्हित घरों पर ओ0आर0एस0 पैकेट की उपलब्धता के निर्देश दिये गये हैं।
11. समस्त सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों पर एण्टी स्नेक बेनम उपलब्ध करा दिया गया है।
12. जनपद के समस्त पेयजल स्त्रोतों के विसंक्रमण का कार्य चल रहा है एवं संभावित बाढ आने के पहले ही तीन चक्र पूर्ण कर लिया जायेगा तथा बाढ के समय सुपर क्लोरीनेशन चक्र का कार्य कराया जायेगा।
13. जनपद के 16 सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र बाढ से प्रभावित होते है तथा 2 प्रा0स्वा0केन्द्र सरदारनगर व भटहट तथा एक सामु0स्वा0केन्द्र पिपराईच बाढ से प्रभावित नही होते है।
14. बाढ आने की दशा में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश न स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये है।
15. बाढ समाप्ति के पश्चात प्रभावित क्षेत्रों में जल स्त्रोतों का नियमित रूप से विसंक्रमण का कार्य किया जाना एवं सफाई व्यवस्था सुदृढ करने के निर्देश निर्गत किया गया है तथा उन परिस्थितियों के आने पर कड़ी नजर रखी जायेगी जिससे संक्रामक रोगों का प्रसार न हो सकें।
16. बाढ चौकी/बाढ राहत शिविर/बाढ राहत केन्द्रों पर तैनात कर्मचारियों/अधिकारियो के साथ ही नियंत्रण कक्ष एवं सचल पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना शीघ्र ही समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर दी जायेगी।
17. जनपद स्तर पर संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर में स्थापित किया गया है, जिसके प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ0 विवेक स्वरूप एवं नोडल अधिकारी डा0 ए0के0 सिन्हा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रशासन) गोरखपुर हैं। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 2336622/2205145 है। बाढ/संक्रामक रोगों प्रसार होने पर नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्यरत रहता है एवं रोकथाम हेतु एक रैपिड रिस्पांस टीम भी गठित है, जिसमें चिकित्साधिकारी/पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गयी है एवं इससे वाहन संख्या यू पी 53 एजी–0009 को संक्रामक रोग नियंत्रण कार्य हेतु सम्बद्ध किया गया है।

बाढ़ राहत एवं बचाव को अत्यधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने के लिए जनपद स्तर पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है।

जनपद स्तर पर गठित रैपिड रिस्पॉन्स टीम का विवरण

जनपद मुख्यालय स्तर पर	डॉ0 एम0पी0 सिंह मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर। मोबाईल संख्या– 9415166714	
नोडल अधिकारी	डॉ0 अशोक कुमार सिन्हा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (वीबीडी) गोरखपुर मोबाईल संख्या– 9415854823	
जनपद मुख्यालय पर सचल दल	डॉ0 विवेक स्वरूप, चि0अ0 संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष मोबाईल संख्या– 9415822726 श्री के0के0 श्रीवास्तव, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक मोबाईल संख्या– 9415692657 श्री शकील अहमद, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक मोबाईल संख्या– 9838519795 श्री अमित कुमार, स्वास्थ्य कार्यकर्ता मोबाईल संख्या– 9452973887 श्री विनोद राय, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक मोबाईल संख्या–8127896993	जनपद के किसी भी भाग में संक्रामक रोगों के प्रसार होने पर तत्काल सचल दल की टीम को साथ लेकर त्वरित चिकित्सकीय उपचार देते हुए निरोधात्मक कार्यवाही टीम के सदस्यों के साथ करना उसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी को देते हुए जनपद से समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कराते हुए उसकी सूचना से समस्त उच्च अधिकारियों को प्रेषित कराना। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष में सदैव जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता बनाये रखना साथ ही व्लीचिंग पाऊडर, ओ0आर0एस0 पैकेट, क्लोरिन गोली को भी सदैव उपलब्ध रखना।

पशु चिकित्सा

जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत जिला आपदा न्यूनीकरण योजना निर्माण, गोरखपुर
आपदा के पूर्व/आपदा के दौरान/आपदा के पश्चात् की कार्ययोजना
(मुख्य पशु चिकित्साधिकारी)

1. पशु सेवा केन्द्र – 01 स्टाफ, पशु चिकित्सालय– 01 डाक्टर, 01 फार्मासिस्ट, 02 चतुर्थ श्रेणी। इसमें पशु सेवा केन्द्र किराये के भवन में संचालित होते हैं जबकि पशु चिकित्सालय अपने खुद के भवन में संचालित होती हैं। इन भवनों में इलेक्ट्रिसिटी की समस्या प्रायः पायी जाती है, जिसके कारण पशुओं के ईलाज में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
2. आपदा के समय में पशु पालकों को चारा वितरित करने की व्यवस्था है किन्तु 1–5 किग्रा0 तक यदि इससे अधिक मात्रा में चारे की आवश्यकता हो तो पशुपालक पैसे देकर चारा क्रय कर सकता है। आपदा के समय में चारा स्टोर करने की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे चारा काफी मात्रा में नुकसान हो जाता है।
3. भवन निर्माण की गुणवत्ता (बाढ़ एवं भूकम्परोधी) सुनिश्चित की जाने हेतु कमेटी का गठन कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।
4. विभाग स्तर से भवन निर्माण सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को बाढ़ एवं भूकम्परोधी तकनीक शासनादेश सं0–199/1–11–2013–रा0–11 दिनांक 13 मार्च, 2013 के अनुसार (बेहतर पुर्ननिर्माण के सिद्धान्त पर) के आधार पर निर्माण किये जाने हेतु पत्रालेख निर्माण से पूर्व भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. दैवीय आपदा के कारण विभाग की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्स्थापन हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के माध्यम से उपरोक्त शासनादेश के अनुसार एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत मांग प्रेषित की जायेगी।
6. दैवीय आपदा के तत्काल बाद कार्यदायी संस्था के माध्यम से क्षतिग्रस्त हुए विभागीय सार्वजनिक सम्पत्तियों का क्षति आंकलन अक्टूबर माह के अन्त तक अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा।
7. दैवीय आपदा के दौरान पशुओं हेतु राहत शिविर का संचालन एस0डी0आर0एफ0 गाईड लाईन के अनुसार किया जाना सुनिश्चित होगा।
8. दैवीय आपदा के दौरान सहयोग हेतु स्थानीय स्तर पर तैनात किये जाने वाले स्वयंसेवकों (पशुमित्र/अन्य संगठन) के लिए प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि सुनिश्चित किया जाये साथ ही इनका पशु रक्षा विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाये।
9. मानसून से पूर्व पशु बीमा हेतु केन्द्र/राज्य/स्थानीय स्तर पर संचालित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 120 अति संवेदनशील ग्राम पंचायतों की आपदा न्यूनीकरण योजना निर्माण प्रक्रिया के दौरान जनसमुदाय को जागरूक किया जायेगा।
10. मानसून से पूर्व जिला/तहसील स्तर पर चारा भण्डारण हेतु स्थल का चयन राजस्व/पूर्ति विभाग के सहयोग से किया जायेगा।

11. अप्रैल माह के मध्य से जलाशयों में पानी न होने के कारण पशुओं के समक्ष पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है, जिस हेतु पेयजल आपूर्ति से सम्बन्धित विभाग (नलकूप/नहर/सिंचाई) एवं जिला/राजस्व विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

बाढ़ कार्य योजना वर्ष 2013-14 पशुपालन विभाग जनपद, गोरखपुर

जनपद में अच्छे नस्ल की कीमती एवं दुधारू पशुओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा पशुपालन को व्यवसाय के रूप में लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है। असमय वर्षा, अत्यधिक शीतलहर, जलजमाव, अत्यधिक गर्मी, बाढ़ एवं दैवीय आपदाओं के समय पशुओं के सुरक्षा की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जायेगा–

1. संक्रामक रोगों से बचाव हेतु आवश्यक टीकाकरण।
2. दैवीय आपदा के समय आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना।
3. प्राण रक्षा हेतु भूसे/चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
4. पशु बीमा योजना को प्रभावी रूप में लागू किया जाना।
5. सम्बन्धित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जलाशयों में पशुओं के पेयजल हेतु जल उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
6. मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली सम्भावित बिमारियों के विशय में जानकारी एकत्रित कर प्रभावी निराकरण की कार्यवाही करना।

उपरोक्त कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन हेतु बाढ़ की स्थिति में वर्श 2013–14 की कार्य योजना निम्न प्रकार है–

बाढ़ के पूर्व की तैयारी

1. पूर्व अनुभव के आधार पर बाढ़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण तथा उसके अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों का चिन्हिकरण करने हेतु जनपद के पशु चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।
2. बाढ़ के समय फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के रोकथाम हेतु आवश्यक वैक्सीन की मांग निदेशक पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ से की गई है।
3. जनपद में मुख्य रूप से बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में भी पशु रोग नियंत्रण हेतु रोस्टर के अनुसार टीकाकरण कार्य कराया जायेगा।
4. सम्भावित बाढ़ प्रभावित ग्रामों में मानसून से पूर्व सुरक्षात्मक टीकाकरण करने हेतु जनपद के समस्त पशु चिकित्साधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा रोस्टर के अनुसार टीकाकरण का कार्य कराया जायेगा।
5. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे बड़े किसानों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनमें बाढ़ के समय भूसा क्रय कर प्रभावित पशुपालकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. पूर्व अनुभव के आधार पर विभाग द्वारा 71 बाढ़ चौकी/राहत शिविरों तथा 89 बाढ़ राहत चौकियों को स्थापित करने का लक्ष्य बनाकर वहां विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की

ड्यूटी लगायी जा रही है।

7. विभागीय पशु चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में रोस्टर बनाकर तथा पूरे क्षेत्र में सघन भ्रमण करके टीकाकरण का कार्य शत–प्रतिशत बाढ़ से पूर्व करने की व्यवस्था की जा रही है।
8. दवाओं के आपूर्ति हेतु एक निश्चित मापदण्ड बनाकर सभी पशु चिकित्सालयों पर आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी, जिससे बाढ़ के समय चिकित्सा राहत कार्य में असुविधा न हो सके।
9. दवाओं के वितरण हेतु पशु चिकित्साधिकारीगण अपने समस्त अधीनस्थ स्टाफ के साथ कार्यों का निरीक्षण करेंगे, जिससे बाढ़ के समय मौके पर ही उपचार की व्यवस्था सफलतापूर्वक हो सके।
10. बाढ़ के समय बजट के अतिरिक्त दैवीय आपदा के बजट के लिए जिलाधिकारी महोदय एवं निदेशक पशुपालन विभाग उ0प्र0, लखनऊ से सम्पर्क करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
11. जनपद स्तर पर दैवीय आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना पशु चिकित्सालय सदर, गोरखपुर पर की गयी है, जिसके प्रभारी डा0 जी0पी0 सिंह पशु चिकित्साधिकारी सदर बनाये गये हैं, जिनका मोबाईल नं0–9415922406 है।
12. मानसून से पूर्व पशु बीमा हेतु केन्द्र/राज्य/स्थानीय स्तर पर संचालित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 120 अति संवेदनशील ग्राम पंचायतों की आपदा न्यूनीकरण योजना निर्माण प्रक्रिया के दौरान जनसमुदाय को जागरूक किया जायेगा।
13. दैवीय आपदा के दौरान सहयोग हेतु स्थानीय स्तर पर तैनात किये जाने वाले स्वयंसेवकों (पशुमित्र/अन्य संगठन) के लिए प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि सुनिश्चित किये जाने हेतु तथा पशु रक्षा विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाने के लिए शासन स्तर पर माँग प्रेषित की जायेगी।
14. विभागीय भवन की गुणवत्ता (बाढ़ एवं भूकम्परोधी) सुनिश्चित किये जाने हेतु कमेटी का गठन कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
15. विभाग स्तर से भवन निर्माण सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को बाढ़ एवं भूकम्परोधी तकनिक शासनादेश सं0–199/1–11–2013–रा0–11 दिनांक 13 मार्च, 2013 के अनुसार (बेहतर पुर्ननिर्माण के सिद्धान्त पर) के आधार पर निर्माण किये जाने हेतु पत्रालेख निर्माण से पूर्व भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. असंतुलित भोजन/जलाशयों में अपर्याप्त जल अथवा प्रदूषित जल के कारण बांझपन की बढ़ती घटनाओं के न्यूनीकरण हेतु विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जायेगा।
17. ब्लाक तथा जिला स्तर पर आपातकालीन समय के लिए पशु चिकित्सकों की सूची सम्पर्क नम्बर सहित तैयार कर समुदाय तक उपलब्ध कराया जायेगा।
18. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वाहनों को सूचीबद्ध किया जायेगा।

बाढ़ के दौरान

1. बाढ़ राहत शिविर तथा बाढ़ चौकियों पर सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मौके पर जाकर उपचार एवं टीकाकरण कार्य किया जायेगा।
2. बाढ़ के समय प्रभावित पशुओं को बाढ़ से निकाल कर सुरक्षित स्थानों/कैम्पों पर रखने की व्यवस्था की जायेगी तथा पशुओं में टीकाकरण एवं चिकित्सा कार्य किया जायेगा।
3. बाढ़ राहत शिविर के प्रभारी पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा बाढ़ के समय भ्रमण करके सम्बद्ध स्टाफ के कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा तथा पशुओं के उपचार की व्यवस्था की जायेगी।
4. बाढ़ राहत शिविरों तथा विस्थापित पशुओं के कैम्पों पर विशेष चिकित्सा तथा निरोधात्मक चिकित्सा शिविर लगाने की व्यवस्था जिलाधिकारी महोदय के अनुमति से निःशुल्क की जायेगी।
5. विस्थापित पशुओं के लिए चारा/दाना की व्यवस्था आपदा राहत कोष से जिलाधिकारी महोदय के अनुमति से क्रय कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सम्बन्धित तहसील के माध्यम से वितरण की व्यवस्था की जायेगी।
6. तहसील स्तर पर मोबाइल पशु चिकित्सा शिविर स्थापित किये जायेंगे।
7. बाढ़ के समय विभाग द्वारा पशु सुरक्षा हेतु कृत कार्यवाही की दैनिक सूचना जिला आपदा अधिकारी तथा निदेशक/उप निदेशक ग्रेड–।। महोदय पशुपालन विभाग की सेवा में वाँछित प्रारूप पर प्रेषित की जायेगी।
8. दैवीय आपदा के दौरान पशुओं हेतु राहत शिविर का संचालन एस0डी0आर0एफ0 गाईड लाईन के अनुसार किया जायेगा।

बाढ़ के पश्चात्

1. बाढ़ के पश्चात् जगह–जगह पर जल भराव के चलते पशुओं में पेट के कृमि रोग फैलने की सम्भावना अधिक रहती है, जिसके निस्तारण के लिए प्रभावित क्षेत्र में पशु चिकित्सा शिविर लगाकर कृमि नाशक दवाओं का सामूहिक दवापान कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार रोगों से बचाव हेतु आवश्यक टीकाकरण भी किया जायेगा।
2. दैवीय आपदा के कारण विभाग की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुर्नस्थापन हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के माध्यम से उपरोक्त शासनादेश के अनुसार एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत मांग प्रेषित की जायेगी।
3. दैवीय आपदा के तत्काल बाद कार्यदायी संस्था के माध्यम से क्षतिग्रस्त हुए विभागीय सार्वजनिक सम्पत्तियों का क्षति आंकलन अक्टूबर माह के अन्त तक अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
गोरखपुर

पुलिस विभाग एवं पी0ए0सी0

वर्ष 1998 की भीषणतम बाढ़ के समय थानाध्यक्षों, पुलिस कर्मियों तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य किया गया था। बांधों की सुरक्षा हेतु पेट्रोलिंग, रैट होल, रिसाव/सीपेज आदि होने पर बालू, खाली बोरियां, बजरी आदि तथा नावें उपलब्ध कराने व उनको बाढ़ क्षेत्रों में लगवाने व वायरलेस द्वारा संचार व्यवस्था कायम करने, राहत वितरण तथा विभिन्न अवसरों पर शांति व्यवस्था कायम की गई।

इस वर्ष की संभावित बाढ़ से निपटने हेतु पुलिस द्वारा योजना तैयार कर ली गई है। जिला नियंत्रण कक्ष व नगर नियंत्रण कक्ष तथा जनपद के समस्त थानों को निर्देश दिये गये है कि बाढ़ संबंधी सूचनाओं का प्रेषण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। मौसम अथवा बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान उपलब्ध कराये जाने पर उसको प्राथमिकता के आधार पर थानों को भेजा जाय जिसे थाना, ब्लाक एवं तहसील स्टाफ द्वारा शीघ्रातिशीघ्र जनता को अवगत कराया जायेगा।

पुलिस द्वारा माँग के अनुसार स्टेटिक तथा मोबाइल वायरलेस सेट उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उनकी रेगुलर मानीटरिंग कर चालू हालत में रखा जायेगा। बांधों की पेट्रोलिंग के लिये सिंचाई विभाग को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा। बाढ़ के दौरान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में चोरी, लूट तथा संभावित गुण्डा गर्दी रोकने के लिये जनपद में विशेष कर नगर क्षेत्रों में पैदल व नावों से पुलिस कर्मियों द्वारा सघन गश्त किया जायेगा। संवेदनशील स्थलों को क्षेत्रवार विभाजित करके उनमें गश्त पार्टियाँ भेजी जायेगी।

अनियंत्रित जल भराव की दशा में नदी तटबन्धों के टूटने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है तथा कटान से काफी बड़े क्षेत्र के जलमग्न व तबाह हो जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तटबन्धों में हो रहे रिसाव आदि को देख कर क्षेत्रीय जनता उसके भराव की उम्मीद में जिज्ञासा वश तटबन्ध व आस पास के क्षेत्रों में इकट्ठा हो जाती है। जिससे सिंचाई विभाग के अभियन्ता एवं स्टाफ को कार्य करने में दिक्कत होती है। कभी–कभी सामग्री की समय से उपलब्धता न होने तथा कार्य के विलंब से प्रारम्भ होने की दशा में आम जन आक्रोशित भी हो जाते है, ऐसी स्थितियों में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये थानों के पुलिस बल तथा आवश्यकता पड़ने पर पी.ए.सी. को लगाया जायेगा।

बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने हेतु चलाये जाने वाले राहत केन्द्रों, राहत शिविरों व बाढ़ चौकियों पर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था हेतु पुलिस कर्मी व होमगार्ड तैनात किये जायेंगे। बाढ़ राहत एवं बचाव में लगे राजस्व विभाग, नगर निगम, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग आदि के अधिकारियों के कार्यों में स्थानीय जनता द्वारा व्यवधान व अव्यवस्था उत्पन्न करने की संभावना के दृष्टिगत सुरक्षा व शांति व्यवस्था हेतु समुचित पुलिस प्रबंध किये जायेंगे। इसके अलावा बाढ़ बचाव के लिये प्राप्त होने वाली नावों को सुरक्षित सम्बंधित ग्राम तक पहुंचाने का भी कार्य किया जायेगा। बाढ़ की दशा में संभावित आपात/आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिये आवश्यकतानुसार समुचित पुलिस व्यवस्था की जायेगी।

विशेष निर्देश

बाढ़ विभीषिका पर नियंत्रण पाने के लिए जनपद के समस्त राजपत्रित /अराजपत्रित अधिकारियों की गोष्ठी कर निर्देशित किया गया है कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए पूर्व से ही तटबंधों का निरीक्षण करते रहें एवं स्थानीय लोंगों से सम्पर्क बनाए रखें। संवेदनशील स्थलों एवं कटान स्थलों की निगरानी के साथ–साथ बाढ़ चौकियों पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा एवं संचार व्यवस्था को सुचारू करने के लिए वायरलेस सेट स्थापित किए जांएगे। अतिरिक्त बलों की आवश्यकता पड़ने पर पी0ए0सी0 का सहयोग लिया जाएगा एवं स्थानीय संसाधनों का प्रयोग भी किया जाएगा। नावों द्वारा सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराए जाने हेतु समस्त नाव मालिकों/मल्लाहों को पूर्व में निर्देशित कर दिया जाएगा। थाना प्रभारी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का नियमित दौरा करेंगे एवं ग्रामवासियों की मदद से समस्याओं का निदान करेंगे।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष

पुलिस विभाग द्वारा स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष नगर एवं देहात क्षेत्र की सूचनाओं को प्राप्त कर उन्हें अंकित करेगा एवं सम्बंधित विभागों/अधिकारियों को प्रेषित करेगा। प्रेषित की गई सूचनाओं का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आदिशत कराकर लिखित सूचना भी प्रेषित की जाएगी। बाढ़ नियंत्रण कक्ष–पुलिस प्राप्त सूचना को सम्बंधित विभागीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष एवं आपदा कन्ट्रोल रूम, कलेक्ट्रेट, गोरखपुर को भी दूरभाष के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराएगा एवं इसी प्रकार विभिन्न कन्ट्रोल रूम से प्राप्त सूचना को सम्बंधित थानाध्यक्ष/पुलिस चौकी प्रभारी को प्रेषित करेगा। राउण्ड द क्लाक कार्यरत नियंत्रण कक्ष में हर समय अद्यतन बाढ़ की स्थिति रिकार्ड की जाएगी एवं पूर्वानुमान/चेतावनी की सूचनाओं को तत्काल प्रभावित क्षेत्र में प्रेषित किया जाएगा। बाढ़ बचाव एवं राहत सम्बंधी उपकरणों एवं बचाव दलों की जानकारी एवं लोकेशन नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध रहेगी एवं आवश्यकता पड़नें पर तत्काल उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचने हेतु नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

पी०ए०सी०

बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य में पी.ए.सी. का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वर्ष 1998 की बाढ़ में 1 कम्पनी 2 प्लाटून पी.ए.सी. बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य हेतु लगाई गई थी जिसने लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

26 बटालियन पी.ए.सी. गोरखपुर में एक कम्पनी बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य हेतु प्रशिक्षित है। बाढ़ के दौरान इसका कार्य क्षेत्र गोरखपुर व बस्ती मंडल है, जो कि वाहिनी के नजदीकी जलाशय/नदी के किनारे कैम्प स्थापित कर किया जाएगा। यहॉ उपलब्ध संसाधन मोटरबोटों की मरम्मत का कार्य प्रचलित है, जिसे समय से पूर्ण कर लिया जाएगा। यह भी प्रस्तावित किया जा रहा है कि मानसून सत्र (15 जून से 15 अक्टूबर) में इनकी तैनाती गोरखपुर अथवा आस–पास के ही जनपदों में ही किया जाय जिससे आवश्यकता पड़ने पर इनकी उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित हो सके।

पी०ए०सी० वाहिनी ई-दल में बाढ़ राहत उपकरणों की अध्यावयिक स्थिति

क्र.सं.	नाम उपकरण	नियतन	उपलब्ध	रिक्ति
1	एल्यूमिनियम मोटर बोट 25 एचपी	4	4	–
2	रबराइज्ड इन्फलेटेबुल मोटर बोट 25 एचपी	8	8	–
3	फाइवर ग्लास मोटर बोट 40 एचपी	3	2	1
4	लाइफ वाय	45	29	16
5	लाइफ जैकेट	90	52	38
6	नायलान रस्सा (किलो)	75	40	35
7	नेट फिसिंग	3	3	–
8	लालटेन सोलर	38	38	–
9	टार्च फोरहेड	46	45	1
10	जरीकेन	100	65	35
11	सर्च लाइट	19	15	4
12	बैट्री 12 बोल्ट	19	18	1
13	ड्रेगन लाईट	3	7	–
14	लंगर	16	6	10
15	कैमरा	6	4	2
16	इन्सप्लेटिव लाईट	3	3	–
17	इलेक्ट्रानिक लाईट	7	7	–
18	स्वीमिंग किट	123	123	–
19	रिच सेट	16	16	–
20	इन्चर्टर मय चार्जर	1	1	–
21	जनरेटर डीजल सेट मुख्यालय शाखा	1	–	1
22	डिल मशीन	1	1	–
23	टिन कटर	1	1	–
24	लोहा वर्मा	1	1	–
25	पाईप	36	36	–
26	त्रिपाल	5	3	2
27	झण्डा	16	–	16
28	आरी	3	3	–
29	दाव	11	9	2
30	फावड़ा	8	5	3
31	गैती	7	7	–
32	कुल्हाणी	9	7	2
33	पतवार	6	6	–

(जयराम)
दलनायक
मो०नं० 9415848046

सेना

बाढ़ की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाने पर जब कि जिले में उपलब्ध संसाधनों से बाढ़ राहत कार्य संभव न हो तब सेना को आमंत्रित करना चाहिये। आयुक्त गोरखपुर मंडल, गोरखपुर से सेना के कालम कराने हेतु अनुरोध किया जायेगा।

गोरखपुर सेन्ट्रल कमान के बाढ़ कालम गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो के कमान्डेन्ट के नियंत्रण में कार्य करने हेतु उपलब्ध होते है। बाढ़ राहत एवं बचाव हेतु गोरखपुर को उपलब्ध आर्मी कालम कमान्डेन्ट जी.आर.डी. के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। सेना द्वारा अभी से गत बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण (टेकी) कराया जा रहा है। सेना/वायु सेना द्वारा जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के डिटेल्ड मैप की मांग की जाती है जिसके लिये अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड, गोरखपुर एवं अधिशासी अभियंता प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित कर दिया गया है।

सेना के कालम के लिये प्रशासन द्वारा निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी –

1. लाइजन ऑफिसर– संबंधित उप जिलाधिकारी स्वयं सेना के कालम के इंचार्ज मेजर अथवा कैप्टन के साथ लाइजनिंग करेंगे तथा एक नायब तहसीलदार अथवा उपयुक्त अधिकारी को भी संबद्ध करेंगे।
2. मानचित्र – सेना के कालम को जिस क्षेत्र में तैनात किया जाना है, का मानचित्र भी संबंधित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा तथा उन्हें यह भी अवगत कराना होगा कि किस क्षेत्र विशेष में उन्हें राहत एवं बचाव कार्य करना है।
3. गाइड – क्षेत्र विशेष जिसमें सेना के कालम को लगाया जा रहा है, उससे जानकारी रखने वाले उपयुक्त राजस्व अधिकारी/कर्मचारी को उनके साथ बतौर गाइड लगाया जाना होगा।
4. आवासीय व्यवस्था – सेना के कालम के लिये बचाव एवं राहत स्थल के नजदीक ही उपयुक्त आवासीय व्यवस्था करनी होगी जहां बिजली, पानी, शौचालय हो। समस्त तहसीलों में दो–दो डिग्री/इंटर अथवा उपयुक्त स्थलों का चयन अभी से कर लिया गया है जहॉ पेयजल, शौचालय एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सम्बंधित उपजिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी।
5. टेलीफोन – सेना के कालम के ठहरने के स्थान पर एक एस.टी.डी. युक्त टेलीफोन की व्यवस्था करानी होगी।
6. ट्रांसपोर्ट एवं पी.ओ.एल. – सेना के कालम के लिये एक जीप, दो ट्रक व एक बस तथा उसके लिये डीजल/पेट्रोल की भी व्यवस्था कराई जायेगी। इसके साथ ही साथ सेना की मोटर बोट के लिये पेट्रोल की मांग किये जाने पर उसकी आपूर्ति करनी होगी।
7. भोजन व्यवस्था – सेना के कालम के साथ मेस की व्यवस्था रहती है परन्तु विषम परिस्थिति में राशन की मांग करने पर राजस्व विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

उपर्युक्त समस्त व्यवस्थाएं संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराई जानी है।

वायु सेना

एयर फोर्स स्टेशन गोरखपुर जो कि सेन्ट्रल एयर कमाण्ड के अन्तर्गत आता है के द्वारा बाढ़ के समय आवश्यकता पड़ने पर बचाव एवं राहत कार्य किया जायेगा। वायु सेना के जनपद में बचाव राहत कार्य हेतु आवश्यकता होने पर आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से अनुरोध किया जायेगा। एयर फोर्स गोरखपुर की 105 हेलीकाप्टर यूनिट जो कि 'डेयरिंग ईगल्स' के नाम से मशहूर है, के एमआई–8 हेलीकाप्टर्स द्वारा बाढ़ राहत कार्य किया जायेगा। इस मानसून सत्र के लिये यूनिट के समस्त हेलीकाप्टर बाढ़ के समय राहत कार्य हेतु पूर्ण रूपेण सजग एवं तैयार है। मानसून के दौरान हेलीकाप्टर्स द्वारा जनपद में स्थित बांधों का सर्वेक्षण नियमित रूप से किया जायेगा तथा कही पर ब्रीच होने की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दी जायेगी। विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर सर्च करके बचाव (एयर लिफ्टिंग करके) कार्य भी किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर जनपद मुख्यालय से अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान को राहत सामग्री नाव, सेना के कालम, पी.ए.सी. की टुकड़िया पहुंचाने का भी कार्य किया जायेगा। खाद्यान पैकेटे, भोजन पैकेट व पानी के पैकेट्स की एयर ड्रापिंग आवश्यकतानुसार की जायेगी। एयर फोर्स गोरखपुर में (फ्लड सेल) की स्थापना की गयी है। एयर फोर्स बेस गोरखपुर में स्थित मौसम विभाग द्वारा मौसम संबंधी अथवा मौसम संबंधी पूर्वानुमान की जानकारी भी दी जायेगी।

वर्ष 1998 की बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में

एयर आफीसर कमांडिंग एवं वायु सेना के अधिकारी के साथ मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों की हुई बैठक में वायु सेना के द्वारा किये जाने वाले बचाव राहत कार्य के लिये निम्न बिन्दुओं की ओर विशेष ध्यानाकर्षण किया गया था –

1 डिटेल्ड व अप टू डेट मानचित्रों की दो प्रतियों जिसमें गांव, सड़कों, नदियों, नहरों, नालों एवं बांधों आदि को साफ दर्शाया गया हो, अभी से उपलब्ध करा दी जाये। अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड उक्त को मानचित्रों की दो प्रतियां 20 जून तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

2 जनपद में नदियों पर स्थित प्रमुख बांधों को मानचित्र में प्रदर्शित करने के साथ मौके पर भी चिन्हित कर दिया जाय जिससे हेलीकाप्टर्स सही स्थान की पहचान कर सके। अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड एवं अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड को उपरोक्तानुसार कार्यवाही 25 जून तक करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

3 समस्त ग्रामों को नम्बर आवंटित करके ग्राम में स्थित सबसे ऊंचे मकान की छत पर पेन्ट द्वारा उस नम्बर को लिखवा दिया जायें जिससे एयर ड्राप सही स्थान पर होने के साथ–2 यह भी सुनिश्चित हो सके कि दुबारा उसी गांव में ड्रापिंग नहीं की जा रही है। इससे यह भी जानकारी हो सकेगी कि जनपद की किस तहसील के किस ग्राम में एयर ड्रापिंग की गई है तथा इसके साथ ही साथ यह निर्देश दिये जाने में सुविधा होगी कि अमुक तहसील के अमुक नम्बर के गांव में एयर ड्रापिंग करनी है।

वर्ष 1998 की बाढ़ से प्रभावित 1594 ग्रामों में तहसील वाइज कोड व नम्बर आवंटित करके गांवों में स्थित ऊंचे मकान की छत पर नम्बर पेन्ट कराने के निर्देश सभी उप जिलाधिकारियों को दे दिये गये है। यह नम्बर सफेद पेन्ट से अंकित कराये जायेंगे जिनकी लम्बाई 3 फिट अंको व शब्दों की मोटाई 6 इंच होगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय अंको व अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जायेगा। तहसील वाइज कोड व संख्या निम्नानुसार है–

क्र.सं.	तहसील का नाम	कोड	संख्या
1	सदर	S	1 से 303
2	कैम्पियरगंज	C	1 से 130
3	सहजनवां	SA	1 से 317
4	चौरी चौरा	CH	1 से 87
5	खजनी	K	1 से 297
6	बाँसगाँव	B	1 से 275
7	गोला	G	1 से 185

यह अंकन – S-1 से S-303 अथवा S/1-S/303 के रूप में किया जायेगा। इसे 25 जून तक पूर्ण कर इसकी एक प्रति वायुसेना को उपलब्ध कराई जायेगी।

1. हेलीकाप्टर्स द्वारा एयर ड्राप किये जाने वाले भोजन/खाद्यान्न/पानी की प्रापर पैकिंग होनी चाहिये तथा भोजन पैकेट में ऐसी सामग्री रखी जाय जो कि जल्दी खराब न हो तथा बाढ़ पीड़ित कुछ दिनों के लिये उसका उपयोग कर सकें। सभी पैकेट एक ही वजन के बनवाये जायें, चार किलो के पैकेट अधिक उपयुक्त होंगे। इन पैकेटों में बाढ़ के समय उपयोगी वस्तु–खाद्यान्न के साथ मोमबत्ती, माचिस, दो मीटर प्लास्टिक/पालीथीन के टुकड़े तथा आधा से एक लीटर तक पानी रखा जाये। पैकिंग इस प्रकार की होनी चायिये जिससे 20 से 30 मी. की ऊँचाई से भी ड्राप करने पर पैकेट न फटे तथा वाटर प्रूफ हों। लोगों को अवगत कराया जाय कि एयर ड्रापिंग के समय लोड (पैकेट) के नीचे न आयें।

कलेक्ट्रेट में स्थित बहुखंडी भवन में आवश्यकता पड़ने पर एयर ड्रापिंग सेल की स्थापना उप संचालक चकबंदी/बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की देखरेख में की जायेगी। एयर ड्रापिंग के लिये 4 किलो के वजन के पैकेट तैयार किये जायेंगे। कपड़े के पैकेट तैयार कराने का कार्य जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से तथा परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा डूडा सिलाई कढ़ाई से संबंधित समूहों के माध्यम से सिलाई मशीन से कराया जायेगा। पैकिंग का कार्य चकबन्दी स्टाफ, सिविल डिफेन्स तथा पी.टी.एस. के रिक्रूटों द्वारा राउण्ड–दी क्लाक रोस्टर बनाकर किया जायेगा। फूड पैकेट में चना/भूना चना, चूड़ा, गुड़ सत्तू, नमक, मोमबत्ती, माचिस, पालीथीन शीट 2 मी., पानी के पैकेट को रखा जायेगा। फूड पैकेट में तत्समय रखे जाने वाली सामग्री व उनके वजन का निर्धारण जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त व राजस्व) द्वारा किया जायेगा। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को पहले अलग पालीथीन पैकेट में रखा जायेगा, उसके बाद सभी पैकेट एक बड़े पालीथीन पैकेट में रखकर उसको अच्छी तरह से बांधा जायेगा तथा अंत में उसे कपड़े के पूर्व निर्मित सिले सिलाये पैकेट में रख कर कसकर बांधा जायेगा।

'एयर ड्रापिंग सेल' द्वारा प्रतिदिन तैयार किये पैकेटों को एयर फोर्स स्टेशन पहुंचाने तथा उनको एयर ड्रापिंग कराने का दायित्व उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा का होगा जो कि सिविल डिफेंस के चीफ वार्डे, डिप्टी चीफ वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन तथा वार्डेन्स का सहयोग लेंगे। 'एयर ड्रापिंग सेल' के साथ चार ट्रक तथा दो जीपें संबंद्ध की जायेंगी। इस सेल को आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व जिला पूर्ति अधिकारी व उप संभागीय विपणन अधिकारी का होगा। हेलीकाप्टर से भोजन पैकेट गिराते समय उसके नीचे न आयें अन्यथा पैकेट ऊपर गिरने से नुकसान हो सकता है, का प्रचार–प्रसार स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से कराया जायेगा।

'एयर फोर्स के फ्लड सेल' में पुलिस वायरलेस सेट भी लगाया जायेगा। एयर फोर्स से लाइजनिंग हेतु अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को नामित किया गया है। यदि बाढ़ के दौरान अन्य जनपदों से प्लेन द्वारा नावों को मंगाने की आवश्यकता पड़ती है तथा शासन द्वारा प्रदेश के अन्य जनपदों से राहत सामग्री भेजी जाती है तो उसे उतरवाने तथा ट्रकों में लोड कराकर निर्दिष्ट स्थानों पर भेजने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरदायी होंगे जो कि राउण्ड–दी–क्लाक अपने विभाग के 6–6 कर्मचारी तैनात करेंगे। उनके साथ मार्केटिंग विभाग से एक वरिष्ठ हाट निरीक्षक को सम्बद्ध किया जायेगा जो कि प्रत्येक शिफ्ट के लिये 20–20 लेबर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

क्र. सं.	तहसील	स्थल	लांगीट्यूड	लैटीट्यूड
1	गोला	(1) गंगोत्री देवी स्टेडियम, बड़हलगंज	83° 30′ 20″ E	26° 17′ 19″ N
		(2) बी0एस0बी0 इण्टर कालेज, गोला	83° 21′ 19″ E	26° 21′ 16″ N
2	खजनी	(1) कस्बा खजनी में कम्बल फैक्ट्री के बगल में	83° 15′ 02″ E	26° 39′ 27″ N
		(2) इण्टर कालेज का मैदान, महादेवा बाजार	83° 13′ 37″ E	26° 33′ 13″ N
3	बांसगांव	(1) पं0 जवाहर लाल नेहरू इ0का0 का मैदान, बांसगांव	83° 20′ 42″ E	26° 33′ 27″ N
		(2) सर्वोदय इण्टर कालेज का मैदान, कौड़ीराम	83° 24′ 51″ E	26° 32′ 06″ N
4	कैम्पियरगंज	(1) दीनानाथ जूनियर हाईस्कूल, मरहठा	83° 07′ 54″ E	27° 05′ 19″ N
		(2) परमादेवी इण्टर कालेज, मछलीगांव	83° 23′ 16″ E	27° 04′ 52″ N
		(3) नवोदय विद्यालय जंगल अगही, पीपीगंज	83° 18′ 57″ E	26° 55′ 53″ N
		(4) बापू इण्टर कालेज, पीपीगंज	83° 17′ 47″ E	26° 55′ 45″ N
		(5) वीर शिवाजी इण्टर कालेज, सरहरी	83° 20′ 54″ E	26° 55′ 23″ N
5	सहजनवां	मुरारी लाल इण्टर कालेज, सहजनवां	83° 12′ 54″ E	26° 49′ 08″ N
6	चौरीचौरा	बरही इण्टर कालेज, बरही	83° 29′ 13″ E	26° 36′ 02″ N
7	खजनी	बेलघाट ब्लाक के बगल में	83° 09′ 17″ E	26° 26′ 04″ N

कृषि

जनपद–गोरखपुर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल–3483.8 वर्ग किमी. है। कृषि योग्य भूमि 2,64,828 हेक्टर है, जिसका 76.5 प्रतिशत भाग सिंचित क्षेत्रफल है। खरीफ में जनपद की मुख्य फसल धान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,52,655 हेक्टर है। जनपद के भौगोलिक स्थिति के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 19,075 हेक्टर तथा जलमग्न 35,000 हेक्टर एवं उसर भूमि 2,580 हेक्टर, शेष क्षेत्र उपरहार एवं मध्य भूमि तथा निचल क्षेत्र वर्गीकृत है, जो क्रमशः 24,539 एवं 2,40,249 हेक्टर है। वर्ष 2010–2012 में बाढ़ से होने वाली क्षति के प्रतिपूर्ति हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं के अनुसार योजना प्रस्तावित है।

1. मानसूनी वर्षा सामान्य से अधिक होने तथा जलमग्नता की स्थिति

(क) मध्यम जल भराव वाले क्षेत्र

इन क्षेत्रों में सफल खेती हेतु निम्न बातों महत्वपूर्ण हैं :–

1. धान की अगेती रोपाई (मध्य जून से जुलाई प्रथम सप्ताह में) करनी चाहिए।
2. संस्तुत प्रजातियों में जल–लहरी, महसूरी, सामा महसूरी एवं स्वर्णा बीज प्रचुर मात्रा में समय से उपलब्ध कराया जाय।
3. जल भराव से पूर्व पौधों को पोषक तत्व की समुचित मात्रा उपलब्ध करायी जाय ताकि जल भराव के समय उनकी बढ़वार भलीभाँति हो सके।

(ख) गहरे जल भराव वाले क्षेत्र

जल निकास का समुचित प्रबन्धन न होने के कारण खेत में 50 से 100 सेमी. पानी 1 माह से अधिक समय तक लगा रहता है इस परिस्थिति हेतु निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण हैं :–

1. जल भराव की स्थिति आने के पूर्व अर्थात जुलाई के प्रथम सप्ताह तक धान की रोपाई कर देनी चाहिए तथा सीधी बुआई की दशा में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि फलस जल भराव के समय तक 30 से 35 दिन की हो जाय। यह व्यवस्था इस आशय से की जाय ताकि जल भराव के समय फसल पूर्ण रूप से पानी में डूबने न पाये।
2. प्रजातियों के चयन में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इसके लिए मात्र संस्तुत प्रजातियों जैसे– जलप्रिया, चकिया–59 का बीज समय से उपलब्ध कराकर बुवाई/रोपाई सुनिश्चित की जाय।
3. चूँकि खेत में नमी की मात्रा धान की कटाई के बाद भी अधिक रहती है, ऐसी परिस्थिति में रबी की बुआई हेतु सस्य क्रियाओं में विलम्ब होना स्वाभाविक है, ऐसी दशा में जीरो टिल मशीन द्वारा गेहूँ की बुआई समय से सुनिश्चित करायी जाय।
4. धान की कटाइ के बाद मसूर, अलसी की फसल को रबी में उतेरा के रूप में लिया जाय।

(ग) बहुत गहरे जल भराव (100 सेमी० से अधिक) वाले क्षेत्र

इन क्षेत्रों में धान की सीधी बुआई मार्च के अन्तिम सप्ताह से लेकर मध्य अप्रैल तक सुनिश्चित की जाय। जिससे पूर्ण जल भराव स्थिति तक फसल लगभग 60 से 65 दिन की हो जाय। इस अवधि में जल स्तर के साथ–साथ बढ़ने की क्षमता आ जाती है तथा पौधों का ऊपरी भाग हमेशा जल स्तर से ऊपर ही रहता है।

1. संस्तुति प्रजातियों जैसे जलनिधि एवं जलमग्न के बीज की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कराई जाय जिससे बुआई निर्धारित समय–सीमा में जा सके।

2. खेत में जलभराव की स्थिति आने से पूर्व कम अवधि (60 से 70 दिन) वाली फसलें जैसे मक्का (तिपकिया) एवं मूंग को धान के दो पंक्तियों की बीच में उगाकर उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है।
3. संदर्भित देर से पकने वाली प्रजातियों को काटने के बाद या खड़ी फसल में ही मसूर (पी.एल.–406) व असली (श्वेता) की बुआई उतेरा के रूप में की जाय।
4. अधिक जल भराव के कारण महंगे कीट नाशक प्रभावी नहीं है। अतः वातावरण को दूषित होने से बचाने हेतु एकीकृत नाशीबीज प्रबन्धन लाभकारी है।
5. अधिक पानी की उपलब्धता में धान के साथ मछली पालन हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जाय।

(घ) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

जिन क्षेत्रों में बाढ़ की संख्या एवं समय अनिश्चित रहता है। मुख्य रूप से विकास की प्रारम्भिक अवस्था में फसल प्रभावित होती है जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या बहुत कम बचती हैं। इन परिस्थितियों हेतु निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण हैं–

1. धान की बुआई प्रथम वर्षा के तुरन्त बाद सुनिश्चित की जाय तथा यदि सम्भव हो तो पलेवा करके मई के अन्तिम सप्ताह में धान की सीधी बुआई की जाय।
2. बाढ़ प्रतिरोधी प्रजातियों जैसे बाढ़ अवरोधी एवं मधुकर की बीज की समय से उपलब्धता एवं बुआई सुनिश्चित की जाय।
3. फसल नष्ट होने की दशा में अधिक उम्र वाले पौध (नर्सरी) की रोपाई अन्तिम बाढ़ के उतरने के साथ सुनिश्चित की जाय।
4. बहुत कम अवधि वाली धान की प्रजातियों जैसे एन.डी.आर.–97, एन.डी.आर.–118, नरेन्द्र–1 के अंकुरित बीजा को अन्तिम बाढ़ के बाद (अगस्त का अन्तिम सपताह) में बुआई सुनिश्चित करें।
5. अधिक उम्र वाली पौध (नर्सरी) की अनुपलब्धता में खेत में सघन पौधों को निकाल कर उनके कल्लों को अलग कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रोपाई करें, जिससे कि सभी कल्लों में समान रूप से बाली आ सके।
6. धान के बाद बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में रबी मौसम में मसूर, अलसी, जौ, सरसो जैसी फसलों की समय से बुआई करके इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है। इसमें तोरिया जैसी कम अवधि वाली फसलों को वरियता दी जाय।
7. फसल विविधीकरण के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गन्ना एवं चारे के लिए पैरा घास + बरसीम उगाने की संस्तुति की जाय।
8. खेत में पानी के साथ आये हुए सिल्ट एवं कार्बनिक पदार्थ से भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है। अतः भूमि परीक्षण के उपरान्त ही उर्वरकों की संस्तुति की जाय। इसके साथ बाढ़ आदि पौधों की दशा का मूल्यांकन करके यूरिया का 2 प्रतिशत घोल बनाकर तुरन्त छिड़काव किया जाय।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चारे की कमी एवं पशुओं की बीमारी जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चारे एवं औषधियों की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराना आवश्यक है। विगत वर्षों में बाढ़ की विविधता से निजात पाने के लिए किसानों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली विधियों/तकनीकी में उचित परिवर्तन एवं सुधार हेतु शोध कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया जाय।

कृषि रक्षा

जनपद गोरखपुर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3483.8 वर्ग किलोमीटर है। कृषि योग्य भूमि 26482 हेक्टर है जिसका 76.5 प्रतिशत भाग सिंचित है। खरीफ का मुख्य फसल धान है जिसका कुल क्षेत्रफल 152655 हेक्टर है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र 190575 हे. है। वर्ष 1998 में जनपद में भीषण बाढ़ से फसलों का व्यापक क्षति हुई थी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में धान का फसल कम ही बच पाया था लेकिन पानी के हटते ही अवशेष बचे फसलों पर ब्राउन प्लान्ट हापर एवं किन्हीं क्षेत्रों में सैनिक कीट का प्रकोप हुआ था, जिसके बचाव हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं के अनुसार योजना प्रस्तावित है।

1. ब्राउन प्लान्ट हापर एवं सैनिक कीट प्रकोप से बचाव

उपर्युक्त कीटों से बचाव हेतु जनपद में कीटनाशक धूल/गेन्यूल 47792 किलोग्राम कीटनाशक तरल 1122 लीटर रसायन उपलब्ध है तथा उक्त के अतिरिक्त और भी रसायनों की व्यवस्था की जा रही है। तथा खेतों में उक्त कीटों का पता लगते ही व्यापक स्तर पर तत्काल रोकथाम तथा प्रचार प्रसार हेतु किसान सहायक/कृषि प्रसार संगठक/सहायक कृषि निरीक्षक/सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक/ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों को खरीफ गोष्ठियों के माध्यम से प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

2. वै. बलाइट, वे.स्ट्रीक, झुलसा से बचाव हेतु

जनपद में 1504 किलोग्राम कवक नाशक उपलब्ध है और अतिरिक्त रसायनों की व्यवस्था की जा रही है।

3. छिड़काव/भुरकाव हेतु कृषि रक्षा यंत्रों की व्यवस्था

जनपद गोरखपुर में कृषि विभाग के पास 507 अदद, गन्ना 48, उद्यान 10, यू.पी. एग्रो 15 निजी कृषकों के पास 1990 कुल 2510 अदद कृषि रक्षा यंत्र उपलब्ध है इसके अतिरिक्त भी कृषकों को क्रय कर अपने पास रखने हेतु बराबर ही प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा कृषि रक्षा इकाईयों पर उपलब्ध कृषि रक्षा यंत्रों के मरम्मत हेतु कृषि रक्षा मकेनिक की ड्यूटी रोस्टर–वार लगाई जा चुकी है।

नदियों से प्रभावित तहसीलवार ग्रामों की सूची

(एल0एफ0एल0-निम्न/एम0एफ0एल0-मध्यम/एच0एफ0एल0)

राप्ती			आमी		
निम्न	मध्यम	उच्च	निम्न	मध्यम	उच्च
1.धस्की	1.चिउटहा बसावनपुर	1. कनईल	1.भुसवल बु0	1.कुशमौल	1.बेलीपार
2.करपैया	2.रुदाईन उर्फ मझगॉवा	2.कौवाडील	2.जोतगुटकी	2.चन्दौली खुर्द	2.कुचैटा
3.कतरारी	3.सोनाई बु0	3.ढखवा	3.सरसोपार	3.नाउरदेउर	3.भरवल
4.करंजही	4.असवनपार	4.रघुनाथपुर		4.भस्मा	4.कल्यानपुर
5.नवापार	5. पुर मु0	5.ओड़ियानपुर		5.कटया	5.गंगापार
6. अईमा	6. सहुआकोल	6.भेड़ी		6.हरदिया	6.महाडीह
7.भरवलिया	7.बेलकूर	7.गड़ही		7.भुसवल खुर्द	7.ओझौली
8. गरयाकोल	8.रकहट	8.भैसहा खुर्द		8.करहल	8.जयन्तीपुर
	9.रामपुर	9.नरौहा		9.डाड़ीरावत	9.देवड़ारखुर्द
	10.सोहगौरा	10.नेवादा		10.लालपुर	10.आसेखोर
	11.टीकर	11.घेवरपार		11.महुआपार	11.गेरुआ उर्फ परसौना
	12.बॉरीगॉव	12.रियांव		12.कल्यानपुर	
	13.कैथवलिया	13.गजपुर		13.कसिहार	
	14.घिसड़ी	14.कोठा		14. जारी	
		15.रानीपुर			
		16.अहिरौली			

तहसील सहजनवाँ, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची

राप्ती			आमी		
निम्न	मध्यम	उच्च	निम्न	मध्यम	उच्च
1.कोहारभार	1.गोविन्दपुर	1.नेवास	1.भुआशहीद	1.लोनिया	1.इटार
2.भक्सा	2.विड़ार	2.कोटिया	2.क्सरवल	2.महराबारी	2.विशुनपुर
3.मटियारी	3.बनगॉवा	3.पतेड़	3.सुथनी	3.कुसमौल	3.मेहरूकुण्डल
4.कुसम्हाकला	4.मॉट	4.भगवानपुर	4.ळरदी	4.मुहम्मदपुर	4.सिहोरवा
5.खाड़पोतहरा	5.सुरगहना	5.कोठा	5.सिहवरा	5.मंझरियामाफी	5.चिगौना
6.टमसार	6.गाहासाड़ आंशिक	6.धोबही	6.डोमनडाड़	6.भरपही	6.गोविन्दपुर
7.उत्तरी कोलिया		7.हॉसपाटी	7.ग्हिरा	7.इमिलडीहा	7.अकुआपार
8.एकडंगा		8.चुरिहरा	8.अमौली	8.चॉदबारी	8.ओदार
		9.मोहनाग	9.कोड़री कला	9.केशवाखोर	9.ओड़वलिया
		10.तिवरान	10.खीरीडाड़	10.टड़वाकला	10.रानूखोर
		11.डुमरी	11.छजनियां	11.मईला	11.सेमरडाड़ी
		12.पिपरी	12.तेलियाडीह	12.बवन्डरा	12.पल्हुआपार
		13.बड़हाडूहा	13.फरसाडाड़	13.रन्दौली उर्फ मठिया	13.निवरहर
		14.सोनचार	14.कैली	14.भपसा	14.कूवाबार
		15.लखनापार	15.गाड़र	15.कटाईटीकर	15.बलुआ मंझरिया
		16.करमुआ	16.तालनगरी	16.तीतनपार	16.भटवल
		17.नीवी	17.बघौड़ा	17.टड़वामाफी	17.घुरियापार
		18.भिखरा	18.जरलही	18.तिनहरा	18.वनकटिया
		19.गुलउर		19.तेनुअन	19.बंगलाखोर
		20.सोनबरसा		20.कोल्हुई	20.इटार
		21.सेहरी		21.कन्दराई	21.विशुनपुर
		22.जाल्हेपार		22.चपरहट	22.मेहरूकुण्डल
		23.नारंगपट्टी		23.खोरठा	23.सिहोरवा
		24.सिसई		24.अमटौरा	24.चिगौना
		25.बाघनगर गोल्हिया		25.बनौड़ा	25.गोविन्दपुर
		26.मटियरा		26.कटका	26.अकुआपार
		27.चड़रॉव		27.बेलवाडाड़ी	27.ओदार
		28.दखिनवॉ		28.परसाडाड़	28ओड़वलिया
		29.ठाठेबारी		29.महुआडाड़	29.रानूखोर
		30.गोहटा		30.बरवलमाफी	30.सेमरडाड़ी
		31.भीटी			31.पल्हुआपार
		32.मुजौली			32.निवरहर
		33.मधुबनडाड़ी			33.कूवाबार
		34.माड़र			34.बलुआ मंझरिया
		35.उसरी			35.भटवल
		36.तिलौरा			36.घुरियापार
		37.दरिवॉ			37.वनकटिया
		38.टिकरी			38.बंगलाखोर
		39.सिहड़ा			39.बनौली
		40.घघसरा			40.भैसला
		41.ढ़ेलहा			41.सुरदही
		42.कुसम्हाखुर्द			42.कोमा
		43.मंझरिया			43.बडगो
		44.अलगटपुर			44.भिटहा
		45.विसरी			45. ाहपुर
		46.मेहदिया			46.सीहापार
		47.रामडीहतोरनी			47.मुण्डाकोड़रा

		48.टिकरियाखोर			48.अचियापार
		49.भिटनी			49.टड़वाखुर्द
		50.नचनी			50.पिपरही
		51.विजौवा			51.उज्जीखोर
		52.जसुलीपार			52.जोन्हिया
		53.पनिका			53.मकटापार
		54.सजनापार			54.महुआपार
		55.कोड़री			55.पिपरा
		56.कोड़रा			56.तेनुहारी
		57.रिठुआखोर			57.जुड़ियान
		58.जगदीशपुर गाही			58.सहिजना
		59.ठर्रापार			59.डोमहरमाफी
		60.लोहसडा			60.सहबाजगंज
		61.नेउसा			61.रामपुरगरथौली
		62.पुण्डा			62.कुआवलखुर्द
		63.बनोहिया			63.टेकुआपाती
		64.खजुरहीउर्फ जोगिया			64.भरवल
		65.देवापार डुगडुइया			65.गोपालपुर
		66.भरोहिया			66.अड़िलापार
		67.मुस्तफावाद			67.नन्दापार
		68.भेलउर उर्फ डढौली			68.जैतपुर
		69.कोल्हुई			69.चकफत्ता
		70.पटटीधर्मदास			70.ककना
		71.पाली			71.नगवा
		72.बरइपार			72.खानीपुर
		73.बाहिलपार			73.सरया
		74.बेलौरा			74.साथीपार
		75.मोहिददीनपुर			75.भगवानपुर
		76.बरईपारतेतरिया			76.सहजूपार
		77.अकुआपार			77.सीयर
		78.कररिया			78.वरडाड़
		79.मकरहट			79.रामपुरमलौली
		80.बुधना			80.खोरियाभीटी
		81.कोदरी			81.बसन्तपुर
		82.माधोपुर			82.मिश्रौलिया
		83.टिकरिया			83.भरवल
		84.मिनवां			84.बोगा
		85.बिशुनपुर			85.रेहराजोत
		86.डोहरियाखुर्द			
		87.डोहरियाकला			
		88.नरौली			
		89.बिकौरा			
		90.मुड़कटिया			
		91.सेमरा			
		92.तेनुहारी			
		93.दफतरी			
		94.केशोकुरहा			
		95.जूड़ाकोड़री			
		96.भीमापार			
		97.भगौरा			
		98.केशोपुर			

		99.लुचुइ			
		100.बसिया			
		101.पटखोली			
		102.बेलहर			
		103.बोकटा			
		104.चौरी			
		105.झुगिया			
		106.बड़गहन			
		107.वरवारखुर्द			
		108.बरवारबुजुर्ग			
		109.बरहुआ			
		110.कुस्महीं			
		111.नेवास			
		112.रावतपार सरैया			
		113.मुजैला			
		114.माही			

तहसील चौरी-चौरा एवं सदर, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची

तहसील चौरी-चौरा, जनपद राप्ती एवं गोर्रा			तहसील सदर, जनपद गोरखपुर राप्ती एवं रोहिन		
निम्न	मध्यम	उच्च	निम्न	मध्यम	उच्च
1. चितहरी		1.करौता	1.राजपुर	1.सिउरिया	1.चिउटहा(आं0)
2.भरकक्षा		2.मुण्डेरा ठकुराई	2नरहरपुर अतरवलिया	2.सेमरा	2.गायघाट
3.सरार मजगांवा		3.पकउियार	3.रोहुआ(आं0)	3.डोमिनगढ़	3.करहिया
4.सेमरौना		4.पुरनहा	4.चकरा अव्वल(आं0)	4. मंझरिया	4.जं0 कौडिया
5.सिहोडवा		5.टमठा	5.चकरा दोयम	5.घुनघुन .कोठा	5.सोनवे
		6.थुन्ही महोवचक	6.महेवा ए0	6.उतराश्रोत	6.पारकरन्जही
		7.लेडुआपार	7. कठवतिया उर्फ कठउर(आं0)	7.चेरिया	र
		8.दुलहरा	8. सेमरा देवी प्रसाद (आं0)	8.कलानी बु0	
		9.गोपलापुर	9.खिरवनिया	9.फरसही	
		10.बौठा	10.झरवा(आं0)	10भगड़ा पाण्डेय	
		11.अमारी	11.मंझरिया बिस्टौल	11.भिलोरही.	
		12.आवगीर	12.सेन्दुली–बेन्दुली	12.सिंहोरवा	
		13.पकडपुरा	13.अजवनिया (आं0)	13.बहरामपुर दक्षिणी.	
		14.वैरवां	14.लहसड़ी मु0	14.भोसगढ़	
		15.दीवा	15.लहयड़ी ए0	15.बलुईगढ़	
		16.भैरही	16.डोमनडाड़	16चेरिया	
		17.विशुनपुर मटियरा	17.डुहिया(आं0)	17.जोत बडहरा	
		18.पकडडीहा	18.सुग्गाटारी	18धस्की खुर्द	
		19.रानापार	19.हथियापरास(गै0आ0)	19.भगड़ा रानी	
		20.कपरफोरवा	20.डुमरी	20.भगड़ा नं010	
		21.डोमरी	21.नौवा दोयम (गै0आ0)	21.कुई	
		22.भकुरहा	22.मोगलहा(गै0आ0)	22.सेमरा मानिकचक	
		23.कैथवलिया		23.समोड़ी(गैआ0)	
		24.कटसिकरा		24. भूपचक(गै0आ0)	
		25.सिलहटा		25.करमैनी	
		26.गोवडौर		26.करमैनी	
		27.लकडडीहा		27जं0शिव सिंह	

		28.भगने		28.नवापार	
		29.कोना सोनवरसा		29.जं0 नन्दलाल सिंह	
		30.करही		30.रामपुरचक	
		31.चकदहा		31.नुरूद्दीनचक	
		32.मिश्रौलिया		32.संझाई	
		33.जददूपुर		33.जं0 महताब राय(गै0आ0)	
		34.नेवढी		34.जं0लालपुर मुरली (गै0आ0)	
		35.बकसूडी		35.बरगदवां(आ0)	
		36.पकडडीहा		36.जं0बहादुर अली	
		37.रानापार		37.कोल्हुआ	
		38.कपरफोरवा		38.मानीराम	
		39.डोमरी		39.सिक्टौर	
		40.भकुरहा		40.जं0बेनीमाधो नं02	
		41.कैथवलिया			
		42.कटसिकरा			
		43.सिलहटा			
		44.गोवडौर			
		45.लकडडीहा			
		46.भगने			
		47.कोना सोनवरसा			
		48.करही			
		49.चकदह			
		50मिश्रौलिया			
		51.जददूपुर			
		52.नेवढी			
		53.बकसूडी			
		54.तुलसीपाकड			
		55.सुगहां			
		56.गजाईकोल			
		57.रोहा			
		58.डुमरैला			
		59.टोगरी			
		60.खरखूटा			
		61.इटौवा			
		62.जमरू			
		63.महुअरकोल			
		64.सिकारगढ			
		65.वसुही			
		66.सिलहटा मुण्डेरा			
		67.जेंगल रसूलपुर नॅ0–2			
		68.गोरसेरा			
		69.उपधौली			
		70.राजधानी			
		71.सधना			
		72.भरोहिया			
		73.जोगिया			
		74.जैरामकोल			
		75.जेंगल गौरी नॅ0–1			
		76.झंगहा			
		77.जेंगल गौरी नॅ0–2 उर्फ अमहिया			
		78.लक्ष्मीपुर			

फरेन नाला					
निम्न	मध्यम	उच्च			
		1.हरपुर			
		2.दुबौली			
		3.बडहरा			
		4.नरेन्द्रपुर			

तहसील गोला, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची

क्रमांक	राप्ती नदी से			घाघरा नदी से			कुआंनो नदी से		
	ग्राम का नाम (निम्न)	ग्राम का नाम (मध्यम)	ग्राम का नाम (उच्च)	ग्राम का नाम (निम्न)	ग्राम का नाम (मध्यम)	ग्राम का नाम (उच्च)	ग्राम का नाम (निम्न)	ग्राम का नाम (मध्यम)	ग्राम का नाम (उच्च)
1	बैरियाखास	जगदीशुपर	सरया खास	कोलखास	सिधेगौर	छपिया उमराव	सिधवाना	बौरडीह	छितौना गै0आ0
2	खोहियापट्टी	मोहन पौहरिया	गायघाट	ज्ञानकोल	डुमरी	कृतपुरा	दिलावर चक	रूकुनपुर	दुघरा
3	माझा उर्फ सूबेदारनगर	रोहुआ उर्फ मच्छरगांवा	पिड़हनी	जयरामकोल	गोपलाभार	भित्वा	सुकरौली	राउतपार	हरपुर
4	लखनौरा	न्चना	बेसहनी	वरडीहा	खड़ेसरी	मुजौना	मोहनपुर	दर्जीचक गै0आ0	छितुआपार
5	लखनौरी	पिपरडाड़ी	बेलवादाखिली	वगहा	नरहरपुर	खजुरी गोसाई	वगही	रसूलपुर माफी	करवा खटिक
6	विहुआ उर्फ अगलगहवा	मुण्डेरा बेनी प्रसाद मल्ल	मरकड़ी	कोटिया दीपशी	बढ़नपुरा	रामगढ़	हादीचक	चाईपुर माफी	करवा हसन
7	तालभगना	मरवटिया	परसिया तिवारी	कोटिया निरन्जन	सरयाचक	चिल्लूपार	समदपुर	पढ़ौतिया	आसिक रौजा
8	नेतवारपट्टी	मैभरा	बिरहुआ	गोनघट	रतनपुर		कोहारचक	वीवीपुर गै0आ0	
9	दिस्तौलिया	पौहरिया	बढयाटिकुर	अजयपुरा	मलौली			हुसेनपुर	
10	तुर्कवलिया	पटना	थरूआडीह	गोरखपुरा	सैदाबाद			धुरियापार	
11	कोइलीखाल	रूदौली	महतोपार	खैराटी	वगही गै0आ0			ताहिरचक गै0आ0	
12	हिंगुहार	कवितापुर	छपरा	गोनहा	सहसरांव गै0आ0			रामपुर गै0आ0	
13	मुहालजलकर	मुण्डेरा बाबू	गहिराघाट	वल्थर	अहिरौली			बेलसड़	
14		मझवलिया	घोसी	बेलवा गुलाब सिंह	हरिहरपुर			पिपरानन्दू	
15			मठिया	बेलवा तुरन्त सिंह	बनकटी			रहदौली	
16			बैरियाडीह	डेरवा	अलावलपुर			नसरूल्लाहपुर खर्दु गै0आ0	
17			निचरापटटी बाबू	कृपाल पुर				नसरूल्लाहपुर बु0 गै0आ0	
18			कटघरा	तिवारीपुर				कादनपुर गै0आ0	
19			बहसुआ	जैतपुर				रज्जूपुर	
20			शनिचरा पटटी दूबे	झाझाशिव				महुआडाड़	
21			मधुपुर	परसिया भदवार गै0आ0				कुरावल बु0	
22			कल्यानपुर	तालसोनबह गै0आ0				कुरावल खुर्द	
23			भैसहट	सियरहा गै0आ0				मधुपट्टी	
24			कोड़र पाण्डेय	नरही गै0आ0					
25			कोड़र तिवारी	कुण्डा गै0आ0					
26			कोड़र नीलकण्ठ	खुदीचक गै0आ0					
27			दवनाडीह	मुण्डाडीह गै0आ0					
28			तुलसीपुर	शेरपुर गै0आ0					
29			मिश्रौली	झाझापरसन गै0आ0					
30			भेड़ीडीह	मदरिया उर्फ गोला					
31			कटहाडाडी	परनई उर्फ अर्जुनपुरा					
32			कंसासुर	कोहना गोपालपुर					
33			खुटभार	देवईपीपर					
34			कोल	सोढ़ावीर					
35			ददरी	भदौरा					
36			धनौली	शिवपुर					
37			सेमरा बु0	बरहज					
38			सेमरा खुर्द	ब्यौरी					
39			आच्छेडीह	बिसरा					
40			नवलपुर	रामामऊ					
41			सोन्सथा						

तहसील खजनी, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची

नदी घाघरा						नदी कुआनो					
निम्न स्तर पर बाढ		मध्यम स्तर पर बाढ		उच्च स्तर पर बाढ		निम्न स्तर पर बाढ		मध्यम स्तर पर बाढ		उच्च स्तर पर बाढ	
से प्रभावित		से प्रभावित		से प्रभावित		से प्रभावित		से प्रभावित		से प्रभावित	
क0	नाम ग्राम	क0	नाम ग्राम	क0	नाम ग्राम	क0	नाम ग्राम	क0	नाम ग्राम	क0	नाम ग्राम
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	नरगडाजग्गा सैह	1	मठरामगिरि मु0	1	बरपार	1	गौरगंज	1	गौरगंज	1	रामपुर
2	नरगडा शिवदत्त	2	जिगिनिया मु0	2	अजमता	2	बरपरवाबा बू ए0	2	भिसिया खुर्द	2	बसन्तपुर
3	रसूलपुर मिश्र	3	वेलाव खुद मु0	3	सुअरहा	3	जग्गाकोल	3	मझिली	3	विसम्हरा
4	राईपुर एह0	4	रसूलपुर मिश्र	4	जूटीपुर			4	कुरहरी	4	गनेशपुर
5	मठरामगिरी मु0	5	बेइली खुर्द ए0गै0	5	कुआ			5	बरपरवाबाबू ए0	5	छितौना
6	मठरामगिरी ए0	6	नरायनपुर एह0	6	कूरी			6	त्रिलोकपुर (केवटान टोला	6	मनिकापार
7	मझदीप गैरआबाद	7	राईपुर एह0	7	बढयाडाड			7	जग्गाकोल	7	मझिली
8	माझा कम्हरिया	8	ढबिया	8	पथरहाबाबू			8	पिपरी	8	जमीन विशुनपुरा
9	सनेहा गैरआबाद	9	दिलमनपुर	9	बलुआभवानी बक्ससिंह			9	भाटाडीहा	9	भिसिया खुर्द
10	खैराटी गैरआबाद	10	नकौडी गै0	10	ओनापार			10	डेहराटीकर	10	भरसी
11	पथरहा मिश्र	11	बरपरवाकाजी	11	बघैला			11	कोटियाविशुनी	11	चौडियामसान
12	लच्छीचक गै0	12	जितवारपुर ए0	12	धमचियॉ			12	रोहारी	12	पिपरसण्डी
13	बेलॉव उर्फशाहपुर आ0	13	बाघाकुण्ड गै0	13	लखुआपाकड			13	हेमचौरा	13	शंकरपुर
14	जिगिनिया उर्फ शाहपुर आ0	14	घेरवा गै0	14	बालाचक			14	धोबौली	14	झझवा
15	जितवारपुर ए0	15	वेलाव खुर्द ए0	15	चौतरवातिवारी			15	झौवा खुर्द	15	पडौली

16	बाघा कुण्ड	16	खलिया	16	चौतरापटटी			16	इमलीडीह बु0	16	कोटियाकोलाहल
17	जिगिनिया उर्फ शाहपुर ए0	17	जिगिनिया ए0	17	कटहाबाबू			17	रोहुआ	17	कोटियापटटी
18	बेलौंव उर्फशाहपुर ए0	18	मठरामगिरि ए0	18	ढेकुनाध			18	भिसिया बु0	18	कुरहरी
19		19	बघाड	19	धुनियापुरा			19	नकौडी	19	ब्रम्हसारी
20		20	पथरहा मिश्र गै0	20	बघाड			20	विस्तुई	20	त्रिलोकपुर
21		21	खैराटी गै0	21	रामपुरगोसाई			21	डिगुरपुरा	21	समवापुर
22		22	लच्छीचक गै0	22	पुरनहा			22	सहसपार खुर्द	22	झिनखीनी
23		23	चौतरवाबाबू	23	रामपुर			23	सहसपार बु0	23	बरपरवाबाबू मु0
24		24	टीकापुर	24	एकौना खुर्द			24	जगरनाथपुर	24	बरपरवाबाबू ए0
25		25	सनेहा	25	एकौना बु0			25	बेला	25	बेलघाट
26		26	केराडीह	26	अमानाबाद			26	कटघरा	26	सोपाई
27		27	नरगडाजग्गा सिंह	27	मउर			27	इमलीडीह खुर्द	27	मझगॉवा
28		28	नरगडाशिव दत्त	28	ढोढईपार			28	जददू पटटी	28	गुवारी
29		29	सिसवाबाबू	29	सिसवाबाबू			29	बनकटी बु0	29	पडरी
30		30	चपरहट	30	नरगडाशिव दत्त			30	बनकटी खुर्द	30	सिघौरा
31		31	माझा कम्हरिया	31	केराडीह			31	अलावलपुर	31	गौरगंज
32		32	मझदीप	32	चपरहट					32	साउखोर खुर्द
33		33	रापतपुर	33	टीकापुर					33	सॉउखोर बु0
34		34	गागघाट	34	चौतरवाबाबू					34	सिघपुर
35		35	भरौली	35	सनेहा					35	जग्गाकोल
36		36	भूलनचक	36	नगरडाजग्गासिंह					36	पिपरी
37		37		37	रापतपुर					37	भाटाडीहा
38		38		38	माझा कम्हरिया					38	डेहराटीकर
39		39		39	मझदीप					39	कोटियाविशुनी
40		40		40	भभया					40	रोहारी
41		41		41	लच्छीचक					41	हेमचौरा
42		42		42	खैराटी					42	धोबौली
43		43		43	पथरहा मिश्र					43	झौवा खुर्द
44		44		44	मडहा					44	इमलीडीह बु0
45		45		45	झई					45	रोहुआ
46		46		46	दुधकुण्डा					46	भिसिया बु0
47		47		47	गोसाईपुर					47	नकौडी
48		48		48	मंझरिया					48	विस्तुई
49		49		49	लालचक					49	डिगुरपुरा
50		50		50	जदवापुर					50	सहसपार खुर्द
51		51		51	डुमरिया					51	सहसपार बु0
52		52		52	रंजीतगढ					52	जगरनाथपुर
53		53		53	पुरवा					53	बेला
54		54		54	महुलियॉ					54	कटघरा
55		55		55	मकरहा					55	इमलीडीह खुर्द
56		56		56	भूलनचक					56	जददू पटटी
57		57		57	गायघाट					57	बनकटी बु0
58		58		58	इनायतचक					58	बनकटी खुर्द

59		59		59	रसूलपुर मिश्र					59	अलावलपुर
60		60		60	लोनानागर					60	सीयर
61		61		61	भरौली					61	बेलवा तिलकराम
62		62		62	धुरियाडीह					62	बेनीपुर विशुनपुर
63		63		63	बभनौली	**नदी आमी**					
64		64		64	नकौडी	**निम्न स्तर पर बाढ**		**मध्यम स्तर पर बाढ**		**उच्च स्तर पर बाढ**	
65		65		65	राईपुर	**से प्रभावित**		**से प्रभावित**		**से प्रभावित**	
66		66		66	राईपुर ए0	1	2	3	4	5	6
67		67		67	मंझरियातालुकध्यानपुर	1	गोरसैरा	1	गोरसैरा	1	गोरसैरा
68		68		68	ढबिया	2	गोनहा	2	गोनहा	2	गोनहा
69		69		69	दिलमनपुर	3	धनईपुर	3	रक्साबाबू	3	रक्साबाबू
70		70		70	जैती	4	सेमा	4	जगरनाथपुर	4	जगरनाथपुर
71		71		71	रसूलपुरबाबू	5	डोमरघाट	5	भिउरी	5	भिउरी
72		72		72	ब्रम्हदेवा	6	कस्बासग्रामपुर	6	धनईपुर	6	भिउराखरगराम
73		73		73	मोहनचक	7	चिहारीउर्फ काछी	7	ठठउर	7	धनईपुर
74		74		74	बहादुरपुर खुर्द	8	कूडाभरथ	8	गजारी	8	ठठउर
75		75		75	टिकुलियाडाड	9	गोंदा	9	जमौली खुर्द	9	गजारी
76		76		76	छितौनी बु0	10	कुडा बु0	10	जमौली बु0	10	चतुरबन्दुआरी
77		77		77	छितौनी खुर्द	11	सोहरा	11	कस्बासग्रामपुर	11	करैलाबारी
78		78		78	छितौनी भीम	12	रोहुआ	12	सेमा	12	चरकहा
79		79		79	बहादुरपुर बु0	13	छताई	13	चिहारीउर्फकाछी	13	सेमा
80		80		80	विधनापार	14	मंझरिया बु0	14	चरकहा	14	कस्बासग्रामपुर
81		81		81	मटियरिया	15	महुआडाड	15	भलुआन	15	चिहारीउर्फकाछी
82		82		82	बेलवाडाडी	16	विनैका	16	भरवलियॉ	16	भरवलियॉ
83		83		83	रजीतगढ	17	कटघर	17	लमती	17	भलुआन
84		84		84	बेइलीखुर्द मु0			18	मखानी	18	खरहरी
85		85		85	बेइली खुर्द ए0			19	डोमरघाट	19	लमती
86		86		86	नरायनपुर			20	कुडा बु0	20	रतसही
87		87		87	राईपुर मु0			21	कुडा भरथ	21	मखानी
88		88		88	नरायनपुर ए0			22	ढढौना	22	कुडाभरथ
89		89		89	राईपुर एह0			23	गोंदा	23	कुडा बु0
90		90		90	डकही			24	कठौता	24	ढढौना
91		91		91	मुकारिमपुर			25	सोहरा	25	डोमरघाट
92		92		92	कुसमौली			26	रोहुआ	26	गोंदा
93		93		93	कटया मु0			27	बेलडाड	27	सोहरा
94		94		94	कटया ए0			28	चौरिया	28	बेलडाड
95		95		95	समहुतापुर			29	छताई	29	चौवरिया
96		96		96	मालपुर			30	मंझरिया बु0	30	कठोता
97		97		97	तिवारीपुर			31	खरकोन	31	रोहुआ
98		98		98	बनकट			32	टिकरियादीगर	32	विश्वनाथपुर
99		99		99	बेइली कुण्ड			33	महुआडाड	33	छताई
100		100		100	बसही मु0			34	धुवहॉ	34	मंझरिया बु0

101		101		101	बसही ए0			35	रक्सानारा	35	खरकोन
102		102		102	जिगिनिया मु0			36	विनैका	36	टिकरियादीगर
103		103		103	जिगिनिया ए0			37	कटघर	37	महुआडाड
104		104		104	मठरामगिरी ए0			38	नैपुरा	38	रक्सानारा
105		105		105	मठरामगिरी मु0			39	तडसड	39	विनैका
106		106		106	खान्चेचक			40	रावतडाडी	40	धुवहॉ
107		107		107	खलिया			41	नहरदेवा	41	कटघर
108		108		108	घेरवा			42	शहीदाबाद	42	नैपुरा
109		109		109	बेलाव खुर्द मु0			43	कुईकोल	43	तडसड
110		110		110	बेलाव खुर्द एह0			44	अहिरौली	44	रावतडाडी
111		111		111	जितवारपुर ए0			45	छपिया	45	नहरदेवा
112		112		112	जितवारपुर मु0			46	फरसाडाड	46	शहीदाबाद
113		113		113	बेरवापारकाजी			47	सरायचॉदपार	47	कुईकोल
114		114		114	बाघाकुण्ड					48	अहिरौली
115		115		115	मीरपुर					49	छपिया
116		116		116	सोहनाग					50	चरनाद
117		117		117	तारखोप					51	फरसाडाड
										52	सरायचॉदपार
										53	बरयाभारउर्फ नकहा
										54	गतुआखोर
										55	रूद्रपुर
										56	खुटभार

बाढ़ वर्ष 2013-14 हेतु बाढ़ योजना तहसील कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर

राप्ती			रोहिन			ताल सरूआ		
निम्न	मध्यम	उच्च	निम्न	मध्यम	उच्च	निम्न	मध्यम	उच्च
1.रघुनाथपुर		रघुनाथपुर	अलगटपुर टोला बग्घा		अलगटपुर टोला बग्घा	पचमा		
2.लक्ष्मीपुर		लक्ष्मीपुर	सोनाटीकर टोला समचस्थान		सोनाटीकर टोला समचस्थान	बरईपार		
3.हिरूआ		रामकोला	चन्दीपुर टोला करमहवा		चन्दीपुर टोला करमहवा	तालसरूआ		
4.बान		नकेली	मछलीगॉव टोला ब्रह्मपुर		मछलीगॉव टोला ब्रह्मपुर	ककटही		ककटही
5.करतहरी टोला हहवा		चकदहा	बुढेली टोला कोमर		बुढेली टोला कोमर	गेरूई बु0		
6.टेढाबीर टोला चक्कर		भुजौली				गेरूई खुर्द		
7.रामकोला		सिंगहा गौ0 आ0				तल महुलानी		
8.नकेली								
9.चकदहा								
10.भुजौली								
11.सिंगहा गौ0 आ0								
12.विशुनपुर								
13.कोनी								
14.गायघाट								

नदियों से प्रभावित ग्रामों का तहसीलवार विवरण

क्र.	त्हसील	राप्ती			घाघरा			कुआनों			आमी			रोहिन			अन्य	कुल संख्या
		निम्न	मध्य	उच्च	निम्न	मध्य	उच्च	निम्न	मध्य	उच्च	निम्न	मध्य	उच्च	निम्न	मध्य	उच्च		
1	स्दर	22	40	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**68**
2	कैम्पियरगंज	14	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	7	**38**
3	गेला	13	14	41	40	16	7	8	23	7	0	0	0	0	0	0	0	**169**
4	बंसगांव	8	14	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	0	**66**
5	खजनी	0	0	0	18	36	117	3	31	62	17	47	56	0	0	0	0	**387**
6	चौरीचौरा	50	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**128**
7	स्हजनवां	8	6	114	0	0	0	0	0	0	18	30	85	0	0	0	0	**261**
कुल संख्या		**115**	**74**	**262**	**58**	**52**	**124**	**11**	**54**	**69**	**35**	**77**	**141**	**8**	**14**	**16**	**7**	**1117**

शहरी प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण योजना

नगर निगम, गोरखपुर

बाढ़ एवं जल भराव नियंत्रण योजना : 2013-14

राप्ती नदी एवं रोहनी के संगम पर बसा हुआ लगभग 7 लाख आबादी वाले इस नगर का विस्तार 147 वर्ग किमी. क्षेत्र में है। नगर में लगभग 183 छोटे–बड़े तालाब है। इनमें से रामगढ़ ताल का अधिकतम विस्तार है। नगर वासियों के दैनिक प्रयोग से उपलब्ध दूषित जल के साथ–साथ वर्षाकाल में अतिरिक्त जल की निकासी राप्ती एवं रोहिन नदी के किनारे बने हुए बांधों पर स्थित पम्पिंग स्टेशनों के माध्यम से किया जाता है। चूँकि गोरखपुर नगर की भौतिक स्थिति एक कटोरे के पेंदे नुमा है, जिसके ऊपरी किनारे पर राप्ती एवं रोहिन नदियाँ स्थित हैं और इस कारण नदी के पानी से शहर को बचाने के लिये क्रमशः हाबर्ट बांध, नौसढ़ बांध तथा मलौनी बांध सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये हैं।

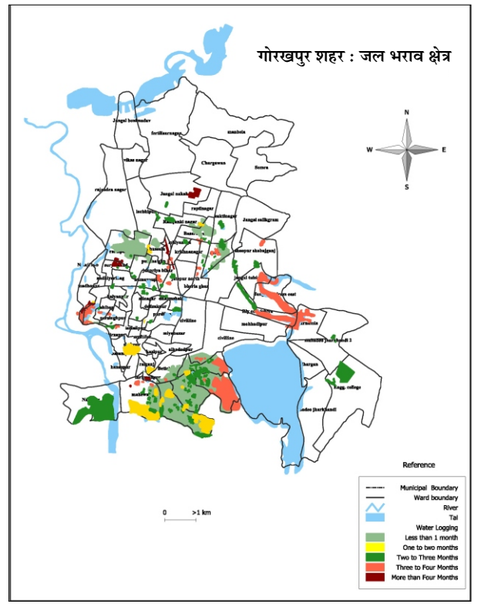

सामान्य स्थिति में इन बांधों पर स्थित रेगुलेटरों के माध्यम से नगर का दूषित जल नदी में प्रवाहित होता रहता है, परन्तु वर्षाकाल में नदी का जल स्तर बांधों पर स्थित रेगुलेटरों के सतह तक पहुंच जाता है तो उन्हें सिंचाई विभाग द्वारा बन्द कर दिया जाता है और फिर नगर के दूषित जल की निकासी की समस्या तत्काल उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में जल निगम द्वारा स्थापित तीन पम्पिंग स्टेशनों क्रमशः डोमिनगढ़, इलाहीबाग तथा मिर्जापुर के द्वारा अतिरिक्त जल को नदियों में फेका जाता है, परन्तु नगर के निचले हिस्सों में जमा दूषित जल का प्रबन्ध नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से पम्पसेटों के माध्यम से नगर में निर्मित नालों में किया जाता है।

विगत लगभग 12 वर्षों के अनुभवों के आधार पर यह देखा गया है कि वर्षा के प्रारम्भ होते ही सर्वप्रथम जल जमाव की स्थिति धर्मशाला स्थित रेलवे अण्डर ब्रिज में होती है। चूंकि यह अण्डर ब्रिज शहर के उत्तरी भागों को जोड़ता है, अतः यहाँ आवागमन की स्थिति तत्काल प्रभावित हो जाती है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिये जून के द्वितीय सप्ताह में इस अण्डर ब्रिज के उत्तर की ओर नगर निगम द्वारा स्थाई पम्पिंग स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त नगर के अन्य

निचले क्षेत्रों में जल जमाव को तत्काल नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूरे नगर को 6 अतिरिक्त जल नियंत्रण केन्द्रों के अधीन कर दिया जाता है और उन्हीं नियंत्रण केन्द्र से आवश्यकतानुसार पम्पसेटों, ड्राइवर तथा बेलदार आदि भेजे जाते हैं।

बाढ़ नियंत्रण हेतु नदियों के बाँध

मिट्टी से बने यह बाँध वर्षा ऋतु में नदी का जल स्तर बढ़ने पर गोरखपुर नगर का जल प्लावन से रक्षा करते हैं। बाँधों का विवरण इस प्रकार है –

1. **हाबर्ट बांध :** राप्ती/रोहिन नदी के पूर्वी (बाँया तट) किनारे डोमिनगढ़ से बर्डघाट तक कुल लम्बाई 3.30 किमी.।
2. **मलौनी बांध :** राप्ती नदी के पूर्वी (बाँया तट) किनारे पर वर्डघाट से महेवा की ओर।
3. **माधोपुर बांध :** राप्ती नदी के पूर्वी (बाँया तट) किनारे पर माधोपुर ग्राम के निकट कुल लम्बाई 3.60 किमी.।
4. **नौसढ़ बांध :** राप्ती नदी के पश्चिमी (बाँया तट) पर लम्बाई 5.10 किमी. किनारे नौसढ़ ग्राम के तीनों ओर।
5. **रामगढ़ बांध :** रामगढ़ ताल के दायें तट पर कुल लम्बाई 6.828 किमी. है।

बरसाती पानी के लिए पम्पिंग स्टेशन

जल निकासी द्वारा स्थापित तीन पम्पिंग सेट स्टेशन हैं जिसमें नगर का पानी नदी में फेंका जाता है।

1. **डोमिनगढ़ पम्पिंग स्टेशन :** 6 पम्प लगे है, दोम्पसेट 5 क्यूसेक तथा 4 पम्पसेट 10 क्यूसेक के हैं। बाढ़ के समय 240 फिट गेज पम्प चलाये जाते हैं।
2. **इलाहीबाग पम्पिंग स्टेशन :** 4 पम्प लगे हैं, जो 10 क्यूसेक के है, इसके अतिरिक्त 2 पम्प बिजली के हैं। बाढ़ के समय 240 मी. गेज पर पम्प चलाया जाता है।
3. **मिर्जापुर पम्पिंग स्टेशन** : आस–पास के मुहल्लों का पानी इकट्ठा होता है। इस पर एक पम्प 5 क्यूसेक का तथा एक पम्प बिजली चालित 5 क्यूसेक का है। यह 144 मी. गेज पर पम्पिंग किया जाता है। जल निकासी हेतु पम्पिंग स्टेशन (नगर निगम द्वारा व्यवस्थित)
4. **लालडिग्गी पार्क :** इस संस्थान में कुल 3 पम्प स्थापित हैं, जिसमें दो की क्षमता 1450 एल.पी.एस. है।

माधोपुर बन्धा पर रेगुलेटर

सामान्य दिनों में पानी निकालने हेतु सिंचाई विभाग के बन्धों पर 7 रेगुलेटर लगे हुये हैं। बरसात के दिनों में नदी का जल स्तर बढ़ने पर इन रेगुलेटरों को बन्द कर दिया जाता है ताकि पानी शहर में न आने पाये।

क. जल भराव के मुख्य क्षेत्र

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि महानगर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एवं यहां क छोटे तालाबों के ओवरफ्लो होने के कारण कई मुहल्लों में जल प्लावन की स्थिति अनायास ही उत्पन्न हो जाती है। इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार है :

1. **धर्मशाला ब्रिज :** बौलिया कालोनी के दो तालाब के ओवरफ्लो होने से डेढ़ फुट एवं वर्षा होने से रेलवे पुल के नीचे पांच छः फुट पानी लग जाता है। जिसमें समस्त यातायात अवरूद्ध हो जाता है। यहां पर निकासी व्यवस्था हेतु पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा पम्पिंग स्टेशन स्थापित है, परन्तु यह कभी भी दो या तीन दिन से पहले पानी निकाल नहीं पाता है। यह व्यवस्था रेलवे विभाग की है। इस व्यवस्था के पूर्ण न होने के कारण कई बार रेलवे विभाग को लिखा गया परन्तु कोई हल न निकल सका। अतः विगत आठ वर्षों से 6 व 7 पम्प दो लाख लीटर प्रति घण्टा की क्षमता के स्थापित किये जाते हैं। यहां पर नगर निगम द्वारा विशेष रूप से बरसात के तीन महीने 24 घण्टे ड्यूटी पर एक सहायक अभियन्ता की देख रेख में दो–तीन अवर अभियन्ताओं एवं 6 पम्प आपरेटर रहते हैं तथा सम्पूर्ण व्यवस्था का सुपरविजन एक जोनल अधिकारी स्वयं रहते हैं। समय–समय पर इसका अवलोकन नगर निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे टाऊन इन्जीनियर से भी सम्पर्क रखा जाता है। यहां पर 70 हजार लीटर क्षमता के 2 पम्प स्थापित किये जाते हैं। इन पर 8 से 10 आपरेटर तथा 3 सुपरवाइजर तैनात रहते हैं। यहां वर्षा प्रारम्भ होने के साथ ही साथ पानी निकालना शुरु कर देते हैं जिससे पुल के नीचे बिल्कुल पानी नहीं रुक पाता है और यातायात में कोई रुकावट नहीं आती है। फिर भी यह अस्थाई व्यवस्था ही है, हालांकि यह व्यवस्था पूर्वोत्तर रेलवे से ही होनी चाहिए।

2. **रेती रोड, लालडिग्गी आदि पर जल जमाव :** जब भारी वर्षा होती है तो साहबगंज का मुख्य नाला तो रामगढ़ताल में गिरता है, ताल के मुहाने पर कुछ सिल्ट जमा होने के कारण वेग पर्याप्त नहीं होता है। अतः इन स्थानों पर 4, 5 घण्टे जल जमाव हो जाता है, इसके लिए नगर निगम अपने स्तर से लालडिग्गी पर एक स्थाई पम्पिंग सेट स्टेशन गत वर्ष बनाया, जिससे पानी राप्ती नदी में पम्प किया जाता है।

3. **टिनघर पुलिया :** उत्तरी क्षेत्र का नाला अभी कई जगहों पर पक्का नहीं बना है इस कारण टिनघर की पुलिया का जल प्रवाह धीमा होने के कारण इस क्षेत्र के मुहल्लों, पुर्दिलपुर, जटेपुर दक्षिणी, सुमेर सागर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः यहां पर भी दो पम्प अस्थाई तौर पर लगाना पड़ता है।

4. **इन्द्रलोक सिनेमा के सामने प्रभा भवन :** इस सड़क पर वर्षा अधिक होने पर जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थाई हल के लिये नया नाला निर्मित हो गया है, जो मुख्य नाला थवई पुल में मिल गया है। इसके अलावा बेतियाहाता हरिजन बस्ती, जहीदाबाद, जमुनियाबाग, पुराना गोरखपुर, रामलीला मैदान, रसूलपुर, नशेमन हाता, माईधिया गड़ही, रमदत्तपुर की गड़ी, इन्द्रलोक सिनेमा के सामने, जुबली स्कूल के सामने कृष्णा नगर, चकसा हुसैन, हाँसूपुर आदि स्थान हैं जहां पर जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है (संवेदनशील स्थानों की सूची संलग्न है) इसके लिये जाहिदाबाद, रामलीला मैदान, रसूलपुर, हरिहर प्रसाद दूबे मार्ग पर नालों का निर्माण गत वर्ष हो गया है, साथ ही हाल ही में तिवारीपुर, गोरखनाथ एवं भरपुरवा क्षेत्रों में भी नये नालों का निर्माण सम्पन्न हो गया है, जिससे आशा की जाती है कि इन क्षेत्रों में जल प्लावन की स्थिति पुनः उत्पन्न नहीं होगी।

नगर में बरसात पानी के निकासी की व्यवस्था

नगर के जल की निकासी मुख्यतः खुले नालों से होती है। मुख्य नाले शहर के मध्य से होते हुए राप्ती नदी/रामगढ़ताल में गिरते हैं। हाबर्ट बन्धे पर स्थित विभिन्न रेगुलेटरों को जिनसे सामान्य दशा में नगर के मुख्य नालों के पानी को राप्ती नदी में निस्तारित किया जाता है, राप्ती नदी के जलस्तर के उच्च हो जाने की स्थिति में रेगुलेटर बन्द कर दिया जाता है जिससे नदी का जल वापस नगर में प्रवेश न करने पाये। ऐसी स्थिति में रेगुलेटर के पास निर्मित पम्प हाउसों में स्थापित पम्पिग सेटों के द्वारा नदी के टेल बिन्दु पर एकत्रित जल को पम्प करके नदी में बन्धें के पास फेंका जाता है। इन पम्प हाउसों में मिर्जापुर, इलाहीबाग, डोमिनगढ़ व लालडिग्गी प्रथमचार पम्पिंग स्टोशनों का निर्माण वर्श 1974–75 में जल निगम द्वारा कराया गया था तथा शेश 7, 8, 9 पम्पिंग स्टेशन ट्रांसपोर्ट नगर, बसियाडीह, महेवा तथा सुभाषनगर नगर निगम द्वारा स्थापित कराए गए हैं।

महानगर के दक्षिणी हिस्से रेती, बेतियाहाता, बिलन्दपुर, दाऊदपुर आदि होते हुए मुख्यनाला रामगढ़ताल में गिरता है। उत्तरी हिस्से का पानी दो नालों द्वारा प्रथम रेलवे लाईन सुमेर सागर, टिनघर, तीन गोड़िया नाला, कप्तानगंज पुलिया, थवईपुल नालों से मिलता है। वर्तमान में लगभग 75 नालों से शहर की जल निकासी होती है।

जनपद में जल निकासी की तत्कालीन आवश्यकता को देखते हुए पम्पिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे उस समय नगर में विभिन्न छोटे–बड़े तालाब व पोखरों का अस्तित्व पाया जाता था, जिनमें वर्षा का जल समाविष्ट हो जाता था तथा जल जमाव की समस्या कम उत्पन्न होती थी। हाल के वर्शों में इन जलाशयों के पटने के कारण वर्षा के समय शहर का पानी इलाहीबाग व डोमिनगढ़ में काफी मात्रा में एकत्रित होता है तथा पम्पों की क्षमता से कई गुना जल निकासी का कार्य करना पड़ता है। लगातार वर्शा में जल निकासी का कार्य प्रभावित होने से स्थिति और भी नारकीय हो जाती है, इस हेतु पम्पिंग स्टेशनों के उच्चीकरण करते हुए जल निकासी की कार्ययोजना तैयार की गई है–

नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) की स्थापना

जल भराव की समस्या की तुरन्त सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी नियंत्रण कक्ष, नगर निगम के प्रांगण में ''सभा भवन'' के भाग में कार्यरत रहेगा। यह नियंत्रण कक्ष दिनांक 15.6.2013 से 24 घण्टे के लिये रहेगा। इस नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर 2342652 है।

नियंत्रण कक्ष में एक रजिस्टर होगा जिसमें प्रत्येक सूचनाओं का विवरण दर्ज किया जायेगा तथा उसे तुरन्त सम्बन्धित अधिकारी के पास विशेष वाहक द्वारा भेजा जायेगा और उसका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अनुमानित आख्या भी रजिस्टर में अंकित की जायेगी। नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचनाओं पर कार्यवाही तुरन्त की जायेगी। आवश्यकतानुसार नियंत्रण कक्ष में तैनात अधिकारी भी मौके पर आवश्यक सामग्री के साथ जायेंगे। महत्वपूर्ण विषय प्रशासक, नगर निगम को भी सूचित किये जायेंगे। नियंत्रण कक्ष में रखा गया रजिस्टर प्रत्येक दिन मुख्य अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी को अवलोकित करवाया जायेगा।

1. *पम्पों की स्थिति*

(1) हार्वट बन्धे पर जल निगम द्वारा बाढ़ सुरक्षा हेतु 03 पम्पिंग स्टेशन बनाकर शहर में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिये बनाये गये थे जो क्रमशः इलाहीबाग, डोमिनगढ़ एवं मिर्जापुर में स्थित है।

(2) नगर निगम द्वारा जल भराव की स्थिति से निपटने के लिये सात पम्पिंग स्टेशन बनाकर जिसमें डीजल के पम्प 83 एच0 पी0 से लेकर 06 एच0 पी0 तक तथा इलेक्ट्रिक पम्प 60 एच0 पी0, 50 एच0 पी0, 25 एच0 पी0 तथा 10 एच0 पी0 तक स्थल की आवश्यकतानुसार लगे हुये है। जो 15 जून तक चालू कर टेस्टिंग आदि की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है। पम्पिंग स्टेशन क्रमशः बसियाडीह , रेग्युलेटब्र न0 7 बसन्तपुर बंधा , रेग्युलेटर न0 08 नरकटियागंज बंधा, रेग्युलेटर न0 09 चकरा अव्वल, पुलिस चौकी ट्रान्सपोर्टनगर (बगैर रेग्युलेटर के), महेवा (कटनिया बंधे पर) रेग्युलेटर न0 3 इलाहीबाग तथा सुभाषचन्द्र बोसनगर पर स्थित है। ये समस्त रेग्युलेटर/पम्पिंग स्टेशन बाढ़ खण्ड द्वारा राप्ती/रोहिन नदी पर जल स्तर बढ़ जाने पर बाढ़ खण्ड द्वारा ही रेग्युलेटर को बन्द कर दिया जाता है जिससे कि नदी का पानी शहर के अन्दर न आने पाये तत्पश्चात नगर निगम द्वारा स्थापित पम्पो द्वारा दूशित जल को पम्पिंग द्वारा नदी में छोड़ा जाता है।

2. *स्टोरेज (दवा इत्यादि)*

स्वास्थ्य विभाग नगर निगम द्वारा आवश्यक दवाइयों का संग्रह कालरा हास्पिटल, जिला हास्पिटल में एकत्र की जाती है एवं आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थलो पर विभागीय कैम्प लगााकर वितरित की जाती है जिसमें मुख्यतः क्लोरिन टैबलेट बांटी जाती है एवं पानी की शुद्वता का ध्यान रखा जाता है तथा संक्रामक रोग से बचाव कार्य किया जाता है। साथ ही वैक्सीन इत्यादि भी लगाये जाते है। वैक्सीन जिला हास्पिटल से उपलब्ध करायी जाती है। सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए क्षेत्र में सफाई कार्य युद्व स्तर पर किया जाता है।

3. *नालों की सफाई*

नगर निगम क्षेत्र में स्थित 230 नालो के सफाई का कार्य क्रमवार कराया जाता है। नालों की सफाई का कार्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रो में कराया जा रहा है। समस्त नालों को 15 जून के पूर्व साफ करा लिया जायेगा।

4. *जल भराव की स्थिति में*

शहर के जल भराव के स्तर चयनित कर लिये गये है जो निम्नानुसार है। धर्मशाला पुल के नीचे, कृष्णानगर कालोनी, विष्णुपुरम कालोनी , शाहपुर हरिजन बस्ती , गोपलापुर, बिलन्दपुर शिव मंदिर, दाउदपुर, इदिरानगर, ट्रान्सपोर्टनगर, चकरा अव्वल, महुईसुघरपुर, रूस्तमपुर, हाइडिल सब स्टेशन, बेतियाहाता हरिजन बस्ती, पिपरापुर, बसियाडीह, चैन बाबा मंदिर, लालडिग्गी, खोखट टोला, रसूलपुर, इंजन शेड हुमायूँपुर, धोबीघाट, हुँमायुपुर, बसंन्तपुर, महेवा, टीनघर पुलिया, हॉसुपुर, नरकटिया, बसन्तपुर खास, सिद्वार्थनगर कालोनी, चक्शा हुसैन, राजीवनगर, चन्द्रगुप्तनगर, गायत्रीपुरम, राममजानकीनगर, खाले टोला , अधियारीबाग, आदित्यपुरम्, धर्मपुर, भैसांखाना, भारद्वाजपुरम, ओमनगर, भोंलाजीपुरम, देवनगरी, मोती पोखरा, हड़हवा फाटक, मंशाबाग, रसूलपुर भठठा,रामनगर चौराहा, दशहरीबाग मस्जिद, सूर्यबिहार, सिधारीपुर, आजादनगर, बगहा बाबा स्थान, नंदानगर इत्यादि।

उपरोक्त समस्त स्थलो पर विभागीय पम्प लगाकर जल भराव की समस्या का निदान आवश्यकतानुसार किया जाता है। पम्पिंग द्वारा आस पास जा रहे नाले में डिलेवरी पाइप द्वारा पानी का निस्तारण किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न स्थलो के निवासियो के द्वारा सूचना देने पर वी0 सी0 बंगला स्टोर एवं कन्ट्रोल रूम से स्थल की आवश्यतानुसार पम्प सेट एवं आपरेटर, गैग आदि उपलब्ध कराकर समस्या का समाधान किया जाता है।

5. *शुद्ध पेयजल की व्यवस्था*

नगर निगम के जलकल विभाग द्वारा बाढ़ आपदा के समय जल वाहिनी में अतिरिक्त क्लोरिनेशन एवं ब्लीचिंग पावडर का प्रयोग करते है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्लोरिन का टैबलेट भी बटवाया जाता है। क्षेत्र में लिकेज को तत्काल ठीक कराया जाता है। हैण्ड पम्पो में ब्लीचिंग पावडर डालकर वि–संक्रमित करते है। निर्माण विभाग से ट्रैक्टर प्राप्त कर 08 टैंकरो के द्वारा शुद्वपेयजल की आपूर्ति विभिन्न क्षेत्रो में की जाती है। क्षेत्रीय जनता को पानी उबालकर एवं क्लोरिनेशन कर पानी पिये जाने हेतु देनिक समाचार पत्रों के माध्यम से एवं माइक से नगर निगम द्वारा अवगत कराया जाता है।

6. *कन्ट्रोल रूम*

नगर निगम कैम्पस में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका फोन न0 2342652 है। इस फोन पर क्षेत्रीय जनता द्वारा सूचना देने पर समस्या के निदान हेतु रजिस्टर पर अंकित किया जाता है। साथ ही सम्बंधित विभाग को शिकायतकर्ता का फोन न0 एवं स्थल आदि दर्शाते हुये शिकायत पत्र भेज दिया जाता है। 03 दिन के अन्दर आख्या प्राप्त की जाती है। जल भराव एवं दैवीय आपदा हेतु कन्ट्रोल रूम में पम्प, ट्राली, जेसीबी, आपरेटर, गैग आदि की व्यवस्था रहती है। जिसे तुरन्त कार्य स्थल पर भेजकर समस्या का निदान किया जाता है।

पम्पों का विवरण

1-	83 H P DISEL	-	06
2-	75 H P DISEL	-	08
3-	66 H P DISEL	-	01
4-	60 H P DISEL	-	02
5-	44 H P DISEL	-	02
6-	33 H P DISEL	-	01
7-	22 H P DISEL	-	01
8-	19 H P DISEL	-	24
9-	12 H P DISEL	-	58
10-	06 H P DISEL	-	05
11-	50 H P ELEC.	-	07
12-	25 H P ELEC	-	03
13-	10 H P ELEC.	-	06

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर

दिनांक :

पत्रांक : /चार–सा०/नि०वि०/2013–14

नगर निगम सीमान्तर्गत बाढ़/अतिवृष्ट एवं जल–भराव निदान व्यवस्था हेतु अधिकारियों की निम्न भांति तैनाती की जाती है।

जोन एवं क्रमांक	जोनल अधिकारी/ सहायक जो0 अधिकारी	क्षेत्र	शिफ्ट वाइज केन्द्र प्रभारी प्रातः 6.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक	शिफ्ट वाइज केन्द्र प्रभारी सायं 6.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक	मेठ सुपरवाइजर
अ – प्रथम जोन					
जोनल अधिकारी श्री एस0 के0 केसरी, अधिशासी अभियन्ता, 7607003682					
1	श्री वीरेन्द्र चन्द पटेल सहायक अभियन्ता 7607003684	गोरखनाथ	श्री सदानन्द अवर अभियन्ता 7607003695	श्री रामकृष्ण अवर अभि0 निर्माण 9838161215	श्री बुद्विराम मेठ
2	श्री वीरेन्द्र चन्द पटेल सहायक अभियन्ता 7607003684	शाहपुर	श्री नर्वदेश्वर पाण्डेय अवर अभि0 7607003686	श्री दयाशंकर अवर अभि0 जल 9795488498	श्री फुन्नी लाल मेठ
3	श्री उमेश उपाध्याय सहायक अभियन्ता 9839439459	राप्तीनगर	श्री रतनदीप अवर अभि0 7607003692	श्री दिलीप कुमार अवर अभि0 जल 9336415196	श्री साधुसरन मेठ
4	श्री वीरेन्द्र चन्द पटेल सहायक अभियन्ता 7607003684	माधोपुर	श्री काली प्रसाद गुप्ता अवर अभि0 7607003689	श्री मणिशंकर श्रीवास्तव अवर अभि0 पथप्रकाश 7607003710	श्री मेवा लाल मेठ
ब – द्वितीय जोन					
जोनल अधिकारी श्री जनर्दन राय, सहायक नगर आयुक्त, 7607003702					
1	श्री वीरेन्द्र चन्द पटेल सहायक अभि0 7607003684	लालडिग्गी, रेग्युलेटर न0 7,8,9	श्री आर0 एस0 यादव अवर अभि0 9415843867	श्री अवनीश कुमार भारती अवर अभि0 7607003694	श्री मुन्ना
2	श्री उमेश उपाध्याय सहायक अभि0 9457334800	ट्रान्सपोर्टनगर महेवा	श्री जयराम यादव अवर अभि0 9452284901	श्री अवनीश कुमार भारती अवर अभि0 7607003694	श्री प्रभाकर मेठ
3	श्री उमेश उपाध्याय सहायक अभि0 9457334800	सिविल लाइन	श्री नवीन श्रीवास्तव अवर अभि0 9452844598	श्री रामसिंहासन अवर अभि0 9628399201	श्री पूर्णमासी मेठ
स – तृतीय जोन					
जोनल अधिकारी श्री रामपाल, अधिशासी अभियन्ता, 7607003681					
1	श्री उमेश उपाध्याय सहायक अभि0 9457334800	टीनघर सुमेर सागर	श्री एस0 वी0 अग्रहरी अवर अभि0 7607003690	श्री एस0 वी0 अग्रहरी अवर अभि0 7607003690	श्री शकील मेठ
2	श्री उमेश उपाध्याय सहायक अभि0 9457334800	धर्मशाला	श्री एस0 वी0 अग्रहरी अवर अभि0 7607003690	श्री एस0 वी0 अग्रहरी अवर अभि0 7607003690	श्री शकील मेठ
द – चतुर्थ जोन					
जोनल अधिकारी श्री जी0 पी0 उपाध्याय, महाप्रबंधक, जल, 7607003671					
1	श्री घनश्याम श्रीवास्तव प्रभारी सहायक अभि0 9450436616	तिवारीपुर, डोमिनगढ़	श्री अष्टभुजा सिंह अवर अभि0 9198715967	श्री अष्टभुजा सिंह अवर अभि0 9198715967	–
2	श्री घनश्याम श्रीवास्तव प्रभारी सहायक अभि0 9450436616	इलाहीबाग	श्री पी0 एन0 मिश्रा अवर अभि0 7607003699	श्री इमाम हुसैन अवर अभि0 9838842590	–
3	श्री घनश्याम श्रीवास्तव प्रभारी सहायक अभि0 9450436616	मिर्जापुर	श्री अष्टभुजा सिंह अवर अभि0 9198715967	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव अवर अभि0 8127078252	–

नोट :

1. प्रथम जोन के लिंक अधिकारी जोनल अधिकारी द्वितीय ,द्वितीय जोन के लिंक अधिकारी तृतीय, तृतीय जोन के लिंक अधिकारी चतुर्थ तथा चतुर्थ जोन के लिंक अधिकारी प्रथम होगे और इनके अवकाश की दशा में अपने कार्यो के साथ इनके कार्य भी देखेगे।
2. शहर को दो भागो में बाटते हुए जोन 1 व जोन 2 के प्रभारी श्री गोपी कृष्ण श्रीवास्तव , उप नगर आयुक्त तथा जोन 3 व 4 के प्रभारी श्री जितेन्द्र केन मुख्य अभियन्ता को बनाया जाता है। वे नियमित भ्रमण करके जोन की समस्याओ का निराकरण करेगे।
3. पम्पो के संचालन का तकनिकी पर्यवेक्षण एवं रख रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य अभियन्ता की होगी। वे समस्त जोनल अधिकारियो से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।
4. किसी अवर अभियन्ता के अवकाश पर जाने पर श्री मणिशंकर श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता पथ प्रकाश व श्री अशोक कुमार सिंह अवर अभियन्ता पथ प्रकाश लिंक अधिकारी के रूप में जोनल अधिकारियो के निर्देशानुसार कार्य करेगे।
5. श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव स्टोर के अन्तर्गत पम्पो से सम्बंधित सभी प्रकार के ऐसीसिरीज तथा बाढ़ बचाव सुरक्षा हेतु आवश्यक सामानो के उपलब्धता सुनिश्चित करेगे तथा आवश्यकतानुसार श्रमिको को उपलब्ध करायेगे।
6. उप नगर आयुक्त के अवकाश की दशा में सहायक नगर आयुक्त श्री जर्नादन राय उस क्षेत्र का कार्य देखेगे।
7. उपरोक्त डयूटी के अलावा समस्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता अपने–2 क्षेत्र में जल भराव सम्बंधित समस्या हेतु भी उत्तरदायी होगे और उसके निदान हेतु आवश्यक व्यवस्था हेतु सम्बंधित प्रभारी केन्द्र के साथ समन्वय स्थापित करते हुए करेगे।
8. इलाहीबाग पम्पिंग स्टेशन पर बने कक्ष में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा इसकी व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी द्वारा अलग से एक अवर अभियन्ता नामित किया जायेगा। जो आवश्यक व्यवस्था , सामान , डीजल , श्रमिक आदि रिजर्व के रूप में केन्द्र पर रखेगे।
9. कन्ट्रोल रूम के प्रभारी श्री जर्नादन राय सहायक नगर आयुक्त होगे तथा समस्त जोनल अधिकारी से रिर्पोट लेकर नगर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगे तथा जोनल अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में श्री जर्नादन राय लिंक अधिकारी होगे।

(राजेश कुमार त्यागी)
नगर आयुक्त

पत्रांक :– /चार–सा0/ नि0 वि0/2013–14 तददिनॉक।

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर को अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर को सूचनार्थ।
3. सम्बंधित अधिकारियो/कर्मचारियो को अनुपालनार्थ।

(राजेश कुमार त्यागी)
नगर आयुक्त

नगर निगम गोरखपुर, पम्पों का विवरण

स्थाई रूप से लगाये गये पम्पों का विवरण

1. महेवा कटनिया पम्पिंग स्टेशन	19 एच0 पी0 2, 50 एच0 पी0 1 (इ.पी.)	– 03
2. महेवा ट्रान्सपोर्टनगर	19 एच0 पी0 1, 50 एच0 पी0 1 (इ.पी.)	– 02
3. रेग्युलेटर न0 09 (हासॅपुर) पम्पिंग स्टेशन	19 एच0 पी0 2, 50 एच0 पी0 1 (इ.पी.)	– 03
4. रेग्युलेटर न0 08 (घसियारी) पम्पिंग स्टेशन	19 एच0 पी0 2, 25 एच0 पी0 1 (इ.पी.)	– 03
5. रेग्युलेटर न0 07 (नरकटिया) पम्पिंग स्टेशन	19 एच0 पी0 2, 25 एच0 पी0 1 (इ.पी.)	– 02
6. मिर्जापुर पम्पिंग स्टेशन	3 वाईडीए , 33 एच0 पी0 2, वाई डीए 22 एच0 पी0 1 294 डीजल किर्लोस्कर 1, 12.5 एच0 पी0 किलोस्कर 1 50 एच0 पी0 1(इ.पी.)	– 06
7. इलाहीबाग पम्पिंग स्टेशन	06 वाईडीए, 75 एच0 पी0 5, 694 किर्लोस्कर 83.5 एच0 पी02 60 एच0 पी0 (ई.पी.) 2, 494 किर्लोस्कर 44 एच0 पी0 1	– 10
8. डोमिनगढ़ पम्पिंग स्टेशन	06 वाईडीए 75 एच0 पी0 3, 04 वाईडीए 44 एच0 पी0 01, 83.5 एच0 पी0 2, एच0 ए0 6, 66 एच0 पी0 1, 394 किलोस्कर 33 एच0 पी0 1, डी0 एम0 20, 19.5 एच0 पी0 1 50 एच0 पी0 1(इ.पी.)	– 10
9. बसियाडीह पम्पिंग स्टेशन	12 एच0 पी0 2, 19 एच0 पी0 4, 83 एच0 पी0 1, 50 एच0 पी0 2 (इ.पी.)	– 09
10. सुभाष चन्द बोस नगर पम्पिंग स्टेशन	19 एच0 पी0 2,	– 02
11. धर्मशाला	83 एच0 पी0 1, 10 एच0 पी0 2(इ.पी.)	– 03
12. भेड़ियागढ़	10 एच0 पी0 2, (इ.पी.)	– 02
13. विष्णुपुरम	10 एच0 पी0 2, (इ.पी.)	– 02
14. रेग्युलेटर न0 3	19 एच0 पी0 1, 25 एच0 पी0 1, (इ.पी.)	– 02
15. रिजर्व	06 , 12 एच0 पी0	– 56
16. रिजर्व	19 एच0 पी0	– 09

उक्त सफाई के फलस्वरूप जल निस्तारण का आश्वासन

1. यदि वर्षा दर 15 मि0मी0 (2 घंटे मे) अथवा 03 मि0मी0 (08 घंटे में) से कम हो तो निम्नलिखित क्षेत्रो में जल भराव नही होगा।

क्रम सं0	स्थल का नाम	पम्प द्वारा	नाले सफाई द्वारा	यथावत विसंक्रमित कर
1	सुमेर यागर गड़ही, जटेपुर दक्षिणी, धर्मशाला	पम्प द्वारा	नाला सफाई	विसंक्रमण
2	मंशाबाग, धोबीघाट, जटेपुर उत्तरी	पम्प द्वारा	–	–
3	रसूलपुर चौराहे के पास	–	नाला सफाई	–
4	देवपोखर, चक्शा हुसैन	पम्प द्वारा		विसंक्रमण
5	नकहॉ रेलवे क्रासिंग के दोनो पार शाष्त्रीपुरम, शाष्त्रीनगर मोहल्ला आदि	–	–	विसंक्रमण
6	राप्तीनगर, गंगा टोला के पास	–	नाला सफाई	–
7	लाजपतनगर, हुमायुँपुर	–	–	विसंक्रमण
8	अहमदनगर चक्शा हुसैन	पम्प द्वारा	–	–
9	साकेतनगर, हड़हवा फाटक	पम्प द्वारा	–	–
10	घोसीपुरवा नकहॉ न0 1	–	–	विसंक्रमण
11	सूर्यकुड निरंकारी भवन के पास	–	–	विसंक्रमण
12	रसूलपुर दरियाचक भठठा	–	–	विसंक्रमण
13	रसूलपुर दशहरीबाग	–	–	विसंक्रमण
14	गोपलापुर सरजू पाण्डेय एडवोकेट के पास, वार्ड न0 44	पम्प द्वारा	–	–
15	इदिरानगर रसूलपुर पोखरा, वार्ड न0 23	पम्प द्वारा	–	–
16	बॉसगाव कालोनी गड़ही वार्ड न0 34	–	–	विसंक्रमण
17	इलाहीबाग पम्पिंग स्टेशन के निकट निचले हिस्से में वार्ड न0 60	–	–	विसंक्रमण
18	मिर्जापुर गोड़ियाना, वार्ड न0 41	पम्प द्वारा	–	–
19	जलपा गड़ही इलाहीबाग वार्ड न0 60	–	–	विसंक्रमण
20	कल्याणपुर नवाब साहब का हाता वार्ड न0 37	–	–	विसंक्रमण
21	रमदत्तपुर गड़ही जेजे टेलर्स के मकान के पास वार्ड न0 37	–	–	विसंक्रमण
22	बख्तियार मोहल्ला गड़ही वार्ड न0 28	–	–	विसंक्रमण
23	मधुबन शामियाना हाउस के सामने आरा मशीन के पीछे वार्ड न0 10	–	–	विसंक्रमण
24	सम्मय माता का स्थान रेलवे लाइन के निकट पोखरा नकहॉ	–	–	विसंक्रमण

25	विष्णुपुरम का निचला हिस्सा	–	–	विसंक्रमण
26	विष्णुपुरम विष्णुमंदिर के पीछे	–	–	विसंक्रमण
27	शिवपुर सहबाजगंज बधिक टोला	–	–	विसंक्रमण
28	बशारतपुर हरिजन बस्ती	–	–	विसंक्रमण
29	शाहपुर आवास विकास पोखरा	पम्प द्वारा	–	–
30	गीता वाटिका के सामने आवास विकास में 03 स्थानो पर गड़ही	पम्प द्वारा	–	विसंक्रमण
31	स्टेट बैक कालोनी के पास बधिक टोला लतीफ नगर	–	–	विसंक्रमण
32	राप्तीनगर फेज 4 के पीछे पोखरा	–	–	विसंक्रमण
33	मंडिकल कालेज गेट से अर्धनिर्मित बड़ा नाला सेठठी फ्लावर मिल तक	–	–	विसंक्रमण
34	महेवा जवाहिर राशन वाले के सामने वार्ड न0 30	पम्प द्वारा	–	–
35	दुर्गापुरम कालोनी, पथरा, भार द्वाजपुरम वार्ड न0 30	पम्प द्वारा	–	–
36	भैसाखाना तुर्कमानपुर वार्ड न0 50	पम्प द्वारा	–	–
37	चकरा अव्वल मुक्तेश्वर नाथ मंदिर	पम्प द्वारा	–	–
38	सर्वोदयनगर बगहा बाबा मंदिर, प्रेम कृष्ण पाठके के मकान के पास वार्ड न0 69	पम्प द्वारा	–	–
39	साकेतनगर फलवरिया रोड शिवलाल यादव के मकान के पास वार्ड न0 69	पम्प द्वारा	–	–
40	शक्तिनगर कालोनी पूर्वी हरि नारायण के मकान के पास वार्ड न0 69	पम्प द्वारा	–	–
41	शक्तिनगर वार्ड न0 69 सुभाष अग्रवाल के पास	पम्प द्वारा	–	–
42	महुईसुघरपुर गॉव, नायक के मकान के पास पार्ड न0 69	पम्प द्वारा	–	–
43	तुर्कमानपुर कब्रिस्तान वार्ड न0 30	–	–	विसंक्रमण
44	छोटा महेवा मेघनाथ मिषाद के मकान के पास वार्ड न0 30	पम्प द्वारा	–	–
45	नौसड़ जवाहर चक प्राइमरी स्कूल के पास वार्ड न0 06	पम्प द्वारा	–	–
46	नौसड़ पंचायत भवन के पीछे पासी टोला वार्ड न0 06	पम्प द्वारा	–	–
47	नौसड़ गोडियाना भरत मझवार के घर के सामने वार्ड न0 06	पम्प द्वारा	–	–
48	शिवाजीनगर आदेश स्कूल के पास वार्ड न0 699	पम्प द्वारा	–	–
49	रूस्तमपुर मारूति टेलर्स, चित्रगुप्त मंदिर के पास वार्ड न0 40	पम्प द्वारा	–	–
50	बगहा बाबा मंदिर रूस्तमपुर रूबी स्कूल तक वार्ड न0 40	पम्प द्वारा	–	–
51	सिद्वार्थनगर कौशिक मुनि पाण्डेय के पास वार्ड न0 40	पम्प द्वारा	–	–

52	चिलमापुर ईदगाह वार्ड न0 40	पम्प द्वारा	–	–
53	प्रतापनगरडा0 शर्मा के घर के पीछे वार्ड न0 40	पम्प द्वारा	–	–
54	आजादनगर पवन पाण्डेय के मकान के पास वार्ड न0 40	पम्प द्वारा	–	–
55	रूस्तमपुर मारूति टेर्डस राना सिंह के मकान के पास वार्ड न0 40	पम्प द्वारा	–	–
56	बुनियादीबाग गरजू के मकान के पास वार्ड न0 40	पम्प द्वारा	–	–
57	आजादनगर श्री रंगी लाल पी0 ए0 (कमीश्नर) के पास वार्ड न0 40	पम्प द्वारा	–	–
58	आजादनगर अजय मलिक के घर के पास वार्ड न0 40	पम्प द्वारा	–	–

2. यदि उक्त दर से अधिक वर्षा हो तो जल भराव होगा। वर्षा रूकने के 3–4 घंटे उपरान्त जल निकासी हो जायेगी।

नगर निगम क्षेत्र में जल भराव से प्रभावित मोहल्ले व स्थान

1. तामेश्वरनाथ मंदिर	31. नन्दानगर जीतपुर हरिजन बस्ती
2. महेवा	32. नन्दानगर पुलिस चौकी
3. भारद्वाजनगर	33. हड़हवा फाटक
4. भैंसखाना, तुर्कमानपुर	34. हड़हवा फाटक मंदिर के पास
5. कृष्णनगर,जनार्दनसिंह के मकान के पास	35. हड़हवा फाटक धोबीगली
6. कृष्णानगर दुर्गामंदिर के पीछे	36. जगेश्वर पासी चौराहे के पास
7. कृष्णानगर धोबी गली	37. मंशाबाग
8. खरैया	38. अंधियारीबाग हरिजन बस्ती
9. खरैया मस्जिद के पास	39. अंधियारीबाग मस्जिद के पास
10. धर्मपुर	40. रसूलपुर भट्ठा
11. धर्मपुर नवीन मैरेज हाल	41. रसूलपुर पट्टन के पास
12. आदित्यपुरम	42. रसूलपुर दशहरीबाग मस्जिद
13. शाहपुर हरिजन बस्ती	43. सूर्यविहार
14. विष्णुपुरम	44. रामनगर चौराहा
15. कबीरमठ	45. पिपरापुर
16. अशोकनगर डा0 आलोक के पास	46. यादव भवन दाउदपुर
17. अभयनन्दन स्कूल के पास	47. इन्दिरानगर
18. प्यारे काम्प्लेक्स	48. बेतियाहाता अनिलशाही के आवास के पास
19. विष्णुमंदिर	49. आजादनगर यरामयादव के आवास के पास
20. जंगल मातादीन	50. बेतियाहाता दक्षिणी
21. जंगलमातादीन सरस्वतीपुरम	51. सिद्वार्थनगर कालोनी
22. ओमनगर 1	52. बगहाबाबा स्थान
23. ओमनगर आरामशीन के पास	53. प्रतापनगर कालोनी
24. राम जानकी नगर	54. टीनघर पुलिया
25. देवनगरी	55. इन्जी0 कालेज के पास
26. भोलाजीपुरम	56. स्पोर्टस कालेज के पास
27. अशोकनगर	57. राजीव नगर
28. मोतीपोखरा	58. गंगानगर
29. कन्हैया जूनियर हाई स्कूल	59. धर्मशाला
30. धर्मपुर प्रगति विहार	60. भव्या मैरेज हाउस से शिवपुरी कालोनी

विभिन्न विभागों के कार्य

आपदा के पूर्व/आपदा के दौरान/आपदा के पश्चात् की तैयारियों का सुझाव

लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग संयुक्त

1. विभाग द्वारा प्रस्तावित नई परियोजनाओं को शासनादेश सं0–199/1–11–2013–रा0–11 दिनांक 13 मार्च, 2013 के अनुसार स्थानीय आपदाओं (बाढ़, भूकम्प, अतिवृष्टि आदि) को दृष्टिगत रखते हुए परियोजना का स्वरूप एवं लागत तैयार कर मांग प्रेषित की जायेगी।
2. शासन स्तर से निर्धारित मानकों में स्थानीय आपदाओं (बाढ़/अतिवृष्टि/भूकम्प आदि) के दृष्टिगत योजनाओं में परिवर्तन किये जाने हेतु पत्राचार किया जायेगा।
3. बाढ़/अतिवृष्टि/भूकम्प आदि के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का आंकलन शासनादेश सं0–199/1–11–2013–रा0–11 दिनांक 13 मार्च, 2013 के अनुसार (बेहतर पुर्ननिर्माण के सिद्धान्त पर) के अन्तर्गत परियोजना तैयार कर 15 अक्टूबर 2013 तक जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
4. स्थानीय आपदा बाढ़ एवं जलजमाव के दृष्टिगत समस्त विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर भवन/सड़क/पुल/पुलिया आदि के डिजाईन एवं तकनिकी मानक तय किये जाने हेतु जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के माध्यम से बैठक किया जाना अपेक्षित है।
5. विभाग द्वारा तैयार की गयी विभिन्न सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की वर्तमान स्थिति/नाजुकताओं का आंकलन कर उन्हें आपदारोधी बनाये जाने हेतु नियमानुसार शासन को मांग प्रेषित की जायेगी।
6. बाढ़/अतिवृष्टि आदि के दृष्टिगत विभाग स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं।
7. विभाग स्तर पर उपलब्ध संसाधनों (ट्रैक्टर–ट्राली, ट्रक, जे0सी0बी0, रोलर आदि) का विवरण www.idrn.gov.in में दिये गये संसाधनों की सूची के आधार पर सूचना आपदा कार्यालय को दिनांक 15 जून, 2013 से पूर्व प्रेषित कर दिया जायेगा।
8. बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुए सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का मदवार विवरण आपदा कार्यालय को 30 अक्टूबर, 2013 तक निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

क्र.सं.	मद (सड़क/भवन/पुल/पुलिया)	कुल संख्या	कुल धनराशि	टिप्पणी

9. विभाग द्वारा स्थापित पीपे के पुल 15 जून, 2013 तक नियमानुसार बन्द कर दिये जायेंगे।

विद्युत विभाग

जनपद में 220 के.वी. का विद्युत केन्द्र बरहुआ में स्थित है जिससे गोरखपुर के साथ महराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर को विद्युत आपूर्ति होती है। वर्ष 1998 में बोक्टा बरवार बांध टूटने से इस केन्द्र में लगभग 5 फीट पानी भर गया था जिससे गोरखपुर मण्डल की आपूर्ति बाधित हुई थी परन्तु विद्युत विभाग के अधिकारियों के अथक परिश्रम से बस्ती आने वाली 132 के.वी. लाइन को 132 के.वी. स्टेशन फर्टिलाइजर से जोड़कर चारों जिलों की विद्युत आपूर्ति रिस्टोर की गयी थी। विद्युत विभाग गत वर्ष जैसी किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिये तैयार है। रुस्तमपुर 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्रों के चारों ओर पानी से सुरक्षा हेतु रनिंग वाल का निर्माण होना है। नगर निगम व विद्युत विभाग द्वारा इसका निदान किया जा रहा है। गत वर्ष की बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में जनपद में स्थित 132 के.वी. तथा 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों को चालू रखने के उद्देश्य से संवेदनशीलता का आकलन कर वहां पर बालू बोरी, पम्पसेट की व्यवस्था समय से सुनिश्चित कर ली जाय। अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठण्डक पड़ने के कारण विद्युत आपूर्ति की मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण आपूर्ति बाधित होती है। मौसम विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर मौसम के विषय में पूर्व सूचना के आधार पर आपूर्ति की मांग की जाती है। बाढ़/अतिवृष्टि/चक्रवात आदि दैवीय आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के क्षति का आंकलन कर पुर्नस्थापन हेतु योजना आपदा कार्यालय को दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 तक प्रेषित कर दी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तार के टकराव एवं नीचे होने के कारण आग लगने की सम्भावनाएं बढ़ जाती है, इस हेतु विभाग स्तर पर सर्वेक्षण 15 मार्च तक कराकर विद्युत तारों को टाईट किया जायेगा साथ ही जनसमुदाय को जागरूक किया जायेगा कि वे अपने खेतों को आग से सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक सावधानियाँ बरतें। विभाग स्तर पर आपदा के दौरान जोन कार्यालय मोहद्दीपुर, गोरखपुर के दूरभाश सं0–05512204203 अथवा मुख्य अभियन्ता के दूरभाष सं0–9415343333 पर सूचना प्रेषित करने पर विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की जायेगी। बाढ़/अतिवृष्टि/चक्रवात/जलजमाव आदि के कारण सम्भावित क्षतिग्रस्त होने वाले संसाधनों को चिन्हित कर आपदारोधी बनाने हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रेषित किया जायेगा। विभाग द्वारा प्रायोजित नये परियोजनाओं को शासनादेश सं0–199/1–11–2013–रा0–11 दिनांक 13 मार्च, 2013 के अनुसार शासन स्तर पर मांग प्रेषित की जायेगी।

वन विभाग

बाढ़ के समय जल प्लावन के कारण पशुओं के चरने के स्थानों की कमी हो जाती है तथा गांवों में पानी घुस जाने से पशुओं के लिये संचित भूसा नष्ट हो जाता है। ऐसे समय इस समस्या से निपटने हेतु पशुओं को चरने हेतु वन विभाग द्वारा जंगलात खोल दिये जाते है। वन विभाग द्वारा यह भी प्रस्ताव रखा गया कि यदि बचाव राहत कार्य हेतु बल्लियों की आवश्यकता हो तो उन्हें पूर्व से अवगत कराया जाय जिससे वन निगम के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा सके। इस संबंध में अधिशासी अभियन्ता बाढ़ एवं ड्रेनेज, समस्त अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग एवं समस्त अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग को अवगत कराया गया है कि आवश्यकता होने पर बल्लियों की आपूर्ति वन विभाग से संपर्क करें। गोरखपुर और आस–पास के जंगलों में पेड़ों को प्रायः आग, बाढ़ आदि से नुकसान नहीं होता क्योंकि यहां के जंगलों के पेड़ काफी ऊंचें और मजबूत होते हैं जैसे–सागौन, साखू आदि। गोरखपुर और आस–पास के जंगलों का दायरा पिछले वर्षों के मुकाबले बढ़ा है। बजट एवं

कर्मचारियों की कमी के कारण विभागीय तथा जागरूकता कार्य करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जनसाधारण में पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं प्रशिक्षण का अभाव। जनसाधारण को पर्यावरण के प्रति अधिक से अधिक जागरूक और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। बाढ़ या सूखे के दौरान राहत शिविरों के आस–पास स्थापित पेड़–पौधों की सुरक्षा की जाये, उनको नष्ट (ईंधन के रूप में) न किया जाये। अत्यधिक गर्मी एवं असमय बरसात होने के कारण जंगलों के विस्तार हेतु लगाये जाने वाले पौध सिंचाई के आभाव में प्रायः नष्ट हो जाते हैं। ट्यूबवेल व पम्पिंग स्टेशन विभाग स्तर पर लगाये जाने उचित होंगे जिससे कि वर्ष भर ससमय पौधों की सिंचाई की जा सके। मनरेगा के अन्तर्गत विभाग को उपलब्ध कराये जाने वाले मानवीय संसाधन के निरन्तर बदलाव के कारण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण विभाग की नष्ट हुई सार्वजनिक सम्पत्तियों एवं वित्तीय वर्ष में स्थापित नये वृक्षारोपण एवं पौधशालाओं में उगाये गये नये पौध का क्षति आंकलन तत्काल अक्टूबर के अन्त तक पूर्ण कराकर एस0डी0आर0एफ0 गाईड लाईन के तहत मांग प्रेषित की जायेगी। विभाग द्वारा जलाशयों व तटबंधों के आस–पास वृक्षारोपण का कार्य नियमानुसार कराया जायेगा। विभाग द्वारा प्रथम वर्ष में Soil Work कराकर द्वितीय वर्ष में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। बाढ़/अतिवृष्टि के कारण नष्ट हुए Soil Work को तत्काल ठीक कराने की भी विभाग स्तर पर बजट की उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि नष्ट हुए Soil Work को तत्काल ठीक कराने के लिए एस0डी0आर0एफ0 मद से धनराशि उपलब्ध कराया जाये। जनपद स्तर पर एक पर्यावरण सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु विभाग का गठन किया जाना चाहिए।

परिवहन विभाग

बाढ़ के समय खाद्यान्न एवं राहत सामग्री, नावों तथा सेना के लिये ट्रकों एवं बसों की आवश्यकता पड़ती है। राहत कार्य व चिकित्सकों एवं पशु चिकित्सकों के मोबाइल टीमों के लिये जीपों की आवश्यकता पड़ती है। बाढ़ के दौरान ट्रकों, बसों एवं जीपों को उपलब्ध कराने का दायित्व क्षेत्रीय संभागीय परिवहन अधिकारी का होगा। गत वर्ष की बाढ़ के दृष्टिगत ट्रकों, बसों एवं जीपों को चिन्हित कर उनकी सूची बना ली जाय जिससे मांग के अनुसार जनपद मुख्यालय व तहसीलों में वाहन अल्प समय में उपलब्ध हो सकते है। आर.टी.ओ. द्वारा मॉग के आधार पर समस्त वाहन उपलब्ध कराए जाएंगें तथा पी0ओ0एल0 की व्यवस्था जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर सुनिश्चित करेंगे।

प्रभारी अधिकारी वी.आई.पी. जनपद मुख्यालय पर उपलब्ध सरकारी वाहनों की सूची तैयार कर अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को उपलब्ध करायें जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनको अधिग्रहीत किया जा सके।

आवश्यकता पड़ने पर उ.प्र.रा.स. परिवहन निगम की बसों को भी बचाव एवं राहत कार्यों में प्रयोग किया जायेगा। रीजनल मैनेजर उ.प्र.रा.स.प.नि. गोरखपुर को बाढ़ के दौरान आवश्यकतानुसार बसों की आपूर्ति करने हेतु अभी से अवगत करा दिया जाय।

आपदा से पूर्व

1. बाढ़ / किसी भी आपदा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा मांग किये जाने के अनुसार विभाग से वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसके ईंधन आदि की व्यवस्था हेतु पूर्ति विभाग से समन्वय स्थापित किया जायेगा।
2. 31 मई 2013 तक आपातकालीन आपरेशन के दौरान बचाव दल, प्राथमिक चिकित्सा दल और राहत सामग्री ले जाने हेतु प्रयोग किये जाने वाले वाहनों की सूची तैयार कर ली जायेगी।
3. पूर्व की बाढ़ के अनुभवों के आधार पर जनपद के अति संवेदनशील मार्गों का चिन्हिकरण कर वैकल्पिक सुरक्षित मार्गों की पहचान कर ली गयी है। नक्शे की एक प्रति आपदा कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।
4. वाहन अधिग्रहण हेतु फार्म पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा लिया गया है।
5. वाहन स्वामियों के साथ 15 जून, 2013 तक बैठक कर आवश्यक निर्देश दे दिये जायेंगे।
6. विभाग स्तर पर आपदा के दौरान विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित किये जाने हेतु एक नोडल अधिकारी दूरभाष संख्या सहित आपदा कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करा दिया जायेगा।
7. विभाग द्वारा जनपद की विभिन्न मार्गों के नक्शे तथा उन पर वाहन संचालन क्षमता को दर्शाते हुए नक्शा आपदा कार्यालय को अतिशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

आपदा के दौरान

8. जिला प्रशासन द्वारा मांग किये जाने पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करा दिये जायेंगे।
9. जिले स्तर पर जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जायेगा।

आपदा के पश्चात्

10. विभाग द्वारा आपदा के दौरान किये गये राहत कार्यों का विवरण आपदा कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करा दिया जायेगा।
11. बाढ़ / अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों की सूचना आपदा कार्यालय को अक्टूबर माह तक उपलब्ध करा दी जायेगी।

रेलवे

वर्ष 1998 की भीषण बाढ़ में जगत बेला से मगहर तक रेल पट्टी क्षतिग्रस्त होने के कारण रेल यातायात बाधित हुआ था। झड़वा बांध कट जाने से राजमार्ग व रामगढ़ताल के मध्य स्थित रेलवे कालोनी, आर.पी.एफ कैम्प व बिछिया रेलवे कालोनी में भर गया था। रेल विभाग द्वारा रेलवे लाइनों व पटरियों के सुरक्षा की योजना तैयार कर ली गई है। रेलवे लाईनों व पटरियों की वर्षा एवं बाढ़ के समय सघन पेट्रोलिंग करायी जायेगी। कही पर भी आकस्मिकता उत्पन्न होने पर रेगुलर गैंग तथा आवश्यकता पड़ने पर स्पेशल गैंग भेजकर व्यवस्था कर हर हालत में रेल यातायात चालू रखने का प्रयास किया जायेगा। रेलवे द्वारा बाढ़ के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है तथा एक अधिकारी को नामित किया गया है जो कि जिला प्रशासन के सम्पर्क में रह कर रेलवे अथवा जिला प्रशासन की समस्याओं का

समाधान करायेंगे। राहत सामग्री अथवा नाव के लाने ले जाने हेतु रेलवे बैगन की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

मौसम विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग का कार्यालय एम.ई.एस. निरीक्षण भवन के निकट कूड़ाघाट में स्थित है। सहायक मौसम विशेषज्ञ से समन्वय हो चुका है। उनके द्वारा प्रतिदिन मौसम संबंधी सूचना तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमान से अवगत कराया जा रहा है।

केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय जल आयोग का कार्यालय तुर्कमानपुर में स्थित है जिसके द्वारा जनपद में प्रवाहित होनी वाली नदियों के दैनिक जल से अवगत कराया जाता है। प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे व अपरान्ह 3.00 बजे तक रीडिंग प्राप्त होती है।

जल निगम

जल निगम के नगरीय क्षेत्र में इलाहीबाग, डोमिनगढ़, मिर्जापुर में पम्पिंग स्टेशन हैं जो कि वर्षा काल में अतिवृष्टि व जल जमाव का पानी राप्ती नदी में पम्प करते है। इन पम्पों को चेक कराकर देख लिया जाय कि यह चालू हालत में रहे। इसके अलावा वर्ष 1998 में भयंकर बाढ़ के समय पम्पिंग हेतु जल निगम को 35 पम्प प्राप्त हुए थे जो कि जल निगम के स्टोर में रखे हुए है। इन पम्पों की रिपेयरिंग व सर्विसिंग करा कर इनको ठीक दशा में रखा जाय जिससे आवश्यकता पड़ने पर इनको प्रयोग किया जा सके। बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में शुद्ध पेय जल आपूर्ति करने हेतु जल निगम द्वारा हैण्ड पम्पों की स्थापना उप जिलाधिकारियों की मांग के आधार पर करायी जायेगी। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में लगे हुये स्थानीय हैण्ड पम्पों के विसंक्रमण में चिकित्सा विभाग का सहयोग किया जायेगा। गांवों में स्थापित किये जाने वाले इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प में से कुछ हैण्डपम्प ग्रामवासियों के सहयोग से एवं स्थानीय परिस्थितियों (बाढ़ / जल जमाव) को ध्यान में रखते हुए स्थापित किये जायें। इस हेतु शासन स्तर से शासनादेश के अन्तर्गत प्रावधान कराने की आवश्यकता है। जबकि 75 मीटर एवं 100 की जनसंख्या पर एक हैण्ड पम्प स्थापित किया जाता है। बाढ़ के पश्चात् फेल हुए हैण्डपम्प की पुर्नस्थापन हेतु नियमानुसार आपदा राहत निधि से दिनांक 15 अक्टूबर तक मांग प्रेषित किया जाना। विशेष परिस्थितियों में बाढ़ के दौरान शासन द्वारा मांग किये जाने पर सम्बन्धित सुरक्षित स्थलों पर हैण्डपम्प स्थापित किया जायेगा। विभाग द्वारा कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिला प्रशासन से दिसम्बर एवं जनवरी माह में मांग प्रेषित की जायेगी।

दूर संचार

इस विभाग का दायित्व होगा कि बाढ़ एवं विषम परिस्थितियों के समय दूर संचार व्यवस्था चालू रहे जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे और सूचनाओं का सम्प्रेषण हो सके। वर्ष 1998 की बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में उन टेलीफोन एक्सचेंज को चिन्हित कर लिया जाय जो कि बाढ़ से प्रभावित हुये थे। वहां पर बालू की बोरियों व पम्पिंग सेट की पूर्व से ही व्यवस्था रखी जाय। इसके साथ ही साथ नियंत्रण कक्षों तथा बाढ़ ड्यूटी से सम्बद्ध अधिकारियों के टेलीफोन की रेगूलर मानीटरिंग करा कर उनको ठीक हालत में रखा जाय।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

वर्ष 2013 में बाढ़ से निपटने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पास निम्न संयंत्र उपलब्ध है:–

1. **फरसहिया टोला के पास पंम्पिंग स्टेशन**
   फिक्स पम्प 32 एच0पी0 – 06 अद्द
   वैकुम पम्प – 02 अद्द
2. **नौकायन केन्द्र पम्पिंग स्टेशन फिक्स पम्प**
   32 एच0पी0 – 02 अद्द
   वैकुम पम्प – 01 अद्द
3. **मोबाइल टाली पम्प 19 एच0पी0** – 07 अद्द
4. **छोटे पम्प 06 एच0पी0** – 04 अद्द

उपरोक्त पम्पों के क्रम संख्या – 1 व 2 पम्प जल निकासी हेतु फिक्स हैं तथा क्रम संख्या – 3 व 4 जल भराव की स्थिति में आवश्यकतानुसार लगाया जाता है।

सूखा से निपटने के लिए प्राधिकरण के पास 02 अद्द टैंकर (क्षमता 4550 ली0) उपलब्ध है, जो आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

बेसिक शिक्षा विभाग

पत्रांक संख्या : 187/2013–14 दिनांक 31.05.2013 के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग की कार्ययोजना निम्नवत् है :–

आपदा से पूर्व

1. जनपद स्तर पर स्थापित किये जाने वाले नये विद्यालयों के भूमि का चयन एवं निर्माण कार्यों में स्थानीय आपदाओं (बाढ़/भूकम्प/अतिवृष्टि) के दृष्टिगत किया जायेगा।
2. आपदा के दौरान वैकल्पिक शिक्षा संचालन हेतु सुरक्षित स्थलों को चिन्हित किये जाने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित कर दिया जायेगा।
3. अध्यापकों को बाढ़/भूकम्प/अन्य आपदाओं पर वृहद रूप से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु शासन स्तर पर मांग प्रेषित की जायेगी।
4. आपदा के दौरान विभाग स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा, जहां पर शिफ्ट वाईज ड्यूटी निर्धारित करते हुए कर्मचारी सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु तैनात रहेंगे।
5. जिले के अन्तर्गत स्थापित समस्त विद्यालय भवनों के वर्तमान स्थिति के आंकलन हेतु सम्बन्धित समस्त प्रधानाचार्यों को निर्देशित कर दिया गया है।
6. विद्यालयों में स्थापित अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग समयानुसार सुनिश्चित किये जाने एवं प्रयोग विधि की जानकारी (मुख्यतः लेखा विभाग के कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों) उपलब्ध कराने हेतु समस्त प्रधानाचार्यों को निर्देशित कर दिया गया है।
7. विद्यालयों में विभिन्न आपदाओं के दौरान क्या करें, क्या न करें विषय पर प्रार्थना सभाओं के दौरान विद्यार्थियों/कर्मचारियों/अध्यापकों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
8. जल निगम एवं पंचायत के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यालय परिसर में स्थपित किये जाने वाले मार्क–11 हैण्डपम्प की जल निकासी की व्यवस्था उचित प्रकार से किये जाने हेतु प्रधानाचार्यों को निर्देशित कर दिया गया है।
9. विद्यालयों की आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण तथा वर्ष में 2 बार मूक अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसके लिए नागरिक सुरक्षा/एन0सी0सी0/नेहरू युवा केन्द्र/स्काउट एण्ड गाईड/एन0एस0एस0 के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने हेतु समस्त प्रधानाचार्यों को निर्देशित कर दिया गया है।

आपदा के दौरान

1. आपदा के दौरान सुरक्षित स्थलों/राहत शिविरों में विद्यार्थियों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु समस्त को निर्देशित कर दिया गया है।

आपदा के पश्चात्

1. आपदा के पश्चात् विभागीय तकनिकी कर्मचारियों/कार्यदायी संस्था के माध्यम से क्षतिग्रस्त हुए विभागीय परिसम्पत्तियों का आंकलन कर पुर्नस्थापना हेतु शासनादेश सं0–199/ 1–11–2013–रा0–11 दिनांक 13 मार्च, 2013 के अनुसार (बेहतर पुर्ननिर्माण के सिद्धान्त पर) जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण कार्यालय को 15 अक्टूबर, 2013 तक प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जायेगा।

बाढ़ राहत स्वयंसेवी संस्थाएं/संगठन

वर्ष 1998 की बाढ़ के समय स्वयंसेवी संस्थाओं ने बाढ़ क्षेत्रों में जाकर अथवा सामग्री उपलब्ध कराकर बाढ़ पीड़ितों को राहत सहायता उपलब्ध कराने में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। इसके साथ ही साथ कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने चिकित्सकीय सहायता चिक्त्सिक एवं दवाएं वितरित कर उल्लेखनीय योगदान किया गया था। गत वर्ष की बाढ़ के प्रथम चरण में अधिकांश स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर राहत सामग्रियों का वितरण किया गया था परन्तु द्वितीय चरण में मार्गों के कट जाने के कारण संस्थाएं सुदूर क्षेत्रों में नही जा सकी वरन् नगर के आस पास ही केन्द्रित रह गई। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा एयर ड्रापिंग पैकेट तैयार करा कर उपलब्ध कराये गये थे।

वर्ष 2013–14 में स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों, व्यक्तियों तथा स्कूल कालेजों के बच्चों को अधिक से अधिक सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों को चिन्हित किया जा रहा है। जो कि चिन्हित बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड पाकेट्स) को अंगीकृत कर बाढ़ राहत का कार्य करें। जनपद में गत वर्ष प्रभावित क्षेत्रों में से 19 फ्लड पाकेट्स का चयन किया गया है। एक फ्लड पाकेट्स को अंगीकृत कराने का उद्देश्य यह है कि जनपद के सभी क्षेत्रों तक स्वयं सेवी संस्थाओं की राहत सामग्री पहुँच सके। यह भी हो सकता है कि एक क्षेत्र में कई संस्थाएं एक साथ पहुंच जायं तथा कोई क्षेत्र पूर्ण रूपेण खाली रह जाय। बाढ़ क्षेत्रों के अभी से अंगीकृत हो जाने से संस्थाएं बाढ़ के पूर्व से ही कार्य शुरू कर देगी। अभी से भ्रमण करके क्षेत्र की समुचित जानकारी, जन सम्पर्क, जनसंख्या आदि की जानकारी होने से कार्य करने में सहूलियत होगी। चिन्हित किये गये बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड पाकेट्स) के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सम्बद्ध/अंगीकृत कराया जा रहा है।स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों से समन्वय का कार्य अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा किया जायेगा जो कि अपनी सहायता हेतु एक अधिकारी तथा आवश्यकतानुसार स्टाफ को सम्बद्ध करेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं की सुविधा हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के कार्यालय पर 'बाढ़ स्वयंसेवी सेल' की स्थापना की जायेगी। प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों के अतिरिक्त अधिकांश संस्थाएं/संगठन एवं व्यक्ति बाढ़ के समय ही सम्पर्क करते है जो कि सामग्री एकत्र कर बाढ़ क्षेत्रों में वितरण हेतु ले जाते हैं। उनकी अपेक्षा रहती है कि मुख्यालय से बाढ़ क्षेत्रों तक के लिये वाहन तथा बाढ़ क्षेत्रों के गांवों में जाने के लिये नाव तथा गाइड्स उपलब्ध रहे। जनपद मुख्यालय से इनको वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए बाढ़ स्वयंसेवी सेल पर पर्याप्त संख्या में ट्रक, मिनी ट्रक, मिनी बस, जीप आदि उपलब्ध रखी जाय। बाढ़ स्वयंसेवी सेल से जाने वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। कैम्पियरगंज तहसील के बाढ़ क्षेत्रों के लिये तहसील, सदर तहसील के लिये तहसील, सहजनवां तहसील के तहसील, चौरीचौरा तहसील के लिए थाना झंगहा, बांसगांव तहसील के लिये निरीक्षण भवन कौड़ीराम, तहसील खजनी के लिये तहसील तथा तहसील गोला के लिये थाना बड़हलगंज मुख्यालय से वाहनों के माध्यम से जायेंगे जहां से उन्हें गाइड प्राप्त होंगे तथा वही गाइड साथ जा कर आवश्यकतानुसार उन्हें नावें भी उपलब्ध करायेंगे।

स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों द्वारा एयर ड्रापिंग के लिये मानक के अनुसार तैयार कराये गये पैकेट 'बाढ़ स्वयंसेवी सेल' में उपलब्ध कराये जायेंगे। जहां से एयर ड्रापिंग सेल के माध्यम से एयर फोर्स स्टेशन, गोरखपुर एयर ड्रापिंग हेतु भेजे जायेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दवाओं के वितरण तथा चिकित्सकीय सुविधा के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी के नियन्त्रण कक्ष से संपर्क किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों द्वारा प्रतिदिन वितरित की जाने वाली राहत सहायता के संबंध में प्रतिदिन प्रेस नोट जारी करके स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्तियां भी प्रकाशित कराई जायेंगी।

फण्ड एवं जिला आपदा राहत कोष

फण्ड

जिला आपदा राहत अधिकारी का दायित्व होगा कि वे बचाव एवं राहत कार्य हेतु समय से शासन से धन की मांग कर तहसीलों को उपलब्ध करायें। धनाभाव के कारण आपदा राहत कार्य बाधित नहीं होना चाहिये। आकस्मिकता की दशा में सम्यक कोषागार नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था करायी जानी चाहिये। आपदा राहत की तात्कालिकता के दृष्टिगत शासन ने जनपद स्तर पर आपदा राहत निधि के लिये बैंक में एकाउण्ड खोलकर शासन से प्राप्त धन को जमा करने का प्राविधान किया है। जिससे तत्काल तहसीलों को आपदा राहत हेतु धन उपलब्ध कराया जा सके। आपदा राहत निधि से अहैतुक सहायता, गृह अनुदान व अनुग्रह राशि प्रदान करने हेतु धनावटन जनपद स्तर विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य है परन्तु नाव किराया मद व कार्यालय मद में शासन से धन आवंटन प्राप्त करना होगा। आपदा राहत की विभिन्न मदों के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता शासनादेश सं. जी0आई–134/1–11–2007–46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 के अनुसार ही दी जायेगी। तहसीलवार आंवटित धनराशि का उपयोग कर विवरण तथा प्रमाण पत्र प्रति सप्ताह भेजेंगे तथा आवश्यकता का आकलन कर धन की मांग भी करते रहेंगे। जनपद स्तर पर आपदा लिपिक शासन से प्राप्त धन, तहसीलों को आवंटन तथा उपयोगिता का विवरण रखेंगे और निर्धारित प्रपत्र पर इसकी सूचना समय से शासन को प्रेषित करेंगे।

जिला आपदा राहत कोष

जनपद में आपदा/बाढ़ के समय दैवी आपदा राहत कोष की स्थापना करने का प्राविधान शासनादेश सं. 412–आर/आई.एस.–32–32/50 दिनांक 12.5.1952 में किया गया है। बाढ़ अथवा आपदा के समय जनसहयोग अत्यन्त आवश्यक है। जिसके लिये जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गोरखपुर के नाम से खोले गये खाते में धन राशि जमा की जायेगी। स्वयं सेवी संस्थाओं/संगठनों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों, व्यापारियों, स्कूलों आदि से आपदा सहायतार्थ प्राप्त होने वाली धनराशि इस खाते में जमा की जायेगी तथा जमाकर्ता को रसीद भी दिया जायेगा। जनपद में जिला आपदा कोष की स्थापना की जा चुकी है। जिला आपदा कोष में जमा होने वाली धनराशि का व्यय बाढ़/आपदा ग्रसित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों के लिये जिला आपात कालीन परामर्श दात्री समिति के पांच सदस्यों की उप समिति बना कर उसकी राय के अनुसार किया जायेगा। जिला आपदा कोष के लिये अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को प्रभारी बनाया गया है।

शा०स० 412-आर/आई०एस०-32/50 दिनांक 12.5.2013

1 दैवी आपदा राहत कोष प्रत्येक जिले में स्थापित होना चाहिये। यह केवल बाढ़ की अवधि में ही केवल सहायता पहुंचाने के लिये नहीं, अपितु यह सूखा, बाढ़, अकाल, अग्निकांड जैसी गम्भीर परिस्थितियों में राहत कार्यों के लिये होता है। राहत कार्यों के लिये जनता द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्रदत्त धन को कोष में डाला जाता है। अहैतुक राहत के

लिये शासन द्वारा स्वीकृत धन को कोष में नही सम्मिलित किया जायेगा। ऐसे राहत कार्यों के लिये जिलाधिकारी स्थानीय जनता से प्राप्त दान/भेंट अपने निजी लेखे में 'दैवी आपदा राहत कोष' के नाम से कोषागार/बैंक में रखेंगे तथा जिले के राहत कार्यों में इसका उपयोग करेंगे। जब कभी आवश्यकता हो तो यह धन चेक द्वारा कोषागार/बैंक से जिलाधिकारियों द्वारा आहरित किया जा सकता है। इस निजी लेखा की सम परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के कर्मचारियों द्वारा की जायेगी।

2 जिलाधिकारी एक छोटी स्थायी समिति भी बना सकते है जिसमें स्थानीय विधायक, सहायता संगठनों के प्रतिनिधि तथा प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता होंगे। ये प्रतिनिधि दैवी आपदा राहत कोष से किये जाने वाले व्यय पर परामर्श देंगे।

3 शासन को एक त्रैमासिक रिपोर्ट निम्नलिखित सूचना देते हुए भेजी जानी चाहिये –
- क. पिछले त्रैमास के प्रारम्भ में अधिशेष।
- ख. पिछले त्रैमास में प्राप्त कुल धन।
- ग. तीन महीनों में व्यय की गयी धनराशि।
- घ. कोष में शेष धनराशि

बाढ़,अग्निकाण्ड एवं भूकम्प से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने हेतु कार्य योजना की तैयारी एवं समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति

आज दिनांक 22.04.2013 को कलेक्ट्रेट सभागार में वित्तीय वर्श 2013–14 के बाढ़, अग्निकाण्ड एवं भूकम्प से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने एवं प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्नांकित माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे–

1. श्री जय प्रकाश निषाद, मा0 विधायक चौरीचौरा, गोरखपुर।
2. आचार्य श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रतिनिधि मा0 विधायक चिल्लूपार, गोरखपुर।
3. श्री श्याम नारायण, प्रतिनिधि मा0 विधायक खजनी, गोरखपुर।
4. श्री देवकृष्ण तिवारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), प्रभारी अधिकारी (आपदा), गोरखपुर।
5. श्री गौरव वर्मा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गोरखपुर।
6. श्री पी0के0 पाण्डेय, वै0 सहायक, मौसम विभाग, गोरखपुर।
7. श्री जे0पी0 चौरसिया, स0 मौसम विज्ञान, ग्रेड–2 मौसम विभाग, गोरखपुर।
8. श्री नीरज मिश्र, सहायक उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा कोर, गोरखपुर।
9. श्री प्रेम कुमार द्विवेदी, जिलापूर्ति अधिकारी, गोरखपुर।
10. डा0 डी0पी0 सिंह, ए0सी0एम0ओ0, गोरखपुर।
11. श्री दिनेश कुमार, सहायक अभियन्ता सरयू नहर खण्ड–प्रथम, गोरखपुर।
12. श्री जय प्रकाश, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।
13. श्री अंजनी कुमार मिश्र, संरक्षक, सूचना विभाग, गोरखपुर।
14. डा0 निर्मल प्रसाद, जिला होम्योपैथिक अधिकारी, गोरखपुर।
15. श्री नारायण सिंह, प्लाटून कमाण्डर, 26वीं वाहिनी पी0ए0सी0, गोरखपुर।
16. श्री मोती लाल सिंह, उपजिलाधिकारी, चौरीचौरा, गोरखपुर।
17. श्री गोपाल चन्द सिन्हा, प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।
18. श्री पी0सी0 गौतम, फायर स्टेशन आफिसर, गोरखपुर।
19. श्री महेन्द्र नाथ त्रिपाठी, प्रतिनिधि, बी0एस0ए0, गोरखपुर।
20. श्री जे0एन0 पाण्डेय, पी0टी0ओ0 (आर0टी0ओ0), गोरखपुर।
21. श्री रामजी राम, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, गोरखपुर।
22. श्री बच्चा सिंह, जी0पी0एस0, पंचायत राज विभाग, गोरखपुर।

23. श्री एस0एन0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, गोरखपुर।
24. श्री बी0एन0 शुक्ला, सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, गोरखपुर।
25. श्री एस0आर0वी0 सिंह, सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड–2, गोरखपुर।
26. श्री के0एस0 भारती, सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, गोरखपुर।
27. श्री पी0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड–2, गोरखपुर।
28. श्री रासिद अली, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, गोरखपुर।
29. श्री अमरनाथ राय, उपजिलाधिकारी, गोला, गोरखपुर।
30. श्री उदय शंकर सिंह, सहायक अभियन्ता, न0स0–2, गोरखपुर।
31. श्री गौरीशंकर गुप्त, स0अ0च0न0कू0ख0–1, गोरखपुर।
32. श्री विरेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर।
33. श्री बृजेश सिंह, जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर।
34. डा0 के0पी0 सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (पशुपालन), गोरखपुर।
35. कर्नल श्री एम0सी0ए0ए0 पिल्लई (वी0एस0एम0), जी0आर0डी0 स्टेशन कूड़ाघाट, गोरखपुर।
36. श्री जी0पी0 उपाध्याय, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, दशम शाखा, गोरखपुर।
37. डा0 आशीष श्रीवास्तव, अध्यक्ष, भारत सेवा मिशन, गोरखपुर।
38. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद, उपजिलाधिकारी (सदर), गोरखपुर।
39. श्री जगदम्बा सिंह, तहसीलदार चौराचौरा, गोरखपुर।
40. श्री कन्हैया लाल गुप्ता, तहसीलदार कैम्पियरगंज, गोरखपुर।
41. श्री बी0 राम, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, गोरखपुर।
42. श्री एस0एन0 सिंह, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियत्रण विभाग, गोरखपुर।
43. श्री राजेश श्रीवास्तव, तहसीलदार बासंगांव, गोरखपुर।
44. श्री अवनेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता, गो0वि0प्रा0, गोरखपुर।
45. श्री रामपाल, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, गोरखपुर।
46. श्री एस0बी0 सिंह, सहायक अभियन्ता (जल), नगर निगम, गोरखपुर।
47. श्री एस0के0 सिंह, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
48. डा0 एस0 चनप्पा, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), गोरखपु।
49. श्री संतोष कुमार राय, तहसीलदार सदर, गोरखपुर।
50. श्री महेन्द्र मिश्र, सहायक अभियन्ता, तृतीय विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, गोरखपुर।
51. श्री एस0एन0पी0 सिंह यादव, अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर।
52. श्री गौतम गुप्ता, पी0ओ0, डी0डी0एम0ए0, गोरखपुर।
53. श्री राघवेन्द्र सिंह, परियोजना समन्वयक (ए0आर0आर0 परि0), पी0जी0वी0एस0, गोरखपुर।
54. अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण, गोरखपुर।

सर्वप्रथम श्री गौतम गुप्ता, परियोजना अधिकारी, आपदा प्रबंधन, गोरखपुर द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों एवं आये अधिकारीगण का स्वागत कर बैठक प्रारम्भ की गयी। उन्होंने बैठक के एजेण्डा बिन्दु की प्रति सभी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराते हुये विस्तारपूर्वक अवगत कराया। उन्होनें बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध संस्थान, भारत सरकार, आई0एस0ई0टी0 अमेरिका एवं स्थानीय संस्था गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप, गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में जनपद गोरखपुर को जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत् जिला आपदा न्यूनीकरण योजना निर्माण हेतु गाईड लाइन तैयार किये जाने के सम्बन्ध में अध्ययन कार्य हेतु चयनित किया गया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के साथ कार्यशाला का आयोजन कर विभागवार मुद्दों को चिन्हित किया गया। दिनांक 07.12.2012 को राहत आयुक्त महोदय, उ0प्र0 शासन के समक्ष इन बिन्दुओं को प्रस्तुत किया गया, जिस पर राहत आयुक्त महोदय ने उपस्थित समस्त 24 जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस प्रकार की बैठक अपने जनपद में आयोजित कर विभाग की योजनाओं में समाहित करें। उन्होंने शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्गदर्शिका की प्रति सभी प्रतिभागियों को उपलब्ध करायी।

तत्पश्चात् श्री देवकष्ण तिवारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी अधिकारी (आपदा) ने शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में एजेण्डा बिन्दुओं को आगे बढ़ाते हुए समस्त विभागों को निर्देशित किया कि बाढ़ एवं अन्य स्थानीय आपदाओं से उत्पन्न स्थिति से तत्काल राहत प्रदान किये जाने हेतु सभी सम्बन्धित विभाग समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना बना लें। यदि कार्ययोजना बना ली गयी हो तो तत्काल जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायें अथवा पांच दिवस में अपने विभाग के सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ चर्चा/बैठक कर कार्ययोजना का निर्माण पूर्ण कर प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. **बाढ़ खण्ड, गोरखपुर :** अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड द्वारा बताया गया कि बाढ़ खण्ड के अन्तर्गत कुल 27 बंधे हैं। संवेदनशील/असंवेदनशील बंधों को चिन्हित कर लिया गया है। खाली बोरों, कंक्रीट एवं बोल्डर संग्रहित कर लिया गया है। जनपद में 6 नदियाँ राप्ती–134मी0, घाघरा–77मी0, कुआनों–23मी0, रोहिनी–30मी0, आमी–77मी0, गोर्रा–17मी0 लम्बी है, जिन पर बंधे बनाये गये हैं, जिनकी कुल लम्बाई–445.990 किमी0 है। मा0 विधायक चौरीचौरा द्वारा अवगत कराया गया कि गोठा वाला रेग्यूलेटर खराब है। मा0 विधायक ने कहा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में बंधे की स्थिति जर्जर है, जिसका बाढ़ से पूर्व मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित बांध हेतु बजट की मांग की गयी है, बजट प्राप्त होते ही मरम्मत कार्य शुरू करा दिया जायेगा। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर शासन स्तर पर बजट आवंटन हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर वस्तु स्थिति से जिलाधिकारी महोदय को भी तत्काल अवगत करायें।

2. **बाढ़ खण्ड–2, गोरखपुर :** अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड–2, श्री पी0पी0 सिंह द्वारा बताया गया कि बाढ़ खण्ड–2 के अन्तर्गत कुल 18 बंधे निर्मित हैं। संवेदनशील/असंवेनशील बंधों को चिन्हित कर लिया गया है। खाली बोरों, कंक्रीट एवं बोल्डर संग्रहित कर लिया गया है। यह तटबंध राप्ती, घाघरा, कुआनों नदियों पर बना है।

आचार्य श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रतिनिधि मा0 विधायक, चिल्लूपार द्वारा बताया गया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बंधों की मरम्मत की जा रही है जिसमें प्रयोग होने वाले बोल्डर आरक्षित किये गये है। विभाग द्वारा बोल्डर बेतरतीब रखे जा रहे हैं, जिससे आवागमन में असुविधा उत्पन्न हो रही है। बोल्डरों के रख–रखाव में भी लापरवाही बरती जा रही है। सी0आर0एफ0 मद द्वारा अवमुक्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद मरम्मत कार्य सुचारू रूप से नहीं कराया जा रहा है। बड़हलगंज में मेडिकल कालेज निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो टेढ़िया बंधे से सटा है। टेढ़िया बंधे से डेरवा तक मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है तथा अनेक स्थलों पर बंधा काफी जर्जर हो गया है। इसी बंधे पर घाघरा नदी का अत्यधिक दबाव रहता है। बंधे को तत्काल सुदृढ़ कराया जाये अन्यथा गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। श्री श्याम नारायण प्रतिनिधि, मा0 विधायक खजनी द्वारा अवगत कराया गया कि कुंआनों नदी एवं सरयू नदी पर उरूवा से शाहपुर के बगल में जितवारपुर स्थित है, जिसके आवागमन हेतु पुलिया निर्माण कराया गया है, किन्तु रेग्यूलेटर न होने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि तत्काल रेग्यूलेटर का निर्माण कराया जाये। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि तत्काल मौके की जाँच कर निर्माण कार्य कराये जाने हेतु शासन को नियमानुसार बजट आवंटन के लिए मांग प्रेशित करें।

3. **ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर :** श्री एस0एन0पी0 सिंह यादव, अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर द्वारा बताया गया कि जनपद के राप्ती एवं रोहिनी नदी पर ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर के अन्तर्गत 19 बंधे निर्मित हैं, जिसमें हार्वड बांध, माधोपुर बांध शहर की सुरक्षा करता है। बंधे पर छिटपुट मरम्मत कराये जाने हैं, जिस हेतु शासन से बजट की मांग की गयी है। बजट प्राप्त होने पर मरम्मत करा लिया जायेगा। संवेदनशील/असंवेदनशील बंधों को चिन्हित कर लिया गया है। खाली बोरी, कंक्रीट एवं बोल्डर संग्रहीत कर लिया गया है।

4. **समस्त उपजिलाधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड–2/ड्रेनेज खण्ड :** अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित क्षेत्रों में समस्त बंधों के निरीक्षण का कार्य एसम्बन्धित उपजिलाधिकारी 15 मई से पूर्व करा लें तथा जाँच आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। यह भी निर्देशित किया गया कि राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर बाढ़ खण्ड/बाढ़ खण्ड–2/ड्रेनेज खण्ड अपने कार्य क्षेत्रों में गठित बाढ़ सुरक्षा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से मई माह के अन्तर्गत आयोजित करना सुनिश्चित करें साथ ही कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। बंधों पर स्थापित रेग्यूलेटरों की सफाई का भी कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

5. **मुख्य चिकित्साधिकारी :** डा0 डी0पी0 सिंह, ए0सी0एम0ओ0 द्वारा अवगत कराया गया कि बाढ़ से उत्पन्न होने वाली जलजनित समस्याओं/बिमारियों से बचाव हेतु तैयारियां पूर्ण करा ली गयी हैं साथ ही समस्त पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 पर आवश्यक दवाओं का भण्डारण कर लिया गया है। अस्पतालों में साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित

पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 एवं अन्य स्वास्थ्य विभाग की शाखाओं के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम, फोन नम्बर अस्पतालों पर दिवाल लेखन के माध्यम से करा दिया जाये ताकि इमरजेन्सी के समय उनकी उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके। पंचायत स्तर पर ए0एन0एम0 एवं ग्राम प्रधान के सहयोग से बाढ़ से पूर्व, दौरान एवं पश्चात जलजनित बिमारियों के रोकथाम हेतु ग्राम स्तर पर रणनीति तैयार कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

6. **मोटर बोट :** जनपद में राजस्व विभाग के 3 मोटर बोट उपलब्ध हैं जो चालू हालत में है। मोटर बोट के संचालन हेतु एक मोटर बोट चालक कार्यरत है तथा एक मोटर बोट चालक स्थानीय संस्था भारत सेवा मिशन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसे प्राधिकरण द्वारा माह जून तक अपनी सेवाएं प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। माह जुलाई से मोटर बोट संचालन हेतु मोटर बोट चालक की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में शासन से बजट की मांग किया जाना आवश्यक है। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा दैवीय आपदा लिपिक को निर्देशित किया गया कि ससमय शासन से मोटर संचालन के सम्बन्ध में मांग प्रेषित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

7. **पी०ए०सी० :** पी0ए0सी0 प्लाटून कमाण्डर द्वारा बताया गया कि पी0ए0सी0 के पास एल्यूमिनियम की 4 अदद एवं फाइबर ग्लास की 2 अदद मोटर बोट उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि विभाग में मोटर बोट संचालन से सम्बन्धित सभी वस्तुएं जैसे–ड्रैगन लाईट, लाईफ जैकेट आदि उपलब्ध हैं। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा अपेक्षा की गयी कि पी0ए0सी0 विभाग अपने बाढ़ सुरक्षा सम्बन्धित समस्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन की सूची मुख्य अधिकारियों/दल नायकों के दूरभाश संख्या सहित तत्काल अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. **जिला पंचायत राज अधिकारी :** श्री बच्चा सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय द्वारा बताया गया कि राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त धनराशि से 111 ग्राम पंचायतों में नाव तैयार करायी गयी है। इसकी सूची सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार को उपलब्ध करा दी गयी है। उपरोक्त नावों के संचालन हेतु बजट न होने के कारण नाविक तैनात नहीं किये गये हैं। वर्तमान में सम्बन्धित ग्राम सभा नावों का रख–रखाव एवं संचालन करती है। निर्देशित किया गया कि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में उपलब्ध नाविकों को चिन्हित कर उनकी सूची नाम, पता एवं दूरभाष संख्या सहित सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय का उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सम्पूर्ण नाविकों का भुगतान एस0डी0आर0एफ0 गाईड लाईन के अनुसार किया जायेगा। आचार्य वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रतिनिधि मा0 विधायक चिल्लूपार द्वारा अवगत कराया गया कि नाविकों की शिकायत आती है कि उनके पारिश्रमिक बाकी हैं, उनका पारिश्रमिक दे दिया जाये। सभी उपजिलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि नाविकों का पारिश्रमिक दे दिया गया है। कोई नाव किराया या देय अवशेष नहीं है।

9. **लोक निर्माण विभाग :**

आचार्य श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रतिनिधि मा0 विधायक चिल्लूपार द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व वर्ष में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुए मार्गों के मरम्मत का कार्य अब तक नहीं कराया गया है। डेरवां से लखनौरा की सड़क अत्यन्त संवेदनशील हो गयी है, इसकी मरम्मत कराया जाना अपरिहार्य है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया कि तत्काल मार्ग का निरीक्षण कर मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। यदि बजट उपलब्ध नहीं है तो तत्काल शासन से नियमानुसार बजट आवंटन हेतु मांग प्रेषित करें। श्री एस0के0, सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड द्वारा बताया गया कि लो0नि0वि0 द्वारा आपदा प्रबंधन सम्बन्धित कोई कार्ययोजना नहीं बनायी जाती है। इस बात को गम्भीरता से लेते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा लो0नि0वि0 के प्रान्तीय खण्ड/भवन निर्माण/सेतु एवं मार्ग के अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि तत्काल अपने विभाग में अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ बैठक कर दिये गये मार्गदर्शिका के अनुसार कार्ययोजना का निर्माण कर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित करें। विगत वर्ष में राप्ती नदी के अन्तर्गत स्थापित 24 पीपे का पुल समय से न हटाने के कारण बह गया था, जिसे रोकने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा एवं कई व्यक्ति घायल भी हो गये। इस वर्श ऐसी घटना न हो इसलिए यह आवश्यक है कि ससमय पीपे का पुल हटा लिया जाये।

10. **पशु पालन विभाग :** मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्ययोजना बना ली गयी है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामों में टीकाकरण की कार्यवाही की जा रही है। बाढ़ के दौरान पशुओं के चारा, भूसा आरक्षित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। आवश्यक दवाओं एवं वैक्सीन की मांग की गयी है। निर्देशित किया गया कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामों के पशुओं का टीकाकरण अवश्य पूरा कर लिया जाये। सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह जाँच कर टीकाकरण पूर्ण होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर पशुओं में होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए समुदाय को सशक्त बनायें। निर्देशित किया गया कि सभी पशु सेवा केन्द्रों पर आवश्यक दवाईयों एवं पशु चारे/भूसा की व्यवस्था सुनिश्चित कर आपदा प्रबंधन कार्यालय को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

11. **जिलापूर्ति विभाग :** जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि बाढ़ से पूर्व कार्ययोजना बना ली गयी है। खाद्यान्न आरक्षित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। डीजल एवं पेट्रोल सर्विस पम्पों पर ईंधन आरक्षित कर लिया गया है। निर्देशित किया गया चावल, मिट्टी तेल की अधिकतम मांग कर लिया जाये ताकि समय पर खाद्यान्न वितरण में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। साथ ही एस0डी0आर0एफ0 गाईड लाईन के अनुसार बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों हेतु प्रति व्यस्क रू0 30/– के दर से उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न सामग्रियों का मीनू तैयार कर खाद्यान्न भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मानसून से पूर्व सक्षम व्यापारियों/सप्लायर्स को चिन्हित कर टेण्डर के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करें।

12. **वन विभाग :** वन विभाग द्वारा बताया गया कि बाढ़ आने की स्थिति में जानवरों को जगह देनी होती है। इसके लिए स्थान चिन्हित कर अवगत करा दिया जायेगा। निर्देशित किया गया कि कार्ययोजना तैयार कर आपदा प्रबंधन कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाये।

13. **ए०आर०टी०ओ०/आर०टी०ओ० :** ए0आर0टी0ओ0 द्वारा बताया गया कि वाहन स्वामियों को चिन्हित कर लिया गया है तथा शासन द्वारा मांग किये जाने पर वाहन उपलब्ध करा दिये जायेंगे। निर्देशित किया गया कि पूर्ति विभाग एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करा लें।

14. **नगर निगम :** नगरीय क्षेत्र में प्रायः मानसून के दौरान जल–जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण आवागमन की स्थिति एवं अनेक प्रकार की जलजनित बीमारियाँ उत्पन्न होने की समस्याएं बनी रहती हैं। नगरीय क्षेत्र की सुरक्षा एवं जल–जमाव दूर करने हेतु समस्त पम्पिंग स्टेशनों के मशीनों के मरम्मत का कार्य मानसून से पूर्व करा लिया जाये। नालों की सफाई नगर निगम स्तर पर मानसून से पूर्व कराकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं संक्रामक रोगों से बचाव हेतु व्यापक रणनीति तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवगत करायें। अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम श्री रामपाल द्वारा बताया गया कि 13 पम्प जल निकासी हेतु लगें हैं। पोर्टेबल पम्प का क्रय कर लिया गया है। निर्देशित किया गया कि आपदा राहत निधि के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये धनराशि से क्रय किये गये उपकरण (पूर्ण विवरण सहित) एवं कहां पर स्थापित किये गये हैं, इसकी सूचना तत्काल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण–पत्र सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

15. **नगर पंचायत :** अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा निर्देशित किया गया कि नगर पंचायतों में बने नालों की सफाई 15 जून से पूर्व अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें जिससे कि अतिवृष्टि से उत्पन्न होने वाली जलजमावों से बचा जा सके। आचार्य श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रतिनिधि मा0 विधायक, चिल्लूपार द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पंचायत बड़हलगंज में साफ–सफाई की व्यवस्था अत्यन्त खराब है। उपजिलाधिकारी, गोला द्वारा बताया गया कि उन्हें टाउन एरिया का कार्य देखने का अतिरिक्त प्रभार वर्तमान में प्राप्त हुआ है तथा उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि मानसून से पूर्व सफाई की व्यवस्था का कार्य अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

16. **जल निगम :** अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप हैण्डपम्प स्थापित कराने का कार्य कराया जा रहा है। शासन द्वारा यदि हैण्डपम्पों की मांग की जायेगी तो नियमानुसार उसको स्थापित किया जायेगा। आचार्य श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रतिनिधि मा0 विधायक, चिल्लूपार द्वारा बताया गया कि बड़हलगंज में हो रहे नाला निर्माण का कार्य मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है। 60 प्रतिशत नाला मिट्टी से पट चुका है। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने निर्देशित किया

कि तत्काल मौके स्थिति पर जाकर निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं एवं गुणवत्ता की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करें।

17. **जनपद की कन्टूर मैपिंग एवं सूचना तंत्र विकसित करना :** अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि जनपद की कन्टूर मैपिंग एवं पूर्व सूचना तंत्र विकसित का कार्य पूर्ण कराया जाये, जिस पर परियोजना अधिकारी (आपदा) द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त तहसीलों से लेखपाल एवं समुदाय के सहयोग से निम्न, मध्य एवं उच्च स्तर पर बाढ़ आने की स्थिति में कौन–कौन से ग्राम प्रभावित होंगे, का मानचित्रण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से समस्त मानचित्रों को प्रदर्शित किया साथ ही अवगत कराया कि स्थानीय संस्था जी0ई0ए0जी0, गोरखपुर के सहयोग से जनपद का बाढ़ मैप तैयार कराया जा रहा है। साथ ही पूर्व सूचना तंत्र विकसित किये जाने हेतु परियोजना तैयार की जा रही है।

18. **समस्त विभाग :** अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी निर्देश सं0–199/1–11–2013–रा0–11 दिनांक 13 मार्च, 2013 विशय– आपदा प्रबंधन व जोखिम न्यूनीकरण तत्वों को समस्त विभागों के योजनाओं/कार्यों में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, का उल्लेख करते हुए समस्त विभागों को निर्देशित किया कि वे विभागीय कार्ययोजना, निर्माण एवं गतिविधियों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी विभागाध्यक्षों/प्रतिभागियों को शासनादेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी।

19. **समस्त विभाग (Capacity Building Programme) :** राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, उ0प्र0 शासन द्वारा 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद–गोरखपुर में 120 अतिसंवेदनशील ग्राम पंचायतों की आपदा प्रबंधन योजना निर्माण हेतु चिन्हित किया गया है। इस हेतु जनपद स्तर पर 14 मास्टर प्रशिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। 14 मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा जनपद स्तर पर कुल 110 प्रशिक्षकों को तैयार किया जायेगा, जो कि चिन्हित 120 ग्राम पंचायतों में 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर समुदाय के सहयोग से ग्राम की आपदा न्यूनीकरण योजना का निर्माण कार्य करेंगे। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा समस्त को निर्देशित किया गया कि वे कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

20. **उपजिलाधिकारी–कैम्पियरगंज/सहजनवां/चौरी–चौरा:** जनपद–गोरखपुर में एन0डी0आर0एफ0, भारत सरकार की एक कम्पनी तैनात किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु 3–4 एकड़ जमीन की मांग उ0प्र0 शासन द्वारा की गयी है। निर्देशित किया गया कि अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत भूमि चिन्हित कर अधोहस्ताक्षरी को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें।

21. **विद्युत विभाग :** मा0 विधायक, चौरीचौरा द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत तारें ढीली होने के कारण बघाड़ ग्राम में आग लग गई थी, जिसके चपेट में आकर कुछ बच्चे विकलांग हो गये। एस0डी0ओ0 विद्युत विभाग द्वारा बताया गया कि गांवों में विद्युत विभाग के तारों के नीचे लोग झोपड़ी बनाकर निवास करने लगे हैं, जिसके कारण इस

प्रकार की हादसे हो रहे हैं। मा0 विधायक चौरीचौरा ने इस बात पर कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अवगत कराया कि बघाड़ ग्राम पुरानी बस्ती है, इसकी जाँच करा ली जाये। साथ ही विकलांग हुए बच्चों को सहायता प्रदान किया जाये। अपर जिलाधिकारी (वि/रा0) ने इस बिन्दु को गम्भीरता से लेते हुए एस0डी0ओ0 विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि तत्काल निष्पक्ष जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करें साथ ही विद्युत विभाग से जिला स्तरीय अधिकारी के बैठक में प्रतिभाग न करने पर चिन्ता व्यक्त की। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने समस्त विभागों को निर्देशित किया कि आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण बैठक में विभागाध्यक्ष स्वयं उपस्थित हों, जिससे कि योजना निर्माण तथा निर्णय लेने में जिला प्रशासन सक्षम हो सके।

22. **आर्मी एवं एयरफोर्स :** कर्नल एम0सी0ए0ए0 पिल्लई, जी0आर0डी0, गोरखपुर ने आपदा के दौरान त्वरित कार्यववाही हेतु की गयी तैयारियों के विषय में जिज्ञासा व्यक्त करते हुए जानना चाहा कि आपातकाल के दौरान कहां पर हेलीकाप्टर आदि के माध्यम से एयरड्रापिंग, कन्ट्रोल रूम का सुचारू संचालन, जनपद को जोन में विभाजित करना आदि कार्य किस प्रकार किये जायेंगे। श्री गौतम गुप्ता, परियोजना अधिकारी द्वारा जिले की आपदा प्रबंधन योजना की एक प्रति उन्हें उपलब्ध करायी गयी, जिसमें आपातकाल स्थिति के दौरान किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण उल्लिखित है। कर्नल पिल्लई द्वारा आश्वस्त किया गया कि किसी भी परिस्थिति में उनके विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।

23. **राजस्व/पुलिस/सूचना विभाग :** अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने उपस्थित समस्त विभागाध्यक्षों एवं समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने सम्बन्धित तहसीलों में समस्त हितभागियों के साथ बैठक कर आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर लें साथ ही जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार के सहयोग हेतु मांग प्रेषित करें। शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्गदर्शिका एवं चेकलिस्ट के अनुसार विभाग अपनी कार्ययोजना तथा सम्पूर्ण तैयारी का विवरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को 31 मई से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नावों का सत्यापन, बाढ़ राहत केन्द्रों एवं शिविरों की वर्तमान स्थिति, राहत सामग्रियों का भण्डारण एवं उपलब्धता, आपातकाल में सहयोग हेतु प्रशिक्षित किये गये स्वयंसेवकों की सूची, ग्राम स्तर पर उपलब्ध गोताखोर का चिन्हिकरण आदि कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों एवं गलत संदेशों पर नियंत्रण रखें। उन्होंने सूचना विभाग को निर्देशित किया कि आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण विषय पर किये जा रहे कार्यों का मीडिया के सहयोग से व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें।

24. **शिक्षा विभाग :** जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि बाढ़ के दौरान विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न होने पाये, राहत शिविरों एवं वैकल्पिक शिक्षा हेतु चयनित स्थलों पर शिक्षण कार्य चलता रहे, जिससे कि बच्चों का मन लगा रहे तथा उनके ऊपर से बाढ़ का भय कम होने पाये। यह भी निर्देशित किया गया कि इस दौरान मध्यान् भोजन सुचारू रूप से चलाया जाये।

25. **कृषि/कृषि रक्षा विभाग :** जिला कृषि अधिकारी एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैम्प कर किसानों को अगैती कृषि उपज, कम अवधि वाले फसलों एवं फसल सम्बन्धित बिमारियों से बचाव हेतु जागरूक करें तथा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायें। इन कार्यक्रमों में स्थानीय स्तर पर कार्य कर रही संस्थाओं, पंचायतों को भी शामिल करें।

26. **नागरिक सुरक्षा कोर :** सहायक उपनियंत्रक, ना0सु0 कोर को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त स्वयंसेवी संगठनों/गैर सरकारी संगठनों/ स्वयंसेवकों की सूची नाम, पता, दूरभाष संख्या सहित अद्यतन कर समन्वय स्थापित करें ताकि आपात स्थिति में इनसे सहयोग प्राप्त किया जा सके। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किये गये स्वयंसेवकों के सहयोग से विभिन्न तहसील स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करें। साथ ही कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

27. **गोरखपुर विकास प्राधिकरण :** श्री ए0के0 सिंह, सहायक अभियन्ता, गो0वि0प्रा0 द्वारा बताया गया कि जनपद में भूकम्परोधी भवन निर्माण सुनिश्चित करने हेतु कठोरता से पालन कराया जा रहा है किन्तु बाढ़रोधी भवन निर्माण के विशय में कोई विस्तृत कार्य नहीं हो पाया है। निर्देशित किया गया कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित शासनादेश सं0–199/1–11–2013–रा0–11 दिनांक 13 मार्च, 2013 विषय– आपदा प्रबंधन व जोखिम न्यूनीकरण तत्वों को समस्त विभागों के योजनाओं/कार्यों में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, के अनुसार निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त हितभागियों के साथ समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य आपदा न्यूनीकरण तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए कराये जायें।

अन्त में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा सभी मा0 जनप्रतिनिधिगण, विभागाध्यक्षों एवं विभिन्न संगठनों से आये प्रतिनिधिगण का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गयी।

देव कृष्ण तिवारी
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/
प्रभारी अधिकारी (आपदा) गोरखपुर

सं0...../आपदा–2013/दिनांकित।

प्रतिलिपि :

1. सचिव एवं राहत आयुक्त महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. समस्त सम्बन्धित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/
प्रभारी अधिकारी (आपदा) गोरखपुर

स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक की कार्यवृत्ति

दिनांक 9.4.2013 को जिलाधिकारी, गोरखपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में विभिन्न विभागो के निम्न अधिकारी/उनके प्रतिनिधि भाग लिये (उपस्थिति रजिस्टर की छायाप्रति संलग्न)।

1– पुलिस उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर।
2– मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
3– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गोरखपुर।
4– अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बाढ़ खण्ड–2 एवं ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर।
5– अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, गोरखपुर।
6– जिला परियोजना अधिकारी (आपदा प्रबन्धन), गोरखपुर।
7– अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
8– जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर।
9– अधिशासी अभियन्ता विद्युत खण्ड, लो0नि0वि0, गोरखपुर
10–प्रतिनिधि एयरफोर्स, गोरखपुर।
11–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम/द्वितीय, गोरखपुर।
12–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
13–जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर।
14–सहायक मौसम निदेशक, मौसम विभाग, गोरखपुर।
15–सहायक सूचना निदेशक, गोरखपुर।
16–कमाण्डेन्ट, पी0ए0सी0 26वी वाहिनी, गोरखपुर।
17–उपजिलाधिकारी,सदर/सहजनवा/चौरीचौरा/कैम्पियरगंज/बांसगांव/खजनी एवं गोला, जनपद–गोरखपुर।

.....

बाढ़ के दृष्टिकोण से जनपद–गोरखपुर अत्यन्त संवेदनशील है। जहां वर्ष 1998, 2001,2007 एवं 2008 में बाढ़ की विभिषिका रही है, वहीं वर्ष 2002,2004,2005 एवं 2006 में अवर्षण के कारण जनपद में सूखे का प्रकोप भी रहा है। बैठक में निर्देशित किया गया कि बाढ तथा सूखे से निपटने के लिए अभी से सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। यह भी बताया गया कि नेपाल से पानी आने से ही इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि सभी सम्बन्धित विभाग सूखे एवं वर्षा की सूचना प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराते रहें तथा आपस में सम्पर्क रखा जाय, जिससे बाढ़/सूखे की स्थिति से निपटा जा सके। राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया कि अभी से नाव एवं नाविकों की सूची तैयार कर ली जाय,जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे कार्य लिया जा सके। मौसम विभाग वर्शा का सही अनुमान सम्बन्धी सूचना का प्रेषण सम्बन्धित विभागों को समय से करता रहे। अधिशासी अभियन्ता,बाढ़ खण्ड,गोरखपुर ने अवगत कराया कि जनपद में बाढ़ नियन्त्रण कक्ष–1 जून, 2013 से कार्यशील हो जायेगा। जिसका दूरभाष संख्या बाद में अवगत करा दिया जायेगा। बाढ़ कार्य में खण्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र एवं सम्पर्क हेतु सी0यू0जी0 मोबाईल नम्बर की व्यवस्था पिछले वर्ष की भाति इस वर्ष भी उपलब्ध करा दी जायेगी। समस्त विभाग इन दैवीय आपदाओं से निपटने के लिए विभागीय कार्य योजना तैयार कर ले तथा उसकी प्रति दिनांक 25 अप्रैल, 2013 तक जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय को उपलब्ध करा दे, ताकि जनपद स्तर पर समेकित बाढ़ नियन्त्रण योजना तथा सूखा नियन्त्रण योजना को अन्तिम रूप दिया जा सके। यह भी निर्देश दिया गया कि बाढ़ से पूर्व निर्धारित स्थलों पर वायरलेस सेट स्थापित कर दिये जायं तथा परिवहन विभाग को 20 एल0पी0 ट्रक बाढ़ बचाव कार्य में आकस्मिक उपयोग हेतु आरक्षित रखे जाने के निर्देश दिये गये।

वर्ष 1998 में जनपद में शताब्दी की भीषणतम बाढ़ रही है। वर्श 1998 में 1594 ग्राम की 14, 14, 790 जनसंख्या प्रभावित रही। जबकि 1145 ग्रामों की 10, 88, 204 जनसंख्या मैरूण्ड रही। 20 तटबन्ध क्षतिग्रस्त हुए, जिसके कारण जनपद का तहसीलों से तथा प्रदेश के अन्य जनपदों से सम्पर्क टूट गया। बाढ़ पीड़ितों को बांधो तथा अन्य ऊॅचे स्थलों पर जाकर शरण लेना पड़ा। इसी प्रकार वर्ष 2001 की बाढ़ भी काफी भयावह रही। इस बाढ़ से 928 ग्रामों की 7,15,010 जनसंख्या प्रभावित तथा 569 ग्रामों की 5,20,834 जनसंख्या मैरूण्ड रही। कुल 9 तटबन्ध क्षतिग्रस्त हुए। अतः विगत वर्षो की बाढ़ के दृष्टिगत सम्भावित बाढ़ से निपटने के लिए पूर्ण तैयारी किय जानें हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये।

अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, गोरखपुर ने अवगत कराया कि बाढ़ के समय रात्रिकाल में तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत कार्य हेतु प्रकाश की व्यवस्था के लिये हेतु खण्ड में 2 के0वी0ए0 क्षमता का पोर्टेबल जनरेटर उपलब्ध है। जिसके लिए किरोसीन आयल की आवश्यकता पड़ती है। पी0ए0सी0 26वीं वाहिनीं के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके लिए आवश्यक सामग्री की अनुपलब्धता है जिसके लिए शासन से धन की मांग की गयी है। गत वर्ष की भांति बाढ़ सुरक्षा हेतु 16 मोटरबोट आरक्षित रखने एवं गोताखोरो की व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया। 2 के0वी0ए0 छमता के पोर्टेबल जनरेटर की व्यवस्था आपदा कार्यालय में भी कर लिया जाय। आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया गया कि वे बाढ़ अवधि के लिए 1000 किलो ली0 डीजल, 200 किलो ली0 केरोसीन तथा 500 किलो ली0 पेट्रोल आरक्षित रखें। आपूर्ति विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बाढ़ अवधि में प्रयोग हेतु तेल की समुचित व्यवस्था कर ली जायेगी। पुलिस अधीक्षण (शहर) द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि आपातकालीन बाढ़ अवधि में पुलिस कर्मी हेतु लाइफ जैकेट की आवश्यकता है। विभाग द्वारा व्यवस्था कर ली जाये।

जनपद–गोरखपुर में राप्ती, रोहिन, घाघरा, गुर्रा, कुआनों नदिया प्रवाहित है। नेपाल राष्ट्र में वर्षा का गोरखपुर में सही आकंलन नहीं हो पाता है, जिसके कारण तटबंधों पर आपातकालीन स्थिति का सही ज्ञान नहीं होता है। ऐसी विशम स्थिति में मौसम विभाग, गोरखपुर में डाप्लर मशीन लगाया जाना अतिआवश्यक है, ताकि नेपाल राष्ट्र में वर्षा का सही आकंलन गोरखपुर में हो सके। जिससे बाढ़ बचाव कार्यो हेतु पूर्व में ही आवश्यक तैयारियां कर ली जाये।

(कार्यवाही समस्त संबंधित अधिकारी)

तटबन्ध

अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, गोरखपुर द्वारा बताया गया कि जनपद में राप्ती, घाघरा, कुॅआनों, रोहिन, आमी तथा गुर्रा नदी मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। जनपद–गोरखपुर में कुल 443.867 किमी0 की लम्बाई में 64 तटबन्ध निर्मित हैं। इन तटबन्धों पर 29 कटाव निरोधक कार्य निर्मित हैं। जनपद–गोरखपुर में निर्मित तटबन्धो पर 31 संवेदनशील एवं 17 अतिसंवेदनशील स्थल है। राप्ती नदी से जनपद का अत्यधिक भू–भाग प्रभावित होता हैं। वर्ष 1998 का उच्चतम् जलस्तर वर्ष 1974 के उच्चतम् जल स्तर से अधिक था। चूॅकि इस जनपद में समस्त तटबन्ध वर्श 1974 के जल स्तर के आधार पर निर्मित थें, ऐसी परिस्थिति में सभी तटबन्धों को वर्ष 1998 के उच्चतम् जल स्तर के मानक के अनुसार ऊॅचा किया जाना आवश्यक था। इस क्रम में परियोजनाएं तैयार कर धनावंटन हेतु प्रेषित की गयी थी। धनावंटन प्राप्त होने के उपरान्त अधिकांशतः बांधों को ऊॅचा कर जनपद को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, गोरखपुर ने अवगत कराया कि तटबन्धों के वार्षिक अनुरक्षण मद में मरम्मत हेतु जनपद–गोरखपुर के तीनों खण्डों को आवंटन अप्रैल 2013 में प्राप्त होना है। उपलब्ध धनराशि में से 60 प्रतिशत धनराशि अति–आवश्यक मरम्मत कार्य जैसेः–रेनकटस गड्ढे आदि भरने एवं तटबन्धों के टॉप जीपेबुल करने में व्यय करने का प्राविधान है, शेा 40 प्रतिशत में रिजर्व स्टॉक का भण्डारण एवं अन्य विविध कार्य सम्मिलित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि तटबन्धो के मरम्मत का कार्य मई, 2013 तक पूर्ण कर लिया जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड/
बाढ़ खण्ड–2/ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर)

रिजर्व स्टॉक का भण्डारण

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देश दिये गये कि वे वर्ष 1998, 2001, 2007 2008, 2009 एवं 2010 की बाढ़ के अनुभवो के दृष्टिगत संवेदनशील तथा अति–संवेदनशील स्थलो पर आवश्यक रिजर्व स्टाक जैसे–बोल्डर, बालू, गिट्टी, मिट्टी, वायर क्रेट, ड्रम तथा सीमेन्ट की खाली बोरियों इत्यादि का भंण्डारण कर लें, ताकि किसी आकस्मिकता के समय उसे तत्काल प्रयोग में लाया जा सके।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड/
बाढ़ खण्ड–2/ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर)

संवेदनशील स्थल एवं रेगुलेटर्स

विगत वर्ष कुछ तटबन्धों के रेगुलेटर्स के गेट पानी के दबाव से ज्वाइंट से निकल गये थे जिससे काफी कठिनाई हुई थी। निर्देश दिये गये कि बाढ़ से पूर्व रेगुलेटर्स का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत करा लिया जाय। वर्टिकल गेट्स वाले बड़े रेगुलेटर्स को आयलिंग ग्रीसिंग एवं अनुरक्षण कार्य पूर्ण कर बाढ़ से पूर्व उनके क्रियाशील होने का प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जाय। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थलो की सतत निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड/
बाढ़ खण्ड–2/ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर)

बाढ़ सुरक्षा समितियों का गठन

बाढ़ के अधिशासी अभियन्ताओं ने अवगत कराया कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु ग्रामीणों की सहभागिता लिये जाने हेतु बाढ़ सुरक्षा समितियों के गठन का कार्य प्रगति में है,जिसकी सूचना बाढ़ पुस्तिका–2013 में संलग्न कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि बाढ़ से पूर्व ही बाढ़ सुरक्षा समितियों की बैठक भी कर ली जाय, जिससे कि किसी भी आकस्मिकता के उत्पन्न होने पर उनके सहयोग से प्रभावी नियन्त्रण किया जा सके। यह भी निर्देश दिये गये कि समितियो के साथ परस्पर समन्वय स्थापित किया जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड/
बाढ़ खण्ड–2/ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर)

तटबन्धों की संयुक्त पेट्रोलिंग

बाढ़ के समय प्रायः ग्रामीणों द्वारा अपने गांव को नदी की बाढ़ से बचानें के लिए अन्य स्थल पर बांध को काट दिया जाता है, जिससे काफी जन–धन की हानि होती है। निर्देशित किया गया कि बाढ़ के समय बांधो की सुरक्षा हेतु राजस्व, पुलिस तथा सिंचाई विभाग द्वारा संयुक्त रूप से टीम गठित करके पेट्रोलिंग करायी जाय,ताकि बांधो की सुरक्षा को खतरा न उत्पन्न हो सके।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड/
बाढ़ खण्ड–2/ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर/समस्त
उप–जिलाधिकारी/पुलिस उपमहानिरीक्षक)

(रवि कुमार एन0जी0)
जिलाधिकारी,
गोरखपुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड,गोरखपुर

पत्रांक :...../बाखगो/एफ–2/2013/दिनांक : 2013

प्रतिलिपि उपरोक्त कार्यवृत्ति की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है–
1– सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–11, लखनऊ।
2– आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3– उपरोक्त समस्त सम्बन्धित अधिकारी, गोरखपुर।

संलग्नक–यथोक्त।

अधिशासी अभियन्ता एंव
समन्वय अधिकारी (बाढ़)
बाढ़ खण्ड, गोरखपुर

मॉक ड्रिल योजना

समय	प्रणाली (उपयोग, रख रखाव और रिकार्ड)	जिम्मेदार व्यक्ति
आपदा समय से पूर्व। समस्त विभागीय तैयारी पूर्ण हो जाने के उपरान्त, जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से तिथि, स्थान व समय निर्धारित करते हुए। वर्ष में कम से कम दो बार।	बैठक कर प्रत्येक विभाग की कार्ययोजना पर चर्चाकरके मॉकड्रिल कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इस कार्ययोजना में विभागीय सेवाओं/दायित्वों के प्रदर्शन, अभिलेखों का रखरखाव एवं अन्तर्विभागीय व अन्य विभागों के साथ समन्वय को प्रदर्शित किया जाएगा।	जिला आपदा प्रबन्धन समिति, नोडल अधिकारी, मॉक ड्रिल, समस्त प्रतिभागी विभाग एवं जनप्रतिनिधि।

प्रखण्ड योजना अपडेट

समय	कार्य प्रणाली	जिम्मेदार व्यक्ति
प्रत्येक साल	अन्य विभागो की रिपोर्ट के अनुसार, जनपद स्तरीय सूचनाओं का अद्यतन एवं नवीनतम शासनादेशों का अनुपालन।	जिला आपदा प्रबन्धन समिति

योजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए समय-सारणी

योजना	आधुनिकीकीय समय
जिला आपदा प्रबंधन योजना	1/2 वार्ड्रिक (मई – नबम्बर)
लाइन विभाग आपदा प्रबंधन योजना	1/2 वार्ड्रिक (मई – नबम्बर)

संलग्नक :

मानचित्र

- समाजिक मानचित्र
- संसाधन मानचित्र
- संवेदनशीलता मानचित्र
- कमजोर बॉध/ नदी तंत्र के जगहों को दिखाता हुआ मानचित्र
- रोड मानचित्र
- अतिरिक्त भागी मानचित्र

भवन, वाहन अधिग्रहण आदेश

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर
भवन अधिग्रहण आदेश

जनपद में बाढ़ की विभिषिका के कारण बाढ़ चौकी/बाढ़ राहत केन्द्र /बाढ़ राहत शिविर/सेना के ठहरने/बाढ़ सामग्री के स्टोरेज हेतु भवनों का अधिग्रहण किया जाना अनिवार्य हो गया है।
अतः मैं....., जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर दि यू.पी. एक्यूजीशन आफ प्रापर्टी (फ्लड रिलीफ एक्ट 1948) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयाग करते हुए भवन जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है, को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक के लिए अधिग्रहीत करता हूँ।

भवन स्वामी का नाम व पता **भवन की चौहद्दी**

दिनांकः जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर
वाहन अधिग्रहण आदेश

जनपद में बाढ़ की विभिषिका उत्पन्न होने के कारण बचाव एवं राहत कार्य हेतु वाहन अधिग्रहण किया जाना आवश्यक होगा।
अतः मैं....., जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाहन को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक के लिए अधिग्रहीत करता हूँ और एतद् द्वारा यह आदेश देता हूँ कि–

1. ड्राइवर की सेवाएं या ऐसी स्थिति में जब स्वामी/वह व्यक्ति जिसके कब्जे में गाड़ी हो स्वयं उक्त गाड़ी का ड्राइवर हो तब उक्त गाड़ी के ड्राइवर के रूप में उसकी सेवाएं उसी समय से और पूर्वांकित अवधि के लिए उपलब्ध की जाएगी।
2. स्वामी उक्त गाड़ी को अपने खर्चे वर अच्छी दशा में भली–भॉति मरम्मत करके रखेगा और भाड़ेदार को उक्त गाड़ी से सम्बंधित सभी हानि या क्षति के सम्बंध में सूचना देगा चाहे वह किसी भी कारण से हुई हो।
3. यदि भाड़ेदार की राय में ड्राइवर या क्लीनर अदक्ष हो या उनका व्यवहार अच्छा न हो तो भाड़ेदार द्वारा अनुरोध किए जाने पर, स्वामी इन कर्मियों को तुरन्त ही बदल देगा और उनके स्थान पर दूसरे कर्मिकों की व्यवस्था करेगा।
4. गाड़ी चलाने के लिए पिट्रोल, डीजल और इंजन तेल की व्यवस्था भाड़ेदार द्वारा की जाएगी।

वाहन संख्या **वाहन स्वामी का नाम व पता** **वाहन का प्रकार**

नोट : कृपया अपने वाहन के साथ त्रिपाल अवश्य लाएं। त्रिपाल का किराया भी वाहन के किराए में सम्मिलिति है। यदि वाहन/ट्रक के साथ त्रिपाल नहीं लाया जाता है तो त्रिपाल का किराया वाहन के किराए में से काटकर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

FORM FOR REQUISITIONING ARMY/AIR FORCE HELP FOR FLOOD RELIEF

1. Divisional H.Q. of affected area with name of Divisional Commissioner, Tele and Fax No. with S.T.D Code

2. District H.Q. of affected area with name of D.C./D.M., Commissioner, Tele and Fax No. with S.T.D Code

3. Details of affected area :
   (a) District
   (b) Town
   (c) Blocks
   (d) Villages
   (e) Extent aof area under flood (Kms X Kms)
   (f) Water Level and Current
   (g) Flash flood, expected inundation period

4. State Resources :
   (a) No. of country boats with civil admn.
   (b) No. of country boats hired
   (c) No. of Motor boats with civil admn./hired
   (d) Wireless sets with freq. band/range

5. Help Envlased :
   (a) Approx. No. of persons to be evacuated
   (b) Approx. ton of relief material to be distributed
   (c) Approx. water distances to be travel by boat per trip
   (d) Relief matrl. And labour to handle these likely to be in point by (date/time)

6. Co-ordination with Civil Administration
   (a) Exact loc for Army to colr to arrive
   (b) Local Civil Officer for Liason and guidance
   (c) Local Guide to accompany boats with knowledge of grnd bunds and pipelines under water, HT wires, Snapped electrical cable and so on.

DISTRICT MAGISTRATE
GORAKHPUR

सूखा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण योजना

विस्तृत कार्ययोजना

1. नगर निगम

पेय जल संकट उत्पन्न होने की स्थिति में वैकल्पिक संसाधनों जैसे टैंकर आदि से पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। साथ ही उपलब्ध संसाधनों की सूची आपदा कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूखा के दौरान निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति, सफाई व संक्रामक रोगों के नियंत्रण की कार्यवाही की जायेगी। पेयजल की आपूर्ति के लिए नगरीय क्षेत्र में स्थित समस्त ट्यूबेल को अधिक से अधिक समय के लिए चालू हालत में रखना होगा तथा शुद्ध पेयजल के आपूर्ति के दृश्टिगत पानी को क्लोरिनेशन द्वारा विसंक्रमित करना होगा। सूखे के दौरान गंदगी से रोग व महामारी फैलने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में नगर निगम का दायित्व होगा कि कूड़े–कचड़े का ढ़ेर कहीं न लगने पाये तथा नालों व नालियों की नियमित सफाई होती रहे।

विद्युत व्यवधान अथवा लो–बोल्टेज के कारण जलापूर्ति में व्यवधान आने पर जलापूर्ति निर्धारित समय के अतिरिक्त सुनिश्चित की जायेगी। नलकूपों का डिस्जार्च घटने की स्थिति में आवश्यकतानुसार नलकूपों की लोरिंग भी घटाई जायेगी तथा नलकूपों की इस स्थिति में भी अतिरक्त समय में चलाकर समुचित पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। पेयजल में क्लोरिनेशन हेतु ब्लीचिंग पाउडर का समुचित भण्डारण कर लिया गया है तथा क्लोरीनेटर प्लॉट के स्पेयर्स भी मॅगा लिये गये है। नये पम्प सेट्स(सबर्मिबुल) क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है। सामान्य खराबी वाले समस्त इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराकर चालू रखा जायेगा। विभाग में उपलब्ध आठ टैंकर के अतिरिक्त अन्य विभागों से भी टैंकर प्राप्त कर आवश्यकतानुसार पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। सम्भावित सूखे की स्थिति में जनरेटरों के माध्यम से भी (जिला प्रशासन द्वारा जनरेटर्स अधिग्रहीत कर उपलब्ध कराये जाने पर) न्यूनतम पेयजल आपूर्ति कराये जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

2. जल निगम एवं चिकित्सा विभाग

जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि जल निगम चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जनपद के समस्त हैण्डपम्पों एवं अन्य जल श्रोतों की सफाई सुनिश्चित करें। साथ ही उनका क्लोरिनीकरण भी करावें। इस कार्य में वे स्थानीय संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करें।

3. चिकित्सा विभाग

मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि–

1. बाढ़ राहत केन्द्र पर तैनात कर्मचारी ही सूखा राहत केन्द्र पर कार्य करेंगे एवं प्रा0स्वा0 केन्द्र भटहट, सरदारनगर एवं पिपराइच पर उपकेन्द्र पर तैनात रहकर कर्मचारी सूखा व राहत प्रदान करेंगे।

2. समस्त प्रा0स्वा0 केन्द्र के चिकित्सा अधिकारियों/अधीक्षकों को अपने क्षेत्र अन्तर्गत सर्वेक्षण कर एनीमिया, कुपोषण, चर्मरोगों आदि का खोज कर उनका उपचार करने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
3. जनपद के समस्त प्रा0स्वा0 केन्द्र पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा चुकी है एवं उससे सम्बद्ध सचल दल/उड़न दस्ता का भी गठन किया जा चुका है जो सूखा/संक्रामक रोगों के प्रसार की सूचना प्राप्त होते ही 24 घण्टे समुचित कार्यवाही करेगा।
4. समस्त सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्रों पर सामान्य उपचार से सम्बन्धित औषधियां, जीवन रक्षक औषधियां, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गोली, ओ0आर0एस0 पैकेट आदि का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण कर लियागया है एवं जनपद स्तर पर भी इसका पर्याप्त मात्रा में भण्डारण है।
5. जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों को क्लोरीन की गोली एवं ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त कराया जा रहा है।
6. जनपद के समस्त ओ0आर0एस0 वाला घर पर ओ0आर0एस0 पैकेट उपलब्ध रहने के कड़े निर्देश दिये गये हैं।
7. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टीम गठित कर पेयजन श्रोत का नियमित परीक्षण कराया जा रहा है।
8. नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग एवं जलकल विभाग का एक संयुक्त टीम गठित कर लिया गया है, जो नियमित रूप से नगरीय क्षेत्र में आपूर्ति किये जा रहे पेयजल का ओ0टी0 जॉच कर रहा है एवं इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है।
9. राज्य मुख्यालय द्वारा भी नगरीय क्षेत्र में आपूर्ति किये जा रहे पेयजल का नमूना राज्य स्वास्थ्य संस्थान, एवं एन0एस0पी0सी0डी0 भारत सरकार द्वारा समय–समय पर एकत्रित कर जैविक एवं रसायनिक परीक्षण किया जा रहा है एवं प्राप्त परिणामों के अनुरूप कार्यवाही कराया जा रहा है।
10. जनपद के समस्त पेयजन स्रोतों का नियमित विसंक्रमण के साथ–साथ सुपर क्लोरीनेशन का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।
11. सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सामान्यतया किसी अधिकारी/कर्मचारी का किसी भरी प्रकार के अवकाश स्वीकृत न किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये है।
12. जनपद स्तर पर नियंत्रण कक्ष, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर में स्थापित किया गया है, जिसके नोडल अधिकारी डा0 ए0के0 सिन्हा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रशासन) एवं डा0 विवेक स्वरूप, प्रभारी चिकित्साधिकारी है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 2336622 एवं 2336669 है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु जनपद स्तरीय सचल दलन गठित है जिसमें चिकिसाधिकारी/पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी गयी है। वाहन संख्या यू.पी.–32वीजी–0351 को संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष से सम्बद्ध किया गया है।
13. दूषित खाद्य सामग्री एवं सड़े गले, कटे, फटे फलों एवं सड़े मांस एवं मछलियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु सभी सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
14. संक्रामक रोगों के प्रसार की सूचना के लिए शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।
15. समाचार पत्रों में प्रकाशित संक्रामक रोगों से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन कराया जाय एवं कृत कार्यवाही एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने के कड़े निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
16. संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु "क्या करें, क्या न करें" का प्रचार प्रसार विभागीय कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है एवं इसे छपवा कर वितरित कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।
17. सम्बन्धित पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम, फोन नम्बर अस्पतालों पर डिसप्ले करें ताकि इमरजेंसी के दौरान उनकी उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके।

4. नहर एवं नलकूप विभाग

अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–प्रथम ने बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने की रणनीति के अन्तर्गत जनपद में विभिन्न नहरों पर अवस्थित कुल 61 अद्द तालाब, पोखरों को भरे जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 20 अद्द पोखरें माह–मई,2013 के अन्त तक तथा 61 अद्द तालाब माह–जून, 2013 तक भरे जाने का लक्ष्य है। दोनों नहर प्रणालियां 1419 खरीफ फसली की सिंचाई हेतु दिनांक 01.06.2013 से रोस्टर के अनुसार चलाया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी नलकूपों की जॉच अप्रैल के अन्त तक अवश्य करा लें तथा अग्निकाण्ड से बचाव एवं पशुओं के पीने हेतु पानी के लिए एवं नलकूपों से तालाब नहरों को भर दें। यह भी निर्देशित किया गया कि ट्यूबेल की सम्भावित सूखा से निपटने हेतु मरम्मत करा ली जाय तथा कृत कार्यवाही की सूचना आपदा प्रबन्धन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. खाद्य एवं रसद विभाग

सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर खाद्य सामग्री के साथ–साथ डीजल, मिट्टी का तेल आदि की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए जिलापूर्ति अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि का रिजर्व स्टाक कर लें तथा प्राइवेट पेट्रोल पम्प पर भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करायें। उप जिलाधिकारी की मांग पर सिंचाई कार्य हेतु डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर खरीफ के साथ रबी फसल के क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। सूखा यदि अकाल का रूप धारण कर ले तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम होते है, जिससे कि होने वाले क्षति का आकलन करना सम्भव नहीं रह जाता। अतएव यह नितान्त आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों को अधिक गतिशील एवं कियान्वित कर उनका भरपूर उपयोग कर यह प्रयास किया जाय कि सूखे के प्रभाव स्थिति को कम से कम किया जा सके।

जनपद में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को गेहूँ तथा चावल का आवंटन प्राप्त हो रहा है जो कि उन्हे उपलब्ध कराया जा रहा है। आवश्यकतानुसार आवंटन बढ़ाने की मॉग शासन से की जायेगी। अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति अपने–अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित पूर्ति निरीक्षक को दे दिये

गये हैं। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पम्पों एवं पेटी डीजल डीलरों के पास कमशः 2000–2000 ली0 तथा 200–200 ली0 डीजल आरक्षित भंडार रखने के ओदश दे दिये गये हैं। इसी प्रकार मिट्टी तेल थोक विक्रेताओं के पास उनके आवंटन के अनुरूप दो हजार एवं तीन लीटर मिट्टी तेल आरक्षित भण्डार रखने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

बाजार भाव पर नियंत्रण रखने हेतु जिलापूर्ति अधिकारी एवं उप संभागीय विपणन अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

6. कृषि रक्षा विभाग

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला कृषि रक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैम्प कर किसानों को अगेती कृषि उपज, शंकर प्रजाति का प्रयोग, कम अवधि वाली फसलों की उपज तथा फसल संबंधित बीमारियों से बचाव हेतु जागरूक करें एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायें। उन्होने यह भी निर्देशित किया कि कृत कार्यवाही में स्थानीय संस्थाओं, पचायतों को भी शामिल करें। साथ ही आपदा प्रबन्धन कार्यालय को कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

फसलों को बचाने के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई की व्यवस्था परम आवश्यक है, जिसके लिए–

1. नहरों के अल्पिकावार रोस्टर तैयार कराते समय क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाय।
2. नहरों में अन्तिम छोर तक पानी पहुॅचने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
3. नहरों में अवैध कटानों पर नियंत्रण कराया जाय।
4. समस्त राजकीय नलकूपों को चालू हालत में रखा जाय।
5. खराब होने वाले नलकूपों की व्वरित मरम्मत का प्रबन्ध रहे।
6. डीजल/विद्युत की नियमित एवं निर्विध्न आपूर्ति करायी जाय।

इस प्रकार से सिंचाई के उपलब्ध समस्त साधनों का उपयोग करते हुए फसलों की क्षति को बचाया जाय। उपलब्ध पानी से उचित प्रबन्धन द्वारा अधिकाधिक क्षेत्र सिंचित किया जाय। इसके लिए स्प्रिंकलर आदि के उपयोग पर बल दिया जाय। आवश्यक होगा कि इस अवधि में विभिन्न स्तरों पर उपरोक्त संसाधनों के सुचारू रूप से चलते रहने की सामयिक समीक्षा की जाती रहे।

1. यदि बीच में अवर्षण की स्थिति के कारण कुछ खेतों में फसलें सूख जाती है तो बाद में वर्षा होने की दशा में कम समय में तैयार होने वाली संकर बाजरा, उर्द, मूॅग तथा तिल फसलों की बुआई करायी जाय।
2. खड़ी फसलों वाले खेतों में भूमि में नमी संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाय। इसके लिए फसलों में इण्टरकल्चर एवं मल्चिंग क्रियाओं के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाय क्योंकि निराई–गुड़ाई करके फसलों को खर–पतवारों से मुक्त करखने में भूमि की नमी फसलों को मिलेगी तथा खेतों में नमी का संरक्षण भी होगा।
3. यदि अवर्षण की स्थिति अगस्त के तीसरे सप्ताह बनी रहती है तो उस दशा में उर्द, मूॅग एवं तिल की बुआई की जाय तथा सितम्बर के प्रथम पखवारे में अंगेती राई/सरसों तथा तोरिया की बुआई करायी जाय।

4. कभी–कभी अगस्त के द्वितीय पक्ष में वर्षा रूक जाने एवं सूखे की स्थिति में गन्नें की फसल पर पाइरिला का प्रकोप अक्सर देखा गया है। उस दशा में गन्ना विभाग से समन्वय करते हुए एपीपाइरेक्स जैसे परजीवी की व्यवस्था बनाये रखी जाय ताकि आवश्यकतानुसार इस परजीवी को खेतों में छोड़ा जा सके।

स्थानीय सूखे की स्थिति के अनुसार शस्य–कृषि क्रियाओं को अपनाने हेतु कृषकों को सामयिक संस्तुतियां दिया जाना–

वर्षा की स्थिति जैसे कम या अधिक बीच–बीच वर्षा में गैप होने एकाएक अधिक वर्षा होना या एकाएक सूखे की स्थिति बनने इत्यादि स्थितियों की निरन्तर समीक्षा करके कृषकों को शस्य को अपनाने हेतु सामयिक संस्तुतियॉ करना एवं युद्ध स्तर पर प्रचार–प्रसार करना सबसे महव्पूर्ण कार्य है। प्रमुख संस्तुतियॉ इस प्रकार हैः–

1. फसलों में बिरलीकरण करके पौधें की संख्या कम कर दी जाय ताकि पत्तियों से उड़ने वाली नमी का ह्रास कम हो।
2. अवर्शण की स्थिति में फसलों के खर पतवार निकालने हेतु निराई गुड़ाई की जाय ताकि प्राकृतिक मल्व की स्थिति बन सके और भूमि की सतह से कम पानी उड़े। कम वर्षा होने पर यह प्रक्रिया मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूॅग एवं मूॅगफली की फसलों के लिए विशेष लाभप्रद एवं महत्व की होती है। मानसून बीच में रूक जाने एवं उसके बाछ पुनः वर्शा होने की स्थिति में धान, मक्का, बाजरा की फसलों में प्रति हे0 45–50 किग्रा0 यूरिया की टाप ड्रेसिंग करना लाभप्रद होता है। ढालू क्षेत्रों में ढाल के विपरीत जुताई एवं बुआई करने से पानी खेत में रूकता है और नमी का संचय होता है। इसलिए किसानों को इसके लिए प्रेरित किया जाय।
3. धान की अधिक उपजदायी मध्यम एवं शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के पौध 30 दिन तथा देखी एवं दीर्घ कालीन प्रजातियों के पौध 35 दिनों की हो जाने के पश्चात लगाने से टिर्लस/कल्ले कम निकलते हैं। ऐसी स्थिति में एक स्थान पर 3 से 4 पौधे लगाने एवं 1 वर्ग मीटर में औसतन 65 से 70 हिल रखने की संस्तुति की जाय। यदि धान की पौध अधिक बढ़ गई है तो ऊपर से एक चौथाई काटकर रोपाई की जाय।
4. उसरीली क्षेत्रों में धान की पौध 30 से 35 दिन की रखी जाय और प्रति वर्ग मीटर 65–70 स्थानों तथा एक स्थान पर 3–4 पौध लगाने की भी संस्तुति की जाय।
5. जिन क्षेत्रों में गत वर्ष धान में "खेरा रोग" की शिकायत रही हो या भूमि उसरीली हो तो 25 किग्रा0 प्रति हेक्टेयर की दर से जिन्क सल्फेट का प्रयोग किया जाय।

7. डी0आर0डी0ए0/समाज कल्याण विकास एवं बाल विकास विभाग

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सूखा की स्थिति में दैनिक मजदूरों, खेतिहर मजदूरों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किया जाय। साथ ही निराश्रितों, वृद्धों, अपंगों, बच्चों एवं महिलाओं को आवश्यक सहायकता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. राजस्व/पुलिस/सूचना

अफवाह एवं गलत संदेशों को रोकने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने सूचना विभाग को यह निर्देशित किया कि मीडिया के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हे वस्तुस्थिति की सही जानकारी प्रदान करें तथा जन समुदाय को मीडिया के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्रदान कराना सुनिश्चित करें। उन्होने सूचना विभाग को निर्देशित किया कि आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण विषय पर किये जा रहे कार्यों का मीडिया के सहयोग से व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें। ताकि अधिक सें अधिक लोग जागरूक हो सके।

9. पशुपालन

जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि सूखे से निपटने के लिए निम्न उपाय किये जायेंगे–

1. पेयजल की समस्या

जनपद में नहरों/तालाबों/नदियों तथा हैण्डपम्पों से प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है फिर भी सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की अवस्था में पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हेतु तालाबों/जलाशयों आदि को चिन्हित कर प्रशासन के मदद से उसमें पानी भराने की मदद की जायेगी।

2. पशुओं के लिए भूसा/चारे की व्यवस्था

जनपद में विगत वर्षों से गेहूँ की अच्छी फसल होने के कारण भूसे की समस्या नहीं है। पशुओं के लिए पशु पालकों को प्रेरित करके हरे चारे की खेती भी अच्छी हो रही है। जनपद गोरखपुर से भूसा क्रय करके अन्य जनपदों में जाता रहता है। अतः सूखे की स्थिति में भूसा बाहर जाने पर प्रशासन द्वारा प्रभावी नियंत्रण आवश्यक होगा। इस कार्य हेतु जनपद की सीमा पर स्थित थानों द्वारा विशेष अभियान चलाकर रोक लगाने की कार्यवाही की जायेगी। भूसे/चारे की व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जी0आर0/दैवी आपदा कोश से भूसा क्रय एवं वितरण हेतु जिलाधिकारी महोदय की क्षेत्रवार अवगत कराया जायेगा।

3. औषधियों आदि की आवश्यकता

सूखे की स्थिति में निर्जलीकरण (डीहाईड्रेशन) से पीड़ित पशुओं के उपचार हेतु इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन, ग्लूकोज सेलाईच एवं अन्य जीवन रक्षक औशधियों की व्यवस्था हेतु जी0आर0/दैवी आपदा कोश से प्रयास करके प्रभावित क्षेत्रों में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। पानी की कमी से अपूर्ण विकसित चरी के सूखे पत्तों के खाने से उसमें पाये जाने वाले हाईड्रोरासायनिक अम्ल के जहर से बचासव हेतु हाइपो एवं अन्य दवाओं की उपलब्धता भी प्रभावित क्षेत्रों में सुनिश्चित करायी जायेगी।

4. संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण

संक्रामक रोगों से बचाव हेतु सुरपका–मुँहपका, गलाघेंटू एवं लगड़िया रोगों का टीकाकरण नियमित रूप से सम्पूर्ण जनपद में कराया जा रहा है। फिर भी अगर किसी

संक्रामक रोग के फैलने की सम्भावना दिखाई देती है ताकि आवश्यकतानुसार उसके टीकाकरण की व्यवस्था की जायेगी।

5. पशु हानि/शव निस्तारण की व्यवस्था

सूखे की स्थिति में अधिक मात्रा में पशु हानि होने पर उसके शव निस्तारण की व्यवस्था पशुपालकों को प्रेरित करके कराया जायेगा तथा जरूरत पड़ने पर प्रशासन की भी सहायता ली जायेगी।

6. अन्य व्यवस्था

सूखे की विषम स्थित से निपटने के लिए पशु चिकित्साधिकारियों को माह जुलाई/अगस्त 2002 के विभागीय मासिक बैठक में आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये हैं जिससे दैवी आपदा के समय इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सके। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर दैवी आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना पशु चिकित्सालय सदर पर की गयी है जिसका दूरभाष सं0 336461 है। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी डॉ0 यू0सी0 श्रीवास्तव गायनोकालोजिस्ट पालीक्लीनिक सदर, गोरखपुर होंगे।

10. जल निगम/पंचायत राज विभाग

जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि समस्त पेय जल स्रोतों/संसाधनों का भलि प्रकार से मरम्मत कर उसकी पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित करावें।

11. नहर एवं नलकूप विभाग/समस्त उपजिलाधिकारी/पुलिस

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नहरों की अवैध कटान रोकने हेतु विभाग स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाय। यदि इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में आती है, तो तत्काल कार्यवाही करें।

12. राजस्व विभाग

सूखे के कारण उत्पन्न हुई आपदा के समय राहत देने का मुख्य दायित्व राजस्व विभाग का है। तहसीलों के अन्तग्रत आपदा राहत का मुख्य कार्य उप जिलाधिकारी के निर्देशन व पर्यवेक्षण में किया जायेगा। संबंधित उप जिलाधिकारी ही सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर आपदा राहत संबंधी कार्य अपनी देख रेख में सुनिश्चत करायेंगे। सूखे की स्थित शनैः शनैः उत्पन्न होती है। जनपद में मानसून का आगमन प्रायः माह जून के द्वितीय अथवा तृतीय सप्ताह से प्रारम्भ होकर सितम्बर के अन्तिम सप्ताह तक चलता है। जनपद नहरों की लम्बाई काफी कम है। सिंचाई का मुख्य साधन सरकारी एवं प्राइवेट नलकूप ही है। अधिकतर कृषक खरीफ की बुआई के लिये वर्ष पर निर्भर रहते है। अतएव मानसून में विलम्ब होने अथवा जून के द्वितीय सप्ताह से जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक वर्षा न होने से खरीफ की बुआई बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके बावजूद भी यदि पानी नहीं बरसता है तो खरीफ की देर से बोई जाने वाली प्रजातियां भी नहीं

बोयी जा सकती है। माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर में वर्षा न होने से खरीफ की फसलें तो नष्ट होती ही हैं, साथ ही साथ हरे चारे की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं वर्ष न होने से वाटर लेबल भी नीचे चला जाता है, जिससे तालाबों के सूखने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सामन्य हैण्ड पम्प का पानी नीचे चला जाता है तथा रबी के बुआई के लिये भी भयंकर समस्या उत्पन्न होती है। सूखा प्रबंधन के विस्तृत निर्देश आपदा नियम संग्रह के प्रस्तर 69 से 73 में दिये गये हैं। राजस्व विभाग को प्रमुखतः निम्न कार्य करने है–

a. राजस्व विभाग का मुख्य दायित्व है कि आपदा, सूखा या अकाल की त्रासदी के कारण कोई भी व्यक्ति अथवा पशु भूख के कारण न मरे।

b. राजस्व विभाग का यह पूर्ण दायिव्व हो जाता है कि सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर लेखपालों के माध्यम से ऐसे तालाबों अथवा नहर की पटरियों के किनारे के स्थनों की सूची बनवा लें जहॉ पर पशुओं के पेयजल के निमित्त नहरों अथवा ट्यूबेल के माध्यम से पानी भरवाया जा सके।

c. उन ग्रामों की सूची तैयार करा लिया जाय जहॉ बाटर लेबुल इतना नीचे हो गया है कि सामान्य हैण्ड पम्प पानी देना बन्द कर दे और इन ग्रामों में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प उपलब्ध न हो, वहॉं पर जल निगम के माध्यम से डी बोरिंग कराकर पेया जल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जानी होगी।

d. सरकारी तथा गैर सरकारी पम्प सेटों के माध्यम से फसलों की सिंचाई के लिये रोस्टर तथा डीजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी जिससे कि फसलों को सुनिश्चित रखा जा सके।

e. उप जिलाधिकारीगण अपने–अपने तहसील के अन्तर्गत राजस्व, विकास तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से सामन्जस्य रखेंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे और सूचनाओं को संकलित करते रहेंगे कि कहीं भी कोई व्यक्ति अथवा पशु भूख सेत्रस्त नही है, मनुश्यों एवं पशुओं में संक्रामक बीमारियां तो नही फैल रहीं है और कहीं पर सूखा अकाल का रूप तो नहीं धारण कर रहा है।

f. अपने–अपने तहसील के अन्तर्गत पड़ने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो के स्वास्थ्य कर्मियों की मोबाइल टीम बनाकर प्रभावित क्षेत्रों में भेजकर उनका उपचार एवं चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

g. इसी प्रकार पशु चिकित्सकों की माबाइल टीम बनाकर पशुओं की भी चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

h. यदि कहीं पर खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होती है तो उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता अथवा आवश्यकतानुसार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था करायी जाय।

i. पशुओं के लिए चारे अथवा भूसे की समस्या उत्पन्न होने पर जगह–जगर नियंत्रित मूल्य पर भूसा उपलब्ध कराने हेतु डिपों अथवा आवश्यकता होने पर निःशुल्क भूसा अथवा पशु आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी।

j. यह भी स्थित उत्पन्न हो सकती है कि सूखे के कारण कृषकों के पास रबी की बुआई हेतु बीज उपलब्ध न रह जाय तब उन्हे नियंत्रित मूल्य अथवा निःशुल्क बीज भी उपलब्ध कराया जाना होगा।

k. सूखे के करण फसलों में बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हेतु कृषि रक्षा विभाग को जागरूक रखना होगा।

l. राजस्व विभाग आपदा राहत कार्य हेतु नोडल विभाग है उसे चिकित्सा, पशु चिकित्सा, कृषि रक्षा, जल निगम, सिंचाई, ट्यूबेल, खाद्य एवं रसद आदि विभागों से समन्वय रखकर समस्त आवश्यताओं की पूर्ति करनी होगी। अतएव इन विभागों के समस्त अधिकारियों का उपर्युक्त स्थिति उत्पन्न होने पर नित्य प्रति अनुश्रवण किया जाय तथा उन्हे उचित मार्ग दर्शन भी दिया जाये।

m. महानगरीय एवं नगरीय क्षेत्र में सूखे के समय पेय जल एवं जलापूर्ति की विकराल समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में ट्यूबेलों को अधिक से अधिक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय, जिससे की पानी की आपूर्ति बनी रहे। महानगर के ऐसे क्षेत्र जहॉ ट्यूबेल नहीं स्थित है वहॉ पर टैंकर्स अथवा गहरे बोरिंग के नलों को लगवा कर पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय। ऐसे समय में जलापूर्ति न होने के कारण महामारियाँ भी फैल सकती है। अतएव जल के विसंक्रमण हेतु क्लोरीनेशन आवश्यक है। महानगर/नगरीय क्षेत्रों में जगह–जगह पर स्वयं सेवी संस्थाओं से प्याऊ खुलवाने की व्यवस्था करायी जाय। पशुओं के पेजजल के लिय भी टैंक खुदवा कर उसमें पानी भरवा दिया जाय।

13. नियंत्रण एवं अनुश्रवण

सूखे के दौरान कलेक्ट्रेट में जिला सूखा नियंत्रण कक्ष की स्थापना श्री बसन्त राम, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) गोरखपुर की अध्यक्षता में की गयी है जो सूखे की अवधि में चौबीसों घण्टे कार्य करेगा। इसी प्रकार तहसीलों में भी सूखा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी। साथ ही साथ, नगर निगम, जल निगम, चिकित्सा विभाग एवं पशु चिकित्सा विभाग में भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जोयेगी। जिला आपात समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हो चुकी है। सूखे से उत्पन्न स्थिति एवं राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रतिदिन एवं उप जिलाधिकारी/बी0डी0ओ0/अन्य फील्ड अधिकारियों के साथ प्रति सप्ताह जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। विशेष परिस्थितियों में निम्न दूरभाष नम्बरों पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

1.	जिलाधिकारी	:	2336005 (कार्यालय)	2336007 (आवास)
2.	अपर जिलाधिकारी(प्रशा)	:	2335949 (कार्यालय)	2335299 (आवास)
3.	अपर जिलाधिकारी(वि/रा)	:	2337792 (कार्यालय)	2335299 (आवास)
4.	जिला नियंत्रण कक्ष	:	2201796, 1077	
5.	नगर नियंत्रण कक्ष(सी.सी.आर.)	:	2333434 या 100	

सूखा समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति

दिनांक 22.4.2013 को अपरान्ह 1.00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सूखा से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने हेतु कार्य योजना की तैयारी एवं समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति

आज दिनांक 22.04.2013 को कलेक्ट्रेट सभागार में वित्तीय वर्ष 2013–14 के सूखा से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने एवं प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्नांकित माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे–

01. श्री जय प्रकाश निषाद, मा0 विधायक चौरीचौरा, गोरखपुर।
02. आचार्य श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रतिनिधि मा0 विधायक चिल्लूपार, गोरखपुर।
03. श्री श्याम नारायण, प्रतिनिधि मा0 विधायक खजनी, गोरखपुर।
04. श्री देवकृष्ण तिवारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), प्रभारी अधिकारी (आपदा), गोरखपुर।
05. श्री गौरव वर्मा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गोरखपुर।
06. श्री पी0के0 पाण्डेय, वै0 सहायक, मौसम विभाग, गोरखपुर।
07. श्री जे0पी0 चौरसिया, स0 मौसम विज्ञान, ग्रेड–2 मौसम विभाग, गोरखपुर।
08. श्री नीरज मिश्र, सहायक उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा कोर, गोरखपुर।
09. श्री प्रेम कुमार द्विवेदी, जिलापूर्ति अधिकारी, गोरखपुर।
10. डा0 डी0पी0 सिंह, ए0सी0एम0ओ0, गोरखपुर।
11. श्री दिनेश कुमार, सहायक अभियन्ता सरयू नहर खण्ड–प्रथम, गोरखपुर।
12. श्री जय प्रकाश, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।
13. श्री अंजनी कुमार मिश्र, संरक्षक, सूचना विभाग, गोरखपुर।
14. डा0 निर्मल प्रसाद, जिला होम्योपैथिक अधिकारी, गोरखपुर।
15. श्री नारायण सिंह, प्लाटून कमाण्डर, 26वीं वाहिनी पी0ए0सी0, गोरखपुर।
16. श्री मोती लाल सिंह, उपजिलाधिकारी, चौरीचौरा, गोरखपुर।
17. श्री गोपाल चन्द सिन्हा, प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।
18. श्री पी0सी0 गौतम, फायर स्टेशन आफिसर, गोरखपुर।
19. श्री महेन्द्र नाथ त्रिपाठी, प्रतिनिधि, बी0एस0ए0, गोरखपुर।
20. श्री जे0एन0 पाण्डेय, पी0टी0ओ0 (आर0टी0ओ0), गोरखपुर।
21. श्री रामजी राम, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, गोरखपुर।
22. श्री बच्चा सिंह, जी0पी0एस0, पंचायत राज विभाग, गोरखपुर।
23. श्री एस0एन0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, गोरखपुर।
24. श्री बी0एन0 शुक्ला, सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, गोरखपुर।

25. श्री एस0आर0वी0 सिंह, सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड–2, गोरखपुर।
26. श्री के0एस0 भारती, सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, गोरखपुर।
27. श्री पी0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड–2, गोरखपुर।
28. श्री रासिद अली, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, गोरखपुर।
29. श्री अमरनाथ राय, उपजिलाधिकारी, गोला, गोरखपुर।
30. श्री उदय शंकर सिंह, सहायक अभियन्ता, न0स0–2, गोरखपुर।
31. श्री गौरीशंकर गुप्त, स0अ0च0न0कू0ख0–1, गोरखपुर।
32. श्री विरेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर।
33. श्री बृजेश सिंह, जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर।
34. डा0 के0पी0 सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (पशुपालन), गोरखपुर।
35. कर्नल श्री एम0सी0ए0ए0 पिल्लई (वी0एस0एम0), जी0आर0डी0 स्टेशन कूड़ाघाट, गोरखपुर।
36. श्री जी0पी0 उपाध्याय, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, दशम शाखा, गोरखपुर।
37. डा0 आशीश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, भारत सेवा मिशन, गोरखपुर।
38. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद, उपजिलाधिकारी (सदर), गोरखपुर।
39. श्री जगदम्बा सिंह, तहसीलदार चौराचौरा, गोरखपुर।
40. श्री कन्हैया लाल गुप्ता, तहसीलदार कैम्पियरगंज, गोरखपुर।
41. श्री बी0 राम, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, गोरखपुर।
42. श्री एस0एन0 सिंह, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियत्रण विभाग, गोरखपुर।
43. श्री राजेश श्रीवास्तव, तहसीलदार बासंगांव, गोरखपुर।
44. श्री अवनेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता, गो0वि0प्रा0, गोरखपुर।
45. श्री रामपाल, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, गोरखपुर।
46. श्री एस0बी0 सिंह, सहायक अभियन्ता (जल), नगर निगम, गोरखपुर।
47. श्री एस0के0 सिंह, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
48. डा0 एस0 चनप्पा, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), गोरखपु।
49. श्री संतोष कुमार राय, तहसीलदार सदर, गोरखपुर।
50. श्री महेन्द्र मिश्र, सहायक अभियन्ता, तृतीय विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, गोरखपुर।
51. श्री एस0एन0पी0 सिंह यादव, अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर।
52. श्री गौतम गुप्ता, पी0ओ0, डी0डी0एम0ए0, गोरखपुर।
53. श्री राघवेन्द्र सिंह, परियोजना समन्वयक (ए0आर0आर0 परि0), पी0जी0वी0एस0, गोरखपुर।
54. अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण, गोरखपुर।

सर्वप्रथम श्री देवकृष्ण तिवारी, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) ने शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में एजेण्डा बिन्दु में दिये गये बिन्दुओं को आगे बढ़ाते हुए बताया कि सूखा से उत्पन्न स्थिति

से तत्काल राहत प्रदान किये जाने हेतु सभी सम्बन्धित विभाग समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बना लें यदि कार्ययोजना बनी है तो दे दें अन्यथा पांच दिवस में अपने विभाग के सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ चर्चा कर लें तथा कार्य योजना की प्रति भी जनपद स्तर पर उपलब्ध करा दें।

1. पंचायत राज विभाग/जल निगम/स्थानीय निकाय एवं नगर निगम

पेयजल के सभी स्रोतों/ संसाधनों का भली प्रकार से मरम्मत एवं पूर्ण उपयोग की सुनिश्चितता करने हेतु पंचायत राज विभाग, जल निगम, स्थानीय निकाय (नगर पंचायत) तथा नगर निगम समन्वय स्थापित कर खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत करा लें तथा रिबोर कराये जाने वाले हैण्डपम्पों का रिबोर कराने हेतु कार्यवाही की जाये। पेयजल की आपूर्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी हैण्डपम्प अधिक समय तक खराब न रह जाये। खराब हैण्डपम्पों की सूचना प्रेषित किया जाये। हैण्डपम्पों का क्लोरोनीकरण कराया जाये।

2. नहर एवं नलकूप विभाग

पशुओं के पेयजल संकट निवारण हेतु नहरों एवं नलकूपों/निजी नलकूपों के माध्यम से तालाब/पोखरा एवं अन्य जल संग्रहण स्रोतों को भरवाने की व्यवस्था किया जाये। जनपद में स्थित तालाबों को नहरों अथवा नलकूपों भरवा दें। जहां सरकारी नलकूप/नहर नहीं हैं, वहां निजी नलकूपों से ग्रामसभा के सहयोग से पशुओं के पीने हेतु तालाब में पानी भरवा दें। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 25 मई के बाद नहर चलेगी। निर्देशित किया गया कि तब तक सर्वे कर लिया जाये कि कितने तालाब सूखे हैं तथा कितने भरे हुए हैं। नहरों के अवैध कटान रोकने हेतु सिंचाई/राजस्व/पुलिस विभाग समन्वय स्थापित कर कटान की निगरानी रखा जाये। समस्त उपजिलाधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में तालाबों के भरने के सम्बन्ध में निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. ऊर्जा विभाग/जिलापूर्ति विभाग

सूखा की स्थिति में सिंचाई के साधन नलकूप/नहरों के संचलन हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाये। खराब ट्रांसफार्मरों के मरम्मत तत्काल किया जाये। कोई भी ट्रांसफार्मर खराब होने पर विद्युत आपूर्ति ठप होने से पेयजल/सिंचाई प्रभावित होगी। जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में कुल 107 पम्पों पर 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल आरक्षित कर लिया गया है। डीजल एवं पेट्रोल जनपद में पर्याप्त हैं। नहरों से सिंचाई सुनिश्चित करने हेतु रोस्टर के अनुसार समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाये।

4. ग्राम्य विकास विभाग (डी०आर०डी०ए०)

अवर्षण की स्थिति में दैनिक मजदूरों, खेतीहर मजदूरों एवं अन्य जरूरतमन्द लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किया जाये।

5. पशुपालन विभाग

ग्रीष्मकाल में पशुचारे/चरी में सायनाइड विष उत्पन्न होने की सम्भावना के दृष्टिगत इससे बचाव हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये तथा पशुचिकित्सा केन्द्रों पर पशुओं के उपचार हेतु दवायें आरक्षित कर लिया जाये। सूखे की स्थिति में भूसा बाहर जाने से रोका जाये। इसके लिए जनपद के सीमा पर स्थित थानों द्वारा विशेश अभियान चलाकर रोक लगाने की कार्यवाही की जाये। सूखे की स्थिति में निर्जलीकरण (डीहाईड्रेशन) से पीड़ित पशुओं के उपचार हेतु इलेक्टोलाइट, विटामिन्स, ग्लूकोज सेललाईन एवं अन्य जीवन रक्षक औषधियों की व्यवस्था की जाये। संक्रामक रोग के बचाव हेतु टीकाकरण किया जाये।

6. चिकित्सा विभाग

उपमुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि बाढ़ राहत केन्द्र पर तैनात कर्मचारी ही सूखा राहत कार्य प्रदान करेगें। समस्त सामुदायिक/प्राथमिक स्वा0 केन्द्र पर संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। संक्रामक रोगों के उपचार हेतु एक सचल दल का गठन किया गया है जो क्लोरीन की गोली उपलब्ध करायी जायेगी। निर्देशित किया गया कि समय से पूर्व आवश्यक दवायें सभी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर आरक्षित कर लिया जाय।

7. कृषि एवं कृषि रक्षा विभाग

सूखे की स्थिति से निपटने हेतु वैकल्पिक फसलों के बीजों एवं खाद की मांग कर लिया जाय। मृदा में नमी के संरक्षण के उपायो का प्रचार–प्रसार एवं वर्शा जल संग्रहण/संचयन हेतु कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

8. नागरिक सुरक्षा कोर

उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा कोर को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त स्वयंसेवी संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की सूची अद्यतन कर समन्वय स्थापित करें ताकि आपात स्थिति में इनका उपयोग किया जाय। अद्यतन सूची की प्रति जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय को उपलब्ध भी करायें। जनसमुदाय में आपात घटनाओं से निपटने हेतु प्राथमिक चिकित्सीय उपायों, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने एवं दूषित पेयजल से सम्भावित बिमारियों के प्रति जनसमुदाय को जागरूक किये जाने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर संगठन तहसील स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।

अफवाह एवं गलत संदेशों को रोकने के लिए सूचना विभाग को यह निर्देशित किया कि मीडिया के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें वस्तुस्थिति की सही जानकारी प्रदान करें तथा जनसमुदाय को मीडिया के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्रदान कराना सुनिश्चित करें। उन्होने सूचना विभाग को निर्देशित किया कि आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण विशय पर किये जा रहे कार्यों का मीडिया के सहयोग से व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके।

अंत में सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निर्देशित किया गया कि समय से पूर्व प्रत्येक दशा में तैयारी पूर्ण कर लिया जाय। ताकि सूखा/आपदा आने पर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न ना हो।

(देव कृष्ण तिवारी)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी (आपदा)
गोरखपुर।

सं0...../आपदा–2013/दिनांकित।

प्रतिलिपि :

1. सचिव एवं राहत आयुक्त महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेशित।
2. आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को सादर सूचनार्थ प्रेशित।
3. जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेशित।
4. समस्त सम्बन्धित को अनुपालनार्थ प्रेशित।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी (आपदा)
गोरखपुर।

आगजनी एवं भूकम्प प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण योजना

महानगर में उपलब्ध संसाधन

वर्तमान शिक्षण संस्थाएं

क्र0सं0	शिक्षण संस्थाएं	संख्या
1	प्राथमिक /जूनियर बेसिक स्कूल	216
2	सिनियर बेसिक स्कूल	63
3	माण्टेसरी/नर्सरी स्कूल	411
4	बालक /बालिका इण्टर कालेज	64
5	स्नातक /स्नातकोत्तर कालेज	23
6	विश्वविद्यालय	1
7	पालिटेक्निक कालेज	3
8	मेडिकल कालेज	1
9	इंजीनियरिंग कालेज	1
10	आई0 टी0 आई0 कालेज	2
11	मूक वधिर विद्यालय	1
12	स्पोर्ट कालेज	1
13	संस्कृत पाठशाला	4
14	मकतब विद्यालय	5
15	समाज कल्याण विभाग संचालित प्रा0 वि0	3
16	शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान	1
17	केन्द्रीय विद्यालय	2

स्कूल कालेजों में उपलब्ध अध्यापक छात्रों की स्थिति

वर्ग	प्राईमरी स्कूल	प्राईमरी/बेसिक स्कूल	प्राईमरी/बेसिक स्कूल	डिग्री कालेज /विश्वविद्यालय
अध्यापक	6962	3187	3380	404
कुल छात्र	449479	154087	129039	24950
लड़के	244135	1110802	105903	16016
लड़कियां	205344	43005	23136	8934

महानगर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं

क्र0सं0	चिकित्सा सुविधाएं (सरकारी /व्यक्तिगत)	संख्या
1	हेल्थ पोस्ट	15
2	होमियोपैथिक चिकित्सालय	3
3	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	4
4	प्राकृतिक चिकित्सालय	1
5	मेडिकल कालेज	1
6	जिला चिकित्सालय	1
7	नेत्र चिकित्सालय	1
8	कैंसर चिकित्सालय	1
9	क्षय रोग चिकित्सालय	1
10	कुष्ठ रोग चिकित्सालय	1
11	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	6
12	नर्सिंग होम व निजी स्वास्थ्या केन्द्र	250
13	मेडिकल स्टोर्स (रजिस्टर्ड)	1260
14	कुल उपलब्ध शैया (सरकारी)	2267
15	कुल उपलब्ध शैया (निजी संस्थानों में)	10560
16	रजिस्टर्ड चिकित्सक	862

अग्निशमन व्यवस्था जनपद गोरखपुर

1. **फायर स्टेशन, गोरखपुर**
   1. मोटर फायर इंजन : 3
   2. जीप : 1
   3. बोलोरो कैम्पर : 1
   4. पम्प : 2
2. **गीडा सहजनवां**
   1. मोटर फायर इंजन : 1
   2. बोलोरो कैम्पर : 1
   3. पम्प : 1
3. **फायर स्टेशन, बड़हलगंज**
   1. वाटर टैंकर छोटी : 1
   2. बोलोरो कैम्पर : 1
   3. बोलोरो कैम्पर : 1

सीजनल ड्यूटी

1. **थाना चौरीचौरा**
   1. बोलोरो कैम्पर : 1
      मय उपकरण स्टाफ सहित :
2. **थाना कैम्पियरगंज**
   1. वाटर टेंकर : 1
      मय उपकरण स्टाफ सहित :
3. **थाना बॉसगांव**
   1. बोलोरो कैम्पर : 1
   2. पम्प : 1
      मय उपकरण स्टाफ सहित
4. **थाना खजनी**
   1. बोलोरो कैम्पर : 1
   2. पम्प : 1
      मय उपकरण स्टाफ सहित

जनपद गोरखपुर नगर क्षेत्र में अग्निशमन कार्य हेतु

फायर हाईड्रेण्टः–

1. फायर स्टेशन(गोलघर) गोरखपुर : 02 अद्द
2. कार्यशाला (यांत्रिक कारखाना) गोरखपुर : 01 अद्द

स्टैटिक टैंकः–

1. जलकल परिसर : 01 अद्द
2. फायर स्टेशन गोरखपुर : 01 अद्द
3. कार्यशाला (यांत्रिक कारखाना) गोरखपुर : 01 अद्द

जनपद गोरखपुर क्षेत्र में अग्निशमन कार्य हेतु अन्य जल स्त्रोत

क्र.सं.	नाम फर्म	यार्ड हाईड्रेण्ट/ हाईड्रेण्ट	स्टैटिक टैंक
1	शंकर केबिल इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोरखनाथ	–	02 अदद
2	माडल लिमिटेड औद्यौगिक क्षेत्र, गोरखनाथ	1	03 अदद
3	माडल पैचिंग, गोरखनाथ	1	02 अदद
4	बी0एन0 डायर्स बरगदवा, गोरखपुर	1	ओवर हेड टैंक है
5	बी0एन0 डायर्स नकहां नं0 2, भगवानपुर, गोरखपुर	1	01 अदद
6	मेसर्स अंकुर उद्योग लि0, नकहां नं0 2, गोरखपुर	1	01 अदद
7	सिटी माल पार्क रोड, गोरखपुर	1	01 अदद
8	क्लार्क इन होटल, सिविल लाइन, गोरखपुर	3	01 अदद
9	सहारा प्रेस, गोरखपुर	2	01 अदद
10	पार्क रेजेन्सी होटल, गोरखपुर	1	–
11	गोकुल अतिथि भवन, आरटीओ कार्यालय, गोरखपुर	1	01 अदद
12	सूरत साड़ी, गीता प्रेस, गोरखपुर	1	01 अदद
13	राधा माधव टेक्सटाइल, गोरखपुर	1	01 अदद
14	सिनेप्लैक्स, माया टाकीज गीता प्रेस रोड, गोरखपुर	1	01 अदद
15	क्रास माल, बैंक रोड, गोरखपुर	1	01 अदद
16	सुनन्दा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर	3	01 अदद
17	ए0डी0 टावर, बैंक रोड, गोरखपुर	3	01 अदद
18	लहरी चैम्बर, बैंक रोड, गोरखपुर	3	01 अदद
19	नरायन टावर, गांधी रोड, गोरखपुर	1	01 अदद
20	चौधरी स्वीट हाउस, विजय चौक, गोरखपुर	1	–
21	पशुपति नाथ दवाखाना, भलोटिया मार्केट, गोरखपुर	1	–
सहजनवां क्षेत्र–			
1	ए0बी0आर0 पेट्रो प्रोडक्ट, गीडा, गोरखपुर	6	01 अदद
2	एच0पी0 बाटलिंग प्लान्ट, गीडा, गोरखपुर	14	ओवर हेड टैंक
3	ए0आर0पी0 प्रोडक्ट, गीडा, गोरखपुर	ट्यूबवेल के बाईपास पर फीमेल कपलिंग लगा है	ओवर हेड टैंक है
4	आई0जी0एल0 सेक्टर 15, गीडा, गोरखपुर	8	01 अदद
बड़हलगंज क्षेत्र–			
1	जानकी जीवन कोल्ड स्टोरेज, बड़हलगंज	–	01 अदद

फायर हाइडेन्ट फ्लैच लगे हुए नलकूपों की सूची/विवरण

क्रं.	पता स्थान सहित	स्थिति
1	बशारतपुर ओवर हेड टैंक, मेला ग्राउण्ड के निकट सेण्ट जोसेफ कन्या हाईस्कूल के सामने	सही है
2	बशारतपुर हाटमिक्स प्लान्ट के उत्तर सड़क पर	"
3	गोलघर नलकूप फायर स्टेशन परिसर	"
4	धर्मशाला नलकूप, नगर प्रमुख कैम्प कार्यालय के दक्षिण	"
5	हजारीपुर नलकूप, बाबीना होटल के निकट	"
6	दुर्गाबाड़ी नलकूप, रमानाथ लाहिड़ी कम्पाण्ड	"
7	तिवारीपुर नलकूप, थाने के पूरब	"
8	इलाहीबाग नलकूप, प्राइमरी पाठशाला के निकट	"
9	सूरजकुण्ड नलकूप, राधा अतिथि भवन के सामने	"
10	सूर्यविहार ट्यूबवेल, जी0डी0ए0 कालोनी में	"
11	महादेव झारखण्डी ओवरहेड टेंक, आ0वि0 ओवर हेड परिसर	"
12	महादेव झारखण्डी नलकूप नं0 2, रामगढ़ताल के किनारे	"
13	मोहद्दीपुर पावर हाउस नलकूप, पावर हाउस कालोनी के पास मेन रोड पर	"
14	गोरखनाथ नलकूप नं0 2, गोरखनाथ परिसर के पूरब गेट पर	"
15	गोरखनाथ नलकूप, गोरखनाथ परिसर के उत्तरी गेट पर	"
16	शाहपुर ओवरहेड टेंक, शाहपुर आ0वि0 कालोनी में	"
17	बेसिक प्राइमरी पाठशाला, गोरखनाथ नलकूप, झूले लाल मन्दिर के सामने	"
18	बेनीगंज नलकूप, भाजपा कार्यालय के सामने	"
19	नलकूप कमिश्नर कम्पाउण्ड, नया कमिश्नर कैम्पस के बगल में ओवरहेड टैक के पास	"
20	आवास विकास, बेतियाहाता दक्षिणी, पार्क के अन्दर	"
21	महेवा वर्कशाप नलकूप, नगर निगम वर्कशाप के अन्दर	"
22	शास्त्रीनगर नलकूप, शास्त्रीनगर कालोनी में	"
23	ट्रांसपोर्ट नगर नलकूप, भैंसा खाना के बगल में	"
24	जलकल परिसर नलकूप नं0 12, जलकल परिसर में दक्षिण तरफ	"
25	दिवानी कचहरी नलकूप, दिवानी चौराहे पर	"
26	पुलिस स्टेडियम नलकूप, कार्मल रोड पर लेबर कमिश्नर कार्यालय के सामने	"
27	कलेक्ट्री कचहरी नलकूप, कलेक्ट्री कचहरी परिसर	"
28	कौवादह नलकूप, गीता पेस के पीछे	"
29	प्रेमचन्द्र पार्क नलकूप, प्रेमचन्द्र पार्क के सामने	"
30	रावत पाठशाला नलकूप, नार्मल चौराहे के पास	"
31	जच्चा–बच्चा बेतियाहाता चौराहे के पास	"
32	आकाशवाणी नलकूप, आकाशवाणी परिसर के अन्दर	"
33	रायगंज जोनल नलकूप, डी0आई0ओ0एस0 कार्यालय के निकट	"
34	इन्दिरा बाल बिहार नलकूप, पार्क के सामने	"
35	कचहरी क्लब (टाउन हाल)	"
36	शास्त्रीपुरम ओवरहेड टेंक में	"
37	चर्च के पहले विष्णु मन्दिर के परिसर में	"
38	विन्ध्यवासिनी नगर कालोनी नलकूप, स्टार हास्पिटल के बगल में	"
39	बजाज पार्क नलकूप	"
40	बिलन्दपुर नलकूप, डी0आई0जी0 बंगला के सामने	"
41	चारूचन्द्रपुरी नलकूप, डी0आई0जी0 बंगला के सामने	"

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN : 2013-14

प्रशासनिक अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर एवं मोबाईल नम्बर

क्र.	पदनाम	कार्यालय	आवास	अधिकारी का नाम	मोबाईलध्ब्ळ
1	मण्डलायुक्त	2335238	2336022	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	9454417500
2	अपर आयुक्त (प्र0)	2335094, 2343602	2343873	श्री मनमोहन चौधरी	9454416208
3	अपर आयुक्त (न्यायिक प्रथम)	2335094, 2343602	2343612		9454416206
4	अपर आयुक्त (न्यायिक द्वितीय)	2333076			9454416207
5	अपर आयुक्त (वित्त)			डा0 हरिचरण सिंह	9369310360
6	जिलाधिकारी	2336005	2336007	श्री रवि कुमार एन0जी0	9454417544
7	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	2337792	2337791	श्री देव कृष्ण तिवारी	9454417615, 9452070475
8	अपर जिलाधिकारी (नगर)	2335430	2333012	श्री बद्री नाथ सिंह	9454416211
9	मुख्य राजस्व अधिकारी	2203709	2200387	श्री गौरव वर्मा	9454416212
10	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	2335949	2335299	श्री गौरव वर्मा	9454416210 8009626986
11	नगर मजिस्ट्रेट	2338509	2333088	डा0 रमेश कुमार शुक्ल	9454416213
13	अपर नगर मजिस्ट्रेट			श्री विजय नाथ पाण्डेय	9415358556
14	डिप्टी कलेक्टर			डा0 रमेश कुमार शुक्ल	9454416246
15	SLAO	2333416		डा0 रमेश कुमार शुक्ल	9454416246
16	सहायक अभिलेख अधि/डि0कले0			श्री राजेश कुमार सिंह	9412529248
17	उप जिलाधिकारी सदर	2333461		श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद	9454416215 9415531845
18	अपर उप जिलाधिकारी सदर			श्री कैलाश नाथ वर्मा	9415451454
19	तहसीलदार सदर			श्री संतोष कुमार राय	9454416222 7388142222
20	तहसीलदार सदर (न्यायिक)			श्री शम्भू शरण श्रीवास्तव	9454416223
21	उप जिलाधिकारी खजनी	05521– 251013	05521– 251003	श्री हर्ष देव पाण्डेय	9454416221 8765169217
22	तहसीलदार खजनी			श्री इंदु प्रकाश सिंह	9454416230 7388997555
23	उप जिलाधिकारी गोला	05525– 231250 231257	05525– 231250	श्री अमर नाथ राय	9454416217 9415377083
24	तहसीलदार गोला			श्री कन्हैया लाल	9454416226
25	उप जिलाधिकारी बांसगांव	05521– 230006		श्री गिरिजेश कु0 चौधरी	9454416216
26	तहसीलदार बांसगांव			श्री राजेश कु0 श्रीवास्तव	9454416224 9415358534
27	तहसीलदार बांसगांव (न्यायिक)				
28	उप जिलाधिकारी कैम्पियरगंज	05524– 248322		श्री राजेश कुमार सिंह	9454416219
29	तहसीलदार कैम्पियरगंज			श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	9454416228
30	उप जिलाधिकारी चौरीचौरा	2526444		श्री मोती लाल सिंह	9454416218 9415092482
31	तहसीलदार चौरीचौरा			श्री जगदम्बा सिंह	9454416227 8765067352
32	उप जिलाधिकारी सहजनवॉ	2700154		श्री गुलाब चन्द्र राम	9454416220 9453114394
33	तहसीलदार सहजनवॉ			श्री अभय कुमार मिश्रा	9454416229 9451736002
34	प्रधानाचार्य मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय			श्री प्रमोद कुमार तिवारी	9454416237 8795645787
35	नायब तहसीलदार नगर			श्री दयाराम	9454416232
36	नायब तहसीलदार खोराबार			श्री राकेश राम	9454416245
37	नायब तहसीलदार पिपराइच				9454416234
38	नायब तहसीलदार जं0 कौड़िया			श्री राकेश राम	9454416242
39	नायब तहसीलदार पाली				9454416237
40	नायब तहसीलदार सहजनवॉ			श्रीमती प्रियंका चौधरी	9454416238
41	नायब तहसीलदार बड़हलगंज			श्री वरूण दत्त मिश्र	9454416249
42	नायब तहसीलदार गोला				
43	नायब तहसीलदार खजनी			श्री शशांक शेखर राय	9454416242
44	नायब तहसीलदार सिकरीगंज				9454416235
45	नायब तहसीलदार सरदारनगर				9454416243
46	नायब तहसीलदार राजधानी				9454416244
47	नायब तहसीलदार कैम्पियरगंज				9454416245
48	नायब तहसीलदार कौडीराम				9454416246
49	नायब तहसीलदार बांसगांव				9454416247
50	नायब तहसीलदार गगहा				9454416248
51	नायब तहसीलदार सीलिंग–1				9454416249
52	नायब तहसीलदार सीलिंग–2				9454416250
53	नायब तहसीलदार मुख्यालय सदर			श्री कमरूद्दीन	9451470333

जिला अधिकारियों के नाम एवं फोन नम्बर

कं.	पदनाम	कार्यालय	आवास	अधिकारी का नाम	मोबाईलध्ब्ळ
1	मुख्य विकास अधिकारी	2335927 फै 2330179	2333082	श्री सुरेश कुमार प्रथम	9454416251
2	जिला विकास अधिकारी	2203150	2341828	डा0 अभय कुमार श्रीवास्तव	9450576535
3	परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0	2335612		श्री सुरेश चन्द्र	9554966666
4	नगर आयुक्त, नगर निगम	2333015 2342652	2336950	श्री राकेश कुमार त्यागी	7607003701
5	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा	2334486	2203469	श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी	9450927090
6	उपाध्यक्ष, जी0डी0ए0	2230127	2202432	श्री रवि कुमार एन0जी0	9454417544 9415210451
7	सचिव, जी0डी0ए0	2230128	2331087	श्री ओम प्रकाश	9628372021 9415122101
8	मुख्य वित्त लेखाधिकारी, जी0डी0ए0	2230129		श्री मणि शंकर पाण्डेय	9628372024
9	मुख्य कोषाधिकारी 9839634604	2334450	2201257 कोषाधिकारी	श्री विनोद कुमार श्री उपाध्याय जी	8127291747 9005744596 9451672860
10	मुख्य वित्त लेखाधिकारी डीआरडीए	2335612	2333605		9628372024
11	मुख्य चिकित्साधिकारी	2336622	2331800	डा0 एम0पी0 सिह	9415166714
12	एस0आई0सी0 जिला चिकित्सालय	2332203		डा0 एच0पी0 राय	9984825308
13	एस0आई0सी0 महिला चिकित्सालय	2333500		डा0 कन्चन लता पाण्डेय	9454455381
14	मुख्य वन संरक्षक	2333558		श्री अजय कुमार	945006274 9450642781
15	प्रभागीय वनाधिकारी	2333108	2335465	श्री एम0 के0 त्रिपाठी	9415349785
16	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम	2500754		डा0 के0एल0मीना	9454005296 9453006280
17	प्र0जिला सहा0 निबन्धक, सहकारी समि	2337728		श्री विनोद कुमार गुप्ता	9450054320
18	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	2333103		श्री दीपक कुमार पाण्डेय	9415177921
19	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी स्था0नि0लेप	2334618		श्री आशुतोष दूबे	7318488495
20	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी स0समि0	2200817		श्री बृजेश कुमार दीक्षित	9415521687
21	जिला बचत अधिकारी	2337203		श्री दुर्गा राम	9452329207
22	जिला आबकारी अधिकारी	2333559		श्री सदानन्द चौरसिया	9454465702 9415277906
23	जिला पूर्ति अधिकारी	2336505		श्री पी0के0 त्रिवेदी	9919871919
24	जिला समाज कल्याण अधिकारी	2343325		श्री सुनील कुमार सिंह	
25	जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी			श्री धर्मदेव त्रिपाठी	9415219260
26	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी				
27	जिला कार्यक्रम अधिकारी	2202873		श्रीमती सावित्री देवी	9451006509
28	प्र0 जिला प्रोबेशन अधिकारी			श्री मधुरेन्द्र कुमार पर्वत	9455601249
29	जिला विकलांग कल्याण अधिकारी	2201008		श्री मधुरेन्द्र कुमार पर्वत	9455601249
30	जिला युवा कल्याण अधिकारी			श्री संजय कुमार सिंह	9838602458
31	प्र0 जिला पंचायत राज अधिकारी	2342710		श्री आर0के0 भारती	9415315587
32	जिला सैनिक कल्याण एवं पु0अधिकारी	2337643		श्री राम मोहन पाण्डेय	9695077246
33	जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड	2337305		श्री श्याम प्यारे राम	9450881116
34	जिला गन्ना अधिकारी	2273077	2273077	श्री हेमेन्द्र प्रताप सिंह	9450466568
35	जिला कृषि अधिकारी	2332158		श्री बृजेश सिंह	9415833137
36	प्र0 जिला कृषि रक्षा अधिकारी	2338405		डा0 रघुराज सिंह	9415375345
37	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	2336621 2339754	2231013	श्रीमती रेखा गाडिया	9415378852 9795199009
38	उप आयुक्त स्टाम्प (डीआईजी स्टाम्प)	2201936		श्री चन्द्र नाथ ओझा	9838541841

39	सहायक आयुक्त स्टाम्प			श्री राकेश शुक्ल	9415039052
40	उप निदेशक कृषि	2506633	2504390	श्री जय प्रकाश	9793737244
41	भूमि संरक्षण अधिकारी	2201940		श्री नरेन्द्र कमार त्रिपाठी	9235629493 9415558829
42	भूमि संरक्षण अधिकारी,सरयू नहर प्रणाली, फेज–1 गोला स्थित गोरखपुर	2205153		श्री हरबंश सिंह यादव श्री आर0 के0 गुप्ता जे0ई0	9415205721 8858512333
43	प्रभारी अधीक्षक राजकीय उद्यान	2200937	2200937	श्री मधुसूदन सिंह	9792531002
44	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मत्स्य	2202664		श्रीमती पुष्पा तिवारी	9935645165
45	जिला युवा समन्वयक	2204046		श्री शफीक जमॉ खान	9415275219
46	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	2332236		डा0 के0पी0 सिंह	9919069576
47	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	2340189		श्री मनीराम सिंह	9453004147
48	जिला विद्यालय निरीक्षक	2333126		श्री सतीश सिंह	9628523758
49	क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी	2332475		श्री सदन राम	9415339190
50	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	2335331		श्री एस0बी0 सिंह	9450092992
51	क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण अधिकारी	2273937		श्री कौशल किशोर जे0ई श्री फरेश कुमार सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	9415237025 9919606420 9415855878
52	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी	2335450		श्री पी0के0 सिंह	9415013044
53	परियोजना अधिकारी, नेडा	2202752	2507219	श्री सीताराम सिंह	9415609046 9235693854
54	परियोजना अधिकारी डूडा	2346848		श्री हरेन्द्र सिंह	9415855760 8573002279
55	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	2333540		श्री आर0एस0 यादव	9411613077
56	सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम	2347704		श्री जनार्दन राय	7607003702
57	वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी,न0 नि0	2342621		श्री उदय नरायण पाण्डेय	7607003696
58	नगर स्वास्थ्य अधिकारी				
59	जिला मलेरिया अधिकारी			डा0 ए0के0 पाण्डेय	9415212609
60	जिला क्षय रोग अधिकारी	2344586		डा0 बी0के0 मिश्रा	9450681495
61	जिला कुष्ठ रोग अधिकारी			डा0 रमेश प्रसाद गुप्ता	9450883406
62	प्र0 जिला होम्योपैथिक चिकि0 अधिकारी			डा0 निर्मल प्रसाद	9451519901
63	सहायक मनोरंजन कर आयुक्त	2335883		श्री महेद्र सिंह	9412848039
64	महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	2257409		श्री हरे राम मिश्रा	9336839879
65	जिला खादी ग्रामोंद्योग अधिकारी	2255624		श्री अजय कुमार सिंह	9838941439
66	सामान्य प्रबन्धक दुग्ध	2320437		श्री मो0 वसीम	9451853188
67	जिला खाद्य विपणन अधिकारी	2230046	2333068	श्री संजय कुमार पाण्डेय	9415066760
68	डिविजनल इंजिनीयर एग्रो	2338161		श्री यू0एन0 सिंह	9415823798
69	जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0	2506030		श्री तरूणेश कुमार यादव	9918528504
70	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक	2230269	2230270	श्री दिनेश चन्द्र दुबे	9415037537 9235403914
71	जिला प्रबन्धक उ0प्र0 एग्रो	2258392		श्री सतीश मल्ल	9793309077
72	क्षेत्र प्रबन्धक एफ0सी0आई0	2334082		श्री पी0सी0 सिंह	9410394245
73	प्रबन्धक नेफेड			श्री विरेन्द्र	9451143403
74	निदेशक बौद्ध संग्रहालय	2230162		श्री ए0के0 सिंह	9415846521
75	प्र0सहायक निदेशक हथकरघा	2250289		श्री राजाराम	9415589382
76	सहायक निदेशक कारखाना 0512	2223886	2306483	श्री जी0डी0 पाण्डेय	8005184949
77	सहायक सूचना निदेशक	2332962		श्री हंसूराम	9453005390
78	आचार्य, क्षे0 ग्रा0वि0 संस्थान, चरगांवा	2500908	2500908	श्री बी0के0 महाजन	9415301626
79	प्र0 उप संचालक चकबन्दी			श्री गौरव वर्मा	9454416210
80	बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी			श्री भीमसेन यादव	9450389295
81	चकबन्दी अधिकारी			श्री शैलेश कुमार शाही	9839091000
82	खान निरीक्षक			श्री सुभाष शर्मा	8765629169
83	औषधि निरीक्षक			श्री यादव	9451172547
84	मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी			श्री आर0सी0 पाण्डेय	9454468509

85	ए0आर0 चिट्स फण्ड	2332717		श्री रइस अहमद	7376367204
86	डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर (प्रशासन)	2202470	2242536	श्री राम बाबू गौड़	9161727143
87	ज्येष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान			श्री राजन सिंह	9838612627
88	सचिव मण्डी	2320918		श्री ए0के0 सिंह	9532586143
89	इन्जिनियर तारा मण्डल			श्री अनिल यादव	9889092525
90	प्र0 उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा			श्री निरज मिश्रा	9415686688
91	कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी			डा0 वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	9307735079
92	गन्ना निरीक्षक/सहायक चीनी आयुक्त			श्री मोहन लाल	
93	ए0आर0टी0ओ0 प्रवर्तन द्वितीय			श्री अंसारी	9415280176
94	आर0एम0 रोडवेज	2336093		श्री अतुल जैन	9412705835

अपर/संयुक्त/उप निदेशक-मण्डलीय अधिकारी

क्र.	पदनाम	कार्यालय	आवास	अधिकारी का नाम	मोबाईल नं0
1	अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पक	2500717		डा0 अश्वनी कुमार पाण्डेय	9415120480
2	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/स0नि	2332475		श्री सदन राम	9415339190
3	संयुक्त निदेशक (शिक्षा)	2343944		श्री दिव्य कान्त शुक्ल	9415045800
4	प्र0 सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा			श्री सतीश सिंह	9628523758
5	अपर निदेशक कोषागार	2332167			
6	संयुक्त निदेशक कोषागार	2332167		डा0 हरिचरण सिंह	9369310360
7	संयुक्त विकास आयुक्त	2336046		श्री वी0के0 मिश्रा	9453011232
8	अपर निदेशक, पशुपालन	2335240		डा0 विजय सिंह	8765957961
9	संयुक्त कृषि निदेशक	2507191	2500666	श्री मो0 आरिफ सिद्दकी	9415014718
10	संयुक्त निदेशक उद्योग			श्री हरिद्वार राम	9452630666
11	उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण	2504390		श्री अनुकुल प्रकाश	
12	उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या	2203395		श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	9415461046
13	उप निदेशक, उद्यान	2201974		श्री अनिल सिंह	9415203787
14	उप निदेशक, पंचायत	2200217		श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना	9358420286
15	उप निदेशक, मत्स्य	2256196	2258504	डा0 नुरूल हक	9415684912
16	उप निदेशक, सहकारिता	2253998		श्री बी0डी0 मिश्रा	9415194888
17	उप निदेशक, समाज कल्याण	2334870		श्री आर0पी0 सिंह	9415255269
18	उप निदेशक, संस्थागत वित्त	2203944		श्री एस0के0 सूरी	9451176706
19	उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत		2334251	डा0 विजय नाथ मिश्र	9415278178
20	प्र0 उप निदेशक मण्डी (प्रशासन)	2321228		श्री अन्जनी कु0 श्रीवास्तव	
21	उप निदेशक मण्डी (निर्माण)	2320852		श्री सी0बी0 पाण्डेय	9450435282
22	उप श्रम आयुक्त	2333059		श्री एस0पी0 शुक्ल ओ0पी0 गुप्ता ALC	9453043030 9450322893
23	उप आबकारी आयुक्त	2333179		श्री हर्ष चौधरी	9454465594
24	उप गन्ना आयुक्त	2273997	2273077	श्री विश्वेस कन्नौजिया	9839769822
25	अपर आयुक्त वाणिज्य कर ग्रेड–1	2203428	2320255	श्री राजेन्द्र कुमार	
26	डिवीजनल कमाण्डेन्ट होमगार्ड			श्री ए0के0शुक्ला	9415148934

27	उपायुक्त, खाद्य एवं रसद	2330176		श्री राम करन	9452309712
28	उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी			श्री ए0के0 सिंह	9450331877
29	सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी			श्री अतुल कुमार पाण्डेय	9415037375
30	क्षेत्रीय प्रबन्धक, इफ्को			डा0 बी0आर0 वर्मा	
31	क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 एग्रो	2258392		श्री विश्वनाथ	9415712008
32	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी0सी0एफ0			श्री विजय बहादुर यादव	9412181314
33	सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान	5278	225781	श्री लव कुमार पाण्डेय	9807285456
34	उप निबन्धक सहकारी समितियाँ		2259398	श्री रामेश बाबू गुप्ता	9452702560
35	परियोजना निदेशक राष्ट्रीय बाल श्रम	2333059			
36	प्र0 उप निदेशक, स्था0नि0ले0प0	2334618		श्री हरि मंगल सरोज	9415075314
37	प्र0 सहायक निदेशक हथकरघा	2250289		श्री राजा राम	9415589382
38	सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें	2200817		श्री बृजेश कुमार दीक्षित	9415521687
39	सम्भागीय परिवहन अधिकारी			श्री लक्ष्मीकान्त मिश्र	9415349222
40	सहायक भू वैज्ञानिक अधिकारी / प्रभारी अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग			श्री पी0के0 सिंह	9452658605
41	सहायक निदेशक रेशम, गोर0 / मह0			श्री बी0पी0 सिंह	9415105155

क्र.	पदनाम	कार्यालय	आवास	अधिकारी का नाम	मोबाईल नं0
1	मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र	2334295	2333572	श्री महेन्द्र सिंह प्रथम	9415323006
2	अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त	2285613		श्री अनुराग चतुर्वेदी	9559022972
3	सहा0 अभि,पी0एम0जी0एस0वाई0गो0वृत्त	2336489	2331043	श्री अनुपम कुमार सिंह	9984812313
4	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड	2333063	2340629	श्री अवधेश कुमार सिंह	9559517585
5	अधि अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1(भवन)	2333619	2507155 (नोडल	श्री विपिन कुमार राय	9335454244
6	अधि अभि, निर्माण खण्ड–3 मार्ग एवं सेतु			श्री जय सिंह	9415054393
7	प्र0, अधिशासी अभि, राष्ट्रीय राजमार्ग				9935446750
8	अधिशासी अभियन्ता विद्युत यांत्रिक	2201632		श्री अखिलेश कुमार	9415463461
9	अधि0 अभि0, निर्माण खण्ड–2 (प्र0प0)	2333320		श्री अमिनेष कुमार	9415161714
10	अधि अभि, राजकीय निर्माण निगम				9839654257
11	परि प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम	पी0एन0 सिंह ए0ई0	983873 808	श्री आर0पी0 सिंह	9415626082
12	डिप्टी जी0एम0, सेतु निगम	2334012		श्री दीपक गोविल	9415231928

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण					
1	परियोजना अधिकारी, एन0एच0आई0			श्री आर0पी0 सिंह	9838204107
2	प्रबन्धक तकनीकी प्रथम			श्री मुकेश शर्मा	9935072900
3	प्रबन्धक तकनीकी द्वितीय			श्री रावत	9628372523
4	कार्य अधीक्षक, नेशनल हाईवे		9ण235ड़09	श्री मो0 मुस्तफा	9451164824
गण्डक सिंचाई विभाग					
1	मुख्य अभियन्ता, गण्डक फै–2200296	2200815	2202829	श्री एस0एन0 द्विवेदी	9415019561
2	अधीक्षण अभियन्ता गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम	2200031	2201863	श्री राज बहादुर सिंह	9451584060 9651816625 9651816625
3	अधीक्षण अभि, गण्डक बाढ़ म–1	2200816	2200067	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय	
4	अधीक्षण अभि, ग0सिं0 कार्य म–2	2201406	2201700	श्री एस0एन0 शर्मा	8004572695
5	अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड	2200827	2339262	श्री एस.एन.पी. सिंह यादव	9415448581
6	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नहर	2201638	2201959	श्री डी0एस0 सचान	9956164477
7	अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड	2320784	2201622	श्री राशिद अली	7897204101
8	अधिशासी अभि0, बाढ़ खण्ड–2	2272881		श्री पी0पी0 सिंह	9450503646
9	अधि0 अभि0, सरजू नहर खण्ड–1	2273094		श्री श्याम जी चौबे	9415876327
10	अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई		2280854	श्री आर0बी0 सिंह	
11	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई				9415018103
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग					
1	अधिशासी अभियन्ता	2336073	2504252	श्री एस0पी0 राम	9415274414
2	सहायक अभियन्ता	2336073		श्री एस0एन0 सिंह	9918168438
नगर निगम					
1	मुख्य अभियन्ता,	2205362		श्री जितेन्द्र केन	9452510365 7607003680
2	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण			श्री एस0के0 केसरी	
3	अधि0 अभि0, निर्माण		9ण84ड़09	श्री रामपाल	9796940264
जल निगम विभाग					
1	मुख्य अभियन्ता जल निगम			श्री सूरज लाल	9473942693
2	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम			श्री सी0बी0गुप्ता	9473942697
3	अधी अभि, विद्युत यांत्रिक खण्ड			श्री नवीन चन्द्र	9454977570
4	अधिशासी अभियन्ता, दशम् खण्ड	2200255		श्री जी0पी0 उपाध्याय	9473942698
5	अधि0 अभि0, जनि, प्रकल्प खण्ड			श्री राजेन्द्र सिंह	9473942699
6	अधिशासी अभि, विद्युत यांत्रिक खण्ड	2202182		श्री फतेह बहादुर चौधरी	9473941984
7	परियोजना प्रब निर्माण (रामगढ़ताल)			श्री ओ0पी0 सिंह	9450680390
8	परियोजना प्रबन्धक जल निगम	CNDS		श्री ए0एन0 उपाध्याय	9450431088
9	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल			श्री ए0के0 त्रिपाठी	9454414900 9415032405

10	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड–1	2200343	9ण्416म्09	श्री विश्व विजय कृष्णा	9454414910
11	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड–2			श्री सी0पी0 सिंह	9454414920
	विद्युत विभाग				
1	मुख्य अभियन्ता विद्युत	2201026	2200421	श्री ए0के0 श्रीवास्तव	9415343333
2	उप महाप्रबन्धक विद्युत (मुख्यालय)	2204703	देहात	श्री महेन्द्र कुमार	9415202000
3	उप महाप्रबन्धक विद्युत (नगरीय)	2202426	फै0 2337414	श्री जयराम चौरसिया	9415203000
4	अधि अभि, प्रशासन	2200644		श्री घनश्याम मिश्रा	9415202122
5	अधि0 अभि0, वि0वि0 ख–1 (नोडल)	2201494		श्री तारिक वारसी	9450963766
6	अधि0 अभि0, वि0वि0 ख–2 (ग्रामीण)	2200623	गोला	श्री धीरज सिन्हा	9450963768
7	अधि0 अभि0, नवि0वि0 ख–1	2337933		श्री अजय कुमार सिंह	9450963769
8	अधि0 अभि0, नवि0वि0 ख–2	2336650	गोरखनाथ	श्री एन0एन0 गोयल	9450963785
9	अधि0 अभि0, नवि0वि0 ख–3	2505847	शाहपुर	श्री जी0सी0 द्विवेदी	9450963828
10	अधि0 अभि, विद्युत परीक्षण खण्ड नगरीय			श्री आई0बी0 सिंह	9450963787
11	अधि0 अभि, विद्युत परीक्षण खण्ड ग्रामीण	2201430		श्री रामरूप राम	9450963786
	विद्युत सुरक्षा विभाग				
1	उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा			श्री संजय कुमार पाण्डेय	9412302505
2	अवर अभियन्ता, राजपत्रित विद्युत सुरक्षा			श्री आर0के0 सिंह	9935508155
3	सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा				
	जी0डी0ए0				
1	मुख्य अभियन्ता	2230130		श्री अनिल गर्ग	
2	अवर अभियन्ता, राजपत्रित विद्युत सुरक्षा			श्री आर0के0 सिंह	9935508155
3	सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा				
	जी0डी0ए0				
1	मुख्य अभियन्ता	2230130		श्री अनिल गर्ग	
2	अधीक्षण अभियन्ता				
3	सहायक अभियन्ता			श्री एस0के0 श्रीवास्तव	9628372026
	आवास विकास परिषद				
1	अधिशासी अभियन्ता			श्री रामायण शरण	8795810032
2	सहायक अभियन्ता			श्री हरि नारायण	8795810090
3	सहायक अभियन्ता			श्री डी0के0 गुप्ता	8795810089
	विविध				
1	अधि अभियन्ता, समाज क0 नि0 निगम			श्री ओ0पी0 सिंह	9454456048
2	सहा अभि समाज कल्याण निर्माण निगम			श्री के0जी0 दूबे	9415083179 9454455900
3	जे0ई0 समाज कल्याण निर्माण निगम			श्री आर0पी0 नायक	9415466871
4	पी0डी0 सी0एन0डी0एस0			श्री ए0एन0 उपाध्याय	9792200746
5	ए0ई0 डी0आर0डी0ए0			श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	9415280670

पुलिस विभाग

क्र. सं.	पदनाम	कार्यालय	आवास	अधिकारी का नाम	मोबाईल नं0 सी0यू0जी0नं0
1	आई0जी0, गोरखपुर रेंज	2333707		श्री जकी अहमद	9454400141
2	पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र	2201047 2336004	2200668 2202255	श्री नवीन अरोडा	9454400209
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	2200858	2200773	श्री शलभ माथुर	9454400273 8953002001
4	पुलिस अधीक्षक बिजलेंस	2340932	2201892	श्री मोहित गुप्ता	9454401870
5	पलिस अधीक्षक अपराध			श्री राम भवन चौरसिया	9454403529
6	अपर पुलिस अधीक्षक (नगर)	2336004	8953002040 2202382	श्री परेश पाण्डेय	9454401054
7	अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)	2204335	8009160160	श्री एस0 चेन्नप्पा	9454401055
8	पुलिस उपाधीक्षक प्रज्ञान	2341931	8953002019	श्री आर0सी0 त्रिपाठी	9454401726 8423831457
9	क्षेत्राधिकारी कोतवाली		8953002009	श्री सच्चिदानन्द	9454401411
10	थानाध्यक्ष कोतवाली	2336020		श्री मिथिलेश कुमार राय	9454403517
11	प्रभारी निरीक्षक राजघाट		9756796200	श्री लक्ष्मण राय	9454403521
12	थानाध्यक्ष तिवारीपुर	2242488		श्री राणा राजेश कुमार सिंह	9454403525
13	क्षेत्राधिकारी कैण्ट			श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ला	9454401412
14	प्रभारी निरीक्षक कैण्ट		8953002076	श्री सुधाकर सिंह	9454403506
15	प्रभारी निरीक्षक शाहपुर	2500738	8953002085	श्री अंशुमान यदुवंशी	9454403523
16	थानाध्यक्ष खोराबार			श्री श्रीप्रकाश यादव	9454403516
17	क्षेत्राधिकारी, गोरखनाथ			श्री रितेश कुमार सिंह	9454401413
18	थानाध्यक्ष गोरखनाथ	2255057	8953002222	श्री राजीव रंजन उपाध्याय	9454403511
19	थानाध्यक्ष चिलुआताल		8953002177		9454403508
20	थानाध्यक्ष गुलरिहा				9454403512
21	थानाध्यक्ष, महिला थाना	2341627	8953002088	कुमारी शालिनी सिंह	9454403518
22	क्षेत्राधिकारी, कैम्पियरगंज		8953002032	श्री अतुल कुमार सोनकर	9454401417
23	प्रभारी निरीक्षक कैम्पियरगंज			श्री आशीष मिश्रा	9454403505
24	थानाध्यक्ष पीपीगंज			श्री जय सिंह	9454403520
25	थानाध्यक्ष सहजनवां		8953002081	श्री रमाकर यादव	9454403522
26	थानाध्यक्ष हरपुर बुदहट			श्री रामचन्द्र भारती	9454403513
27	क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा		9415568425	श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव	9454401416
28	थानाध्यक्ष चौरीचौरा		8953002166	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	9454403507
29	थानाध्यक्ष झंगहा		8953002125	श्री रमेश चन्द्र मिश्रा	9454403514

10	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड–1	2200343	9ण्416म्09	श्री विश्व विजय कृष्णा	9454414910
11	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड–2			श्री सी0पी0 सिंह	9454414920
	विद्युत विभाग				
1	मुख्य अभियन्ता विद्युत	2201026	2200421	श्री ए0के0 श्रीवास्तव	9415343333
2	उप महाप्रबन्धक विद्युत (मुख्यालय)	2204703	देहात	श्री महेन्द्र कुमार	9415202000
3	उप महाप्रबन्धक विद्युत (नगरीय)	2202426	फै0 2337414	श्री जयराम चौरसिया	9415203000
4	अधि अभि, प्रशासन	2200644		श्री घनश्याम मिश्रा	9415202122
5	अधि0 अभि0, वि0वि0 ख–1 (नोडल)	2201494		श्री तारिक वारसी	9450963766
6	अधि0 अभि0, वि0वि0 ख–2 (ग्रामीण)	2200623	गोला	श्री धीरज सिन्हा	9450963768
7	अधि0 अभि0, नवि0वि0 ख–1	2337933		श्री अजय कुमार सिंह	9450963769
8	अधि0 अभि0, नवि0वि0 ख–2	2336650	गोरखनाथ	श्री एन0एन0 गोयल	9450963785
9	अधि0 अभि0, नवि0वि0 ख–3	2505847	शाहपुर	श्री जी0सी0 द्विवेदी	9450963828
10	अधि0 अभि, विद्युत परीक्षण खण्ड नगरीय			श्री आई0बी0 सिंह	9450963787
11	अधि0 अभि, विद्युत परीक्षण खण्ड ग्रामीण	2201430		श्री रामरूप राम	9450963786
	विद्युत सुरक्षा विभाग				
1	उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा			श्री संजय कुमार पाण्डेय	9412302505
2	अवर अभियन्ता, राजपत्रित विद्युत सुरक्षा			श्री आर0के0 सिंह	9935508155
3	सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा				
	जी0डी0ए0				
1	मुख्य अभियन्ता	2230130		श्री अनिल गर्ग	
2	अवर अभियन्ता, राजपत्रित विद्युत सुरक्षा			श्री आर0के0 सिंह	9935508155
3	सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा				
	जी0डी0ए0				
1	मुख्य अभियन्ता	2230130		श्री अनिल गर्ग	
2	अधीक्षण अभियन्ता				
3	सहायक अभियन्ता			श्री एस0के0 श्रीवास्तव	9628372026
	आवास विकास परिषद				
1	अधिशासी अभियन्ता			श्री रामायण शरण	8795810032
2	सहायक अभियन्ता			श्री हरि नारायण	8795810090
3	सहायक अभियन्ता			श्री डी0के0 गुप्ता	8795810089
	विविध				
1	अधि अभियन्ता, समाज क0 नि0 निगम			श्री ओ0पी0 सिंह	9454456048
2	सहा अभि समाज कल्याण निर्माण निगम			श्री के0जी0 दूबे	9415083179 9454455900
3	जे0ई0 समाज कल्याण निर्माण निगम			श्री आर0पी0 नायक	9415466871
4	पी0डी0 सी0एन0डी0एस0			श्री ए0एन0 उपाध्याय	9792200746
5	ए0ई0 डी0आर0डी0ए0			श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	9415280670

पुलिस विभाग

क्र. सं.	पदनाम	कार्यालय	आवास	अधिकारी का नाम	मोबाईल नं0 सी0यू0जी0नं0
1	आई0जी0, गोरखपुर रेंज	2333707		श्री जकी अहमद	9454400141
2	पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र	2201047 2336004	2200668 2202255	श्री नवीन अरोडा	9454400209
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	2200858	2200773	श्री शलभ माथुर	9454400273 8953002001
4	पुलिस अधीक्षक बिजलेंस	2340932	2201892	श्री मोहित गुप्ता	9454401870
5	पलिस अधीक्षक अपराध			श्री राम भवन चौरसिया	9454403529
6	अपर पुलिस अधीक्षक (नगर)	2336004	8953002040 2202382	श्री परेश पाण्डेय	9454401054
7	अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)	2204335	8009160160	श्री एस0 चेन्नप्पा	9454401055
8	पुलिस उपाधीक्षक प्रज्ञान	2341931	8953002019	श्री आर0सी0 त्रिपाठी	9454401726 8423831457
9	क्षेत्राधिकारी कोतवाली		8953002009	श्री सच्चिदानन्द	9454401411
10	थानाध्यक्ष कोतवाली	2336020		श्री मिथिलेश कुमार राय	9454403517
11	प्रभारी निरीक्षक राजघाट		9756796200	श्री लक्ष्मण राय	9454403521
12	थानाध्यक्ष तिवारीपुर	2242488		श्री राणा राजेश कुमार सिंह	9454403525
13	क्षेत्राधिकारी कैण्ट			श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ला	9454401412
14	प्रभारी निरीक्षक कैण्ट		8953002076	श्री सुधाकर सिंह	9454403506
15	प्रभारी निरीक्षक शाहपुर	2500738	8953002085	श्री अंशुमान यदुवंशी	9454403523
16	थानाध्यक्ष खोराबार			श्री श्रीप्रकाश यादव	9454403516
17	क्षेत्राधिकारी, गोरखनाथ			श्री रितेश कुमार सिंह	9454401413
18	थानाध्यक्ष गोरखनाथ	2255057	8953002222	श्री राजीव रंजन उपाध्याय	9454403511
19	थानाध्यक्ष चिलुआताल		8953002177		9454403508
20	थानाध्यक्ष गुलरिहा				9454403512
21	थानाध्यक्ष, महिला थाना	2341627	8953002088	कुमारी शालिनी सिंह	9454403518
22	क्षेत्राधिकारी, कैम्पियरगंज		8953002032	श्री अतुल कुमार सोनकर	9454401417
23	प्रभारी निरीक्षक कैम्पियरगंज			श्री आशीष मिश्रा	9454403505
24	थानाध्यक्ष पीपीगंज			श्री जय सिंह	9454403520
25	थानाध्यक्ष सहजनवां		8953002081	श्री रमाकर यादव	9454403522
26	थानाध्यक्ष हरपुर बुदहट			श्री रामचन्द्र भारती	9454403513
27	क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा		9415568425	श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव	9454401416
28	थानाध्यक्ष चौरीचौरा		8953002166	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	9454403507
29	थानाध्यक्ष झंगहा		8953002125	श्री रमेश चन्द्र मिश्रा	9454403514

30	थानाध्यक्ष पिपराईच			श्री भवनाथ चौधरी	9454403519
31	क्षेत्राधिकारी बांसगॉव			श्री पंकज	9454401414
32	कार्यवाहक थानाध्यक्ष बड़हलगंज			श्री कमलेश कुमार सिह	9454403501
33	थानाध्यक्ष बांसगॉव			श्री छोटे लाल राम	9454403502
34	थानाध्यक्ष बेलीपार			श्री आनन्द प्रकाश शुक्ला	9454403503
35	थानाध्यक्ष गगहा		8953002122	श्री अजय नरायन सिंह	9454403509
36	थानाध्यक्ष गोला		8953002161	श्री विकम विरेन्द्र सिंह	9454403510
क्र. सं.	**पदनाम**	**कार्यालय**	**आवास**	**अधिकारी का नाम**	**मोबाईल नं0 सी0यू0जी0नं0**
37	क्षेत्राधिकारी खजनी		9794088004	श्री विजय शंकर मिश्रा	9454401415
38	थानाध्यक्ष खजनी			श्री शिव बचन यादव	9454403515
39	थानाध्यक्ष बेलघाट	05521–247200	8953002086	श्री विनय पाठक	9454403504
40	थानाध्यक्ष सिकरीगंज			श्री छोटे लाल	9454403524
41	थानाध्यक्ष उरूवा बाजार	05521–254120		श्री अनिल दूबे	9454403526
42	पुलिस अधीक्षक यातायात			श्री रमाकान्त	9454403528
43	क्षेत्राधिकारी यातायात			श्री विजय शंकर तिवारी	9415240981
44	टी0एस0आई			श्री ए0के0 सिंह	9450530111
45	प्रतिसार निरीक्षक	2336032		श्री देवी दयाल	9454402362
46	पुलिस कार्यालय		2334629		
47	पुलिस कार्यालय (बड़े बाबू)		9450466783	श्री प्रमोद यादव	9454402442
48	आशुलिपिक, डी0आई0जी0		9415839525	श्री कृष्णचन्द्र सिंह चौहान	9454401418
49	रीडर, डी0आई0जी0		9415207880	श्री देवेन्द्र कुमार पाठक	9454403529
50	पी0आर0ओ0, डी0आई0जी0		9415217095		9454403528
51	महिला संरक्षण गृह अधीक्षिका			श्रीमती नौरंगी देवी	9838690032
52	महिला थानाध्यक्ष	2341627	9451738718	कुमारी शालिनी सिंह	9454403518
53	डी0सी0आर0				9454417470
54	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी		SPO	श्री आर0के0 मिश्रा	9984864406 9454456769
55	अभियोजन अधिकारी		PO	श्री सूर्य भान प्रताप	9415684835
56	पुलिस अधीक्षक,जी0आर0पी0			श्री जे0पी0सिंह	9454400397
57	इन्सपेक्टर जी0आर0पी0			श्री आर0पी0सिंह	9454404411
58	इन्सपेक्टर रेडियो		8953003000	श्री फतेह बाहादुर	8953002800

59	आई0जी0,आर0पी0एफ0			श्री चे0दामोदरन	9794840700
60	डीआई0जी0, आर0पी0एफ0			श्री पी0के0 अग्रवाल	9794840087
मण्डलीय कारागार					
1	उप महानिरीक्षक कारागार	2344601		श्री केदार नाथ	9415132287 9454418174
2	वरिष्ठ करागार अधीक्षक	2282325		श्री एस0के0शर्मा	9415336753 9454418290
3	जेलर मण्डलीय कारागार	2282325		श्री नवमी लाल	9454418291

विकास खण्ड

क	**पदनाम**	**कार्यालय**	**अधिकारी का नाम**	**मोबाईल नं0**	
1	खण्ड विकास अधिकारी, चरगांवा	2506633	9454464885	श्री सुदामा प्रसाद	9450796974
2	खण्ड विकास अधिकारी, भटहट	2752274	9454464846	श्री सुरेश चन्द्र केशरवानी	9412624716
3	खण्ड विकास अधिकारी, पिपराईच	2672685	9454464847	श्री सुदामा प्रसाद	9450796974
4	खण्ड विकास अधिकारी, सरदारनगर	2711269	9454464889	डा0 हरिचरन सिंह	9415201154
5	खण्ड विकास अधिकारी, ब्रहम्पुर	2736296	9454464891	डा0 हरिचरन सिंह	9415201154
6	खण्ड विकास अधिकारी, खोराबार	270192	9454464890	श्री संजय कुमार सिंह	9838602458
7	खण्ड विकास अधिकारी, पाली	2746347	9454464882	श्री सत्य नरायन सिंह कुशवाहा	9415610540
8	खण्ड विकास अधिकारी,		9454464883	श्री रविन्द्र चतुर्वेदी	9532327486
9	खण्ड विकास अधिकारी, पिपरौली	2580319	9454464884	श्री श्याम नाथ राम	8874152099
10	खण्ड विकास अधिकारी, जं0 कौडिया	2764018	9454464881	श्री विजय कुमार सोनी	9919731316
11	खण्ड विकास अधिकारी, कैम्पियरगंज	248212	9454464902	श्री संजय कुमार सिंह	9838602458
12	खण्ड विकास अधिकारी, बांसगांव	230004	9454464893	श्री सुरेश कुमार सिंह	9451837994
13	खण्ड विकास अधिकारी, बड़हलगंज	280793	9454464901	श्रीमती सविता सिंह	9450220977
14	खण्ड विकास अधिकारी, गोला	231251	9454464898	श्री ज्ञान प्रकाश	9453570122
15	खण्ड विकास अधिकारी, बेलघाट	247165	9454464897	श्री सुरेश सिंह यादव	8896890370
16	खण्ड विकास अधिकारी, उरूवा	233325	9454464892	श्री माधव भट्टाचार्या	
17	खण्ड विकास अधिकारी, गगहा	237326	9454464895	श्री कर्मराज	9453836823
18	खण्ड विकास अधिकारी, कौड़ीराम	242528	9454464894	श्री योगेन्द्र चौबे	9454464894
19	खण्ड विकास अधिकारी, खजनी	251418	9454464896	श्री ओम प्रकाश दूबे	8765487196

मीडिया

क्र0सं0	नाम	विभाग	दूरभाश सं0
1	श्री पवन शाह	ए0एन0आई0	9838625366
2	श्री सलमान हैदर	आकाशवाणी	9415321461
3	श्री उदय प्रकाश पाण्डेय	यूनीवार्ता	9415848752
4	हेना नकबी	पी0टी0आई0	9450959086
5	श्री राजेश पाण्डेय	दूरदर्शन	9451188654
6	श्री शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी	जन संदेश	9415210006
7	श्री हर्ष वर्धन शाही	हिन्दूस्तान	9415211711
8	श्री इंद्र मणि पाण्डेय	हिन्दूस्तान	9415849641
9	श्री अरूण चन्द कौशिक	अमर उजाला	9936757417
10	श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव	दैनिक जागरण	9415379397
11	श्री अविनाश कुमार चतुर्वेदी	आई नेक्सट	9454701071
12	श्री रमेश शुक्ला	राष्ट्रीय सहारा	9935950007
13	श्री अभयानन्द त्रिपाठी	स्वतंत्र चेतना	9453609429
14	श्री आर0पी0सिंह	आज	9451190209
15	मुमताज खान	भाषा	9415211924
16	श्री अरविन्द शुक्ला	तरूण मित्र	9415282612
17	श्री गजेन्द्र त्रिपाठी	आज तक	9415823282
18	श्री शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव	सहारा समय	9415212166
19	श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव	इण्डिया टी0वी0	9450966303
20	श्री नीरज श्रीवास्तव	स्टार न्यूज	9935434743
21	श्री आलोक वर्मा	जी0 न्यूज	9415393957
22	श्री सलीम खाँ	एन0डी0 टी0वी0	9450439818
23	श्री अमित राय	इण्डिया न्यूज	9451560642
24	श्री रोहित सिंह	ई0टी0वी0	9305107877
25	श्री राशाद लारी	लाइव टी0वी0	9335493797
26	श्री अमित पासवान	एस0 – 1 न्यूज	9415436177
27	श्री संतोष पाण्डेय	आंखो देखी	9935302277
28	श्री कासीब	अमर उजाला काम्पैक्ट	8954886181

स्वयं सेवी संगठन

S.No	Organisation	Point person	Telephone	Address
1	Oxfam India	Mr. Yeeshu Shukla	0522-2204783	1,Dalibagh,Butler Road, Lucknow-226001
2	Catholic Relief Services (CRS)	Ms. Dipti Pant	0522-2353552	B-116/8,Indira Nagar,Lucknow
3	Action AID	Debabrat Patra	0522-4113494/95	2nd Floor, 3/545, Sai Plaza Building Vivek Khand,Lucknow-226010
4	Water Aid	Santosh Diwedi	0522-4065412/13	2/203, Vishal Khand, Gomti nagar,Lucknow-226010
5	Care India	Sanjay	0522-2334436	B-718,Sec-C, Mahanagar, Lucknow
6	Unicef	Amit Mehrotra	0522-4093333	3/194,Vishal Khand, Gomti Nagar,Lucknow-226010
7	UNDP	Aditi Umrao	0522-2237515	6th Floor, BapuBhawan, Lucknow
8	PANI	Bharat Bhushan	05278-225178	1/13/190, Civil lines, Faizabad,Lucknow-224001
9	Gorakhpur Environmental Action Group	Dr. Shiraz	09415211006	224,Purdilpur, MG Collage Road, Gorakhpur-273001
10	Poorvanchal Gramin Vikas Sansthan	Dr. Bhanu	0522-2304856	1/122, Vijay Khand,Gomtinagar,Lucknow-226010
11	Sahayog Network	Dr. B.C. Srivastava	05544-263271	c/o 9, Adarsh Colony, shohratgarh, Siddharth Nagar- 272205
12	IAGUP	Ratnesh Srivastava	9956999900	
13	CASA	Kamal Kumar	0522-4109343	1/73, Vinit Khand, Gomti Nagar, Lucknow
14	GDS	S.K.Dwedi	0522-2334112,2334432	B-1/184, Sec-B, Aliganj, Lucknow
15	SSK	Nagendra Singh	0522-6980124	Sahbhagi Road, ChhathaMeel(Behind Police Fire Station), SitapurRoad,Lucknow- 227208
16	Sahara Welfare Foundation	Anil K.Srivastava		9th Floor, Sahara India Tower, Kapoorthala, Aliganj, Lucknow-226029
17	World Vison	Nirupam Jha	0522-2425829/2425839	J 325First floor, Aashiyana Colony,Lucknow-226012
18	Plan India	Rajan Vadivelu	0522-2399926	1/100 Vivek Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010
19	Pratinidhi Samiti	Dr. Mazahar	9451913298	H.No. 34 GaziNagar, Takrohi Bazar,(Indira Nagar, Sec. 11) Lucknow – 227001
20	Panchseel Development Trust	Dhuruw Kumar	9919831361	183,Hanuman colony, Sufipura,Baharaich– 271801
21	Dehat Sansthan	Jitendra Kumar	9415054079	Sewakunj, Masihabad road, Vaikaticauraha, hujurpurmarg, Baharaich
22	Gramin Vikas SewaSamiti	RamlalitYadaw	9451426137	Mohalla- Pikauradastturai (dariyakha) post- Gandhi nagar, Basti
23	JantaSewaSamiti	Jay PrakashYadaw		Nyaymarg , katara, near water tank,Basti
24	Aim	Vinod Singh	9450638037	A-8 Sarvodaya Nagar, Lucknow-226016
25	Vigyan Foundation	SandeepKhare	9415011703	D-3191 Indira Nagar,Lucknow, -226016
26	ManawSewasamiti	Sunil Singh	9450185524	42 E TulsiSagar, Ghazipur
27	Rosa Sansthan		9450156972	Vill- Kakarmatta Near AdarsBalVidyalay Po.- DLW Varanasi

28	Naw bhartiy nari vikas samiti	Azahar Ali	9450777864	Vill.& Post - Baheri , Baliya- 277001
29	PGSS	Father G.B.	9335016400	Near Fatima Hospital, Padari Bazar, Gorkhpur- 273014
30	Shoharatgargh Environmental Society	Dr. B.C. Serivastava	9450434798	Premkunj -9 Adarsh Colony Soharatgarh,SidharthNagar-272205
31	Gautam Budha Society	Shridhar Panday	9415163366	Bai Pass Chouk, SidharthNagar
32	Gramin Sewa Samiti	Mr. Pradumyan Mishra	9415210607	
33	SHDA (Sustainable Human Development Association	B.M. Tripathi 9415856712	9415856712 shdabm@rediffmail.com	Vill. & P. Naiyapar Khurd Pipraich, Gorakhpur
34	AADHAAR	Dinesk Kumar Upadhyay 9839801543	9839801543 aadhaar_gkp@rediffmail.com	Opposite Shree Talkies Mohaddipur, Gorakhpur
35	Samudayik Kalyan Evam Vikas Sansthan	Reeta Kaushik 9838593884	9838593884 cws97@rediffmail.com	Dargahiya, Nandanagar Near Rly crossing Kunaraghat Gorakhpur
36	SAFE Society	Vaibhav Sharma 9839339403	9839339403	Mirchine Chauraha, PO. Tikariyan, Gorakhpur
37	Bhartiya Mahila Sansthan	Dileep Kumar 9450564595	9450564595	Vill. Jangal Sikari PO. Jangal Chauri Gorakhpur
38	Vaishnavi Gramodyog Seva Sansthan	Deepak Mishra 9415361826	9415361826	C/179/405, Betiahata Gorakhpur
39	Buddha Seva Sansthan	Dr. R.C.Tripathi 9838535077	9838535077	Piprauli Bazar, Gorakhpur
40	Sarswati Devi Siksha Samiti	Dr. Kalpnath Singh 9839081037	9839081037	Vill. Sahajana, PO. Sahjanawa Gorakhpur
41	Rudra Dheeraj Prakshikshan Samiti	I.P.N. Singh 9918417464	9918417464	Mahuari Tola, Mohaddipur Gorakhpur
42	Pooja Nari Seva Sansthan	Kamala Yadava 9336151457	9336151457	Sangam Chowk, Padari Bazar Gorakhpur
43	Jan Sahyog Foundation	Umesh Chandra Yadava 9305029504	9305029504	Gorakhnath, Gorakhpur
44	Dayanidhi Voluntary Organisation	Kiran Dixit 9935414189	9935414189	254/ Sugar Mill Road Khalilabad, Sant Kabeer Nagar
45	Aparajita Samajik Samiti	Kiran Vaishya 9451677675 9305184752	9451677675 9305184752	Vill. Malaur, PO. Pali Gorakhpur
46	Gorakhnath Krishak Sah Prasar Krishak Vidyalaya	Vishnu Pratap Singh 9415422326	0551-6808167	Miyan Bazar, Naear Kotwali Gorakhpur
47	Hayat Foundation	Devendranath Pandey 9415213343	9935025080	Sunbeam Public School Kusumhi Road Pipraich Gorakhpur
48	Care Educational Society	Awadhesh Dwivedi 9838383505	9838383505	V-701/ Haridwarpuram Phase – I, Arogya Mandir Gorakhpur
49	PAHAL	Prashant Srivastava 9450438102	9450438102	Humayunpur North, Harahva Phatak, Gorakhpur

50	Adarsh Seva Evam Anushandhan Sanstahn	Dr. Rajesh Kumar Vaishya 9415847382	9415847382	New Project Road Nanda Nagar, Kungraghat, Gorakhpur
51	Vikas Gramodyog Seva Sansthan	Shamim Ejaz 9415378875	9415378875	197/Avas Vikas Mahadev Jharkhandi Colony, Gorakhpur
52	Jagrook Mahila Evam Balvika Sansthan	Rajani Bhoushan 9450100970	9450100970	252-A, Humayunpur North, Gorakhpur
53	Swar Gunjan	Rakesh Upadhyay 9415163481	9415163481 singerrakesh@yahoo.com	Vill&Po.- Bhitirawat, Sahjanawa, Gorakhpur
54	Sumanglam Sansthan	Umesh Chandra Srivastava 9838252887	9838252887	E/102/463 Infront of SBI, Mohaddipur, Gorakhpur
55	Rajkishori Devi Seva Sansthan	Sangeeta Rai 9935961980	9935961980	Sikatur Bazar, Maniram, Gorakhpur
56	Baba Ram Karan Das Gramin Vikas Samit	Awadhesa Jaiswal 9839652635	9839652635	Basia, Sahjanwa
57	Gramothan Sansthan	Deepak Mishra 9415361826	9450434131	Ram Leela Maidna, Gorakhnath, Gorakhkpur
58	Gramin Vikas Parishad	Dr. R.C.Tripathi 9838535077	9918919015	Azad Nagar East, Near Sankat Mochan Mandir, Shivpuri Colony, Gorakhpur
59	Alert Action For Social Development	Dr. Kalpnath Singh 9839081037	9415691024	LIG-940/10, Mahadev Jharkhandi Colony, Gorakhpur
60	Diya	I.P.N. Singh 9918417464	941532774	Basharatpur, Goraklhpur
61	Ram Naresh Seva Sansthan	Kamala Yadava 9336151457	9415710366	Humaynpur North, Near Over Bridge, Gorakhnath, Gorakhpur
62	Vishnu Manav Kalyan Sansthan	Umesh Chandra Yadava 9305029504	9415853891	Humaynpur North, Near Over Bridge, Gorakhnath, Gorakhpur
63	Durgesh Seva Sansthan	Kiran Dixit 9935414189	94151956678	Vill-Onapar, Po-Kuri Bazar, Belghat, Gorakhpur
64	Anshu Gramin Vikas Sansthan	Kiran Vaishya 9451677675 9305184752		Chhatra Sangh Chauraha, Padleganj, Gorakhpur
65	Bharatiya Gorakha Seva Santhan	Dr. Tara Chhetri 9451188048	9451188048	Kungraghat, Gorakhpur
66	Manava Kalyan Kendra	Dr. Y.K. Saran 93336415352	93336415352	269- Shakti nagar, Gorakhpur Basharatpur, Gorakhpur
67	Nari Pragati Niketan	Nirupama Sharma 9451803159	9451803159	618-Krishnagar Colony, Gorakhpur